दशम माला, खण्ड 33, अंक 4

गुरूवार, 28 जुलाई, 1994
6 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाहीं ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

दशम माला, खंड 33, ग्यारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)

अंक 4, गुरूवार, 28 जुलाई 1994/6 श्रावण, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रतिभूतियों और बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के संबंध में चर्चा-जारी		1-5
प्रश्नों के लिखित उत्तर		6-295
तारांकित प्रश्न संख्या	61-80	6-39
अतारांकित प्रश्न संख्या	616 से 631 और 633 से 840	40-295

लोक सभा

गुरूवार, 28 जुलाई 1994/6 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

1-5

.....(व्यवधान).....

प्रतिभूतियों और बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के संबंध में चर्चा - जारी

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, क्या सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन वापस ले लिया है?

.....(व्यवधान).....

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : आप की गई कार्रवाई रिपोर्ट वापस लीजिए। .....(व्यवधान).....

श्री बसुदेव आचार्य : आप की गई कार्रवाई रिपोर्ट वापिस लीजिए.....(व्यवधान).....

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या सरकार में जरा भी शर्म बाकी है जो वह यह कह रही है कि उसने की गई कार्रवाई रिपोर्ट निरस्त कर दी है?.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : अब मैं भी सोमनाथ चटर्जी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

.....(व्यवधान).....

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया है। .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से इस बात से सहमति प्रकट की थी कि प्रश्न काल में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डाला जाएगा। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम प्रश्नकाल का महत्व समझते हैं। लेकिन हमें इस बात का अहसास है कि केवल इसी संस्था में ही हम उन संसदीय लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के अनुसार अपनी समस्याओं का निराकर कर सकते हैं जिन्हें इस देश में अपनाया गया है। महोदय, सभी लोग यह मानते हैं कि यह देश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इस सदी में इससे पहले कभी भी इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ। इसीलिए, प्रधान मंत्री जी ने यहां आकर सभा को यह आश्वासन दिया कि जो संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है, वह जो भी सिफारिशें करेगी उनके आधार पर किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जाएगा चाहे वह कितने ही बड़े पद पर क्यों न हो। महोदय, यह इस समिति की गरिमा है। हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि इस समिति ने एक सर्वसम्मत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। महोदय, मैं इस समिति के अध्यक्ष की उस टिप्पणी को याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि इस रिपोर्ट में कुछ समझौते किए गए हैं। अतः इसका महत्व कम किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस बारे में कुछ और अवश्य कहना चाहते होंगे।

महोदय, अब यह अपेक्षित की गई कार्रवाई रिपोर्ट नहीं है। बात केवल इस पर कार्य करने की है। महोदय, लेकिन इस तथाकथित कार्रवाई रिपोर्ट के अनेक भाग ऐसे हैं जिनमें कहा गया है कि समिति के निष्कर्षो को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। ऐसा कहा गया है कि ये निष्कर्ष अप्रत्याभूत, गलत, विकृत है और टिप्पणियां अनुचित हैं। यह समिति एक छोटी संसद थी क्योंकि पूरा सदन इस गंभीर धोखाधड़ी पर गौर नहीं कर सकता था। अतः एक समिति नियुक्त की गई थी। स्पष्टरूप से इसमें सत्ताधारी दल के सदस्यों की संख्या निसंदेह अधिक थी और इसमें अत्यधिक मेहनत की गई है और उन्होंने एक सर्वसम्मत रिपोर्ट पेश की। अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में किसी एक व्यक्ति अथवा कुछ वर्गो को "विशेष महत्व" दिया जा रहा है। उस व्यक्ति पर अथवा लोगों पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है और इस समिति को जितना महत्व दिया गया है, उससे इस संसद की छवि का पता चलता है क्योंकि इस संसद में रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए कभी भी इसको अस्वीकार नहीं किया। इस सभा ने यह रिपोर्ट अस्वीकार नहीं की न ही सरकार ने उस समय सभा में यह कहा था कि वह इसे स्वीकार नहीं कर रही है। यदि रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता, अर्थात सरकार की इच्छा प्रकट कर दी गई है, तो सरकार उस पर कार्रवाई करने के नाम पर पीछे कैसे जा सकती है और यह कहते हुए मुद्दों को फिर खोलने की कोशिश कैसे कर सकती है कि वह इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है? कुछ बातों को नोट किया गया है किंतु दोषी पाए गए एक भी व्यक्ति को दण्ड नहीं दिया गया है। सभा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि किसी व्यक्ति को दण्डित किया गया है। कितना समय बीत गया है? यह काम 1992 में शुरू हुआ था और अब 1994 है। यह एक गंभीर स्थिति है। यह पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। सभा का समय नष्ट किया जा रह है।

हमारी मांग है कि यदि सरकार के मन में संसदीय लोकतंत्र के प्रति जरा भी सम्मान की

भावना है तो वह कम से कम इतना तो कर सकती है कि की गई कार्रवाई प्रतिवेदन को खुशी से वापस ले ले और महोदय उनको आपके माध्यम से इस सभा को इस देश को वचन देना चाहिए कि भ्रष्टाचार, चाहे वह कितने बड़े स्तर पर हो, को बरदाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार को और भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए केवल बातें ही नहीं करनी चाहिए अपितु इसकी चिंता भी करनी चाहिए। अन्यथा हम यही कह सकते हैं कि यह सरकार और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं। मैं समझता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति ने एक सर्वसम्मत रिपोर्ट प्रस्तुत करके बहुत अच्छा काम किया है। महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर्वसम्मति की प्राप्ति के लिए कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि यह केवल एक पक्षीय सर्वसम्मति है। जिसमें उन लोगों ने कुछ शिथिलता बरती हैं जिसके विचार सत्ताधारी दल के सदस्यों के विपरीत है। यहां तक कि एक सर्वसम्मत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सत्ताधारी दल को भी कुछ बातों को छोड़ना पड़ा है। हम मानते हैं कि यह एक लघु संसद है। हमारे मन में इसके प्रति भी उतना ही सम्मान है जितना कि संसद के प्रति है। इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है। इस सभा में और दूसरी सभा में हमने जो अनेक वाद–विवाद किए उनके दौरान हमने अपने विचार प्रकट किये हैं। विपक्ष ने हमारे विचारों को सुना है और हमने भी उनके विचारों को समझने की कोशिश की है। इन चर्चाओं के दौरान इस रिपोर्ट की स्वीकृत या अस्वीकृत करने का कोई प्रश्न नहीं था। रिपोर्ट सभा में प्राप्त हुई। उसके बाद सरकार को की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। वह रिपोर्ट अब आ गई है।.....**(व्यवधान)**..... महोदय मेरा निवेदन है कि यदि हम इस रिपोर्ट का बारीकी से विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से सरकार ने लगभग एक तिहाई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।.....**(व्यवधान)**.....

महोदय, उन्हें मेरी बात सुननी है चाहे वे मेरी बातों से सहमत हो या न हो।

रिपोर्ट में कुछ ऐसे भाग हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट के कतिपय भाग ऐसे हैं जिनकी जांच की जानी है और इसकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट के कुछ भाग ऐसे है जिन्हें सरकार ने स्वीकृत करना संभव नहीं पाया है अतः इस रिपोर्ट के तीन भाग हैं। रिपोर्ट का वह भाग जो सरकार ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है।.....**(व्यवधान)**.....

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : यह रिपोर्ट है? मंत्रियों को बचा लिया है। इसमें केवल सरकारी कर्मचारियों को बलि का बकरा बना रहे हैं।.....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरी बात सुनिए, महोदय, सरकार ने रिपोर्ट के एक बड़े भाग को स्वीकार कर लिया है। उसके बाद रिपोर्ट के एक बड़े भाग की जांच की जा रही है और जांच की प्रक्रिया

पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जाएगा। हमारी कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि.....**(व्यवधान)**..... महोदय, यह बहुत अनुचित है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप उनको बोलने दीजिए। मैं सबको बोलने के लिए मौका दे रहा हूं।

.....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, हमारी कानूनी और संवैधानिक प्रणाली ऐसी है जिसमें दिन–दहाड़े अपराध होते हैं, लोगों की मौजूदगी में अपराध होते हैं, अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा जाता है फिर भी न्यायालय को निर्णय देने में समय लगता है जैसे कि नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी की दिन–दहाड़े हत्या की थी। हर कोई इस बात को जानता है। उसे लोगों के सामने रंगे हाथों पकड़ा गया था। लेकिन फिर भी न्यायालय को नाथूराम गौडसे का दोष सिद्ध होने का निर्णय देने में पांच वर्ष का समय लगा। हम इसे कम नहीं कर सकते है।.....**(व्यवधान)**.....

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : इसका सिक्यूरिटी स्कैम से क्या संबंध है?.....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। .....**(व्यवधान)**.....

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : आप हमें मंत्रियों की अकाउटेंबिलिटी के बारे में बताइए। .....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : *महोदय, मैं सभा पटल पर एक विवरण रखने के लिए तैयार हूं जिसमें यह बताया गया है कि की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में समिति की किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। उन सभी को उसमें बताया गया है।.....**(व्यवधान)**.....महोदय, जांच करनी होगी।* मुझे विश्वास है सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जांच के बिना कानूनी प्रक्रिया, जैसा कि कानून और संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है का पालन किए बिना हम किसी को दण्ड नहीं दे सकते हैं। उन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और हम उनका पालन करेंगे। महोदय, मैं आपको स्पष्ट आश्वासन दे सकता हूं कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसे क्षमा नहीं किया जाएगा।.....**(व्यवधान)**.....हम निर्दोष लोगों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे लेकिन जिन लोगों को दोषी पाया जाएगा उनके विरूद्ध कानून के तहत यथासंभव कठोर कार्रवाई की जाएगी। तथापि, जब तक हम इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ नहीं लेते है और इस पर चर्चा नहीं कर लेते हैं। .....**(व्यवधान)**.....

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : हमें आश्वासन नहीं चाहिए। ऐक्शन टेकन रिपोर्ट वापस लो।.....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैं सभा को जो दूसरा आश्वासन देना चाहता हूं वह यह है कि यदि चर्चा के दौरान हम यह देखते हैं कि की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में कोई कमियां हैं, कोई त्रूटि है तो हम उन्हें ठीक करने के लिए तैयार हैं।.....**(व्यवधान)**.....

महोदय, हम रिपोर्ट के संबंध में उदार मन है.....**(व्यवधान)**.....यदि सभा इस बात की ओर इशारा करती है कि की गई कोई कार्यवाही ठीक नहीं है, अस्वीकृति के बारे में सिफारिश का उद्देश्य ठीक नहीं है तो हम उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। हमें मालूम है कि यदि कोई अपराध किया गया है और उचित कार्यवाही नहीं की गई हैं, यदि कहीं पर कोई कमी या कोई गलती है तो हम उसे ठीक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। चर्चा के दौरान यह बात सामने आनी चाहिए।.....**(व्यवधान)**..... हम उदारमन हैं।

यदि वे लोग सभा की कार्यवाही में इस तरह से बाधा डालेंगे तो मुझे खेद है कि हम इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते हैं।.....**(व्यवधान)**.....उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा और इस पर यहां चर्चा करनी होगी।.....**(व्यवधान)**.....

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय महोदय ने अभी-अभी जो कुछ कहा है उससे उन्होंने इस सभा को भ्रम में डालने की कोशिश की है। .....**(व्यवधान)**.....

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, उन्होंने जो कुछ कहा है, हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है।.....**(व्यवधान)**.....

11.16½ म.प.

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर सभा पटल के समीप खड़े हो गए।

.....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.00 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

61. **श्री चेतन पी. एस. चौहान :**

प्रो० के. वी. थामस :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत छः महीनों के दौरान कितने आतंकवादियों ने आत्मसर्म्पण किया;

(घ) क्या राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु कोई नई पहल की गई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) हालांकि आतंकवादी हिंसा का स्तर अधिक बना हुआ है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि हाल ही में इस प्रकार की गतिविधियों में वृद्धि हुई हैं।

(ग) पिछले 6 महीनों के दौरान लगभग 20 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया।

(घ) से (ड.) उग्रवाद–विरोधी अभियानों को तेज किया गया हैं, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सेना और अर्द्ध–सैनिक बल तैनात किए गए हैं, विशेष टुकड़ियां और निगरानी चौकियां स्थापित की गयी हैं और घेराबन्दी अभियान को और गहन किया गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप हाल के महीनों में पकड़े गए/मारे गए उग्रवादियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

सिंचाई क्षमता

62. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी, मंझोली और लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा अब तक राज्य–वार कुल कितनी सिंचाई क्षमता पैदा की गयी है;

(ख) क्या 1993-94 के अन्त तक पैदा की गई सिंचाई क्षमता का समुचित उपयोग किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने पर विचार कर रही है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बृहद व मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए वर्ष 1993-94 के अंत तक सृजित की जाने वाली अनुमानित सिंचाई क्षमता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण -I में दिया गया है।

(ख) और (ग) 1993-94 के अंत तक, सृजित की गई 85.05 मिलियन हेक्टेयर क्षमता में से 76.27 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग कर लिए जाने की आशा है।

(घ) क्षमता का सृजन और इसका उपयोग एक जारी प्रक्रिया है। सिंचाई आरंभ होने और इसका पूर्ण उपयोग होने के बीच कुछ वर्षों का अंतर होना अपरिहार्य हैं क्योंकि किसानों को फील्ड चैनल के निर्माण और सिंचित खेती हेतु भूमि तैयार करने में समय लगता है। वर्षा पोषित कृषि से सिचिंत कृषि अपनाने में कृषि तकनीकों में भारी परिवर्तन शामिल होता है जिसके बारे में किसानों को प्रवीण बनने में समय लगता है।

(ङ) सृजित क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए 1974-75 से केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त बेहतर जल प्रबंध पद्धतियां भी क्रियान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

अंधता निवारण

*63. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य–वार निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को आबंटित धनराशि तथा उनके द्वारा व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकलापों में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान 64.20 लाख मोतिया बिन्द आपरेशनों के लक्ष्य के मुकाबले 50.44 लाख मोतियाबिन्द के आपरेशन किए गए और राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में 35.37 करोड़ रूपये की केन्द्रीय धनराशि के मुकाबले 31.75 करोड़ रूपये के व्यय की सूचना दी है।

वर्ष 1994-95 के दौरान आवंटन को 40 करोड़ रूपये, जिसमें विश्व बैंक की 21 करोड़ रूपये की सहायता शामिल है, तक बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों को सहायता बढ़ाने, सभी जिलों में जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियां स्थापित करने, राज्य सरकार के संस्थानों को मोतियाबिन्द आपरेशनों के लिए उपभोज्यों की आपूर्ति करने, नेत्र शल्य चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण, नेत्र परिचर्चा के लिए पलंग क्षमता बढ़ाने, चुनिन्दा जिला अस्पतालों में समर्पित आपरेशन थियेटरों और चुनिन्दा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डार्क रूमों का निर्माण करने जैसे अतिरिक्त कार्यकलाप शामिल है।

राज्यवार लक्ष्य और कार्य –निष्पादन तथा विमुक्त की गई धनराशियों और पिछले तीन वर्षों के लिए सूचित किया गया व्यय का ब्यौरे विवरण I और II में संलग्न है।

विवरण I

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान मोतियाबिन्द का आपरेशनों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92		1992-93		1993-94	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	20000	129365	200000	117936	210000	167825
अरूणाचल प्रदेश	600	242	600	257	2000	177
असम	25000	17252	25000	17223	50000	16590
बिहार	155000	70000	155000	60083	175000	66820
गोवा	2200	2568	3000	3108	4500	3211
गुजरात	110000	122239	122000	124896	140000	153255
हरियाणा	60000	51782	62000	63834	80000	61665
हिमाचल प्रदेश	10000	7824	10000	7938	10000	8969
जम्मू एवं कश्मीर	7000	7134	7000	4847	10000	3013
कर्नाटक	90000	65078	90000	77760	140000	93358
केरल	50000	24003	50000	23079	70000	30091
मध्य प्रदेश	150000	113227	150000	117968	200000	161656
महाराष्ट्र	180000	188251	191000	207802	250000	250299
मणिपुर	2000	364	1500	623	4000	592
मेघालय	5000	1356	4400	1030	2000	1308

1	2	3	4	5	6	7
मिजोरम	400	171	400	132	500	269
नागालैंड	600	76	250	158	400	134
उड़ीसा	70000	28038	60000	28175	80000	27258
पंजाब	70000	94017	90000	102531	100000	118207
राजस्थान	130000	80654	125000	81823	150000	86430
सिक्किम	1000	209	600	292	600	592
तमिलनाडु	160000	151323	160000	171946	20000	208000
त्रिपुरा	4000	2381	3000	2978	5000	3259
उत्तर प्रदेश	320000	247083	300000	234759	350000	281360
पं बंगाल	150000	90202	150000	116032	150000	129834
अंडमान निकोबार	600	177	400	140	500	243
चंडीगढ़	5000	2579	4500	2513	6000	3480
दा. न. हवेली	500	40	200	102	200	85
दमन दीव	1000	0	100	194	200	204
दिल्ली	25000	18573	30000	30000	35000	28489
लक्षद्वीप	100	19	50	13	100	39
पांडिचेरी	5000	2475	4000	3337	4000	4333
ई.एस.आई.ए.एफ.सी.आर	—	7077	-	1417	-	1813
भारत	1990000	1525779	2000000	1604926	2430000	1912918

विवरण II

वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान सरकार द्वारा रिलीज किए गए धन तथा राज्यों द्वारा सूचित व्यय का विवरण

लाखों में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92		1992-93		1993-94	
	भा.सर.द्वारा रिली. किया गया धन	राज्य द्वारा सूचित व्यय	भा.सर.द्वारा रिली. किया गया धन	राज्य द्वारा सूचित व्यय	भा.सर.द्वारा रिली. किया गया धन	राज्य द्वारा सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	47.7	58.01	68.09	73.54	88.10	67.18
अरूणाचल प्रदेश	11.56	7.15	26.33	5.01	3.98	5.90
असम	45.46	27.74	53.89	2.33	50.78	—
बिहार	38.52	22.84	71.43	60.31	41.76	—
गोवा	8.48	1.73	9.03	10.59	6.39	4.60
गुजरात	51.70	248.95	121.45	133.66	62.95	27.24
हरियाणा	26.54	10.08	26.70	19.91	46.12	22.45
हिमाचल प्रदेश	21.72	6.32	27.24	0.45	7.19	2.98
जम्मू एवं कश्मीर	24.16	17.78	35.05	37.28	49.53	7.35
कर्नाटक	46.77	36.10	57.35	38.68	70.44	43.81
केरल	40.70	21.73	29.69	20.42	52.78	25.72
मध्य प्रदेश	99.70	198.95	130.23	242.06	116.43	335.70
महाराष्ट्र	82.43	70.98	130.62	118.79	144.25	128.51
मणिपुर	16.83	7.78	10.30	8.86	7.77	7.47
मेघालय	9.42	4.85	3.93	4.85	4.04	0.64
मिजोरम	6.10	3.26	3.06	3.62	3.36	5.00
नागालैंड	9.74	9.39	9.66	8.20	9.59	12.57
उड़ीसा	43.15	42.46	65.45	33.66	73.54	28.17
पंजाब	35.24	31.98	28.83	11.26	32.42	12.01

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	54.53	40.56	91.47	66.83	87.52	107.11
सिक्किम	9.72	17.38	3.46	1.15	3.57	2.55
तमिलनाडु	46.62	23.82	69.00	16.01	25.83	1.58
त्रिपुरा	19.87	34.20	3.48	25.13	7.09	38.77
उत्तर प्रदेश	98.85	63.22	165.55	92.55	182.16	151.04
पं बंगाल	41.18	25.00	55.40	12.20	60.98	26.22
अंडमान निकोबार	6.00	2.08	2.10	2.10	1.32	2.38
चंडीगढ़	6.40	0.77	0.19	1.15	0.84	1.52
दादर व नगर हवेली	0.00	0.09	0.19	0.02	0.37	0.31
दमन दीव	7.80	0.10	2.12	4.33	1.34	4.90
दिल्ली	0.00	0.00	2.25	2.25	7.71	2.04
लक्षद्वीप	6.00	2.51	2.15	1.81	0.39	0.09
पांडिचेरी	10.00	1.27	1.05	0.90	0.78	0.52
भारत	972.95	1039.08	1306.74	1059.91	1251.32	1076.33

मादक पदार्थ विरोधी अभियान

11-14

*64. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में कोई मादक पदार्थ विरोधी अभियान चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अभियानों के दौरान कोई सफलता मिली है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न स्थानों पर इसी प्रकार के अभियान चलाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) जी, हां।

(ख) से (छ) नशीली दवाओं से परहेज बरतने के वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली सहित देश के सभी भागों को शामिल करते हुए नशीली दवाओं के दुरूपयोग के विरुद्ध एक अभियान चलाया है। यह रेडियो, टेलिविजन तथा समाचार पत्रों सहित शासकीय प्रचार माध्यमों द्वारा नशीली दवाओं के दुरूपयोग के बारे में समुचित संदेशों का प्रसारण सुनिश्चित

करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ–साथ कार्य कर रहा है। अभियान के एक हिस्से के रूप में शुरू किए गए क्रियाकलापों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस बहु–माध्यम नशीली दवाओं के दुरूपयोग अभियान को नशीली दवाओं के दुरूपयोग की मांग में कमी की राजनीति के एक समग्र तथा निर्णायक घटक के रूप में स्वीकार किया गया है और राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी एजेंसियों के सहयोग से संपूर्ण देश में इसे शुरू किया गया है।

चेतना–निर्माण तथा निवारणात्मक शिक्षा के लिए विशिष्ट क्षेत्र आधारित लक्ष्योन्मुखी कार्यक्रमों शुरू करने के लिए वृहद संख्या में स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस मंत्रालय की सहायता से दिल्ली में सात परामर्श केन्द्र सात निर्व्यसन केन्द्र तथा दो उत्तरवर्ती देखभाल केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये स्वयंसेवी संगठन दिल्ली में रैलियों, परिचर्चाओं, प्रशिक्षण भूकामिनय मंचन, चित्र, लेख प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शियों इत्यादि का आयोजन करते हुए शैक्षणिक तथा चेतना–निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन भी करते रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार का समाज कल्याण विभाग दिल्ली में चेतना–निर्माण/लोकमत शिविरों का आयोजन भी करता पडा रहा है। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस ने भी सदर बाजार, नबी करीम, पहाड़गंज तथा बाड़ा हिन्दू राव थाना पुलिस क्षेत्रों में 26 जून, 1994 से एक महीने तक का नशीली दवाओं के दुरूपयोग के विरुद्ध एक अभियान चलाया है।

विवरण

हाल ही में निम्नलिखित माध्यमों से (1991से) दिल्ली में नशीली दवाओं के विरुद्ध चलाए गए अभियान के ब्यौरे इस प्रकार है :

1) इलैक्ट्रॉनिक्स
   - 25 विडियों क्विकीज
   - 10 रेडियों स्पॉट
   - 50 रेडियों प्रायोजित कार्यक्रम 'आओं हाथ बढ़ाएं'
   - 1 टी वी धारावाहिक (4 कडियां)
   - 2 टेलीफिल्म (टी वी धारावाहिक एक पुनः सम्पादित रूपान्तर तथा दूसरा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा तैयार किया गया)
   - आउटरीज कार्यक्रम तथा चेतना–निर्माण के लिए गैर–सरकारी संगठन को विडियों वैन दी गई।

2) प्रिन्ट का वितरण
   - 4 पोस्टर सैट
   - 2 बुकलेट सैट
   - 1 कोमिक सैट
   - 2 फील्डर सैल

	का मुद्रण :
	– नार्दरन रेलवे की कम्प्यूटरीकृत टिकटों पर 5 स्लोगन
	– डाक सामग्री अर्थात् पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, एयरोग्राम, मनी आर्डर तथा डाकघर बचत बैंक पास बुक पर 5 स्लोगन
3) प्रेस	**जारी किए**
	– 5 प्रेस विज्ञप्तियां
	– 5 समाचार सप्लीमेंट की फुल पेज
4) ट्रेडिशनल	**होल्डिंग आफ**
	– 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम
	– 1 कठपुतली कार्यक्रम
	– 1 गैर–सरकारी संगठनों द्वारा रैली
	– 2 राष्ट्रीय संगोष्ठियां
	– जागरण द्वारा दिल्ली स्लम में 250 नाटक
5) प्रतियोगिता	– 2 अखिल भारतीय पोस्टर प्रतियोगिता
	– 1 अखिल भारतीय प्रस्ताव प्रतियोगिता
	– 1 अखिल भारतीय लोगो प्रतियोगिता
6) आउटडोर	– 17 होर्डिंग्स
	– 20 बस क्यू शैल्टर
	– 780 बस पैनल (मार्च, 1994 तक)
	– 2 सिनेमा स्लाइड सीरिज (प्रत्येक 9472)
	– 1450 क्यॉसक (अब 350)
7) प्रदर्शनी	– 4

[हिन्दी]

झारखंड मसला

65. **श्री साईमन मनंडी :**

श्री ललित उरांव

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार माह के दौरान झारखंड मसले के हल करने हेतु हुई वार्ताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मसले को हल करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ बाधाएं आ रही है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ड.) इन बाधाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है, और

(च) यह मसला कब तक हल हो जाएगा?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ड.) झारखंड मुददे पर पिछले चार महीनों के दौरान राज्य सरकार के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई हैं। तथापि, इस मुद्दे का आपसी समझ–बूझ से, अनौपचारिक ढंग से कोई हल निकालने के लिए लगातार प्रयास किए गए। झारखण्ड क्षेत्र विकास परिषद्, 1991 में कुछ सुधारों को स्वीकार करने हेतु राज्य सरकार को राजी करवाने में सफल न होने पर अब केन्द्र सरकार, संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति के औपचारिक आदेशों के लिए विधेयक को प्रोसेस कर रही है।

(च) चूंकि इस मुद्दे से विभिन्न राजनैतिक, कानूनी एवं प्रशासनिक जटिलताएं जुड़ी हैं अतः इसे सुलझाने के लिए किसी निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

दूरदर्शन चैनल

*66 **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु कम से कम एक दूरदर्शन चैनल उपलब्ध कराने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) भारत का संविधान प्रसारण को संघ सूची में रखता है। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाती है कि रेडियो और दूरदर्शन पर राज्यों के विकासात्मक कार्यकलापों का पर्याप्त रूप से प्रसारण किया जाए।

[हिन्दी]

नेत्र पुतलियों का प्रत्यारोपण

*67 **श्री सत्यदेव सिंह** :

श्री बृज भूषण शरण सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष कितनी नेत्र पुतलियां एकत्र की जाती है;

(ख) नेत्र पुतलियों के प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में आज की तारीख तक दर्ज व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में उपलब्ध नेत्र पुतलियों में से अधिकांश नेत्र पुतलियां पर्याप्त नेत्र बैंक सुविधा उपलब्ध ने होने के कारण नष्ट हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) देश में प्रतिवर्ष लगभग 14,000 नेत्र पुतलियां एकत्र की जाती हैं।

इस समय देश में लगभग 1.91 लाख व्यक्ति दोनों नेत्रों में और लगभग 5.9 लाख व्यक्ति एक नेत्र में कार्निया के कारण दृष्टिहीन हैं जिन्हें नेत्र पुतलियों के प्रत्यारोपण की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) उपलब्ध बहुत सी नेत्र पुतलियां देर से सूचना मिलने, आंखों के रोगी होने, अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं और संरक्षण के लिए इस समय उपलब्ध सीमित प्रचार साधनों के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में नेत्र बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता उपलब्ध है।

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

***68. श्री एस. बी. सिदनाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम पर राज्यवार व्यय संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) से (घ) कुछ राज्यों को छोड़कर, जहां पर जागरूकता की कमी, संरचनात्मक कमियों और कार्यान्वयन में कठिनाइयों के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके, शेष में कुल मिलाकर काफी सीमा तक लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। इस बारे में विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ङ) इस बारे में एक कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसमें कम कार्य वाले क्षेत्रों में संरचनात्मक ढांचे से सुदृढ़ करने के लिए विशेष परियोजनाएं, सूचना, शिक्षा और संचार पर अधिक बल, गैर सरकारी संगठनों का अधिकाधिक सहयोग, सक्रिय सामुदायिक सहभागिता जैसी विशिष्ट नीति अपनाना शामिल है।

विवरण I

वर्ष 1991-92 से 1993-94 के प० क० व्यय को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रूपये में)

	1991-92	1992-93	1993-94*
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	7904.89	8240.82	10686.06
असम	2446.84	2101.17	2485.74
बिहार	5475.17	7588.74	9799.08
गुजरात	4936.35	5792.19	9853.06
हरियाणा	1922.49	2753.92	3651.68
हिमाचल प्रदेश	1915.60	1503.97	2230.76
जम्मू एवं कश्मीर	1130.79	1279.19	2214.10
कर्नाटक	4852.80	4719.78	5768.42
केरल	3563.89	3503.46	5068.42
मध्य प्रदेश	6759.99	7906.22	9779.89
मणिपुर	387.30	506.66	622.45
महाराष्ट्र	8712.62	9498.38	11665.52
मेघालय	203.39	256.84	295.54
नागालैंड	143.59	242.57	463.75
उड़ीसा	5216.72	3971.37	4493.17
पंजाब	2332.19	3774.17	3608.47
राजस्थान	5909.38	5907.37	7697.29
सिक्किम	148.82	198.21	251.29
तमिलनाडु	4438.68	5626.65	7891.70
त्रिपुरा	483.98	578.63	825.98

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	17164.08	17104.61	24324.37
पश्चिम बंगाल	7426.81	6660.90	6803.81
अरूणाचल प्रदेश	51.79	86.11	64.48
गोवा	101.46	104.03	136.61
मिजोरम	104.62	174.74	182.92
पांडिचेरी	69.49	93.97	96.08
अंडमान् निकोबार	60.96	82.66	77.90
चंडीगढ़	60.31	116.36	141.42
दादर व नगर हवेली	14.01	16.21	24.66
दमन दीव	11.99	15.82	37.93
दिल्ली	499.66	540.57	1162.07
लक्षद्वीप	1.99	6.98	12.00
जनरल सैक्टर	6299.11	6306.37	7440.38
कुल योग	100751.36	107259.64	139857.00

* 1993-94 के आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को की गई नियुक्ति को दर्शाते है, वास्तविक व्यय के आंकड़े प्रतिरक्षित है।

विवरण-II

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में लक्ष्य/उपलब्धि की प्रत्याशित स्तरों की उपलब्धियों का राज्यवार प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अभिकरण	नसबंदी			आई यू डी निवेशन			प्र० गर्भ निरोधक			मुख सेवन गोली उपयोगक		
		1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
			$	$		$	$		$	$		$	$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
बड़े राज्य (एक करोड़ या अधिक जनसंख्या)													
1.	आंध्र प्रदेश	80.6	87.4	100.6	64.5	62.1	66.0	75.3	76.9	79.3	98.1	66.1	61.8
2.	असम	26.1	10.7	21.6	56.7	50.0	51.8	64.4	63.1	54.8	78.6	47.9	19.0
3.	बिहार	42.5	60.7	61.7	33.6	44.8	44.3	26.3	28.1	31.1	54.9	38.6	39.1
4.	गुजरात	95.3	90.3	106.5	81.1	81.1	95.5	97.1	104.0	117.0	103.7	59.3	92.7
5.	हरियाणा	96.9	94.3	93.1	87.5	72.8	83.3	101.6	85.4	85.6	138.1	85.0	81.3
6.	कर्नाटक	87.4	92.1	93.8	84.9	82.0	91.7	94.6	94.7	88.7	104.3	72.8	76.4
7.	केरल	108.5	114.2	101.7	92.4	80.9	81.3	98.8	96.1	64.9	111.3	69.2	57.2
8.	मध्य प्रदेश	84.6	82.7	91.0	86.2	74.8	70.4	83.0	87.6	97.3	104.1	58.6	87.2
9.	महाराष्ट्र	102.5	106.7	102.8	97.5	97.3	86.8	101.3	94.5	89.1	116.9	56.7	75.8
10.	उड़ीसा	67.6	73.0	89.1	85.8	75.9	86.2	85.9	75.8	82.7	107.9	55.8	78.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	पंजाब	85.5	118.3	153.2	119.5	71.2	101.5	107.6	101.8	111.6	144.1	87.5	107.5
12.	राजस्थान	77.0	88.1	73.8	63.5	71.5	65.5	83.4	86.9	85.8	86.0	48.5	76.5
13.	तमिलनाडु	104.2	105.2	100.1	95.9	88.5	100.7	103.9	96.0	100.2	157.2	69.2	71.3
14.	उत्तर प्रदेश	45.9	59.3	59.7	55.4	75.9	96.0	99.7	103.8	107.0	102.8	70.1	105.8
15.	प० बंगाल	81.8	78.2	88.4	56.1	50.1	50.5	85.6	82.3	77.8	74.9	71.3	67.1
II	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**												
1.	हिमाचल प्रदेश	109.0	114.8	96.2	86.2	92.9	76.7	122.5	116.3	93.6	106.5	78.1	64.4
2.	जम्मू कश्मीर	30.0	36.9	54.2*	65.9	62.3	27.9*	67.7	101.6	73.8*	93.8	77.9	38.1**
3.	मणिपुर	57.2	32.5	36.3**	65.9	49.0	23.8**	33.9	28.5	20.2**	3.6	8.7	13.2**
4.	मेघालय	67.3	58.9	72.3**	119.3	105.4	68.9**	53.4	55.2	20.5**	137.7	92.3	56.9**
5.	नागालैंड	63.3	120.4	11.7£	25.8	38.4	19.4£	1.2	0.1	0.1£	7.0	6.4	1.8£
6.	सिक्किम	129.5	92.3	25.5£	71.6	94.8	78.4£	95.5	86.8	93.2£	352.8	213.3	211.7£
7.	त्रिपुरा	68.8	65.6	116.3	108.8	94.6	130.9	53.1	121.1	124.6	153.4	103.5	122.0
8.	अं निकोबार द्वीप समूह	103.3	97.4	89.9	95.0	79.3	85.9	133.9	140.9	114.3	101.0	40.9	58.5
9.	अरूणाचल प्रदेश	86.0	71.6	50.9	79.1	82.1	78.1	146.0	109.9	89.1	84.6	52.3	53.4
10.	चंडीगढ़	109.9	110.0	104.9*	85.2	79.1	68.3	169.5	143.1	91.9	96.7	124.6	94.2
11.	दा. न. हवेली	101.1	102.6	75.8	149.5	111.5	106.0	74.4	16.0	96.4	128.0	110.0	96.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	दिल्ली	99.1	93.5	92.3	95.7	87.4	62.3	115.0	120.8	95.4	119.4	90.5	80.6
13.	गोवा	102.6	109.0	108.6	115.2	112.1	109.5	122.4	141.9	100.4	108.9	82.2	98.7
14.	दमन व द्वीव	125.3	111.5	114.3	105.5	107.5	103.4	108.5	128.4	150.9	119.0	148.6	126.0
15.	लक्षद्वीप	28.8	43.3	26.0**	82.9	45.0	49.0**	12.8	9.2	11.5**	15.1	9.4	18.2**
16.	मिजोरम	149.9	356.6	165.2	75.3	75.1	113.1	118.1	41.5	50.0	113.5	61.2	63.2
17.	पांडिचेरी	164.4	174.4	118.7	103.8	100.5	101.3	147.1	122.3	116.4	115.0	83.6	92.5
	अन्य एजेंसियां												
1.	रक्षा मंत्रालय	109.4	116.0	98.1	99.8	60.9	62.8	118.4	77.8	59.0	136.8	69.3	47.6
2.	रेल मंत्रालय	90.3	96.8	81.0	91.7	87.9	72.0	85.6	92.1	71.5	126.5	96.2	95.7
3.	व्यापारिक संस्थाएं						77.5	91.7	86.5	178.3	68.1	58.4	
	समस्त भारत	75.3	81.2	86.2	73.6	74.2	81.5	85.9	91.1	89.4	127.0	65.5	72.1

$ आंकड़े अनन्तिम

* फरवरी 94 तक की उपलब्धियां

** जनवरी 94 तक की उपलब्धियां

£ दिसम्बर 93 तक की उपलब्धियां

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान परिवार कल्याण (मातृ शिशु स्वास्थ्य) कार्यों का उपलब्धि प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य/संघ/एजेंसी	टीटी (गर्भवती महिलाएं) (दूसरी+ बूसर खुराक)			डी पी टी टीका तीसरी खुराक			पोलियो (तीसरी खुराक)			बी सी जी (एक वर्ष से कम)		
		1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
			$	$		$	$		$	$		$	$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	**प्रमुख राज्य (एक करोड़ या अधिक जनसंख्या)**												
1.	आंध्र प्रदेश	104.8	104.7	104.6	114.0	100.1	102.7	114.0	100.3	102.8	116.6	108.7	109.8
2.	असम	60.1	62.2	82.5	80.3	80.1	88.8	80.6	80.3	88.9	81.4	90.9*	101.5
3.	बिहार	40.4	63.2	60.3	60.8	75.5	77.8	60.7	74.8	78.3	55.7	82.7	66.2
4.	गुजरात	87.5	87.1	94.7	94.5	92.2	100.0	95.2	93.7	100.9	95.9	97.7	102.2
5.	हरियाणा	100.3	74.9	66.3	112.2	85.3	87.6	106.5	88.8	88.2	115.5	100.0	100.5
6.	कर्नाटक	94.8	91.6	93.8	92.8	90.3	93.6	93.0	90.5	93.6	98.7	98.9	101.7
7.	केरल	105.9	103.2	90.4	110.1	105.5	96.4	114.5	110.0	97.4	123.2	118.6	105.2
8.	मध्य प्रदेश	74.0	67.5	78.5	79.2	79.0	88.6	79.7	79.0	88.6	76.7	84.5	92.6
9.	महाराष्ट्र	84.8	85.6	85.5	100.7	97.0	96.5	101.2	99.4	97.3	102.0	101.0	101.8
10.	उड़ीसा	79.1	76.4	76.9	94.0	89.3	88.7	94.0	89.8	88.9	103.2	98.6	96.6
11.	पंजाब	99.8	96.7	88.5*	105.2	103.9	98.3*	104.5	104.4	99.0*	106.1	113.6	102.7*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	राजस्थान	80.1	80.2	82.0	93.0	93.9	90.2	92.9	92.0	90.2	88.3	93.0	91.0
13.	तमिलनाडु	94.8	100.1	100.7	100.0	103.8	103.7	100.7	104.6	104.1	110.7	115.5	114.1
14.	उत्तर प्रदेश	72.8	73.1	66.2*	94.0	93.0	82.8*	94.5	93.1	83.2*	92.2	95.4	82.5*
15.	प० बंगाल	75.3	76.8	79.8	87.9	87.3	84.6	89.7	88.4	85.1	98.3	88.0	96.4
II	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**												
1.	हिमाचल प्रदेश	79.1	80.0	76.8	96.0	93.7	94.5	95.6	93.2	94.4	101.0	100.0	94.3
2.	जम्मू कश्मीर	38.0	37.5	35.6	73.1	77.0	75.0	68.6	78.8	75.8	93.8	95.6	93.9
3.	मणिपुर	73.3	85.1	94.6	80.5	83.3	99.7	81.1	83.3	99.2	94.0	87.8	100.8
4.	मेघालय	46.6	35.3	34.3	71.5	43.8	39.9**	72.0	41.6	39.5**	82.6	62.8	41.4**
5.	नागालैंड	18.8	34.9	31.0	35.7	52.0	42.0	33.2	50.9	41.3	49.0	73.6	45.2
6.	सिक्किम	45.6	60.7	17.7	86.7	93.5	32.7£	86.9	93.6	28.2£	93.2	95.9	33.5£
7.	त्रिपुरा	47.2	48.0	51.0	44.7	65.5	77.8	44.7	65.7	78.6	73.3	98.1	75.6
8.	अंडमान निकोबार	84.4	89.1	76.1	100.0	99.9	100.2	101.2	99.9	100.2	101.3	100.0	101.1
9.	अरूणाचल प्रदेश	71.0	38.1	36.9	97.0	63.9	63.3	95.6	59.9	62.3	121.4	70.4	66.7
10.	चंडीगढ़	114.3	121.0	92.7	107.7	139.5	103.7*	108.9	140.9	108.0*	150.2	143.4	185.9*
11.	दा. न. हवेली	75.9	74.8	83.5	100.6	88.4	100.1	100.6	90.3	100.1	105.0	98.9	96.2
12.	दिल्ली	81.7	91.8	74.7	85.3	97.4	89.1	89.4	99.7	90.5	110.4	115.1	133.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	गोवा	88.7	97.8	94.3	110.0	117.3	106.8	111.4	117.6	108.1	120.4	130.7	112.0
14.	दमन व द्वीव	73.4	100.9	100.3	104.3	79.5	129.7	104.3	79.3	130.0	119.1	103.3	104.8
15.	लक्षद्वीप	94.3	117.1	70.5**	89.8	107.3	87.5**	90.0	105.6	86.9**	81.4	109.8	81.6**
16.	मिजोरम	103.7	99.7	91.6	122.3	118.0	95.4	128.8	117.5	101.3	135.2	104.5	108.4
17.	पांडिचेरी	103.2	114.6	103.0	127.9	113.4	116.3	130.0	115.6	117.6	200.5	129.6	125.4
III	अन्य एजेंसियां												
1.	रक्षा मंत्रालय	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
2.	रेल मंत्रालय	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
	समस्त भारत	77.6	79.4	79.1	90.9	90.5	89.6	91.3	91.0	90.0	92.9	96.6	93.4

$ आंकड़े अनन्तिम

* फरवरी, 94 तक के आंकड़े

** जनवरी, 94 तक के आंकड़े

££ जनवरी, 93 तक के आंकड़े

@ अलग से कोई आंकड़े आबंटित नहीं किए गए।

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान परिवार कल्याण (मातृ शिशु स्वास्थ्य) कार्यों का उपलब्धि प्रतिशत

क्र.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	खसरा (एक वर्ष से कम)			डी टी टीका दूसरी खुराक			टी टी (दस वर्ष) (दूसरी खुराक)			टी टी (सोलह वर्ष) (दूसरी खुराक)		
		1991-92	1992-93 @@	1993-94 @@	1991-92	1992-93 @@	1993-94 @@	1991-92	1992-93 @@	1993-94 @@	1991-92	1992-93 @@	1993-94 @@
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	**प्रमुख राज्य (एक करोड़ या अधिक जनसंख्या)**												
1.	आंध्र प्रदेश	101.1	95.0	98.1	84.7	87.1	56.0£	52.8	57.6	40.9£	33.3	37.3	23.1£
2.	असम	74.3	72.3	92.3	61.2	51.8	37.4**	31.3	52.8	29.2	22.1	24.1	21.0
3.	बिहार	59.8	71.0	71.0	81.8	81.1	13.2$$$	22.3	26.5	4.6@@@	13.4	16.1	2.5@@@
4.	गुजरात	89.5	88.3	95.0	96.0	88.4	95.5	83.1	78.5	90.5	71.8	65.9	77.4
5.	हरियाणा	99.6	90.6	79.6	105.3	93.7$	34.6$$	93.5	83.2$	27.0$$	74.9	57.5	16.9$$
6.	कर्नाटक	84.5	83.9	88.9	78.6	102.0	105.4	77.2	84.8	100.6	53.6	58.0	70.2
7.	केरल	101.4	97.4	85.1	45.0	39.9	66.0	65.3	57.1	57.9	60.3	56.5	59.0
8.	मध्य प्रदेश	77.4	81.4	88.8	84.1	88.5	72.6	76.4	78.0	88.1	58.6	61.1	71.0
9.	महाराष्ट्र	94.6	91.2	90.0	94.9	95.0	96.5	93.3	98.6	99.8	81.0	85.5	84.3
10.	उड़ीसा	81.2	81.7	87.6	126.2	124.5	115.8	105.4	104.4	101.3	83.2	84.2	84.5
11.	पंजाब	103.7	105.2	93.2*	117.1	128.3	108.7	105.3	108.3	105.8	95.3	101.9	99.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	राजस्थान	91.3	89.4	86.0	51.6	57.1	NA	46.4	46.7	NA	33.9	34.3	NA
13.	तमिलनाडु	102.1	102.3	102.7	56.1	53.1	45.7	88.3	97.4	90.2	61.7	71.7	68.1
14.	उत्तर प्रदेश	87.8	89.1	81.6*	104.3	72.4	NA	82.5	71.1	NA	67.9	58.2	NA
15.	प० बंगाल	73.4	70.9	73.8	61.9	47.4	43.3	51.3	44.6	40.0	33.9	31.2	29.6
II	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**												
1.	हिमाचल प्रदेश	88.7	90.6	89.6	31.7	130.2	113.5	25.2	114.3	105.2	16.4	80.9	74.1
2.	जम्मू और कश्मीर	63.8	71.5	67.2	30.0	25.3	20.9	6.5	7.8	10.3	2.7	5.7	5.0
3.	मणिपुर	73.4	70.2	77.4	83.4	78.1	73.5	69.1	67.5	68.2	56.0	80.1	57.8
4.	मेघालय	44.3	29.0	27.0**	49.0	38.2	43.7**	30.4	26.6	25.1**	17.3	13.6	14.3**
5.	नागालैंड	34.9	53.6	28.0	34.5	35.6	24.9	23.4	25.4	20.9	15.3	18.3	14.4
6.	सिक्किम	71.4	80.8	21.6££	70.8	73.2	16.7££	63.4	85.0	10.4££	24.9	31.4	2.8££
7.	त्रिपुरा	40.1	68.3	65.3	33.9	75.0	80.9	27.1	64.3	66.0	20.2	47.1	50.2
8.	अंडमान निकोबार	92.3	95.1	89.2	101.7	95.7	87.5	99.7	100.9	84.6	102.0	100.1	80.2
9.	अरूणाचल प्रदेश	62.4	45.3	45.6	101.4	78.4	98.4	82.6	87.5	85.9	84.4	60.4	61.6
10.	चंडीगढ़	104.5	114.6	95.1	28.7	7.9	6.9*	5.1	20.3	23.7*	8.1	22.2	21.0
11.	दा. न. हवेली	89.1	86.4	91.1	115.0	128.7	57.9	24.3	94.8	9.9	25.4	88.9	2.6
12.	दिल्ली	86.3	98.8	87.4	89.6	99.1	79.3*	80.1	98.0	75.0*	34.8	36.0	14.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	गोवा	104.6	111.6	101.4	22.5	33.8	59.6$$	36.8	71.5	41.1$$	24.7	56.7	38.7$$
14.	दमन व द्वीव	114.4	101.2	100.2	135.5	37.8	101.5	85.7	110.9	98.2	94.3	84.6	98.8
15.	लक्षद्वीप	90.0	109.7	91.3**	17.6	NA	27.4**	37.4	NA	34.2**	39.2	NA	44.5**
16.	मिजोरम	112.2	110.9	96.5	115.2	105.2	68.9	177.4	140.4	139.6	117.5	113.3	111.0
17.	पांडिचेरी	118.3	108.6	106.3	109.7	108.3	NA	122.5	130.7	NA	106.0	118.0	NA
III	**अन्य एर्जेसियां**												
1.	रक्षा मंत्रालय	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
2.	रेल मंत्रालय	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
	समस्त भारत	85.0	85.8	85.4	77.8	77.7	48.8	68.2	69.3	50.7	52.8	53.4	39.8

@@ आंकड़े अनन्तिम

@ कोई वर्ष आबंटित नहीं

$ फरवरी 93 तक के आंकड़े .

फरवरी 94 तक के आंकड़े

* जनवरी 94 तक के आंकड़े

** अलग से कोई आंकड़े आवंटित नहीं किए गए।

दिसम्बर 93 तक के आंकड़े £

नवम्बर 93 तक के आंकड़े $$

अक्तूबर 93 तक के आंकड़े $$$

अगस्त 93 तक के आंकड़े @@@

जुलाई 93 तक के आंकड़े £££

आरक्षण कोटा

*69. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 87-

(क) क्या दक्षिण के कुछ राज्यों में जहां मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से पूर्व ही आरक्षण व्यवस्था लागू थी, आरक्षण कोटा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इस समय वहां आरक्षण का कोटा कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार संविधान में आवश्यक संशोधन करने का है ताकि राज्य सरकारें इस संबंध में यथावत स्थिति बनाए रख सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिणी दो राज्यों अर्थात् तमिलनाडु तथा कर्नाटक में 50% से अधिक आरक्षण कोटा है। तमिलनाडु में 69% है कर्नाटक में कुल 68% आरक्षण कोटा है 19 अप्रैल, 1994 को 73% तथा 25 जुलाई, 1994 से 80% तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) और (घ) मामले की छानबीन की जा रही है।

(ङ) तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य में 69% का आरक्षण बनाए रखने के लिए तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (राज्य के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में सीटों का तथा सेवाओं में पदों पर नियुक्तियों का आरक्षण) विधेयक, 1993 राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिए भेजा है। राष्ट्रपति जी ने 19 जुलाई, 1994 को इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

रक्तदाता रक्तदान 87-28

*70. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1994 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "एच.आई.वी. – इन्फेक्टेड ब्लड डोनर्स आन राइज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) एच.आई.वी. संक्रमण में तेजी से वृद्धि होने के क्या कारण है;

(घ) सरकार ने इन रक्तदाताओं पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ड) क्या सरकार का विचार रक्त को निरापद सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि रक्त के जरिए संक्रमण के संचरण में थोड़ी वृद्धि हुई है और अधिक से अधिक रक्त निरापदता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। सामान्यतः रक्त दाताओं में एच.आई.वी. संक्रमण में वृद्धि समाज को विशिष्ट जोखिम के आचरण वाले समूहों से संक्रमण फैलने का संकेत है।

(घ), (ड) और (च) देश के सभी रक्त बैंकों से संपर्क–व्यवस्था के लिए सरकार ने पहले ही 150 आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्र स्थापित कर दिए हैं। ये आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्र सभी सम्बद्ध रक्त बैंकों से रक्त के नमूने स्वीकार करते हैं और उन्हें जांच रिपोर्ट निःशुल्क प्रदान करते है। औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम का उपयुक्त रूप में संशोधन करके एच.आई.वी. संक्रमण के लिए रक्त के प्रत्येक यूनिट के परीक्षण को अनिवार्य बना दिया गया है। देश में स्वैच्छिक रक्त दान को बढ़ावा देने और व्यावसायिक रक्त दाताओं द्वारा रक्तदान को समाप्त करने के उपाए भी शुरू कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रम

28-30

*71. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन के प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रमों में राजस्थानी और सिंधी भाषाओं को पर्याप्त समय दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन/आकाशवाणी पर प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रमों के प्रसारणों का समय बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) राजस्थान में स्थित उन आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां पर राजस्थानी और सिंधी भाषाओं में मूल कार्यक्रम तैयार करने की सुविधा है तथा उन प्रयोजनार्थ उन्हें क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थानी, आकाशवाणी।

राजस्थान में स्थित सभी आकाशवाणी केन्द्र राजस्थानी और शेखावती, मेवासी, मेवाड़ी धुनताली, थारी, बागड़ी/भिली, हडौती जैसी अन्य राजस्थानी बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करते

हैं/आकाशवाणी, जयपुर से प्रतिदिन रात्रि 8.05 बजे 10 मिनट की अवधि का राजस्थानी में क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा है और इसे बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, सूरतगढ़, बाड़मेर चुरू और जैसलमेर स्थित केन्द्रों से रिले किया जाता है/ आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से राजस्थानी में प्रसारित कार्यक्रमों की अवधि निम्न प्रकार से हैं :

केन्द्र का नाम	प्रति सप्ताह मिनटों में अवधि
सूरतगढ़	420
जोधपुर	300
जयपुर	100
बीकानेर	25
जैसलमेर	15
उदयपुर	35
चुरू	280
बाड़मेर	720

दूरदर्शन

जयपुर स्थित दूरदर्शन केन्द्र राजस्थानी में निम्नलिखित कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है:

i) महीने के प्रत्येक दूसरे और चौथे सोमवार को 20 मिनट का साक्षरता कार्यक्रम।

ii) सप्ताह में पांच दिन 25 मिनट की अवधि की राजस्थानी संस्कृति और लोक साहित्य/संगीत पर कार्यक्रमों सहित कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रम।

iii) महीने के प्रत्येक बृहस्पतिवार को 20 मिनट की अवधि का फील्ड आधारित कार्यक्रम।

iv) महीने के पहले और तीसरे सोमवार को 30 मिनट की अवधि के राजस्थानी फिल्मों के गीत और नृत्य वाले दृश्य।

सिन्धी आकाशवाणी

आकाशवाणी, जयपुर प्रति माह 6 घंटे और 30 मिनट की कुल अवधि के लिए सिंधी भाषा में मिश्रित कार्यक्रमों को प्रसारण करता है। ये कार्यक्रम जोधपुर और बीकानेर स्थित आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा रिले किए जाते हैं। आकाशवाणी उदयपुर इन कार्यक्रमों को प्रति माह 4 घंटे और 30 मिनट की अवधि के लिए रिले करता है। सभी चार केन्द्र दिल्ली से प्रसारित सिंधी समाचार बुलेटिनों को भी रिले कर रहे हैं। आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित सिंधी कार्यक्रम भी राजस्थान में उपलब्ध है।

दूरदर्शन

दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर द्वारा प्रत्येक महीने के चौथे शुक्रवार को 30 मिनट की अवधि के लिए सिंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते है।

(ग) जी, हां। चरणबद्ध तरीके से।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) राजस्थान के सभी क्षेत्रीय आकाशवाणी केन्द्र सहित दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर कार्यक्रम निर्माण की सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

30-31

*72. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :**

श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या डा० एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ दल ने राष्ट्रीय जनसख्या नीति के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य–मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी सिफारिशों की समीक्षा करके उन्हें स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) जी हां।

(ख) जनसंख्या मुद्दों से जुड़ी सारी बातों पर विचार करते समय समिति ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की हैं :

i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की योजनाओं में लिंग समानता का एकीकरण।

ii) सन् 2010 ईस्वी तक समग्र प्रजनन दर 2.1 प्राप्त करके जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने के लिए संगत माहौल और सशक्त तंत्र तैयार करना।

iii) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों का तीव्र और प्रभावी कार्यान्वयन।

iv) सूचित विकल्प पर आधारित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की व्यवस्था।

v) जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए पंचायती राज और म्यूनिसिपल संस्थाओं का सहयोग।

vi) कार्यान्वयन में नाजुक अंतरों को पूरा करने के लिए जनसंख्या और सामाजिक विकास निधि का सृजन।

vii) अंतर क्षेत्रीय अभिसरण के माध्यम से जनंसख्या स्थिरीकरण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जनसंख्या और सामाजिक विकास आयोग का गठन।

(ग) से (ङ) समिति की रिपोर्ट 24 मई, 1994 को प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट को लोक सभा पटल पर 14 जून, 1994 को रखा गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारत सरकार के अन्य

मंत्रालयों/विभागों से परामर्श आरंभ किया गया है।

फिल्मों में सेक्स और हिंसा

*73. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

श्री रमेश चन्द तोमर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों में सेक्स और हिंसा के प्रदर्शन पर नियंत्रण करने और इसे समाप्त करने पर विचार करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में राज्यों के सूचना मंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या विशिष्ट निर्णय लिए गए; और

(ग) उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) सूचना और चलचित्र की राज्य मंत्रियों का 21 वां सम्मेलन 24.6.94 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ–साथ फिल्मों में अत्यधिक सेक्स और हिंसा के उन्मूलन संबंधी मामलों पर विचार हुआ। सम्मेलन की सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं :

1) राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को चलचित्र की कानून को लागू करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए तथा ऐसे प्रदर्शन के निराकरण के बारे में जागरूकता अभियानों का प्रबंध करना चाहिए जिसमें प्रवर्तन अधिकारियों के कर्तव्यों की नियमित अनुसूचि में निरीक्षण शामिल होंगे और वर्ष भर में होने वाले निरीक्षणों की संख्या का उल्लेख होगा।

2) सेंसरशिप नियमों और विनियमों की समीक्षा की जानी चाहिए जिससे यदि कोई कमियां हों तो उनको उपर्युक्त संशोधन करके दूर किया जा सके।

3) चूंकि यह सुनिश्चित करने का दायित्व कि अच्छी व दुरस्त फिल्में, प्रदर्शित हो रही है, न सिर्फ केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का है, बल्कि फिल्म उद्योग को स्वयं के लिए आदर्श आचार संहित रचित करनी चाहिए और उद्योग संघों को यह देखने के लिए ऐसे विधि और तरीकों पर विचार करना चाहिए कि उनके सदस्य इसका पालन करें।

अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1) लघु फिल्म के मामले में दो सदस्यों की जांच समिति में कम से कम एक महिला की उपस्थिति और फीचर फिल्म के मामले में पांच सदस्यों की जांच समिति में दो महिलाओं को शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

2) निम्न हेतु कार्रवाई शुरू की गई है :

i) पुनरीक्षण समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों, जिसमें सामान्यतः 10 सदस्य शामिल होते हैं, में महिलाओं की न्यूनतम उपस्थिति को 50% की सीमा तक करने के लिए नियमों में संशोधन।

ii) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और इसके सलाहकार पैनलों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सांविधिक प्रावधानों में संशोधन।

iii) जांच समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण के सदस्यों, जिन्होंने फिल्म को स्वीकृत किया है, के नामों को शामिल करने के लिए सैंसर प्रमाणपत्र प्रपत्र में संशोधन।

3) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को फिल्म निर्माताओं से निम्नलिखित अनुरोध करने हेतु फ़िल्म उद्योग संघों को लिखने का अनुरोध किया गया है:

(क) विशेषतः गीत और संघर्ष के दृश्यों की विस्तृत पटकथा प्रेषित करना और फिल्म को निर्मित करने से पूर्व बोर्ड की पूर्व–सेंसरशिप सलाह लेना। यह शुद्धतः अनौपचारिक आधार पर और निर्माताओं अथवा बोर्ड पर बिना किसी प्रतिबंध के होगी। ऐसी पूर्व–सेंसरशिप सलाह निर्माताओं के हित में होगी।

(ख) गीतों की रिकार्डिंग से पूर्व गानों के बोलों को बोर्ड से स्वीकृत करवाना, जिससे बाद में कोई सेंसर संबंधी समस्या न हो।

[हिन्दी]

मंदबुद्धि रोगियों का उपचार

*74. **श्री राजेश कुमार :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सरकारी अस्पतालों में मंदबुद्धि रोगियों के उपचार हेतु विकसित देशों में उपलब्ध उन्नत किस्म की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) देश के अधिकांश मेडिकल कालेजों में मनश्चिकित्सा विभाग हैं जिसमें मंदबुद्धि रोगियों का उपचार किया जाता है और उन्हें परामर्श दिया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान भी ऐसे रोगियों के उपचार में लगे हुए हैं। सेवाओं में सुधार करने तथा नवीनतम तकनीकों/उपचार को शुरू करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

दूध में मिलावटी तत्व

*75. **श्री तारा सिंह :**

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध से मिलावटी तत्व हटाने की निरंतर मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय दूध में भारी धातु और कीटनाशक पदार्थ मिले होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे दूध के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून ा का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) जी, हां।

(ख) देश के कुछ जिलों में किए गए एक सीमित सर्वेक्षण से दूध में कीटनाशक पदार्थ होने की रिपोर्ट मिली है। तथापि इन नमूनों में से अधिकांश नमूने ऐसे थे जिनमें ये पदार्थ अपमिश्रण निवारण नियम, 1954 के अधीन निर्धारित सीमा में थे।

(ग) से (ङ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम ,1954 और उसके अधीन बनाये गये नियमों में ऐसे मिलावटी पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं वाले दूध की बिक्री का निषेध है।

(च) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य प्राधिकारियों को मिलावट के संबंध में अधिक सतर्क रहने, जांच के लिए अधिक से अधिक नमूने उठाने और उपभोक्ताओं को शुद्ध व पौष्टिक खाद्य पदार्थों की बिक्री सुनिश्चित करने हेतु दंड संबंधी कार्रवाई करने के लिए सावधान कर दिया गया है।

विशेषज्ञों का पलायन

33-34

*76. **श्री श्रीकांत जेना :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से चिकित्सा विशेषज्ञ खाड़ी के देशों में नौकरियां पाने के लिए धीरे–धीरे संस्थान से पलायन करते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने विशेषज्ञों (उनकी विशेषता के क्षेत्र सहित) ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छोड़ा है; और

(ग) सरकार ने इस प्रकार के पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) कोई पलायन नहीं हो रहा है। 1.1.1992 से 450 की स्वीकृत संख्या में से केवल 13 संकाय सदस्यों ने त्यागपत्र दिया है अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। यह ज्ञात नहीं है कि उनमें से कितने खाड़ी देशों में गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र

34-36

*77. **श्री काशीराम राणा :**

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से राज्यों में दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) दूरदर्शन के कवरेज में सुधार लाने हेतु देश में विभिन्न शक्ति के 362 टी. वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापित करने हेतु परिकल्पित है। विवरण -II संलग्न है। जिसमें संलग्न विवरण I में उल्लिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ट्रांसमीटरों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण -I

टी.वी. कवरेज का वर्तमान राष्ट्रीय औसत

जनसंख्या द्वारा 84.6%
क्षेत्र द्वारा 66.8%

निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में दूरदर्शन का कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है:

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्तमान कवरेज (25.7.94 की स्थिति के अनुसार)		वर्तमान सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कवरेज	
		क्षेत्र %	जनसंख्या	क्षेत्र %	जनसंख्या
1.	आंध्र प्रदेश	70.8	80.3	84.4	92.3
2.	अरूणाचल प्रदेश	11.0	44.4	13.9	49.3
3.	असम	74.0	82.0	77.3	85.6
4.	गुजरात	65.5	77.0	89.7	94.0
5.	हिमाचल प्रदेश	37.2	58.7	59.1	71.7
6.	जम्मू और कश्मीर	26.7	90.4	32.9	92.3

1	2	3	4	5	6
7.	कर्नाटक	59.6	68.8	74.6	80.7
8.	मध्य प्रदेश	64.4	69.7	75.4	78.7
9.	महाराष्ट्र	70.8	82.7	81.7	90.1
10.	मणिपुर	31.3	66.4	66.3	81.2
11.	मिजोरम	42.1	53.1	68.8	72.6
12.	नागालैंड	43.4	47.2	68.5	69.6
13.	उड़ीसा	73.7	78.7	83.0	87.1
14.	राजस्थान	38.8	61.6	88.9	81.9
15.	सिक्किम	36.6	63.1	77.4	95.0
16.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23.0	99.0	26.2	99.5
17.	दादरा और नगर हवेली	40.0	43.6	65.2	65.0

विवरण -II

उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में टी.वी ट्रांसमीटरों की स्थिति जहां दूरदर्शन कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है :

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	टी. वी. ट्रांसमीटर 25.7.94 तक की मौजूदा स्थिति के अनुसार	कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित
1.	आंध्र प्रदेश	39	32
2.	अरूणाचल प्रदेश	19	06
3.	असम	14	10
4.	गुजरात	33	21
5.	हिमाचल प्रदेश	14	25
6.	जम्मू और कश्मीर	21	21
7.	कर्नाटक	31	20
8.	मध्य प्रदेश	55	23

1	2	3	4
9.	महाराष्ट्र	46	22
10.	मणिपुर	05	03
11.	मिजोरम	03	03
12.	नागालैंड	07	03
13.	उड़ीसा	33	34
14.	राजस्थान	42	38
15.	सिक्किम	04	04
16.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	08	04
17.	दादरा और नगर हवेली	01	01
		375	270

36-37

आंत्रशोध और हैजा

*78. **श्री फूल चंद वर्मा :**

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू मानसून के दौरान विभिन्न राज्यों से आंत्रशोध और हैजा के कई मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य से कितने–कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने उक्त रोगों को फैलने से रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो इन राज्य सरकारों को अब तक कितनी सहायता दी गई है; और

(ङ) इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) देश के कुछेक भागों से चालू मानसून के दौरान आंत्रशोध/हैजा फैलने की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) राज्यवार विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु स्कीमों को अनुमोदित करते समय स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। अतिसारीय निर्जलीकरण के मामलों की देखभाल के लिए ओ.आर.एस. पैकेटों की आपूर्ति के रूप में राज्यों को सहायता भी प्रदान की गई है।

आवश्यकता पड़ने पर जांच और उपचारात्मक उपाए सुझाने के लिए विशेषज्ञ दल भेजे जाते हैं।

(ड) इन बीमारियों की रोक्थाम के लिए स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा आमतौर पर किए जाने वाले उपाए इस प्रकार है :

1. सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था।
2. भोजन और निजी स्वच्छता में सुधार।
3. मानव मल–मूत्र का सुरक्षित निपटान।
4. समुचि स्वास्थ्य शिक्षा।
5. निगरानी और अनुवीक्षण।
6. क्लोरीन की गोलियों और ओ.आर.एस. पैकेटों आदि का वितरण।

[अनुवाद]

यमुना के पानी का बंटवारा

*79. **श्री राम विलास पासवान :**

श्रीमती सरोज दुबे :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों के प्रतिनिधियों ने यमुना नदी के पानी के बंटवारे के संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक राज्य को कितना–कितना पानी मिल रहा है;

(घ) क्या समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई समन्वय एजेंसी नियुक्त की गई है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् दिल्ली में जल पूर्ति की मांग किस सीमा तक पूरी की जा सकेगी?

जल संसाधन मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य मंत्रियों द्वारा यमुना जल के बंटवारे के संबंध में 12 मई, 1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

(ख) और (ग) समझौता ज्ञापन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ड) समझौता ज्ञापन के अनुसार, लाभार्थी राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाहों का आबंटन इस समझौते के पूर्ण ढांचे के अंतर्गत ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा विनियमित किया जायेगा।

(च) समझौता ज्ञापन के अनुसार, दिल्ली की 0.724 बिलियन घन मीटर विनाशकारी पेयजल आवश्यकता को वार्षिक रूप से इसको आबंटित यमुना जल के हिस्से से पूरा किया जायेगा। इस नदी की ऊपरी पहुंचों में भंडारणों का निर्माण होने तक समझौता ज्ञापन में दिल्ली की जुलाई से अक्तूबर के दौरान 0.580 बिलियन घन मीटर, नवम्बर से मार्च के दौरान 0.068 बिलियन घन मीटर और मार्च से जून के दौरान 0.076 बिलियन घन मीटर की विनाशकारी पेयजल आवश्यकता हेतु यमुना जल के अन्तरिम मौसमी आबंटन की व्यवस्था है।

विवरण

यमुना के सतही प्रवाह के आबंटन के संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच हुआ समझौता ज्ञापन।

1. जबकि यमुना नदी में ओखला तक 75% विश्वसनीय वैचारिक अप्रयुक्त प्रवाह 11.70 बिलियन घन मीटर आंका गया है और वर्ष की औसत उपलब्धता 13.00 बिलियन घन मीटर आंकी गई है।

2. और जबकि बिना किसी विशिष्ट आबंटन के सिंचाई और पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेसिन राज्यों द्वारा ताजेवाला के बाद और ओखला के बाद जल का उपयोग किया जा रहा है।

3. और जबकि इस संबंध में कुछ बेसिन राज्यों द्वारा मांग की गई है और यमुना नदी के उपयोज्य जल संसाधनों के एक विशिष्ट आबंटन की आवश्यकता काफी समय से महसूस की गई है।

4. और जबकि यमुना नदी के सतही प्रवाह के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए अनेक भण्डारण परियोजनाओं का पता लगाया गया है।

5. और जबकि राज्यों ने सहमति दी है कि वर्षभर में परिस्थिति की दृष्टि से ताजेवाला के अनुप्रवाह तथा ओखला मुख्य कार्यों के अनुप्रवाह में प्रतिप्रवाह भंडारणों को पूरा करने के अनुपात में न्यूनतम प्रवाह 10 क्यूमेंक तक रखा जाएगा क्योंकि प्रतिप्रवाह भंडारण एक क्रमबद्ध तरीके से उत्तरोत्तर रूप में बनाये जाते हैं।

6. और जबकि यह आंका गया है कि 0.63 बिलियन घन मीटर जल का उपयोग बाढ़ के रूप में बह जाने के कारण नहीं किया जा सकता है।

7. अब इसलिए उनकी सिंचाई और विनाशकारी पेय जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बेसिन राज्यों ने वर्ष की औसत उपलब्धता पर यमुना नदी के आंके गये उपयोज्य जल संसाधनों के निम्नलिखित आबंटन को स्वीकार किया है :

1.	हरियाणा	5.730	बिलियन घन मीटर
2.	उत्तर प्रदेश	4.032	बिलियन घन मीटर

3.	राजस्थान	1.119	बिलियन घन मीटर
4.	हिमाचल प्रदेश	0.378	बिलियन घन मीटर
5	दिल्ली	0.724	बिलियन घन मीटर

बशर्ते कि :

i) नदी की ऊपरी पहुंचों में भंडारणों का निर्माण होने तक यमुना नदी के वार्षिक उपयोज्य प्रवाह का अंतरित मौसमी आबंटन किया जायेगा जो इस प्रकार है :

राज्य	यमुना जल का मौसमी आबंटन (मिलियन घन मीटर)			
	जुलाई–अक्तूबर	नवम्बर–फरवरी	मार्च–जून	वार्षिक
हरियाणा	4.107	0.686	0.937	5.370
उत्तर प्रदेश	3.216	0.343	0.473	4.032
राजस्थान	0.963	0.070	0.086	1.119
हिमाचल प्रदेश	0.190	0.108	0.080	0.378
दिल्ली	0.580	0.068	0.076	0.724
कुल	9.056	1.275	1.652	11.983

परंतु अंतरिम मौसमी आबंटन दस दैनिक आधार पर किया जायेगा। परंतु यह भी कि जैसे –जैसे भंडारणों का निर्माण होता जायेगा वैसे ही उक्त अंतरिम मौसमी आबंटनों को उत्तरोत्तर रूप में उक्त पैरा 7 में बताए अनुसार अन्तिम वार्षिक आबंटन तक संशोधित किया जायेगा।

ii) इस समझौते के अंतर्गत किए गये समग्र आबंटन के ढांचे के भीतर प्रत्येक अभिज्ञात भंडारण के संबंध में अलग समझौता किया जायेगा।

iii) लाभग्राही राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाहों का आबंटन समझौते के समग्र ढांचे के भीतर ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा विनियमित किया जायेगा।

परंतु वर्ष में जब उपलब्धता आकलित मात्रा से अधिक हो, तो अधिशेष उपलब्धता राज्यों के बीच उनके आबंटन के अनुपात में बांटी जायेगी।

परंतु यह भी कि वर्ष में जब उपलब्धता आकलित मात्रा से कम हो तो पहले दिल्ली का पेयजल आबंटन पूरा किया जायेगा तथा शेष हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच उनके आबंटनों के अनुपात में वितरित किया जायेगा।

8. इस समझौते की पुनरीक्षा वर्ष 2025 के बाद की जा सकती है, यदि कोई बेसिन राज्य ऐसी मांग करता है।

9. हम इस शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा दी गई सहायता और सलाह को ध्यान में रखकर उनका आभार व्यक्त करते हैं।

नई दिल्ली, 12 मई, 1994

ह/–**	ह/– **	ह/–**
(मुलायम सिंह यादव)	(भजन लाल)	(भैरो सिंह शेखावत)
मुख्य मंत्री	मुख्य मंत्री	मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश	हरियाणा	राजस्थान
ह/–**	ह/–**	
(वीरभद्र सिंह)	(मदन लाल खुराना)	
मुख्य मंत्री	मुख्य मंत्री	
हिमाचल प्रदेश	दिल्ली	

की उपस्थिति में :

ह/–**

(विद्याचरण शुक्ल)

जल संसाधन मंत्री

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

*80. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय केंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ नई योजनाएं शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 में तीन योजनाएं शुरू की गई थी अर्थात् –(i) स्वास्थ्य शिक्षा शुरू में पता लगाने और दर्द में राहत के उपायों के लिए जिला परियोजनाओं के लिए स्कीम, (ii) मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में आन्कोलाजी स्कन्धों का विकास और (iii) केंसर के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा और इसका शुरू में पता लगाने संबंधी कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता।

(ग) 20 जिला परियोजनाओं, 22 मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में आन्कोलाजी स्कन्धों के विकास के लिए संबंधित राज्य सरकारों के जरिए सहायता प्रदान की गई है और इन स्कीमों के अधीन 16 स्वैच्छिक संगठनों को स्वास्थ्य शिक्षा और शुरू में पता लगाने संबंधी कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की गई।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

616. **श्री सैयद शहबुद्दीन :**

श्री हरिन पाठक :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री महेश कनोडिया :

श्री खेलन राम जांगाड़े :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर 1992 तथा 1993 के दौरान तथा जनवरी से जून, 1994 तक अत्याचार के, राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार कितने मामले हुए;

(ख) 1992, 1993 के दौरान तथा जनवरी से जून, 1994 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ऐसे कितने मामले दर्ज किये गये ;

(ग) इन अत्याचारों के संबंध में उक्त अवधि के दौरान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया;

(घ) 30 जून, 1994 तक इन मामलों में कितने व्यक्ति दोषी पाये गये और दंडित किये गये;

(ड) 30 जून, 1994 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने मामले लंबित थे, कुल कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चल रहे थे और वर्षवार दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन अत्याचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाएंगे?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ड) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(च) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार को रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल है :

1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के तहत नागरिक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रत्येक वर्ष 50:50 के आधार पर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को 100% केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है। 1993-94 के दौरान 650 लाख रूपए के बजट प्रावधान के मुकाबले 706 लाख रूपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है। अप्रभावित राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड के अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अपराधों के परीक्षण के

लिए विद्यमान सत्र न्यायालय को विशेष अदालत के रूप में विनिर्दिष्ट किया है। राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने ऐसे मामलों के परीक्षण के लिए अनन्य रूप से 16 तथा तीन विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है।

3) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराधों को रोकने के लिए विभिन्न एहतियाती, निवारणात्मक, दंडात्मक तथा पुनर्वासात्मक उपायों का सुझाव देते हुए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए है।

4) 4-5 अक्तूबर, 1991 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचार के निवारण पर मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था तथा भूमि सीमा कानून के तहत फालतू भूमि का वितरण, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरना, महत्वपूर्ण स्थानों पर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के अधिकारियों को तैनात करना, संवेदनशील जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित मामलों के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अनन्य रूप से प्रभारी के रूप में विद्यमान पद पर नियुक्त करना जैसे ही अत्याचार की घटनाएं होती है यथा शीघ्र अपराध के स्थान स्थानीय अधिकारियों को दौरे पर भेजना तथा तत्काल कानूनी प्रक्रिया शुरू करना, मामलों की तत्काल जांच सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच प्रकोष्ठों को बनाना तथा तत्परता से मामलों को अदालतों में आगे बढ़ाना, इत्यादि जैसी विभिन्न सिफारिशें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई थी।

5) इसके अतिरिक्त, कल्याण मंत्री ने अपने दिनांक 3.6.93 के अ.शा. पत्र में भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य मंत्रियों, उप राज्यपालों तथा प्रशासकों से अनुरोध किया है।

(क) विशेषतः एक निश्चित समय सीमा में अत्याचार के मामलों के शीघ्र निपटान के उपाय शुरू करें।

(ख) विलम्ब अथवा दोषपूर्ण जांच के लिए जिम्मेदार कारणों का व्यवस्थित अध्ययन तथा विश्लेषण करना।

(ग) उनके मध्य विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस तंत्र में विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति समुदायों के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर विचार करना तथा अत्याचारियों में भय का प्रभाव उत्पन्न करना।

6) राज्य मंत्री (कल्याण) ने 27.4.94 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों को उनसे निम्नलिखित को सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हुए लिखा है :

(क) अत्याचार के मामले प्राथमिकता पर निपटाएं जाएं तथा शीघ्र निपटान के लिए विलम्ब के कारणों की जांच की जाय।

(ख) अत्याचार के मामलों के गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा तथा पारश्रमिक प्रदान किया जाये।

(ग) प्रमाणित निष्ठा तथा अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के प्रति सहानुभूति रखने का

वाले अधिकारियों को अत्याचार प्रवण क्षेत्रों में निचले स्तर पर तैनात किया जाये।

(घ) जिला अधिकारियों के जरिए अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों तथा प्रमुख लोगों के बीच मुख्य झगड़ों पर निगाह रखी जानी चाहिए तथा अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो निवारणात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, इस संबंध में समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारी स्तर पर समय–समय पर पत्र भी भेजे गए हैं।

7) अनुसूचित जाति तथा जनजाति पर किसी अत्याचार की घटनाओं के घटित होने पर शीघ्र सूचना प्राप्त करने के लिए तथा अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत तथा सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल तथा प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु 15.10.91 से कल्याण मंत्रालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

8) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महाअधीक्षकों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों का एक वार्षिक सम्मेलन 6 से 8 जुलाई, 1994 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ था जिसमें समाज के अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं तथा अन्य वर्गों के प्रति अत्याचार का सामना करने के लिए तंत्र को मजबूत करना विषय पर समाज के ऐसे असुरक्षित क्षेत्रों के विरुद्ध अपराध की जांच के लिए विशेष उपाय किए जाने पर मतैक्य के लिए विचार–विमर्श भी किया गया था।

विवरण

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर आधारित 1992-93 तथा 1994 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विरुद्ध अपराधों के मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992			1993			1994			तक आंकड़े
		अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	578	182	760	742	120	862	उ.न.	उ.न.		
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	7	7	—	शून्य		मई
3.	असम	—	—	—	—	—	—	उ.न.	उ.न.		
4.	बिहार	680	470	1150	528	4	532	उ.न.	उ.न.		
5.	गोवा	2	—	2	6	—	6	1	—	1	जून
6.	गुजरात	1650	169	1819	1693	340	2033	727	173	900	मई
7.	हरियाणा	85	—	85	73	—	73	36	-	36	मई
8.	हिमाचल प्रदेश	49	10	59	37	—	37	80	0	80	मई
9.	जम्मू और कश्मीर	22	8	30	19	—	19	7	—	7	मई
10.	कर्नाटक	720	5	725	751	110	861	350	33	383	अप्रैल
11.	केरल	703	202	905	530	95	625	187	—	187	अप्रैल
12.	मध्य प्रदेश	4571	576	5147	4387	1586	5973	1555	721	2276	अप्रैल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	महाराष्ट्र	751	345	1096	1496	391	1887	463	189	652	अप्रैल
14.	मणिपुर	—	1	1	—	1	1	—	Nil	—	मई
15.	उड़ीसा	383	131	514	477	171	648	203	88	291	मई
16.	पंजाब	12	—	12	7	—	7	6	—	6	मई
17.	राजस्थान	2204	636	2840	2699	820	3519	1503	197	1700	मई
18.	सिक्किम	21	20	41	26	11	37	2	3	5	मई
19.	तमिलनाडु	625	43	668	616	4	620	293	5	298	मई
20.	उत्तर प्रदेश	4940	—	4940	4395	—	4395	2915	—	2915	मई
21.	पश्चिम बंगाल	10	16	26	13	10	23	1	1	2	जून
22.	अ. निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	मई
23.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	मई
24.	दादर और नगर हवेली	—	6	6	2	—	2	1	—	1	मई
25.	दमन और द्वीव	—	—	—	—	—	—	—	6	6	मई
26.	दिल्ली	2	—	2	4	—	4	4	—	4	मई
27.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	1	1	—	—	—	मई
28.	पांडिचेरी	1	—	1	6	—	6	10	—	10	मई
	कुल	18014	2820	20834	18507	3671	22178	8344	1416	9760	

टिप्पणी : 1. अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

2. आंध्र प्रदेश के संबंध में आंकड़े अक्तूबर, 93 तक तथा बिहार के संबंध में आंकड़े जुलाई, 93 तक है।

आतंकवादियों की घुसपैठ

617. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों के दौरान अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित कुछ अफगान मुजाहिदीनों सहित अनेक प्रशिक्षित आतंकवादी सीमा–पार से कश्मीर में घुस आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) : पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर में अफगानों सहित विभिन्न देशों के भाड़े के सैनिकों की घुसपैठ करवाकर, आतंकवाद की मदद करना और उसे बढ़ावा देना अभी जारी है। इस चुनौती का सरकार द्वारा दृढ़तापूर्वक सामना किया जा रहा है। दोनों ओर से होने वाली घुसपैठ की रोकथाम के उपाय किए गए हैं। गश्त बढ़ा दी गई है, अतिरिक्त चौकियां और पिकेटें स्थापित की गई हैं तथा छानबीन करने और घेराबन्दी करने के अभियानों को तेज कर दिया गया है। पाकिस्तान से विभिन्न अवसरों पर कहा गया है कि वह ऐसी गतिविधियों से बाज आएं।

भूमिगत जल स्तर

618. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमिगत जल स्तर तेजी से नीचे खिसकता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार राजधानी की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताओं को देखते हुए यहां जल संसाधन के संरक्षण हेतु क्या प्रभावी कदम उठाने पर विचार कर रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के.थुंगन) : (क) जी, नही, दिल्ली में भूजल स्तर में तेजी से कोई गिरावट नहीं आई है। तथापि, प्रेक्षणों से पता चला है कि महरौली प्रखंड में 6-8 मीटर, अलीपुर, नजफगढ़ और नांगलोई तथा शहरी प्रखंडों में 1 से 5 मीटर तथा शाहदरा प्रखंड में 1-2 मीटर तक भूजल स्तरों में गिरावट आई है।

(ख) दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर में गिरावट का कारण अधिकांशतः घरेलू जल आपूर्ति के लिए अत्यधिक भूजल निकालना है।

(ग) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वास्ते कृत्रिम पुनर्भरण योजना के लिए कार्रवाई शुरू की है।

मिरगी का इलाज

619. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिरगी को असाध्य रोग मानती है ;

(ख) यदि हां, तो मिरगी के रोगियों का जीवन बचाने हेतु क्या सहायता दी जा रही है ;

(ग) क्या उन्हें विकलांग श्रेणी में नहीं रखा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) मिरगी का इलाज हो सकता है। इसके दौरों पर नियंत्रण पाने के लिए रोगियों को उपयुक्त औषधियां निर्धारित की जाती हैं।

(ग) रोगियों का विकलांग नहीं माना जाता।

(घ) अधिकांश मिरगी के रोगी दवाइयों से रोग के दौरों पर नियंत्रण पा लेते हैं और वे पर्याप्त सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस

42-48

620. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपराधों में अत्यधिक वृद्धि के मामले में तथा अन्य मुद्दों पर दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना की है :

(ख) यदि हां, तो न्यायालयों की टिप्पणीयों के कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गयी है:

(ग) 1993-94 के दौरान अपराधों को समर्थन तथा प्रोत्साहन देने में कितने पुलिसकर्मी लिप्त पाये गये :

(घ) गत 12 महीनों के दौरान दिल्ली में अपराध–वार कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी :

(ड.) क्या दिल्ली में पुलिसकर्मियों की जबावदेही और जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रस्ताव है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय ने शहर में अपराध की दर बढ़ने के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना नहीं की है। तथापि, उन्होंने अन्य मामलों के संबंध में दिल्ली पुलिस पर आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं।

(ख) न्यायालयों के निर्देशों/टिप्पणियों का बड़ी सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जाता है तथा पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा प्रबोधन किया जाता है।

(ग) 92

(घ) पिछले 12 महीनों, अर्थात 1.7.1993 से 30.6.1994 तक के दौरान दिल्ली में गिरफ्तार

किए गए अपराधियों की अपराधवार संख्या, तथा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ङ) और (च) दिल्ली पुलिस की जवाबदेही और जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था निर्धारित है। एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के पर्यवेक्षण के अधीन एक पुलिस उपायुक्त (सतर्कता) अन्य पर्यवेक्षी अधिकारी के साथ दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अपराध शीर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ न्यायालय में मामले शुरू किए गए	व्यक्तियों की संख्या दोषसिद्ध	दोषमुक्त	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ विचारण हेतु मामले लम्बित है	रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या
डकैती	84	81	—	—	81	—
हत्या	745	580	—	1	579	1
हत्या का प्रयास	850	569	—	—	569	6
लूटपाट	549	426	—	6	420	6
दंगा	1282	850	47	3	800	3
छीना–झपटी	280	156	5	—	151	20
चोट लगना	3711	288	5	85	2797	13
सेंधमारी	1004	714	30	8	676	55
चोरी	5462	3842	163	53	3626	404
अन्य भा.द.सं.	19069	13092	1709	77	11306	824
कुल जोड़	32966	23197	1959	233	21005	1340

गैर-इलैक्ट्रानिक मीडिया एककों की पूरी तरह से मरम्मत करना

621. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने गैर–इलैक्ट्रोनिक मीडिया एककों की युद्ध स्तर पर पूरी तरह से मरम्मत करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके परिणाम कब तक प्राप्त हो जायेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बांधों का निर्माण

622. **श्री एम. जे. राठवा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में, बहने वाली नदियों पर बांध बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) गुजरात में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियों पर बांधों के निर्माण की 7 सिंचाई परियोजनाओं में से, राज्य सरकार को तीन मझौली परियोजनाओं नामशः गोमा (अनुमानित लागत 231.10 करोड़ रूपए), वालान (अनुमानित लागत 22.34 करोड़ रूपए) एवं महापाडा (अनुमानित लागत 25.74 करोड़ रूपए) के सम्बन्ध में केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है तथा वन/पुनर्वास व पुर्नस्थापन दृष्टिकोण से स्वीकृति प्राप्त करनी है। केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना न किये जाने के कारण एक वृहद परियोजना नामशः सिधम्वर (अनुमानित लागत 30.53 करोड़ रूपए) तथा तीन मझौली परियोजनाएं नामशः जलोदा (अनुमानित लागत 19.56 करोड़ रूपए, वर्धा (अनुमानित लागत 61.74 करोड़ रूपए) और उग्ता (अनुमानित लागत 37.16 करोड़ रूपए) राज्य सरकार को इस अनुरोध वापस की गई है कि उनकी संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएं। इनके अलावा 11 उप–परियोजनाएं नामशः जाखंरी, वालान, नानी–बरसम, जलौदा, गोमा बकरोई, भादर, शैल देदमल, ओजात–II फुलजार (के बी) और ओडीसंग गुजरात सरकार से 1/94 में प्राप्त हुई हैं। इन उप–परियोजनाओं में से पहली पांच जन जातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती है। उक्त 11 परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक को सहायता के वास्ते अनुरोध किया गया है। इन सभी परियोजनाओं के संबंध में गुजरात सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियोंकी अनुपालना करती है तथा वन/पुर्नवास व पुर्नस्थापन दृष्टिकोण, जैसी भी स्थिति हो, से स्वीकृतियां प्राप्त करती है।

केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक

623. **श्री धर्मणा मॉडय्या सादुल :**

श्री गोविंद राव निकम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय हिन्दी समिति की चौबीसवीं बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां।

(ख) इस बैठक में विश्व हिन्दी विद्यापीठ को स्थापित करने, राजभाषा विभाग को सुदृढ़ करने, हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने, गैर हिन्दी भाषा क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को अधिक अनुदान उपलब्ध कराने, इत्यादि विषयों पर विचार–विमर्श हुआ और तत्संबंधी निर्णय लिये गये।

(ग) सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टंकण व अनुवाद का प्रशिक्षण देकर, विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं चलाकर विभिन्न स्तरों पर बनाई गई समितियों के कार्यकलापों के द्वारा, कार्यालयों का निरीक्षण करके, विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं तथा राजभाषा के नियमों/आदेशों का प्रकाशन आदि करके राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से बढ़ाया जा रहा है।

[अनुवाद]

कुष्ठ निवारण केन्द्र

624. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य–वार कितने कुष्ठ निवारण केन्द्र है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने गत दो वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष इन केन्द्रों को कितनी सहायता दी है और इन केन्द्रों में कितने रोगियों का उपचार किया गया ;

(ग) क्या रोगियों को मुफ्त दवाएं दी जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में कुष्ठ रोगियां की संख्या, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दी गई सहायता और इन राज्यों में वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान पता लगाए गए, उपचारित और डिस्चार्ज रोगियों की संख्या विवरण (I से III) में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

विवरण-I

उत्तर पूर्वी राज्यों में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र

क्र. सं	राज्य का नाम	एल.सी.यू./एम.सी.यू.	यू एल सी	एस ई टी	डी एल यू	टी एच डब्ल्यू	एस एस ए यू	योग
1.	असम	9	16	250	6	5	1	287
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	—	31	—	1	—	34
3.	मिजोरम	2	1	7	2	1	1	14
4.	मेघालय	2	1	16	—	2	—	21
5.	मणिपुर	4	1	17	4	1	—	27
6.	नागालैंड	2	2	30	2	2	—	38
7.	त्रिपुरा	3	4	20	1	1	1	30
8.	सिक्किम	2	6	13	1	1	—	23

1. एल सी यू/एम सी यू – कुष्ठ नियंत्रण यूनिट/मोडिफाइड कंट्रोल यूनिट
2. यू एल सी – शहरी कुष्ठ केन्द्र
3. एस ई टी – सर्वेक्षण, सूचना और उपचार केन्द्र
4. डी एल यू – जिला कुष्ठ यूनिट
5. डी एच डब्ल्यू – अस्थाई अस्पताली वार्ड
6. एस एस ए यू – नमूना सर्वेक्षण–सह – मूल्यांकन यूनिट

विवरण-II

उत्तर पूर्वी राज्यों में 1992-93 और 1993-94 के दौरान पता लगाए गए, उपचारित और डिस्चार्ज किए गए कुष्ठ रोगियों की संख्या

क्र सं.	राज्य का नाम	1992-93			1993-94		
		पता लगाए गए रोगी	उपचारिता	डिस्चार्ज	पता लगाए गए रोगी	उपचारित	डिस्चार्ज
1.	असम	1270	1270	2559	1297	1297	3202
2.	अरूणाचल प्रदेश	111	111	194	102	102	158
3.	मणिपुर	97	97	23	50	50	105
4.	मेघालय	38	38	57	37	37	69
5.	मिजोरम	28	28	53	24	24	103
6.	नागालैंड	34	34	19	22	22	—
7.	सिक्किम	36	36	184	30	30	90
8.	त्रिपुरा	108	108	263	216	216	607

विवरण-III

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी राज्यों को 1992-93 और 1993-94 के दौरान निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता

क्र. सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त की गई सहायता					
		1992-93			1993-94		
		नगद	सामग्री	कुल	नगद	सामग्री	कुल
1.	असम	18.00	3.20	21.20	18.00	1.49	19.49
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.50	0.30	8.80	10.00	0.42	10.42
3.	मणिपुर	1.50	1.04	2.54	3.50	0.43	3.93
4.	मेघालय	5.00	0.07	5.07	5.00	0.51	5.51
5.	मिजोरम	5.00	0.76	5.76	13.00	0.74	13.74
6.	नागालैंड	3.00	0.79	3.79	3.00	0.64	3.64
7.	त्रिपुरा	18.00	0.16	18.16	12.00	1.47	13.47
8.	सिक्किम	16.00	0.91	16.91	18.00	1.35	19.35

दूरदर्शन चैनल-3

625. **श्री गुरूदास कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के चैनल–3 को शुरू करना अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में एड्स

626. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने व्यक्तियों का एच०आई०वी० (पॉजीटिव) के रोगियों के रूप में पता लगाया गया है ;

(ख) उत्तर प्रदेश के कितने अस्पतालों में एड्स परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से एड्स कन्ट्रोल कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी. सिल्वेरा) : (क) पिछले तीन वर्षों (1992-94) के दौरान उत्तर प्रदेश में 280 एच. आई. वी. पॉजिटिव रोगियों की सूचना दी गई है।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार एड्स की जांच की सुविधाएं 5 निगरानी केन्द्रों और 13 आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्रों में उपलब्ध हैं।

(ग) जी हां।

(घ) 1992-93 - 72.99 लाख रूपये

1993-94 - 27.58 लाख रूपये

1994-95 योजना की प्रगति को ध्यान में रखते हुए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य में जांच केन्द्रों के नाम

निगरानी केन्द्र

1. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, कस्तूरबा गांधी मेडिकल कालेज, लखनऊ
2. केन्द्रीय जाल्मा कुष्ठ संस्थान, आगरा
3. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, आयुर्विज्ञान संस्थान, वाराणसी
4. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़
5. कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद

आचंलिक रक्त जांच केन्द्र :

1. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, बारकपुर
2. रक्त बैंक, जी.एस.वी. मेडिकल कालेज, कानपुर
3. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, इलाहाबाद
4. रक्त बैंक, आर.एल. शर्मा अस्पताल, मेरठ
5. रक्त बैंक, के.जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ
6. रक्त बैंक, एस.जी.पी.जी.आई, लखनऊ
7. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, आगरा
8. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, देहरादून
9. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, नैनीताल
10. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, शाहजहांपुर
11. रक्त बैंक, एम.एल.बी. मेडिकल कालेज, झांसी
12. रक्त बैंक, कमान्ड पैथालोजी लेब्राटरी, संट्रेल कमान्ड, लखनऊ
13. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

[अनुवाद]

55-58

परिवार कल्याण योजनाएं

627. **डा० वसंत पवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान ने देश में परिवार कल्याण की कई योजनाओं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की आदिवासी योजनाओं का कार्यान्वयन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य–वार एवं संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी राशि का व्यय हुआ;

(घ) क्या सरकार योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा कर रही है ;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् परिवार कल्याण के कई पहलुओं पर अनुसंधान/अध्ययन करती है। अनुसंधान के जिन प्रमुख क्षेत्रों में बल दिया जाता है, उनमें शामिल है : परिवार नियोजन और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में मौलिक, व्यावहारिक, प्रचालनात्मक और मनो–सामाजिक अनुसंधान क्षेत्रीय चिकित्सा केन्द्र, जबलपुर केवल आदिवासी स्वास्थ्य पर ही अनुसंधान अध्ययन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की कई अनुसंधान संस्थाएं आदिवासी स्वास्थ्य समस्याओं पर उनके क्षेत्रों में भी अध्ययन कर रही है।

(ग) परिवार कल्याण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् तथा क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र का पिछले तीन वर्षों का कुल योजना व्यय इस प्रकार है :

(लाख रूपये)

वर्ष	परिवार कल्याण	आदिवासी स्वास्थ्य क्षे. चि. अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर
1991-92	600	107
1992-93	650	154
1993-94	650	136

व्यय राज्यवार नहीं किया जाता है।

(घ) से (च) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के सभी कार्यकलापों का वर्ष में कम से कम एक बार उपयुक्त विशेषज्ञ दलों द्वारा अनुवीक्षण किया जाता है। परिषद् की स्थाई संस्थाओं/केन्द्रों में चल रहे कार्यकलापों को वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। कार्य दलों, उन्नत अनुसंधान केन्द्रों तथा ओपन यंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों की परियोजना सलाहकार ग्रुप/टास्क फोर्स स्टीयरिंग कमेटी द्वारा हर वर्ष समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई योजनाएं

5657

628. **श्री लाल बाबू राय :**

श्री छेदी पासवान :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार में केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के थुंगन) : (क) बिहार में कोई केन्द्रीय प्रायोजित सिंचाई परियोजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

57-59 **मानसिक रूप से अविकसित बच्चे**

629. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों तथा 18 वर्ष से कम आयु के मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की पृथक–पृथक संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, कितनी है ;

(ख) इन बच्चों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें सहायता किस प्रकार दी जा रही है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ड.) ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ग की इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए किये गये अथवा किये जा रहे विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंग्कावालू) : (क) मानसिक मंदता पर राष्ट्र–व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने 1991 में 1-14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के विकास में विलम्ब का एक राष्ट्र व्यापी नमूना सर्वेक्षण किया था जिससे पता चलता है कि 1000 प्रति शहरी बच्चों के लिए विकासात्मक विलम्ब 29 और 1000 प्रति ग्रामीण बच्चों के लिए 31 था। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देश के भिन्न भागों में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा मानसिक मंदता की व्यापकता पर कुछ अध्ययन किए गए हैं जिससे पता चलता है कि मानसिक मंदता कुल मिलाकर व्यापकता 1000 प्रति 20-30 की रेंज में हैं।

(ख) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं में जिससे मानसिक मंदता बालक भी शामिल हैं, निम्नलिखित हैं :–

(1) विकलांगों से संबंधित संगठनों को सहायता।

(2) विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों हेतु स्वैच्छिक संगठन को सहायता की योजना।

(3) प्रमस्तिष्काघात और मानसिक मंदता के क्षेत्र में मानवशक्ति विकास के लिए स्वैच्छिक

संगठनों को सहायता की योजना।

उपर्युक्त योजनाओं के तहत शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नियोजन सेवाएं होस्टल सुविधाएं आदि की व्यवस्था के लिए कार्यक्रम शुरू करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को 90 प्रतिशत (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 95 प्रतिशत) तक सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ.) विकलांगों से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में स्थित स्वैच्छिक संगठनों को 90 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्वैच्छिक संगठनों को यह सहायता 95 प्रतिशत तक दी जाती है।

विवरण

उन बच्चों की संख्या जिनके बारे में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रति 1000 बच्चों के लिए विलम्बित विकासात्मक माइल स्टोन को धीमा और पिछड़ा बताया गया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उम्र 1-14	
	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	25	20
अरूणाचल प्रदेश	54	132
असम	71	60
बिहार	36	29
गोवा	5	3
गुजरात	15	25
हरियाणा	31	33
हिमाचल प्रदेश	22	16
जम्मू और कश्मीर	40	31
कर्नाटक	14	17
केरल	15	32
मध्य प्रदेश	36	18
महाराष्ट्र	31	35
मणिपुर	16	3
मेघालय	19	26

1	2	3
मिजोरम	9	2
नागालैंड	92	83
उड़ीसा	47	21
पंजाब	49	18
राजस्थान	32	25
सिक्किम	55	28
तमिलनाडु	38	20
त्रिपुरा	64	18
उत्तर प्रदेश	22	34
प० बंगाल	44	39
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13	6
चंडीगढ़	1	5
दादर और नगर हवेली	4	9
दमन और द्वीव	2	4
दिल्ली	2	47
लक्षद्वीप	21	28
पांडिचेरी	25	12

सरदार सरोवर परियोजना

630. **श्री राम नाईक** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना से कितने परिवार प्रभावित हुए हैं;

(ख) अब तक कितने परिवारों को अन्यत्र बसाया गया है और उनका पुनर्वास किया गया है; और

(ग) जिन परिवारों का पुनर्वास किया गया उन्हें दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

सरदार सरोवर परियोजना द्वारा प्रभावित परिवारों की कुल संख्या तथा परियोजना से प्रभावित इन परिवारों के संबंध में जून, 94 के अन्त तक पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की प्रगति निम्नवत् है:

राज्य	जिस राज्य में बसाया गया	परियोजना से प्रभावित परिवारों की कुल सं०	30 जून, 94 तक पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन की प्रगति (परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या)	
			आवासीय प्लाट	कृषि भूमि
गुजरात	गुजरात	4600	4248	4295
महाराष्ट्र	गुजरात	999	581	650
	महाराष्ट्र	2114	841	859
	कुल	3113	1422	1509
मध्य	गुजरात	14124	2148	2525
प्रदेश	मध्य प्रदेश	18890	512	—
	कुल	33014	2660	2525
	सकल योग	40727	8330	8329

पात्र परिवारों को आवासीय भूखण्ड और कृषि भूमि के आबंटन के अलावा परियोजना से प्रभावित परिवारों को जीवन–निर्वाह भत्ते का भुगतान, पुनर्वास अनुदान, अनुग्रह राशि, उत्पादक परिसम्पत्ति तथा प्राथमिक विद्यालयों, कुएं, हैन्डपम्प, ट्राजिट शेड, बीमा सुरक्षा एवं विद्युतीकरण जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। परियोजना से प्रभावित कुछ लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जाता है।

[अनुवाद]

गंगा के पानी का बंटवारा

631. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

श्री श्रीकान्त जेना :

डा० मुमताज अंसारी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा के पानी के बंटवारे के संबंध में भारत और बंगलादेश के बीच कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विवाद को हल करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मई, 1992 में प्रधानमंत्री स्तर पर हुए समझौते का अनुकरण करते हुए संयुक्त विशेषज्ञ समिति की दो बैठकें हुई तथा गंगा, तीस्ता और अन्य वृहद नदियों के प्रवाहों के बंटवारे के लिए एक समान, दीर्घावधिक और व्यापक प्रबन्ध करने हेतु गहराई से विचार–विमर्श किया गया।

रेलवे स्टेशनों पर चोरी और जेब कटने की घटनाएं

633. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

61-62

श्री गुरूदास कामत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर चोरी और जेब कटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) 1993 और 1994 के दौरान अब तक ऐसे कितने मामले दर्ज किये गए ;

(घ) कितने मामले हल किए गए और कितने विचाराधीन हैं;

(ड.) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(च) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ड.) दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर चोरी और जेब कटने के मामलों और 1.1.1994 से 22.7.1994 तक की अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या तथा 1993 की तदनुरूपी अवधि से इसकी तुलना के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

i) सभी पुलिस कर्मचारियों को निदेश दिये गए हैं कि जब कभी इस प्रकार का कोई मामला जानकारी में आता हैं, तो तुरन्त कार्रवाई करें।

ii) समाज–विरोधी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाती हैं।

iii) रेलवे प्लेटफार्मो पर "स्पीड रिपोर्टिंग बाक्स" पद्धति की शुरूआत की गई है।

iv) अपराध की रोकथाम तथा पता लगाने के लिए वर्दी में एवं सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है।

विवरण

शीर्ष	वर्ष	मामलों की संख्या: सूचित	निरस्त	हल किए गए	न्यायालय में दाखिल कराए गए	समाप्त हुए: दोषसिद्धि में	समाप्त हुए: दोषमुक्ति में	मुकदमें के लिए लंबित	जांच के लिए लंबित	पता नहीं लगाया गया	व्यक्तियों की संख्या: गिरफ्तार किए गए	जिनके खिलाफ मामले न्यायालय में चालान किए गए	दोषसिद्धि	दोषमुक्त	जिनके खिलाफ मामले मुकदमें के लिए लंबित हैं	जिनके खिलाफ मामले जांच के लिए लंबित हैं	जो रिहा कर दिए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
जेब काटना	1993	150	—	68	68	11	12	45	—	82	72	70	11	12	47	—	2
	1994	135	—	63	35	—	—	35	68	32	64	36	—	—	36	28	—
चोरी	1993	482	3	77	56	20	7	29	7	416	99	63	20	7	36	22	14
	1994	434	3	64	52	—	—	52	218	161	66	54	—	—	54	12	—

टीकाकरण कार्यक्रम

634. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोई विदेशी सहायता मिलती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी नए टीके को जांच के तौर पर उपयोग में लाने की अनुमति दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (घ) इंडो–यू एस वैक्सीन एक्शन कार्यक्रम 1987 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम जैव प्रौद्योगिकी तथा अमेरिकी जन स्वास्थ्य सेवा द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। विभिन्न रोगों के विरूद्ध वैकसीनों का मूल्यांकन करने के लिए 14 आर एवं डी परियोजनाएं शुरू की गई है। यद्यपि परीक्षण शुरू नहीं किए गए हैं फिर भी कुछ महत्वपूर्ण लीडों का पता लगाया गया है तो भविष्य में लाभदायक हो सकते हैं।

कश्मीर में प्रशिक्षण शिविर

635. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा बलों को हाल ही में दक्षिण कश्मीर में प्रतिबन्धित हिजबुल मुजाहिद्दीन से सम्बद्ध अफगान नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविर का पता चला ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) 17 जून, 1994 को, विशिष्ट आसूचना जानकारी मिलने पर, सुरक्षा बलों ने, अनन्तनाग जिले के ऐश मुंका (हापतनार जंगल) क्षेत्र में हिज्ब–उल–मुज्जाहीद्दीन द्वारा चलाए जा रहे दो प्रशिक्षण शिविरों पर लगभग 0300 बजे छापा मारा। मुठभेड़ लगभग 2½ घंटे चली जिसमें 7 उग्रवादी मारे गए और 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए तथा ए. के. असाल्ट राइफलें, मैगजीनें, ग्रेनेड और एक वायरलैस सैट सहित बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला–बारूद बरामद किया गया।

[हिन्दी]

गुजरात में दूरदर्शन नेटवर्क

636. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार दूरदर्शन के कितने ट्रांसमीटर और ट्रांसपोजर कार्य कर रहे हैं :

(ख) क्या पूरे राज्य में दूरदर्शन नेटवर्क के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य में मैट्रो चैनल कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु एक ट्रांसमीटर सहित विभिन्न शक्तियों के 34 टी.वी. ट्रांसमीटर कार्य कर रहे थे।

(ख) से (घ) जहां वर्तमान में दूरदर्शन के उपग्रह कार्यक्रम उपयुक्त डिश एंटीना की सहायता से राज्य के सभी हिस्सों में उपलब्ध हैं, वहीं स्थलीय सेवा राज्य की 77 प्रतिशत जनसंख्या और 65.5 प्रतिशत क्षेत्र को उपलब्ध है। राज्य में स्थलीय टी. वी. कवरेज की 94 प्रतिशत जनसंख्या और 89.7 प्रतिशत क्षेत्र तक पहुंचाने हेतु और सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न शक्तियों के 21 टी. वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापना के लिए परिकल्पित हैं।

[अनुवाद]

आदिवासी और पिछड़े वर्ग

637. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान देश में राज्य–वार संघ–राज्य क्षेत्र–वार आदिवासी और पिछड़े वर्गो के युवकों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु तैयार की गई नई योजनाओं के लिए कितनी राशि आबंटित की गई ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इस प्रयोजनार्थ कुल राशि का कितना उपयोग किया गया ; और

(ग) 1994-95 के दौरान राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की जाएगी?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) 1992-93 से कल्याण मंत्रालय द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई है ताकि उस क्षेत्र में आदिवासी युवकों के लिए रोजगार की क्षमता पर आधारित परम्परागत कौशल में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रबन्ध किया जा सके। 1992-93 और 1993-94 के दौरान निर्मुक्त राज्य–वार धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है। पिछड़ी जनजातियों के युवकों के बीच युवा कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए युवा मामलों और खेलकूद विभाग (डी वाई ए एस) द्वारा एक विशेष योजना चलाई जा रही है जो 1990-91 में शुरू की गई थी। 1992-93 और 1993-94 के दौरान इस योजना के अंतर्गत क्रमशः 30 लाख रूपए और 50 लाख रूपए का आबंटन (संशोधित योजना प्राक्कलन) किया गया था। इसके अलावा पिछड़ी जनजातियों के बीच खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली डी ए वाई ए एस की योजना के अन्तर्गत 1992-93 के दौरान 4 लाख रूपए आबंटित किये गये थे। 1993-94 से यह योजना ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम के साथ मिला दी गई है। इसके अतिरिक्त, डी वाई ए एस की दो योजनाओं यथा युवा प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय एकता परिरक्षण के तहत भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो का

ध्यान रखा जाता है। इन योजनाओं के तहत राज्य/संघ क्षेत्रवार निर्मुक्त सहायता सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) पूर्वोक्त योजनाओं के अंतर्गत सहायता के उपयोग संबंधी सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत कुल 2.40 करोड़ रूपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है। वर्ष 1994-95 में पिछड़ी जनजातियों के बीच युवा कार्यकलापों को बढ़ावा देने सम्बन्धी विशेष योजना के लिए 100 लाख रूपए का आबंटन है। राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों इत्यादि से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर है।

विवरण

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93	1993-94
1.	आन्ध्र प्रदेश	14.78	—
2.	गुजरात	26.10	3.46
3.	मिजोरम	14.78	—
4.	मध्य प्रदेश	—	44.34
5.	केरल	—	14.53
6.	राजस्थान	—	44.34
7.	उड़ीसा	—	70.035
8.	तमिलनाडु	14.78	4.73
9.	पश्चिम बंगाल	29.56	8.565
		100.00	190.00

65-66

सिंचाई परियोजना

638. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता हेतु गुजरात की सिंचाई परियोजना संबंधी कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लंबित है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये प्रस्ताव कब से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने इस मंत्रालय को कुछ सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव

विचार करने के लिए भेजा था। तथापि, इन्हें बाह्य सहायता के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के वास्ते आवश्यक ब्यौरे की अनुपालना करने के लिए राज्य को लौटा दिया गया है।

कैंसर संस्थान

639. **श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम की बारक घाटी कैंसर प्रवण क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार सिल्चर में एक कैंसर संस्थान खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो असम सरकार को इस उद्देश्य से कितनी वित्तीय सहायता दी गई है या दिये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) असम की बर्राक घाटी के कैंसर प्रवण क्षेत्र होने के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सिल्चर मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल के अर्बुद विज्ञान विंग के विकास के लिए एक करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की गई है।

एड्स/एच०आई०वी०

640. **कुमारी सुशीला तिरिया :**

डा० लाल बहादुर रावल :

श्री मंजय लाल :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान एड्स के मामलों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1994 तक प्रत्येक राज्य से एड्स/एच०आई०वी० संक्रमण के कितने मामलों की सूचना मिली है ;

(ग) महानगरों में प्रमुख सरकारी अस्पतालों में कितने रोगियों की चिकित्सा की जा रही है; और

(घ) सरकार ने एड्स को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) बेहतर रिपोर्टिंग तथा बेहतर ढंग से पता लगाने से पिछले एक वर्ष के दौरान एड्स रोगियों की उपेक्षाकृत बड़ी संख्या की सूचना दी गई है।

(ख) 30 जून, 1994 को रिपोर्ट किए गए एड्स संक्रमण के राज्य–वार फैलाव को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) लगभग 193 एड्स रोगियों के बारे में महानगरीय शहरों में सरकारी अस्पतालों में सुव्यवस्थित ढंग से उपचार प्राप्त करते रहने की सूचना प्राप्त हुई है।

(घ) विश्व बैंक से 222.6 करोड़ रूपये (यू एस 84 मिलियन डालर) के आसान शर्तों पर प्राप्त ऋण तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी सहयोग से सारे देश में एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है। एड्स से लड़ने की कार्यनीतियों में कार्यक्रम प्रबंधन को सुदृढ़ करना; खतरे के आचरण वाले समूहों में जागरूकता उत्पन्न करना और यौन संचारित रोग, एच आई वी की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए निरोध को बढ़ावा देना, रक्तनिरापदता और रक्त का युक्तियुक्त प्रयोग और एच आई वी/एड्स रोगियों की निगरानी, निदान तथा प्रबंधन के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल हैं।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, भारत

भारत में एड्स के रोगी (नाको को रिपोर्ट किए गए)

(30 जून, 1994 की स्थिति)

भारतीयों में

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एड्स रोगी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	दिल्ली	53
4.	गोवा	10
5.	गुजरात	18
6.	हरियाणा	1
7.	हिमाचल प्रदेश	9
8.	जम्मू व कश्मीर	2
9.	केरल	76
10.	मध्य प्रदेश	21
11.	महाराष्ट्र	235
12.	मणिपुर	29
13.	पांडिचेरी	6
14.	पंजाब/चंडीगढ़	47

1	2	3
15.	राजस्थान	1
16.	तमिलनाडु	189
17.	उत्तर प्रदेश	8
18.	पश्चिम बंगाल	20
19.	कर्नाटक	23
	योगः	750

कैंसर अनुसंधान केन्द्र

641. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान परियोजना का समन्वय एकक "किदवई मैमोरियल इन्स्टीच्यूट ऑफ ऑनकोलोजी", बंगलौर में कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को इस एकक को स्थायी अनुसंधान केन्द्र घोषित करने हेतु कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस केन्द्र को स्थानांतरित करने का काम रोक दिया गया है।

कोयले के मूल्य

642. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री श्रीकान्त जैना :

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री पंकज चौधरी :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री बलराज पासी :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री नीतिश कुमार :

श्री गुमानमल लोढ़ा :

श्री जर्नादन मिश्र :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोयले के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) गत दो वर्षो के दौरान कोयले के मूल्यों में कितनी बारी वृद्धि की गई है; और

(ड.) जून, 1991 और जून, 1994 के दौरान विभिन्न प्रकार के कोयले का मूल्य क्या रहा हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) सरकार ने कोल इंडिया लि० (को.इं.लि.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० (सिं.को.कं.लि.) द्वारा उत्पादित कोयले की कीमतों में 17.6.1994 से निम्न रूप में वृद्धि कर दी है:–

(रू. प्रति टन)

	कोयले की पूर्ववर्ती औसत कीमत	17.6.1994 से कोयले की बढ़ाई गई औसत कीमत	वृद्धि की प्रतिशतता
को.इं.लि.	381.00	401.00	5.25%
सिं.को.कं.लि.	482.00	503.00	4.36%

कोयले की कीमतों में वृद्धि आवश्यक हो गई थी, चूंकि विभिन्न आगतों की लागत में वृद्धि हो गई तथा उन्हें संराशिकृत किया जाना अपेक्षित था।

(ग) कीमतों में हुई इस वृद्धि का विभिन्न प्रमुख उद्योगों पर संभावित प्रभाव का अनुमान निम्न रूप से लगाया गया है :–

1.	इस्पात	68.51	रू. प्रति टन
2.	सीमेंट	5.00	रू. प्रति टन
3.	विद्युत	1.40	पैसा कि. वा. प्रतिघंटा
4.	थोक बिक्री कीमत	0.13%	

(घ) को.इ.लि. के संबंध में गत दो वर्षो के दौरान कोयले की कीमतों में तीन बार संशोधन किया गया है। किन्तु, सिं.को.कं.लि. के कोयले की कीमतों में इसी अवधि में चार बार संशोधन किया गया है।

(ड.) जून, 1991 तथा जून, 1994 में उत्पादित कोयले की विभिन्न किस्मों की कीमतें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

जून, 1991 तथा जून, 1994 के दौरान कोयले की विभिन्न किस्मों की कीमतें

कोयले की किस्म	रन आफ माइन कोयले की बिक्री कीमत रूपए प्रति टन में	
	जून, 91 की स्थिति के अनुसार	जून, 1994 की स्थिति के अनुसार (17.6.1994 से प्रभावी)
1	2	3
1. अ-कोककर कोयला		
(क) सभी राज्यों में उत्पादित कोयला असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड को छोड़कर।		
ग्रेड ए	399.00	642.00
बी	364.00	586.00
सी	318.00	513.00
डी	252.00	406.00
ई	200.00	322.00
एफ	160.00	257.00
जी	114.00	183.00
(ख) आंध्र प्रदेश राज्य (सिंगरेनी कोलियरीज कपंनी लि०) में उत्पादित कोयला।		
सी	360.00	660.00
डी	317.00	584.00
ई	268.00	486.00
एफ	202.00	405.00
जी	157.00	305.00
(ग) असम, अरूणाचल प्रदेश मेघालय तथा नागालैंड में उत्पादित कोयला	460.00	741.00 रू. से अनाधिक

1	2	3
2. कोककर कोयला		
इस्पात ग्रेड–I	651.00	1048.00
इस्पात ग्रेड–II	543.00	875.00
वाशरी ग्रेड–I	470.00	758.00
वाशरी ग्रेड–II	390.00	628.00
वाशरी ग्रेड–III	300.00	483.00
वाशरी ग्रेड–IV	280.00	450.00
3. अर्द्ध कोककर और क्षीण		
कोककर कोयला		
अर्द्ध–कोककर ग्रेड–I	470.00	758.00
अर्द्ध–कोककर ग्रेड–II	390.00	628.00

टिप्पणीः कीमतों में, सरकार स्थानीय प्राधिकारियों या अन्य निकायों द्वारा लगाई गई सीमा शुल्क तथा बिक्री कर, रायल्टी/उपकर, कर या अन्य प्रभार, यदि कोई लगाए गए हों, शामिल नहीं है।

मुंह का कैंसर

71–72

643. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खंडूरी :

डा० जी० एल० कनोजिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "पान मसाला" और "गुटका" के प्रयोग के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार की इन उत्पादों के प्रयोग करने से होने वाले हानिकारक प्रभावों की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इसके प्रयोग पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराने का है;

(च) क्या कैंसर के सभी मामलों में से 30 प्रतिशत मामलें मुंह के कैंसर के हैं; और

(छ) यदि हां, तो अन्य कार्रवाई और यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में कैंसर के कुल रोगियों में से कितने प्रतिशत रोगियों को मुंह का कैंसर है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) जी हां। प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया गया था और उनका यह उत्तर दिया गया कि पान मसाला में उत्परिवर्जनता होती है और राज्य खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को ऐसी चीजों के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है।

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत पान मसाला के प्रत्येक पैकेट पर निम्नलिखित सांविधिक चेतावनी देना अनिवार्य है :

"पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।" आकाशवाणी और दूरदर्शन पर पान मसाला के विज्ञापन देने पर प्रतिबंध है।

(ड) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् चालू अध्ययनों के परिणामों की समीक्षा करेगी।

(च) और (छ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत के विभिन्न भागों में पुरूष कैंसर रोगियों में मुख का कैंसर 7.63 प्रतिशत से 21.55 प्रतिशत तथा महिला कैंसर रोगियों में 1.12 प्रतिशत से 9.93 प्रतिशत है। एशियाई और यूरोपीय देशों में मुख कैंसर का प्रतिशत क्रमशः 0.68 प्रतिशत से 3.23 प्रतिशत और 0.55 प्रतिशत से 2.85 प्रतिशत है।

श्रीनगर में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों पर आतंकवादियों के हमले

644. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :**

72-73

श्री देवी बक्स सिंह :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आतंकवादियों ने श्रीनगर के दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों पर हमला किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन हमलों के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए और सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ ;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों पर आतंकवादियों द्वारा हमलों की कितनी घटनाएं हुई;

(ड) मार्च, 1993 में श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्र में अलग–अलग कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे ओर इस समय कितने कार्यरत हैं; और

(च) इन अधिकारियों/कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) 1-2 जुलाई, 1994 के बीच की रात को उग्रवादियों ने जीरो ब्रिज, श्रीनगर के नजदीक स्थित दूरदर्शन भवन पर राकेट दागे। भवन की दीवारों और खिड़कियों के शीशों को मामूली क्षति पहुंची और कोई हताहत नहीं हुआ था।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों पर उग्रवादियों द्वारा आठ बार हमले किए गए।

(ड) और (घ) सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ किया गया है।

विश्व शरणार्थी सर्वेक्षण

645. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1994 में अमेरिका में "वर्ल्ड रिफ्यूजी सर्वे " नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर से कितनी अनुमानित संख्या में शरणार्थी चले गए;

(ग) इस रिपोर्ट के अनुसार भारत मे कितने बांग्लादेशी और चकमा शरणार्थी चले आए;

(घ) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान भारी संख्या में अफगानी भी भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए हैं;

(ड) यदि हां, तो ऐसे शरणार्थियों की क्या संख्या है; और

(च) सरकार इन्हें वापस करने की दिशा में क्या कदम उठा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) इस रिपोर्ट के अनुसार, कश्मीर में उग्रवादी हिंसा के कारण लगभग 2,50,000 कश्मीरी भारतीय देश के भीतर ही विस्थापित हुए हैं।

(ख) इस रिपोर्ट के अनुसार 20 लाख से 150 लाख घुसपैठिए बंगलादेशी भारत में रह रहे हैं। इसके अलावा, इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में त्रिपुरा के छह शिविरों में 53,500 चकमा शरणार्थी रह रहे है।

(घ) से (च) भारत में बहुत बड़ी संख्या में अफगानी आए हैं परंतु सरकार ने उन्हें शरणार्थी नहीं माना है। तथापि, यू.एन.एच.सी. आर. के आंकड़ों के अनुसार लगभग 23,185 अफगानी उस कार्यालय के पास दर्ज है।

द्वीपों के लोगों को आवासीय भूखंडों का आबंटन

646. **डा. जी. एल. कनोजिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए आवासीय भूखंडों का आबंटन किए जाने हेतु आवदेन आमंत्रित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर और मध्य अंडमान में क्षेत्रवार ऐसे कितने आवासीय भूखंड उपलब्ध है; और

(घ) उक्त घोषणा के बाद किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्राप्त आवेदन पत्रों का तहसील–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

दिगलीपुर	816
मायाबन्दर	1446
रंगत	2718

(ग) आवासीय भूखंडों की तहसील–वार उपलब्धता नीचे बताई गई है :

दिगलीपुर	688
मायाबन्दर	1359
रंगत	1086

74-77

(घ) शून्य, श्रीमान्।

परिवार नियोजन कार्यक्रम की पुनरीक्षा

647. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों के संबंध में कोई मध्यांतर पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का कार्य–निष्पादन क्या रहा है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या क़दम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों के संबंध में अभी तक मध्यांतर मूल्यांकन नहीं किया गया है। वैसे, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियों की सतत पुनरीक्षा की जाती है।

(ख) पिछले 3 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक नई पहलें की गई है। इनमें 1992 में बनाई गई कार्य योजना का कार्यान्वयन, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों पर विशेष ध्यान देना कम कार्य–निष्पादन वाले अभिज्ञात जिलों के लिए अतिरिक्त निवेश, शिशु जीवन–रक्षा और सुरक्षित मातृत्व परियोजना, बाह्य रूप से सहायता प्राप्त क्षेत्रीय परियोजनाओं के माध्यम से आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण, सूचना, शिक्षा व संचार में नई नीतियां और गैर–सरकारी संगठनों की और अधिक सहभागिता शामिल है। छोटे परिवार के मानदंड के लिए राजनीतिक वचनबद्धता प्रदर्शित करने के लिए संसद में संविधान (79वां संशोधन) विधेयक लाया गया है।

विवरण-II

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में लक्ष्यों/उपलब्धि के संभावित स्तरों को राज्यवार प्रतिशत उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ अभिकरण	नसबंदी			आई यू डी निवेशन			प. निरो. के उपयोगकर्ता			खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता		
		1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
			$	$		$	$		$	$		$	$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	**बड़े राज्य (एक करोड़ अथवा उससे अधिक जनसंख्या)**												
1.	आंध्र प्रदेश	80.6	87.4	100.6	64.5	62.1	66.0	75.3	76.9	79.3	98.1	66.1	81.8
2.	असम	26.1	10.7	21.6	56.7	50.0	51.8	64.4	63.1	54.8	78.6	47.9	19.0
3.	बिहार	42.5	60.7	61.7	33.6	44.8	44.3	26.3	28.1	31.1	54.9	38.6	34.1
4.	गुजरात	95.3	90.3	106.5	81.1	81.1	95.5	97.1	104.0	117.0	103.7	59.3	92.7
5.	हरियाणा	96.9	94.3	93.1	87.5	72.8	83.3	101.6	85.4	85.6	138.1	85.0	81.3
6.	कर्नाटक	87.4	92.1	93.8	84.9	82.0	91.7	94.6	94.7	88.7	104.3	72.8	76.4
7.	केरल	108.5	114.2	101.7	92.4	80.9	81.3	98.8	96.1	64.9	111.3	69.2	57.2
8.	मध्य प्रदेश	84.6	82.7	91.0	86.2	74.8	70.4	83.0	87.6	97.3	104.1	58.6	87.2
9.	महाराष्ट्र	102.5	106.7	102.8	97.5	97.3	86.8	101.3	94.5	89.1	116.9	56.7	75.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	उड़ीसा	67.6	73.0	89.1	85.8	75.9	86.2	85.9	75.8	82.7	107.9	55.8	78.3
11.	पंजाब	85.5	118.3	153.2	119.5	71.2	101.5	107.6	101.8	111.6	144.1	87.5	107.5
12.	राजस्थान	77.0	88.1	73.8	63.5	71.5	65.5	83.4	86.9	85.8	86.0	48.5	76.5
13.	तमिलनाडु	104.2	104.2	100.1	95.9	88.5	100.7	103.9	96.0	100.2	157.2	69.2	71.9
14.	उत्तर प्रदेश	45.9	59.3	59.7	55.4	75.9	96.0	99.7	103.8	107.0	102.8	70.1	105.8
15.	प० बंगाल	81.8	78.2	88.4	56.1	50.1	50.5	85.6	82.3	77.8	74.9	71.3	67.1
II	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**												
1.	हिमाचल प्रदेश	109.0	114.8	96.2	86.2	92.9	76.7	122.5	116.3	93.6	106.5	78.1	64.4
2.	जम्मू व कश्मीर	30.0	36.9	54.2*	65.9	62.3	27.9*	67.7	101.6	73.8*	93.8	77.9	38.1**
3.	मणिपुर	57.2	32.5	36.3**	65.9	49.0	23.8**	33.9	28.5	20.2**	3.6	8.7	13.2**
4.	मेघालय	67.3	58.9	72.3**	119.3	105.4	68.9**	53.4	55.2	20.5**	137.7	92.3	56.9**
5.	नागालैंड	63.3	120.4	11.7£	25.8	38.4	19.4£	1.2	0.1	0.1£	7.0	6.4	1.8£
6.	सिक्किम	129.5	92.3	25.5£	71.6	94.8	78.4£	95.5	86.8	93.2£	352.8	213.3	211.7£
7.	त्रिपुरा	68.8	65.6	116.3	108.8	94.6	130.9	53.1	121.1	124.6	153.4	103.5	122.0
8.	अं निकोबार	103.3	97.4	89.9	95.0	79.3	85.9	133.9	140.9	114.3	101.0	40.9	58.5
9.	अरूणाचल प्रदेश	86.0	71.6	50.9	79.1	82.1	78.1	146.0	109.9	89.1	84.6	52.3	53.4
10.	चंडीगढ़	109.9	110.0	104.9*	85.2	79.1	68.3*	169.5	143.1	91.9*	96.7	124.6	94.2*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	दा. न. हवेली	101.1	102.6	75.8	149.5	111.5	106.0	74.4	16.0	96.4	128.0	110.0	96.7
12.	दिल्ली	99.1	93.5	92.3	94.7	87.4	62.3	115.0	120.8	95.4	119.4	90.5	88.6
13.	गोवा	102.6	109.0	108.6	115.2	112.1	109.5	122.4	141.9	100.4	108.9	82.2	98.7
14.	दमन व द्वीव	125.3	111.5	114.3	105.5	107.5	103.4	108.5	128.4	150.9	119.0	148.6	126.0
15.	लक्षद्वीप	28.8	43.3	26.0**	82.9	45.0	49.0**	12.8	9.2	11.5**	15.1	9.4	18.2**
16.	मिजोरम	149.0	356.6	165.2	75.3	75.1	113.1	118.1	41.5	50.0	113.5	61.2	63.2
17.	पांडिचेरी	164.4	174.4	118.7	103.8	100.5	101.3	147.1	122.3	116.4	115.0	83.6	92.5
III	**अन्य एजेंसियां**												
1.	रक्षा मंत्रालय	109.4	116.0	98.1	99.8	60.9	62.8	118.4	77.8	59.0	136.8	69.3	47.6
2.	रेल मंत्रालय	90.3	96.8	81.0	91.7	87.9	72.0	85.6	92.1	71.5	126.5	96.2	95.7
3.	वाणिज्यिक वितरण							77.5	91.7	86.5	178.3	68.1	58.4
	अखिल भारत	75.3	81.2	86.2	73.6	74.2	81.5	85.9	91.1	89.4	127.0	65.5	71.1

$ आंकड़े अनन्तिम

** जनवरी, 94 तक उपलब्धि

@ उपलब्धि का संभावित स्तर

• फरवरी, 94 तक उपलब्धि

£ दिसम्बर, 93 तक उपलब्धि

[हिन्दी]

विलम्ब शुल्क

648. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा रेलवे को विलम्ब के कारण वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिए कितने देय शुल्क का भुगतान किया जाना है;

(ख) ऐसे विलंब शुल्क के भुगतान के मुख्य कारण क्या है; और

(ग) विलंब शुल्क के रूप में अब तक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) भारत कोकिंग कोल लि. (भा. को. को. लि.) द्वारा रेलवे को वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्षति–प्रभार के लिए पहले ही अदा की गई राशि, जिसमें अदा किए जाने योग्य राशि भी शामिल है, को नीचे दिया गया है :

वर्ष	आंकड़े अनन्तिम राशि (लाख रुपये में)
1991-92	420.99
1992-93	634.33
1993-94	732.91

इस प्रकार की अदायगी के मुख्य कारण निम्न है:

(i) रेलवे द्वारा निर्धारित अवधि में वैगनों का लदान किए जाने के मामले में विफलता और (ii) प्रेषणों के पुनः प्राप्ति में विलम्ब, जो कि भा. को. को. लि. के नाम पर बुक किए जाते हैं।

[अनुवाद]

मिनरल वाटर

649. **श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोतलबन्द मिनरल वाटर के निर्माताओं की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने निर्माता बोतलबन्द मिनरल वाटर का उत्पादन कर रहे हैं;

(ग) क्या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित स्वच्छता, शेल्फावधि और बोतलबन्द करने की सामग्री पर ऐसे कोई भारतीय मानक हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा–निर्देशों के समनुरूप हैं;

(घ) क्या भारतीय निर्माताओं को इनके मंत्रालय से उत्पादन लाइसेंस अथवा एपडीए अनुमोदन मांगना अनिवार्य है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो बोतलों पर अधिकतम अशुद्धता स्तर और अनुमोदन पंजीकरण संख्या इंगित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) ऐसी कोई रिपोर्ट ध्यान में नहीं आई है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ.) सरकार ने खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत मिनरल वाटर के विनिर्देशन निर्धारण करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। ऐसे सभी अधिसूचित विनिर्देशनों का अनुपालन अनिवार्य है।

केरल में मेडिकल कालेज 79

650. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के उत्तर मालाबार क्षेत्र में मेडिकल कालेज की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में भारतीय आर्युविज्ञान परिषद् के अधिकारियों का कोई दल केरल गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) परियारम, जिला कन्नूर, केरल में एक मेडिकल कालेज खोलने का एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ था जिसे मूल्यांकन के लिए भारतीय आर्युविज्ञान परिषद् को भेजा गया है।

(ग) और (घ) भारतीय आर्युविज्ञान परिषद् की रिपोर्ट के अनुसार परिषद् द्वारा 2/3-6-1994 को निरीक्षण किया गया था।

दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम 79-80

651. **श्री वी. धनंजय कुमार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन/आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता के संबंध में कोई अध्ययन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारतीय सांस्कृतिक विरासत को लोकप्रिय बनाने और उसे दर्शाने की दिशा में कोई प्रयास किया जा रहा है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। इस प्रकार के अध्ययन आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के श्रोता अनुसंधान एककों द्वारा नियमित रूप से किए जाते हैं। इन अध्ययनों में कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अपेक्षित हार्डवेयर सुविधाओं सहित श्रोतागणों/दर्शकों की रूचि के विभिन्न विषयों को कवर किया जाता है।

(ग) यद्यपि कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है, आकाशवाणी व दूरदर्शन द्वारा इस प्रयोजन के लिए किए गए कुछ उपाय निम्न प्रकार से हैं :–

(1) महत्वपूर्ण नीति–विषयक मामलों पर कार्यक्रम तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी करना।

(2) कार्यक्रम संरचना का पुनर्गठन।

(3) लोकप्रियता संबंधी कारकों की पद्धति को चुस्त–दुरूस्त बनाना तथा तत्काल उपचारात्मक उपाय करना।

(4) मान्यताप्राप्त निर्माताओं से कार्यक्रम की कमीशनिंग।

(5) फीचर फिल्मों के स्पांसरशिप की अनुमति देना।

(6) महत्वपूर्ण खेद–कूद तथा सांस्कृतिक घटनाओं के प्रसारण/टेलीकास्ट के लिए अनन्य अधिकार प्राप्त करना।

(घ) आकाशवाणी व दूरदर्शन देश के भीतर व विदेशों में अपने कार्यक्रमों के प्रसारण/टेलीकास्ट में भारतीय संस्कृति की विरासत का नियमित रूप से प्रक्षेपण करते हैं।

८०-८१ **दूरदर्शन कार्यक्रमों का विस्तार**

652. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1994 में कार्यान्वित दूरदर्शन कार्यक्रम विस्तार संबंधी योजना का कितने शहरों और कितने व्यक्तियों को लाभ मिला है;

(ख) देश की आम जनता को कार्यक्रमों का लाभ देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) गुजरात में इस समय कितने रिले केन्द्र कार्यरत हैं तथा उनकी क्षमता क्या है;

(घ) क्या ये रिले केन्द्र राज्य की पूरी जनता को दूरदर्शन कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त हैं; और

(ड.) यदि नहीं, तो गुजरात में रिले केन्द्रों की संख्या बढ़ाने तथा उनकी क्षमता में वृद्धि करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) फरवरी, 1994 से दूरदर्शन निम्नलिखित 6 चैनलों का प्रसारण कर रहा है :–

	डीडी –I	राष्ट्रीय चैनल
	डीडी –II	मैट्रो चैनल
	डीडी –III	अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है
	डीडी –IV	क्षेत्रीय चैनल
	डीडी –V	क्षेत्रीय चैनल
और	डीडी –VI	क्षेत्रीय चैनल

उपर्युक्त सभी चैनलों का प्रसारण उपग्रह के माध्यम से होता है तथा डिश एंटेना के जरिये इन्हें देश के सभी भागों में प्राप्त किया जा सकता है। दिल्ली/नई दिल्ली शहरों में इन्हें स्थलीय रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। देश के विभिन्न ट्रांसमीटर (572) भी राष्ट्रीय चैनल का स्थलीय रूप से देश के 66.8 प्रतिशत क्षेत्र में तथा 84.6 प्रतिशत जनसंख्या में प्रसारण करते है।

(ग) गुजरात में वर्तमान में 10 कि०वा० शक्ति के 3 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा I किवा शक्ति का एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 300 वाट/100 वाट शक्ति के 29 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (जिसमें डीडी –II कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए 100 वाट शक्ति का एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर शमिल है) तथा 10 वाट शक्ति के एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं।

(घ) और (ड.) वर्तमान में गुजरात राज्य में अनुमानतः 77 प्रतिशत जनसंख्या को टी. वी. सेवा उपलब्ध है। टी. वी. सेवा का और अधिक विस्तार करने की दृष्टि से विभिन्न शक्ति वाले 21 टी. वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं/राज्य में स्थापित किए जाने की परिकल्पना है। इन ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर आशा है कि राज्य की 94 प्रतिशत जनसंख्या को टी. वी. सेवा उपलब्ध हो जाएगी।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देयराशि का भुगतान

653. **श्री जगमीत सिंह बराड़** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोल कंपनी लिमिटेड (बी. सी. सी. एल.) के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् उनके उपदान और भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) इनके भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी देयराशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) 30.6.1994 की स्थिति के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि० (भा.को.को.लि.) से सेवानिवृत्त किए गए 1921 कर्मचारियों द्वारा उपदान का पूर्ण भुगतान अभी भी प्राप्त किया जाना है। 30.6.1994 की स्थिति के अनुसार भा.को.को.लि. से ही सेवानिवृत्त हुए 206 कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि के दावों का निपटारा किए जाने के मामले लम्बित पड़े हैं।

(ख) उपदान भुगतान में विलम्ब के मुख्य कारण निम्न हैं :– सतर्कता जांच/अनुशासनात्मक कार्रवाई, उपदान की पात्रता राशि से संबंधित विवाद, दावेदार या नामित व्यक्ति द्वारा समय पर

आवेदन प्रस्तुत न करना तथा कंपनी की देय बकाया राशि का भुगतान न किया जाना।

भविष्य निधि की देय राशि के भुगतान में विलम्ब के कारण निम्न हैं :– आरोप्य अपर्याप्त तथा अपूर्ण व्यक्तिगत आकंड़े प्रस्तुत करना, कतिपय अवधि के दौरान प्रविष्टियों का न मिलना तथा उचन्त लेखों का मिलान न होना।

(ग) उपर्युक्त (ख) में दिए गए विशिष्ट कारणों को देखते हुए कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान करने के लिए कोई समय–सीमा विनिर्दिष्ट करना कठिन कार्य है।

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना

654. **श्री राम कृपाल यादव :**

श्री लाल बाबू राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त संस्थान के अधिग्रहण की कब तक संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी. सिल्वेरा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास

655. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में सरकारी कुष्ठ रोग अस्पताल, कोराट्टी को वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान कुष्ठरोगियों के पुर्नवास के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) केरल में कोराट्टी में सरकारी कुष्ठ अस्पताल को वित्तीय सहायता बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों को हथियार

656. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व सैनिकों को हथियार उपलब्ध कराने का है :

(ख) यदि हां, तो हथियार कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है : और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर के सभी भूतपूर्व सैनिकों को शस्त्र उपलब्ध करवाने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु राज्य सरकार ने राज्य पुलिस में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की है तथा उन्हें अन्य सुरक्षा बलों के साथ तैनात किया गया है।

[अनुवाद]

गर्भ नियंत्रण

657. **श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीके लगा कर गर्भ नियंत्रण का काम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(घ) क्या लक्ष्यों के अनुसार उपलब्धि मिली है;

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) टीके लगाकर गर्भ नियंत्रण का काम 1983 से चल रहा है। 1983 में इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में शुरू किया गया और 1987 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दे दिया गया।

(ग) 1991-92 तक 1264.73 लाख रूपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है। 8वीं योजना के लिए आबंटन 600 लाख रूपये हैं।

(घ) और (ड.) छः केन्द्रों, जहां ये अध्ययन किए जा रहे हैं, में से दो केन्द्रों में उपलब्धियां लक्ष्यों के अनुसार हैं। अतिरिक्त अध्ययनों को शामिल कर लिया गया है और अन्य केन्द्रों में समय-समय पर इसमें सुधार किया गया है।

(च) चिकित्सा कालेजों, सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों और वैज्ञानिकों सहित एक कार्यदल इस परियोजना का ध्यानपूर्वक प्रबोधन कर रहा है।

[हिन्दी]

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अमरीका के साथ समझौता

658. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अमरीकी सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने का विचार है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। दोनों देशों के बीच नई प्रत्यर्पण संधि पर बातचीत चल रही है।

नलकूप लगाना

659. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता से कितने नलकूप लगाये गए; और

(ख) विश्व बैंक द्वारा इस हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक सहायता से सार्वजनिक नलकूपों की स्थापना करने के लिए कोई परियोजना शुरू नहीं की गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण और समुद्र तट का कटाव

660. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में बाढ़ नियंत्रण तथा समुद्र तट के कटाव को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति हेतु कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) कोपाना नदी की निस्सरण क्षमता में सुधार लाने के लिए सितम्बर, 1986 में प्राप्त एक बाढ़ नियंत्रण योजना (लागत 13.96 करोड़ रू०) की जांच की गई और जुलाई 1987 में सुधारों का सुझाव दिया गया। राज्य सरकार से संशोधित योजना प्राप्त नहीं हुई है। लगभग 128 कि०मी० लम्बी नई समुद्री दीवार के निर्माण तथा लगभग 54 किमी० लम्बी विद्यमान समुद्री दीवार के सुधार के वास्ते 156.29 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत की एक व्यापक समुद्री कटाव–रोधी योजना दिसम्बर, 1989 में प्राप्त हुई थी। योजना की जांच करने के बाद, अक्तूबर, 1990 में राज्य सरकार को योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार योजना को संशोधित करने की सलाह दी गई। उसके बाद राज्य सरकार ने उस व्यापक योजना को 1.00 करोड़ रू० से कम की लागत छोटी यूनिटों में उप विभाजित कर दिया और उन्हें राज्य स्तर पर स्वीकृत कर दिया। इसके अलावा, अगस्त 1992 में राज्य द्वारा 346 करोड़ रूपए की लागत की 10 वर्ष परिप्रेक्ष्य के लिए समुद्र तट कटाव रोकने संबंधी संयुक्त योजना की रूप रेखा बाह्य सहायता

के वास्ते प्रस्तुत की गयी थी। जांच के बाद राज्य सरकार से योजना को संशोधित करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार से संशोधित योजना प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

उच्च शक्ति के टी. वी. ट्रांसमीटर लगाना

661. **श्री बलराज पासी :**

श्री राम सिंह कस्वा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम शक्ति के अधिकांश ट्रांसमीटर केन्द्र संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इनमें अधिकांश उपकरण खराब पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन उपकरणों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ड.) क्या सरकार का विचार उच्च शक्ति के टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) और (च) जी, हां। देश के विभिन्न स्थानों पर 59 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयना-धीन/स्थापना के लिए परिकल्पित हैं बशर्ते कि इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि और आधारभूत ढांचा उपलब्ध हो।

शरणार्थी

662. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री बलराज पासी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शरणार्थियों का आगमन लगातार बढ़ता ही जा रहा है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं :

(ग) 1993 और 1994 में अब तक राष्ट्रीयता–वार कितने शरणार्थी भारत आए :

(घ) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीयता–वार कितने शरणार्थियों को उनके देश वापस लौटाया गया; और

(ड.) शरणार्थियों के आगमन पर रोक लगाने और शेष शरणार्थियों को वापस भेजने हेतु क्या प्रभावी उपाय किए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) वर्ष 1993 तथा 1994 के दौरान अब तक कोई शरणार्थी भारत में नहीं आया है।

(घ) और (ड.) उपर्युक्त अवधि के दौरान कोई भी शरणार्थी उसके देश को वापिस नहीं लौटाया गया। तथापि श्रीलंका सरकार के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत वर्ष 1993 तथा 1994 के दौरान 10,501 श्रीलंकाई शरणार्थियों को उनके देश वापिस भेज दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 1994 के दौरान 2165 चकमा शरणार्थियों को बंगला देश वापिस भेजा गया। शेष शरणार्थियों को संभाव्यता के आधार पर स्वदेश लौटाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

होमियोपैथी और आयुर्वेद के लिए पृथक निदशालय

663. **श्री शरद दिघे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के पंजीकृत व्यवसायियों की वर्तमान संख्या कितनी है और होमियोपैथी व्यवसायियों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) भारतीय चिकित्सा प्रणालियों एवं होमियोपैथी में प्रतिवर्ष कितने स्नातक डिप्लोमाधारी उत्तीर्ण होते है;

(ग) क्या सरकार ने होमियोपैथी और आयुर्वेद के लिए एक पृथक निदेशालय स्थापित करने का अन्तिम निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के 5.5 लाख से अधिक चिकित्सक हैं।

(ख) प्रतिवर्ष लगभग 5300 व्यक्ति स्नातक डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करते हैं।

(ग) और (घ) मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

87

कोयले की आपूर्ति

664. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंट–भट्टा संघ ने उन्हें की जा रही घटिया स्तर के कोयले की आपूर्ति के संबंध में अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उनकी समस्याएं सुलझाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) अखिल भारतीय ईंट–भट्ठा उत्पादक संघ नई दिल्ली ईंट–भट्ठा उद्योग के लिए उच्च ग्रेड के कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए कोयला मंत्रालय का अभ्यावेदन करता रहा है।

ईंट–भट्ठा उद्योग को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले के ग्रेड से संबंधित मामले की समीक्षा कोयला मंत्रालय द्वारा की गई है। सभी संबंधित मामलों की सावधानीपूर्वक समीक्षा किए जाने के बाद, ईंट–भट्ठा उद्योग को केवल "डी" ग्रेड एवं इससे निम्न ग्रेड के कोयले की आपूर्ति किए जाने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

एड्स पर नियंत्रण

665. **श्री मोहन रावले :**

श्री राम कापसे :

श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विश्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को कितनी राशि दी गई;

(ख) इसमें से कितनी राशि इस अवधि के दौरान वास्तव में उपयोग में लाई गई;

(ग) राशि का पूरी तरह प्रयोग नहीं करने के क्या कारण है;

(घ) क्या देश में एड्स से पीड़ित मरीजों में से बहुत बड़ी संख्या मुम्बई (महाराष्ट्र) में है;

(ड) यदि हां, महाराष्ट्र में पूरी तरह से इस रोग से ग्रसित लोगों की संख्या क्या है;

(च) पिछले तीन वर्षों में एड्स के नियंत्रण हेतु महाराष्ट्र सरकार को कितनी राशि दी गई;

(छ) क्या आने वाले वर्षों में इस राशि में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) विश्व

बैंक ने भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण परियोजना अवधि, अर्थात् 31 मार्च, 1977 तक के लिए 84 मिलियन अमरीकी डालर का उदार ऋण प्रदान करने पर सहमति प्रदान की है। यह स्कीम 23 सितम्बर, 1992 को आरंभ की गई थी। विश्व बैंक ने कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर की आरंभिक राशि दी है। उसके बाद किए गए खर्च के आधार पर विश्व बैंक ने निम्नलिखित भुगतान किए हैं और विश्व बैंक ऋण में से प्रतिपूर्ति के दावे बैंक को प्रस्तुत किए हैं :

1992-93	13.04	करोड़ रूपये
1993-94	17.66	करोड़ रूपये

(घ) जी हां।

(ड) महाराष्ट्र से 30 जून, 1994 तक 235 रोगियों में एड्स के पूरे लक्षण पाए जाने की सूचना मिली है।

(च) स्थिति इस प्रकार :

1992-93	90.67	लाख रूपये
1993-94	166.69	लाख रूपये
1994-95	74.76	लाख रूपये

(पहली किस्त)

(छ) और (ज) प्रतिभागी राज्यों को रिलीज किए गए अनुदान में से राज्य सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय को देखते हुए स्वीकृत पैटर्न के अनुसार अनुदान रिलीज किया जाता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अपराध

666. **श्री बी. एल. शर्मा 'प्रेम' :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन महीनों के दौरान प्रति महीने अपहरण, हत्याओं, हत्या के प्रयासों, लूटपाट, डकैतियों, वाहनों की चोरी और चेन झपटने के कितने मामले हुए;

(ख) 1993 के दौरान इसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) कितने मामले सुलझाए गए और कितने लम्बित हैं;

(घ) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ड) दिल्ली में अपराधों में वृद्धि के क्या कारण है; और

(च) दिल्ली में अपराध रोकने के लिए कौन से नवीनतम उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (घ) 1.4.1994 से 30.6.1994 तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि अर्थात् 1.4.1993 से 30.6.1993 (माहवार और जिलेवार) के दौरान सूचित किए गए सुलझा लिए गए, जांच पड़ताल के लिए लंबित मामलों, गिरफ्तार किए व्यक्तियों तथा उनके विरुद्ध की गइ कार्रवाई के ब्यौरे सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिए गए हैं।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल टी /6121/94)

(ड) अपराधों में बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से तेजी से बढ़ता शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि उत्तरदायी है।

(च) दिल्ली में अपराधों को रोकने के लिए उठाये गए कदमों में, गश्त बढ़ाना, सामरिक महत्व स्थलों पर टुकड़ियां तैनात करना, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों के छिपने के ठिकानों पर प्रायः छापे मारना, चौकसी में बढ़ोतरी करना, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, पुलिस अधिकारियों को आधुनिक शस्त्रों को चलाने का प्रशिक्षण देना, जांच पड़ताल के वैज्ञानिक तरीके शुरू करना, संचार तंत्र का आधुनिकीकरण इत्यादि शामिल हैं।

खनिकों के लिए आत्म रक्षा किट

667. **श्री हाराधन राय :**

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड खान के अंदर गैस रिसाव की स्थिति का मुकाबला करने हेतु खनिकों को आत्म रक्षा किट उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) ईस्टर्न कोल फील्डस लि. की कुछ कोलियारियों में जहां कि खनिकों द्वारा भूमिगत कार्य किया जाना अपेक्षित है, आत्मरक्षा उपकरणों को मुहैया कराया गया है। आत्म रक्षा उपकरणों के प्रयोग तथा व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावी नहीं किया जा सका, चूंकि उपकरणों की देशीय रूप में उपलब्धता अपर्याप्त थी और इसके अलावा कामगार भूमिगत खानों में अपने साथ आत्म रक्षा के उपकरणों को साथ ले जाने में आना–कानी करते थे।

(ग) देश में ही तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से दोनों ही स्रोतों से आत्म रक्षा उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई है। कामगारों को भी, जहां कहीं भी आत्म रक्षा, उपकरण मुहैया किए जाते हैं; सुरक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपने साथ आत्म रक्षा वाले उपकरणों को साथ ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जीवन रक्षक औषधियों की कमी

668. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधियों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में क्या उपाय किए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू व कश्मीर में भूमि खरीदने के लिए अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन

669. **श्री नीतिश कुमार** :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों को जम्मू व कश्मीर में भूमि खरीदने और आवास उद्योग में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है जैसा कि दिनांक 5 जुलाई, 1994 के आबजर्वर में प्रकाशित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें दिये जाने के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य नागरिकों को भी इन प्रोत्साहनों के आधार पर राज्य में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने का है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ड) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

भूमिगत पानी का विकास

670. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में भूमिगत जल के विकास के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए सरकार द्वारा कितनी धन राशि निर्धारित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) भूजल के विकास के लिए लघु सिंचाई योजनाओं की आयोजना, वित्त–पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के बजट संबंधी संसाधनों से किया जाता है और उसका ब्यौरा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

सिंचाई योजनाएं

91-95

671. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री छेदी पासवान :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास बिहार की कुछ सिंचाई योजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो उनके अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये योजनाएं कब से लंबित है, और

(घ) केन्द्र सरकार ने इन योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (लागत : करोड़ रू.)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5
क.	**टिप्पणियों के अध्यधीन परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई परियोजनाएं**			
	वृहद			
1.	सोन नहर आधुनिकीकरण	235.93	1/92	विचार किया गया और नवम्बर, 93 में स्वीकार्य पाई गई राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करनी है।
2.	सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना	1428.82	7/89	विचार किया गया और दिसम्बर, 1992 में स्वीकार्य पाई गई। राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से क्रमशः पर्यावरण पहलुओं और पुर्नस्थापना व पुनर्वास योजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है।
3.	सिकतिया बराज	133.11	1/88	विचार किया गया और अगस्त, 88 में स्वीकार्य पाई गई। राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है।
4.	उत्तरी कोइल जलाशय	475.00	3/86	विचार किया गया और सितम्बर, 1989 में स्वीकार्य पाई गई राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।

1	2	3	4	5
	मझौली			
5.	कुन्दघाट जलाशय	5.61	11/82	विचार किया गया और अगस्त, 1988 में स्वीकार्य पाई गई बशर्ते राज्य सरकार द्वारा योजना में शामिल करने हेतु बाढ़ डिजाइन को अन्तिम रूप दे दिया जाये।
ख.	**परियोजनाएं जिनका तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया गया किंतु परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार-विमर्श स्थगित कर दिया गया।**			
	वृहद			
1.	तिलैया धाधर	121.33	12/81	अंतर्राज्यीय मामलों के कारण मार्च, 1983 में आस्थगित की गई। जुलाई, 1992 की अंतर्राज्यीय बैठक के पश्चात्, बिहार को अद्यतन अनुमान सहित संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
2.	कोनार व्यपवर्तन	252.97	4/82	अंतर्राज्यीय मामलों के कारण मार्च, 1984 में आस्थगित की गई। जुलाई, 1992 की अंतर्राज्यीय बैठक के पश्चात् बिहार को अद्यतन अनुमान सहित संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
ग.	**अन्य परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति**			
	वृहद			
1.	जमानिया पम्प नहर	108.66	11/90	उत्तर प्रदेश सीमा क्षेत्र में नहर के संरेखण और करमनासा नदी की क्रासिंग से संबंधित मामलों का समाधान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। सिंचाई आयोजना पहलू और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्वीकृति प्राप्त करनी है।

1	2	3	4	5
2	कोसी फेज-II	114.78**	12/90	राज्य सरकार द्वारा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की टिप्पणियां, इंजीनियरिंग की लागत, सिंचाई योजना और जलनिकास पहलुओं की अनुपालना की जानी है।
3.	गंडक फेज-II	770.67**	12/90	राज्य सरकार को गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की टिप्पणियों इंजीनियरिंग लागत, सिंचाई आयोजना, निर्माण मशीनरी और जल निकास पहलुओं की अनुपालना करनी है।
4.	पुनासी जलाशय	173.04**	6/92	राज्य सरकार को अद्यतन अनुमान तैयार करना और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है।
5.	बुरई जलाशय	112.50	12/90	राज्य सरकार की सिंचाई, आयोजना और लागत पहलुओं पर टिप्पणियों की अनुपालना करनी है और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है।
6.	सुखसेनघाट पम्प नहर	20.62	10/89	राज्य सरकार को टिप्पणियों की अनुपालना करनी है और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है।
7.	पुनपुन–मोरहर–वरघा	68.92	1/92	परियोजना फरवरी, 1992 में लौटा दी गई थी संशोधित रिपोर्ट दिसम्बर, 1993 में प्राप्त हुई थी और विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार को टिप्पणियां भेजी गई।

** जल निकास समेत कुल लागत

1	2	3	4	5
	मझौली			
1.	कत्री	27.04	8/90	दिसम्बर, 1983 में परामर्शदात्री समिति द्वारा पहले विचार किया गया था और टिप्पणियों की अनुपालना के अधीन 7.18 करोड़ रूपये की लागत पर स्वीकृत की गई।

टिप्पण : परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना और जहां आवश्यक हो पर्यावरणीय और वन स्वीकृति प्राप्त करती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय परियोजना निगम लिमिटेड

672. **श्री शांताराम पोटदुखे** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निगम लिमिटेड का नवीकरण करने और इसे अर्थक्षम बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) अगस्त, 1992 में हुई अन्तर मंत्रालीय बैठक में किए गए अनुमोदन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की पुनरूद्धार योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा व्यवहार्य नहीं पाया गया है। कृषि संबंधी स्थायी समिति ने राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम का नवीकरण करने तथा इसे अर्थक्षम बनाने की सिफारिश की है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोग उन्मूलन

673. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस समय कितने कुष्ठ रोगी है;

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन किया गया; और

(घ) सरकार ने इस रोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) कुष्ठ रोगियों की संख्या कम हुई है। रोगियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान स्वीकृत परिव्यय इस प्रकार है।

वर्ष	लाख रूपये
1992-93	3500
1993-94	6070

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए नवीनतम कदमों में आम बातों के साथ–साथ वर्तमान वर्ष के अंत तक सभी जिलों में बहु–औषध चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करना, सामुदायिक जागरूकता कार्यकलापों को तेज करना और विरूपता और व्रण परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करना भी शामिल है।

विवरण

राज्यवार और वर्षवार दर्ज कुष्ठ रोगियों की संख्या।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या (1991)	1991-92	1992-93	1993-94
			3/92 को दर्ज रोगी	3/93 को दर्ज रोगी	3/94 को दर्ज रोगी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	663.00	155238	105710	75894
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.58	1207	1124	1068
3.	असम	222.94	18589	17500	15395
4.	बिहार	863.38	353514	202829	180582
5.	गोवा	11.68	1033	575	508
6.	गुजरात	411.74	17874	15265	16627
7.	हरियाणा	163.17	762	610	614
8.	हिमाचल प्रदेश	51.11	3857	3653	2847
9.	जम्मू व कश्मीर	77.18	6317	3605	3807
10.	कर्नाटक	448.17	35595	30760	24581
11.	केरल	290.11	39143	21328	16093
12.	मध्य प्रदेश	661.35	151488	135957	80023
13.	महाराष्ट्र	787.16	118870	95435	80155
14.	मणिपुर	18.26	1337	1411	1356
15.	मेघालय	17.61	1391	1372	1340
16.	मिजोरम	6.86	257	232	186
17.	नागालैंड	12.15	2138	2153	2175
18.	उड़ीसा	315.12	144536	88972	69947
19.	पंजाब	201.90	3186	1106	1311
20.	राजस्थान	438.89	15261	8108	7067
21.	सिक्किम	4.03	375	227	167
22.	तमिलनाडु	556.38	118179	47269	54389

1	2	3	4	5	6
23.	त्रिपुरा	27.44	1655	1600	1209
24.	उत्तर प्रदेश	1387.60	272059	192555	150367
25.	पश्चिमी बंगाल	679.82	181444	154403	147039
26.	अ. नि. द्वीप समूह	2.77	703	322	222
27.	चंडीगढ़	6.40	1121	90	103
28.	दा. व न. हवेली	1.01	343	256	232
29.	दमन व द्वीव	1.38	242	241	183
30.	दिल्ली	93.70	3476	4691	6713
31.	लक्षद्वीप	0.51	73	73	65
32.	पांडिचेरी	7.89	1734	1446	590
	योग	8439.29	1673015	116787	942755

विदेशियों के प्रवेश की वैधानिक प्रक्रिया

674. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशियों को भारत में प्रवेश और आश्रय देने के लिए अपनायी गई वैधानिक प्रक्रिया में कोई संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

एच. आई. वी. परीक्षण किट

675. **श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से सप्लाई किये गये कुछ अनप्रयुक्त एच. आई. वी. परीक्षण किट हाल ही में वापस कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रक्त के नमूनों की एच. आई. वी. जांच के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया हेतु सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा–निर्देश पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में नये और कड़े दिशा–निर्देश जारी करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) जी हां।

(ख) ये टेस्ट किटों के बैच की विशिष्टता के बारे में कुछ सन्देहों को देखते हुए वापस कर दिये गये थे।

(ग) जी हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

99

जल संसाधनों की खोज

676. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने जल संसाधनों की खोज करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग ने भारत को जल संसाधन क्षमता के पुनः आकलन पर एक रिपोर्ट मार्च, 1993 में प्रकाशित की है, जो जनवरी, 1989 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। देश की कुल औसत जल संसाधन क्षमता का पुनः आकलन 1869 घन कि.मी. लगाया गया है। चूंकि नदी थाला अथवा उप–थाला जल संसाधनों की आयोजना और विकास हेतु एक जलवैज्ञानिक यूनिट है, अतः जल संसाधनों की उपलब्धता केवल थाला/उप–थाला के आधार पर संगणित की जाती है। जल संसाधनों की उपलब्धता के राज्य–वार ब्यौरे संगणित नहीं किए जाते हैं।

[अनुवाद]

99-105

जम्मू और कश्मीर में धन का कथित दुर्विनियोग

677. **श्री ए. अशोकराज** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 मई, 1994 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विकास कार्यों के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को नियमित भारी धन राशि का कथित रूप से दुर्विनियोग कर लिया गया है:

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का उसका ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है :

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम मिला :

(ङ) कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई: और

(च) ऐसे मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) राज्य सरकार के कुछ

अधिकारियों के उग्रवादियों के साथ कथित रूप से लिप्त होने/सांठ–गांठ होने तथा राज्य में विकास गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि का दुरूप्रयोग करने के बारे में समय–समय पर रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। तथापि, ऐसी धन राशि के बारे में किसी प्रकार के आंकड़े देना अथवा अनुमान लगाना संभव नहीं है और न ही व्यावरिक है, जिसका कथित रूप से दुरूप्रयोग किया गया हो।

(ग) से (च) ऐसे आरोपों की आर–पार जांच करने के लिए किसी समिति को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। जब कभी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती है तो सर्तकता विभाग द्वारा जांच सहित, उचित रूप से जांच–पड़ताल की जाती है। राज्य सरकारों को सतर्कता विभाग की गतिविधियों को और अधिक मजबूत करने और तेज करने की सलाह दी गई है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को अपनी चिन्ता से अवगत करा दिया है और कहा है कि कार्यो के निकट प्रबोधन तथा पर्यवेक्षण के माध्यम से और जवाबदेही बढ़ाकर धन का सही उपयोग सुनिश्चित करें।

[हिन्दी]

पुलिस हिरासत में हुई मौतें

678. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में चालू वर्ष के दौरान अब तक पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने मामलों की जानकारी मिली है :

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है :

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले :

(घ) कितने पुलिस कर्मी दोषी पाए गए और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ड.) अदालत ने पुलिस की कितने मामलों में निन्दा की है ; और

(च) ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने सूचित किया है कि 01 जनवरी, 1994 से 31 मई, 1994 तक की अवधि के दौरान किसी भी संघ शासित क्षेत्र में पुलिस हिरासत में मृत्यु होने की कोई घटना सूचित नहीं की गयी।

(ख) से (ड.) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस आशय के अनुदेशों को दोहराया गया है कि पुलिस हिरासत में व्यक्तियों के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाए तथा अवपोड़क तरीकों का सहारा न लिया जाए। जब भी किसी पुलिस अधिकारी को अवपोडक तरीके अपनाने तथा पुलिस हिरासत में हुई किसी मृत्यु के लिए दोषी पाया जाता है तो आपराधिक मुकदमे सहित कड़ी कार्रवाई की जाती है।

जांच–पड़ताल के वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग के लिए पुलिस अधिकारियों को सग्राही बनाने के लिए "इन्डवरान" और "इन–सर्विस" प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए है।

पूछताछ करने के कमरों को पुर्न–स्थापित किया जा रहा है ताकि वे अधिक दृष्टिगोचर हो

सकें और वे रिर्पोटिंग कमरों के नजदीक हों ताकि इन अंनुदेशों के उल्लघंन की गुंजाइश कम हो सके।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

679. **श्री एम. कृष्ण स्वामी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि दी गई ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कोई निगरानी रखी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तमिलनाडु में मलेरिया उन्मूलन में कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षो के दौरान, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु को निम्न प्रकार केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई :–

वर्ष	रूपये (लाख में)
1991-92	13.78
1992-93	194.04
1993-94	94.90

(ग) जी, हां। इसे राज्य सरकारों के सहयोग से महामारी विज्ञान संबंधी आंकड़ों, फील्ड दौरों तथा समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से, आरम्भ किया गया है।

(घ) निगरानी के उपायों में वृद्धि हो गयी है।

विगत तीन वर्षो के दौरान हुई प्रगति निम्नवत है :–

वर्ष	जांच किया गया रक्त (हजार में)	मलेरिया के मामले	पी०एफ० के मामले
1991	5188	144762	12193
1992	6017	151633	12112
1993	6347	147602	8932

संरचनात्मक कार्यक्रमों का प्रसारण

680. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने "राज्यों के क्रियाकलाप" शीर्षक के अंतर्गत राज्यों की स्थिति पर केन्द्रित संरचनात्मक कार्यक्रम प्रसारित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं और इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए कौन सा समय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सभी राज्यों के क्रियाकलाप प्रतिदिन अथवा वैकल्पिक दिनों में प्रसारित करने का विचार है ;

(घ) क्या इस कार्यक्रम को प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रतिदिन प्रसारित करने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। यह एक साप्ताहिक समसामयिक विषयों से संबंधित कार्यक्रम है। प्रत्येक प्रकरण किसी एक राज्य–विशेष की प्रमुख समस्याओं पर केंद्रित होगा। यह आधे घण्टे का कार्यक्रम प्रत्येक बृहस्पतिवार को रात्रि 10.30 बजे प्रसारित किया जाता है।

(ग) यह साप्ताहिक कार्यक्रम प्रथमतः सभी प्रमुख राज्यों को कवर करेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

102

विस्मृति दोष के लिए औषधि

681. **श्री रवि राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के आयुर्विज्ञान संस्थान के साइकोसोमेटिक एंड बायोफीड बैंक मेडिसीन केन्द्र में चिकित्सकों के एक दल ने विस्मृति दोष की रोकथाम तथा उसके उपचार हेतु एक औषधि की खोज की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस औषधि को प्रचलन में लाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी. सिल्वेरा) : (क) स्मरण दोष की रोकथाम तथा प्रबंधन के लिए ऐसी औषध का नैदानिक परीक्षण करने के लिए कोई आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

103

कोयला खनन

682. **श्री मंजय लाल** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम्पनी बार कितनी कोयला खानों में खनन कार्य आरम्भ किया जायेगा;

(ख) क्या सरकार का विचार कोयले की सभी नए खानें निजी क्षेत्र को पट्टे पर सौपनें का है ; और

(ग) यदि हां, तो इन खानों को सौंपने के लिए क्या मानदंड निश्चित किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) विद्यमान खानों तथा चालू परियोजनाओं के अलावा, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकसित किए जाने के लिए 108 नई कोयला खनन परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है। इस संबंध में कंपनी–वार ब्यौरा नीचे दिया गया हैं :–

कंपनी	परियोजना की संख्या
ईस्टर्न कोलफ़ील्ड्स लि०	15
भारत कोकिंग कोल लि०	9
महानदी कोलफील्ड्स लि०	5
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	5
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	8
सैंट्रल कोलफील्ड्स लि०	26
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	32
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०	8
जोड़	108

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकार का सभी नई कोयला खानों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देने का कोई विचार नहीं है। यद्यपि कोयला खान राष्ट्रीयकरण (अधिनियम, 1973) को 9.6.1993 को संशोधित कर दिया गया है ताकि कोयला खनन क्रियाकलापों में ग्रहीत उपभोग के लिए विद्युत के उत्पादन के लिए लौह तथा इस्पात का उत्पादन, वाशरी प्रचालन तथा अन्य अंतिम उपयोगों, जोकि सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी जा सके। इस संशोधन को किए जाने के बाद प्राप्त हुए प्रस्तावों पर इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा जांच की जाती है।

[अनुवाद]

गर्भपात की गोली

683. **श्री भैरूलाल मीणा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1994 के "टाइम्स आफ इंडिया" में 'एक्सपर्ट्स गर्न आन एबोरशन पिल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सकरार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट को देख लिया है।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ–साथ आर यू 486 की अभी जांच की जा रही है। यह परिकल्पना नहीं की गई है कि आर यू 486 जैसी औषधों का प्रयोग चिकित्सीय देखरेख के बिना प्रति गर्भस्त्रावक पर किया जाएगा।

जम्मू और कश्मीर में नष्ट हुई संपत्ति

684. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री बापू हरि चौरे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कितने स्कूलों, पुलों/सड़कों और सरकारी भवनों को नष्ट किया गया/हानि पहुंचाई गई;

(ख) ऐसे कितने स्कूलों, पुलों/सड़कों और भवनों की अब तक मरम्मत/पुनर्निर्माण किया गया है; और

(ग) इस मरम्मत/पुनर्निर्माण पर कितना व्यय हुआ?

गृह मंत्रालय में राज्य/मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चिकित्सा उपकरणों की खरीद

685. **डा. अमृत लाल कालिदास पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के अनेक मेडिकल कालेजों ने केन्द्र सरकार से चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए धन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) कुछ संस्थानों ने जिनमे चिकित्सा कालेज शामिल हैं, चिकित्सा उपकरणों हेतु समय समय पर सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है। फिर भी ऐसे अनुरोधों पर विचार करना संभव नहीं पाया गया क्योंकि ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

सागर अपरदन

686. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक समुद्र तटवर्ती राज्य को सागर अपरदन रोकने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य ने कुल कितनी धनराशि खर्च की ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. धुंगन) : (क) तटवर्ती राज्यों को पिछले तीन वर्षो के दौरान समुद्री कटाव के नियंत्रण हेतु प्रदान की गई केन्द्रीय ऋण सहायता निम्नलिखित है :

(करोड़ रूपये में)

	केरल	कर्नाटक	अन्य राज्य
1991-92	3.07	0.93	0
1992-93	0	0	0
1993-94	0	0	0

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा व्यय की गई कुल राशि निम्न अनुसार है:

(करोड़ रूपये में)

	केरल	कर्नाटक	अन्य राज्य
1991-92	12.27	13.08*	उपलब्ध नहीं
1992-93	9.54	5.00*	उपलब्ध नहीं
1993-94	9.00	10.00*	उपलब्ध नहीं
	(प्रत्याशित)	(अनुमोदित परिव्यय)	

टिप्पण : * इसमे बाढ़ नियंत्रण और समुद्र कटावरोधी कार्य शामिल है।

आरक्षण के संबंध में बैठक

687. **श्री मनोरंजन भक्त :**

प्रो. के. वी. थामस :

श्री हरीश नारायण प्रभुझाट्ये :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आरक्षण के कोटे के संबंध में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का उत्थान

688. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उत्थान हेतु केन्द्र सरकान ने राज्यवार/केन्द्रीय क्षेत्र राज्य–वार कितनी राशि आबंटित की है;

(ख) क्या इस आबंटित राशि का पूरी तरह उपयोग हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान देश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरणों I से XIV में दी गई है।

(ख) और (ग) अधिकारियों द्वारा मंत्रालय की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा से यह पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर निष्पादन औसतन संतोषजनक है विशेष संघटक योजना की विशेष केन्द्रीय सहायता, सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास, मैट्रिकोल छात्रवृत्तियां तथा राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों जैसी कुछ योजनाओं के संबंध में कुछ राज्यों में व्यय न की गई केन्द्रीय निधियां पड़ी है। उन्हें सलाह दी गई है कि उपरोक्त योजनाओं के बारे में व्यय न की गई केन्द्रीय निधियों का शीघ्रता पूर्वक उपयोग किया जाए।

(घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता जैसी कुछ योजनाओं के अंतर्गत परिव्यय बढ़ाया गया है। मानिटरिंग पद्धति सुदृढ़ की जा रही है ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्रीय निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। आठवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाएं चलाई जा रही है। जिनका उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा सामाजिक आर्थिक उन्नयन करना है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष संघटक योजनाओं/आदिवासी उपयोजनाओं का लक्षित लाभग्राहियों के विकास के लिए उपयोग भी किया जाता है।

विवरण-I

1991-92 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त की गई निधियां

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मैट्रिकोत्तर छात्र वृत्तियां	मैट्रिक पूर्व वृत्तियां	पुस्तक बैंक	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं	ना.अ.सं.अ. तथा अत्याचार निवारण अधिनियम का कार्यान्वयन	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा पुनर्वास	एस सी/डी सी	एस सी ए	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	480.63	77.01	12.59	150.00	270.42	23.58	90.20	200.00	682.63	2117.72	—
2.	असम	17.50	13.00	0.33	7.00	7.00	0.57	—	12.50	171.02	190.83	—
3.	गुजरात	291.27	25.47	1.58	11.88	60.66	4.38	33.21	250.00	56.69	666.64	—
4.	बिहार	102.56	20.16	7.50	72.98	311.96	7.50	16.50	350.00	76.89	2197.38	—
5.	हरियाणा	31.68	12.92	1.27	—	-	8.24	1.85	50.00	57.65	537.60	1.52
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	0.45	—	—	1.29	1.30	60.00	34.30	203.07	0.50
7.	जम्मू और कश्मीर	0.77	—	0.77	5.00	5.00	2.00	—	2.50	82.08	79.82	—
8.	कर्नाटक	223.96	1.00	4.49	85.94	143.05	2.07	149.63	175.00	99.00	1485.72	—
9.	केरल	109.73	11.39	5.92	20.00	10.00	1.46	13.70	25.00	115.18	381.90	—
10.	मध्य प्रदेश	377.84	98.74	1.95	207.26	—	20.69	89.44	400.00	89.29	1705.34	—
11.	महाराष्ट्र	350.79	14.72	2.00	16.18	24.35	1.00	1.54	370.00	51.83	1316.13	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	मणिपुर	23.08	—	1.00	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—
13.	मेघालय	0.62	—	—	—	—	0.25	—	2.50	—	—	—
14.	नागालैंड	102.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	55.30	1.31	1.00	25.00	15.00	0.58	3.65	350.00	23.41	1020.78	—
16.	पंजाब	29.44	20.27	0.60	1.00	1.50	1.74	9.38	350.00	163.20	625.94	—
17.	राजस्थान	264.77	35.69	1.00	3.57	7.58	15.27	—	475.00	35.42	1150.44	4.74
18.	सिक्किम	0.7	—	—	8.56	8.56	—	—	—	—	2.86	—
19.	तमिलनाडु	263.32	5.16	9.60	32.47	40.44	4.00	43.69	500.00	97.99	1778.80	—
20.	त्रिपुरा	45.44	9.42	0.80	4.00	4.90	2.96	—	—	24.00	42.82	0.54
21.	उत्तर प्रदेश	700.00	49.79	2.00	51.35	75.83	9.01	128.08	800.00	428.14	4844.77	11.40
22.	पश्चिम बंगाल	7.04	3.73	0.28	25.11	13.93	0.63	3.9	200.00	384.04	2382.02	—
23.	चंडीगढ़	—	0.30	0.30	—	—	—	—	—	26.68	9.23	—
24.	दादर एवं नगर हवेली	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	दिल्ली	11.00	—	—	—	—	1.07	—	375.00	0.25	134.36	—
26.	गोवा	0.01	—	0.05	—	—	0.82	—	—	—	2.61	—
27.	पांडिचेरी	3.78	—	0.60	20.22	1.00	—	9.41	2.50	27.48	12.90	—
28.	दमन और दीव	0.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	गुवाहटी प्रोजेक्ट	5.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	3500.00	400.00	56.23	748.67	1002.43	104.21	509.41	5050.00	2817.04	22896.22	18.76

विवरण-II

1992-93 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त की गई निधियां (रूपये लाखों में)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मैट्रिकोत्तर छात्र वृत्तियां	मैट्रिक पूर्व छात्र– वृत्तियां	पुस्तक बैंक	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं का	ना.अ.स.अ. तथा अत्याचार निवारण अधि– नियम का कार्यान्वयन	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा पुनर्वास	अनुसूचित जाति विकास निगम	एस सी ए	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	636.06	20.31	2.00	102.75	32.15	16.58	46.50	255.00	409.00	193761	0.97
2.	असम	218.98	—	0.30	—	—	0.50	—	202.00	22.09	189.44	—
3.	बिहार	799.18	5.98	2.00	25.27	40.79	2.00	15.00	313.00	86.25	2096.54	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	गुजरात	310.87	14.38	0.30	—	—	3.05	78.33	18600	100.07	908.53	—
5.	हरियाणा	63.16	48.54	1.92	3.64	3.64	2.92	6.05	176.00	106.54	398.20	2.90
6.	हिमाचल प्रदेश	0.30	7.63	0.45	—	—	1.00	1.04	253.00	46.63	502.69	1.00
7.	जम्मू व कश्मीर	18.13	—	0.80	8.31	—	0.50	—	100.00	57.65	66.79	—
8.	कर्नाटक	463.87	5.51	5.13	19.24	101.10	11.62	22.35	399.00	107.80	1310.06	4.45
9.	केरल	24.95	4.58	1.00	4.92	4.12	3.08	7.68	30.00	88.87	502.74	—
10.	मध्य प्रदेश	53.81	207.93	24.37	134.52	101.84	3.00	101.00	1336.00	24.00	1839.09	—
11.	महाराष्ट्र	887.84	5.43	3.00	—	—	1.00	35.25	659.00	81.92	1698.92	—
12.	मणिपुर	37.73	—	1.99	0.98	2.51	0.25	—	—	—	7.42	—
13.	मेघालय	34.24	—	—	—	—	0.50	—	—	—	—	—
14.	नागालैंड	120.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	56.21	5.32	0.30	40.00	30.00	1.50	2.00	58.60	31.22	1323.38	—
16.	पंजाब	19.49	105.13	0.10	—	2.50	2.38	12.00	58.00	252.96	625.32	—
17.	राजस्थान	241.92	68.24	2.50	—	—	16.12	49.03	101.00	19.22	1162.90	4.11
18.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.21	—
19.	तमिलनाडु	458.30	19.94	1.50	80.88	60.66	2.00	90.61	80.00	122.44	1911.34	—
20.	त्रिपुरा	42.15	12.55	0.99	—	—	0.90	—	—	10.60	57.38	1.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	उत्तर प्रदेश	700.00	78.53	11.49	76.36	101.10	3.00	66.00	1494.00	211.93	5495.07	5.35
22.	पश्चिम बंगाल	146.40	1.44	0.50	36.13	19.60	0.50	4.41	363.00	288.24	2669.54	—
23.	चंडीगढ़	—	—	1.50	—	—	—	—	—	4.80	9.44	—
24.	दादर एवं नगर हवेली	1.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	दिल्ली	6.30	25.28	4.26	—	—	3.00	—	5.00	48.04	148.60	—
26.	गोवा	0.44	—	0.32	—	—	0.15	—	—	—	—	—
27.	पांडिचेरी	7.91	—	0.60	—	—	—	11.75	5.00	—	13.15	—
28.	दमन और दीव	1.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	मिजोरम	62.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.15	1.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.69
	कुल	5414.74	638.67	67.32	533.00	500.00	75.95	550.00	6073.00	2200.27	24880.00	22.04

विवरण-III

1993-94 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त की गई निधियां

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मैट्रिकोत्तर छात्र वृत्तियां	मैट्रिक पूर्व छात्र– वृत्तियां	पुस्तक बैंक	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं	ना.अ.सं.अ. तथा अत्याचार निवारण नियम का कार्यान्वयन	सफाई कर्मचारियों अधि– की मुक्ति तथा पुनर्वास	अनुसूचित जाति विकास निगम	एस सी ए	अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित के छात्रों की योग्यता का उन्नयन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	1077.365	83.68	70.50	310.30	181.90	3.00	91.02	459.00	875.52	2416.06	—
2.	असम	—	—	5.78	—	—	0.50	—	—	22.10	220.51	—
3.	बिहार	590.144	65.80	9.91	40.44	70.77	8.56	26.50	—	113.52	2327.11	—
4.	गुजरात	357.951	14.57	0.05	15.05	39.50	5.53	92.74	200.00	96.07	796.82	—
5.	हरियाणा	68.00	14.56	5.84	—	—	3.56	5.21	714.00	164.31	424.53	2.90
6	हिमाचल प्रदेश	3.272	4.40	0.60	—	—	1.00	1.00	—	53.43	699.54	1.10
7.	जम्मू व कश्मीर	33.754	—	0.13	—	0.14	0.50	—	—	61.00	76.33	—
8.	कर्नाटक	1077.436	1.86	4.87	3.09	108.68	1.00	148.86	—	212.35	1282.71	—
9.	केरल	106.764	1.90	13.67	25.02	6.95	6.96	19.99	—	124.20	402.84	—
10.	मध्य प्रदेश	474.76	168.96	36.90	0.64	—	3.00	16.75	1226.00	57.65	2803.81	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	महाराष्ट्र	1240.04	20.03	20.49	56.43	68.24	1.00	96.14	378.00	138.16	1562.79	—
12.	मणिपुर	59.47	—	0.72	2.32	2.03	0.25	—	—	—	5.56	—
13.	मेघालय	74.279	—	—	—	—	0.50	—	—	—	—	—
14.	नागालैंड	60.00	—	—	—	—	0.60	—	11.00	—	—	—
15.	उड़ीसा	385.74	6.00	8.86	38.76	34.00	1.50	2.00	119.00	59.22	1075.66	3.92
16.	पंजाब	120.878	32.97	2.65	1.00	2.56	1.00	13.40	—	14.13	875.92	—
17.	राजस्थान	348.02	30.08	10.00	5.05	2.52	22.94	51.00	227.00	18.60	1829.89	5.85
18.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.06	—
19.	तमिलनाडु	736.98	7.32	29.48	50.55	33.62	2.00	69.26	—	318.50	1879.11	—
20.	त्रिपुरा	54.944	12.70	1.02	1.67	5.00	6.39	—	—	9.60	58.85	—
21.	उत्तर प्रदेश	350.00	80.33	103.09	15.77	60.65	3.00	49.59	3763.00	238.77	5933.29	—
22.	पश्चिम बंगाल	773.20	3.01	2.98	33.86	32.36	0.50	4.40	—	206.56	2322.75	—
23.	चंडीगढ़	—	—	0.25	—	—	—	—	—	4.80	12.39	—
24.	दादर एवं नगर हवेली	3.13	—	—	—	—	—	5.00	—	*17.75	—	—
25.	दिल्ली	12.60	2.49	—	—	3.00	—	—	—	57.65	184.76	—
26.	गोवा	1.46	—	0.25	—	—	—	0.05	—	49.96	2.86	—
27.	पांडिचेरी	10.56	—	1.17	—	—	—	13.14	—	21.13	14.81	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	दमन और दीव	2.562	—	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	मिजोरम	164.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.30	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	0.12	—	—	—	—	1.37
	कुल	8176.359	561.10	332.08	599.95	658.87	76.41	706.15	7097.00	2934.63	27211.98	15.14

विवरण IV

आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

(रूपये लाखों में)

क्रं.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	1529.34	1529.34	1593.22
2.	असम	1077.61	1077.61	1087.57
3.	बिहार	3211.19	3175.25	3497.39
4.	गुजरात	1870.90	1855.84	2234.77
5.	हिमाचल प्रदेश	421.71	403.39	755.03
6.	जम्मू और कश्मीर	245.98	296.14	518.60
7.	कर्नाटक	253.24	327.42	439.76
8.	केरल	133.27	207.23	167.25
9.	मध्य प्रदेश	6835.01	6785.01	8117.65
10.	महाराष्ट्र	1825.21	1815.21	2234.35
11.	मणिपुर	388.40	383.41	417.12
12.	उड़ीसा	3298.65	3378.83	3603.23
13.	राजस्थान	1679.23	1679.46	2664.68
14.	सिक्किम	60.93	60.93	73.67
15.	तमिलनाडु	281.77	270.72	214.05
16.	त्रिपुरा	430.35	414.94	372.37
17.	उत्तर प्रदेश	58.40	58.40	69.22
18.	प० बंगाल	1271.66	1171.67	1319.06
19.	अं नि. द्वीप समूह	99.00	86.13	77.22
20.3	दमन और द्वीव	11.00	23.87	28.29
	कुल	24982.85	25000.00	29484.54

विवरण V

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम चरण में सहायता

(रू० लाख में)

क्र.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	117.99	233.22	437.25
2.	असम	81.21	160.80	301.50
3.	बिहार	215.85	427.20	801.00
4.	गुजरात	180.12	356.40	668.25
5.	हिमाचल प्रदेश	7.32	14.40	27.00
6.	जम्मू और कश्मीर	6.84	56.40	105.75
7.	कर्नाटक	67.80	133.98	251.25
8.	केरल	9.69	19.20	36.00
9.	मध्य प्रदेश	445.24	880.80	1651.50
10.	महाराष्ट्र	214.38	423.96	795.00
11.	मणिपुर	14.40	28.38	53.25
12.	उड़ीसा	219.70	434.78	815.25
13.	राजस्थान	155.37	307.66	576.75
14.	सिक्किम	2.70	5.22	9.75
15.	तमिलनाडु	19.32	38.40	72.00
16.	त्रिपुरा	21.69	42.78	80.25
17.	उत्तर प्रदेश	8.64	17.22	32.25
18.	प० बंगाल	114.06	225.60	423.00
19.	अरूणाचल प्रदेश	16.38	32.40	60.75
20.	मेघालय	39.96	79.20	148.50
21.	मिजोरम	17.16	34.02	63.75
22.	नागालैंड	24.18	48.00	90.00
	कुल	2000.00	400.00	7500.00

विवरण-VI

स्वयंसेवी संगठन

(रू० लाख में)

क्र.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	3.01	2.98	10.74
2.	असम	27.06	20.81	20.65
3.	बिहार	10.80	23.36	31.64
4.	गुजरात	0.48	2.79	4.33
5.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
6.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
7.	कर्नाटक	0.15	10.45	19.44
8.	केरल	15.12	18.63	19.70
9.	मध्य प्रदेश	0.98	7.91	15.86
10.	महाराष्ट्र	17.74	35.54	42.63
11.	मणिपुर	21.57	18.71	1.05
12.	उड़ीसा	4.29	22.88	43.38
13.	राजस्थान	9.45	10.97	10.49
14.	सिक्किम	—	—	—
15.	तमिलनाडु	3.63	9.17	12.20
16.	त्रिपुरा	—	7.25	—
17.	उत्तर प्रदेश	1.22	1.96	1.28
18.	प० बंगाल	20.48	23.44	14.74
19.	अ. नि. द्वीप समूह	—	—	—
20.	दमन और द्वीव	—	—	—
21.	अरूणाचल प्रदेश	33.41	57.93	71.89
22.	मेघालय	31.27	34.58	52.34
23.	नागालैंड	1.31	1.15	1.08
24.	दिल्ली	47.60	44.45	29.80
	कुल	249.57	354.96	403.24

विवरण-VII

लघु वन उत्पाद प्रचालनों के लिए राज्य आदिवासी सहकारी निगम

(रू० लाख में)

क्रं.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	—	10.00	25.00
2.	बिहार	—	50.00	—
3.	केरल	—	—	41.00
4.	मध्य प्रदेश	—	51.00	60.00
5.	महाराष्ट्र	—	24.00	53.00
6.	मणिपुर	—	—	10.00
7.	उड़ीसा	—	—	50.00
8.	राजस्थान	—	30.00	61.40
9.	त्रिपुरा	—	—	35.00
10.	प० बंगाल	—	35.00	—
11.	मेघालय	—	—	15.00
	कुल	—	200.00	352.40

* 1992-93 के दौरान आरम्भ की गई योजना

विवरण-VIII

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल

(रू० लाख में)

क्रं.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	31.305	—	53.11
2.	असम	16.00	16.38	—
3.	बिहार	68.82	—	—
4.	गुजरात	30.13	18.21	19.51
5.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
6.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
7.	कर्नाटक	6.125	—	—
8.	केरल	1.00	21.42	20.00

9.	मध्य प्रदेश	—	83.06	27.03
10.	महाराष्ट्र	32.50	—	—
11.	मणिपुर	7.82	—	10.11
12.	उड़ीसा	37.427	35.58	77.24
13.	राजस्थान	36.75	24.50	12.25
14.	सिक्किम	—	—	—
15.	तमिलनाडु	12.25	6.12	—
16.	त्रिपुरा	4.96	8.00	7.31
17.	उत्तर प्रदेश	—	6.12	3.65
18.	प० बंगाल	14.03	30.60	23.74
19.	अ. नि. द्वीप समूह	—	—	—
20.	दमन और द्वीव	—	—	—
21.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
22.	मेघालय	—	—	9.80
23.	मिजोरम	6.125	—	—
24.	नागालैंड	—	—	—
25.	दादर और नगर हवेली	0.48	—	—
26.	लक्षद्वीप	—	—	—
	कुल	305.722	209.99	263.75

विवरण-IX

अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल

(रू० लाख में)

क्र.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	49.00	—	30.75
2.	असम	16.00	16.00	—
3.	बिहार	—	—	—
4.	गुजरात	17.16	23.00	39.23
5.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—

6.	जम्मू और कश्मीर	—	—	5.97
7.	कर्नाटक	—	—	—
8.	केरल	23.58	15.87	20.00
9.	मध्य प्रदेश	35.00	63.74	39.28
10.	महाराष्ट्र	39.75	—	—
11.	मणिपुर	1.37	—	10.11
12.	उड़ीसा	10.98	30.00	29.40
13.	राजस्थान	—	10.11	36.75
14.	सिक्किम	—	—	—
15.	तमिलनाडु	7.58	6.74	—
16.	त्रिपुरा	15.00	18.38	18.37
17.	उत्तर प्रदेश	—	15.16	3.65
18.	पंश्चिम बंगाल	14.94	24.26	26.41
19.	अ. नि. द्वीप समूह	—	—	—
20.	दमन और द्वीव	—	—	—
21.	अरूणाचल प्रदेश	28.175	—	—
22.	मेघालय	—	—	9.80
23.	मिजोरम	6.125	—	—
24.	नागालैंड	—	—	—
25.	दादर और नागर हवेली	11.41	43.74	—
26.	लक्षद्वीप	22.05	—	—
	कुल	298.12	267.00	269.72

विवरण-X

आदिवासी उप योजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालय

(रू० लाख में)

क्रं.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	—	35.00	34.50
2.	गुजरात	—	25.00	—
3.	केरल	38.38	39.73	47.10

4.	महाराष्ट्र	190.00	—	69.72
5.	उड़ीसा	20.00	42.00	16.20
6.	तमिलनाडु	—	24.69	34.00
7.	त्रिपुरा	8.00	10.00	10.00
8.	उत्तर प्रदेश	—	23.58	40.68
	कुल	256.38	200.00	252.56

विवरण-XI

आदिवासी क्षेत्रों में व्यावयायिक प्रशिक्षण

(रू० लाख में)

क्र.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	—	14.78	—
2.	गुजरात	—	26.10	3.46
3.	केरल	—	—	14.53
4.	मध्य प्रदेश	—	—	44.34
5.	उड़ीसा	—	—	70.03
6.	राजस्थान	—	—	44.34
7.	तमिलनाडु	—	14.78	4.73
8.	पश्चिम बंगाल	—	29.56	8.57
9.	मिजोरम	—	14.78	—
	कुल	—	100.00	190.00

* योजना 1992-93 के दौरान शुरू हुई।

विवरण-XII

आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता के विकास के लिए निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर

(रू० लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	5.28
2.	गुजरात	—	—	25.32
3.	केरल	—	—	4.93

4.	मध्य प्रदेश	—	—	35.20
5.	महाराष्ट्र	—	—	6.33
6.	उड़ीसा	—	—	31.75
7.	राजस्थान	—	—	16.19
	कुल	—	—	125.00

* योजना 1993-94 के दौरान शुरू हुई

विवरण-XIII

अनुसंधान और प्रशिक्षण

(रू० लाख में)

क्रं.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	5.00	4.81	5.60
2.	असम	16.05	10.70	12.10
3.	बिहार	9.25	9.82	12.71
4.	गुजरात	2.25	2.19	0.55
5.	हिमाचल प्रदेश	0.22	0.31	0.27
6.	कर्नाटक	—	—	0.29
7.	केरल	12.00	8.00	7.85
8.	मध्य प्रदेश	13.20	28.28	23.35
9.	महाराष्ट्र	5.80	11.87	23.75
10.	मणिपुर	10.00	6.60	3.00
11.	उड़ीसा	3.61	3.22	3.73
12.	राजस्थान	5.24	4.58	5.57
13.	तमिलनाडु	11.54	9.44	7.39
14.	उत्तर प्रदेश	5.22	3.46	4.98
15.	पंश्चिम बंगाल	5.48	1.03	0.93
16.	त्रिपुरा	0.14	0.69	0.80
17.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	0.57
	कुल	105.00	105.00	120.00

विवरण-XIV

आदिवासी क्षेत्रों में तेल तथा तेल बीजों का विकास

(रू० लाख में)

क्र.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	50.0	33.48	योजना
2.	बिहार	—	17.39	राज्यों को
3.	मध्य प्रदेश	26.20	26.52	अंतरित
4.	उड़ीसा	40.80	33.04	कर दी गई
5.	पश्चिम बंगाल	33.00	39.57	
	कुल	150.00	150.00	

[अनुवाद]

123

क्षय रोग नियंत्रण हेतु विश्व बैंक की सहायता

689. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने क्षय रोग के रोगियों की संख्या में कमी लाने में भारत की सहायता करने हेतु हाल ही में कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही के वर्षों में क्षय रोग के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या विश्व बैंक की सहायता से क्षय रोग के उपचार में काम आने वाली प्रमुख दवाओं की आपूर्ति होगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) विश्व बैंक 5 राज्यों और 10 शहरों में क्षय रोग नियंत्रण के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) और (च) जी हां। इस परियोजना से संक्रामक और गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए औषधियों की जरूरतें पूरी करने में सहायता मिलने की सम्भावना है।

सरदार सरोवर परियोजना

690. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जापान से सरदार सरोवर परियोजना की रीवरबेड पावर हाऊस के टर्वो–जेनेरेटिंग सेट के निर्माण और आपूर्ति हेतु दूसरे चरण का ऋण जारी करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर जापान की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद ओवरसीज इकोनोमिक कोआपरेशन फंड, जापान द्वारा अभी तक सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत घर के लिए टरबोजनरेटिंग सेटों के निर्माण और आपूर्ति करने के वास्ते दूसरे चरण का ऋण निर्मुक्त नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

भोपाल दूरदर्शन

691. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल दूरदर्शन का उपग्रह के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भोपाल, इन्दौर और रायपुर के अलावा अन्य स्थानों पर स्थापित किये गये दूरदर्शन रिले केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी हां। मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय सेवा को अपलिंक करने के लिए नवम्बर, 1993 के दौरान परिचालित किए गए एक भू–केन्द्र के जरिए भोपाल स्थित दूरदर्शन केन्द्र को उपग्रह से जोड़ दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। भोपाल, इन्दौर, रायपुर, ग्वालियर, जबलपुर और जगदलपुर में पहले से ही परिचालित छः उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों के अलावा अम्बिकापुर, गुना और शहडोल स्थित तीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों के रूप में उन्नयन करने की परिकल्पना है।

[अनुवाद]

एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करना

692. **श्री एम. एम. लालजान बाशा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के एक बड़े वर्ग को कभी भी एड्स के बारे में जानकारी नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा शहरों और ग्रामीण लोगों को इस संबंध में शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) समाज के सभी वर्गों में एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रचार साधनों के सभी माध्यमों को प्रचार अभियान में प्रयोग किया जा रहा है। 1994-95 के दौरान इस अभियान को आगे और तेज करने के लिए अतिरिक्त प्रचार और जागरूकता संबंधी सामग्रियां तैयार की जा रही हैं। इस प्रयोजन के लिए सरकार के पास उपलब्ध अन्य सभी संचार–माध्यमों का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

चकमा शरणार्थी

693. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी :**

श्री चित्त बसु :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत दो महीनों के दौरान बांग्लादेश सरकार के साथ चकमा शरणार्थियों के प्रत्यार्पण का मामला उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) अब तक बांग्लादेश प्रत्यर्पित किये गये चकमा शरणार्थियों की संख्या क्या है;

(घ) ऐसे कितने शरणार्थी अभी भी पूर्वोत्तर के राज्यों में रह रहे हैं और प्रत्यार्पण की प्रतीक्षा में है;

(ड.) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की है कि अपने घरों को वापस लौटाने पर चकमा शरणार्थियों को उनकी सम्पत्ति/भूमि वापस लौटाई जायेगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने की अनुमति दी जाएगी;

(च) क्या सरकार को ये शिकायतें मिली हैं कि बांग्लादेश सरकार ने शरणार्थियों को दिये गये आश्वासन पूरे नहीं किये हैं और 13–सूत्री मांगे भी मंजूर नहीं की हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। शरणार्थी नेताओं तथा बंगलादेश प्राधिकारियों के बीच रामगढ़ में 5 जून, 1994 तथा 30 जून, 1994 को दो बैठकें आयोजित की गयी थी। दूसरी बैठक के बाद शरणार्थी नेता प्रत्यर्पण प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करने पर सहमत हो गए जो 21 जुलाई, 1994 को शुरू हुई।

(ग) प्रत्यर्पण के प्रथम चरण में, 15 से 22 फरवरी, 1994 तक 1854 शरणार्थी वापस भेजे

गए। प्रत्यर्पण का दूसरा दौर जो कि 21 जुलाई, 1994 को शुरू हुआ, अभी जारी है।

(घ) प्रत्यर्पण के प्रथम चरण के बाद त्रिपुरा से, केवल 54710 चकमा शरणार्थियों को बंगलादेश वापस भेजा जाना शेष है। अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) से (छ) बंगलादेशी राष्ट्रिक होने के नाते, चकमा शरणार्थियों को वापसी के लिए अनुकूल सन्तोषजनक वातावरण पैदा करने का कार्य बंगलादेश सरकार का है। भारत सरकार की भूमिका, प्रत्यर्पण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की है।

126-135

जल संसाधनों का विकास

694. **श्री अन्ना जोशी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में जल संसाधनों के विकास हेतु विश्व बैंक अथवा किन्हीं अन्य विदेशी एजेंसियों से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विश्व बैंक और अन्य विदेशी एजेंसियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस सहायता से शुरू की जाने वाली विकासात्मक गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) परियोजना का विवरण, दाता अभिकरणों की प्रतिक्रिया और प्रस्तावित विकासात्मक कार्यकलाप को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	परियोजना का विवरण और विकासात्मक कार्यकलाप जिनको प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है	दाता अभिकरण की प्रतिक्रिया
1	2	3	4
परियोजनायें जो विश्व बैंक को भेजी गई			
1.	मध्य प्रदेश बृहद सिंचाई परियोजना	2.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने के लिए 865.44 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर (i) रानी अवन्ती बाई सागर परियोजना (बारगी) नहर प्रणाली और (ii) राजघाट नहर परियोजना का निर्माण	विश्व बैंक ने विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट को और संगत आंकड़ों को अद्यतन करने का सुझाव दिया है।
2.	नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान	जालोर और बाडमेर के सूखा प्रवण जिलों में भूमि के 73157 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करके और 124 गांवों में लगभग 3.13 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए 467.53 करोड़ रूपये अनुमानित लागत पर राजस्थान में नर्मदा नहर का निर्माण	विश्व बैंक ने कई मामले उठाए थे। राजस्थान सरकार से इन मामलों का उत्तर देने के लिए अनुरोध किया गया है।
3.	उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना फेज -II	195.3 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर 1000 नए नलकूपों का निर्माण, 1500 विद्यमान नलकूपों को समर्पित विद्युत पोषक लाइन के साथ जोड़ना और 500 नलकूपों का आधुनिकीकरण।	यद्यपि, उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक द्वारा उठाए गए मामलों पर मदवार स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया है, किंतु विश्व बैंक इससे संतुष्ट नहीं है, जल संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकार को परियोजना को आगे न बढ़ाने की सलाह दी है।

1	2	3	4
4.	कंगसावती आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजना (पश्चित बंगाल)	311.07 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर सीलाबती, जोयपंडा, भेराबंकी और ताराफनी नदियों पर 4 छोटे बांधों का निर्माण, 3400 नलकूपों की स्थापना और जल वाहिकाओं और फील्ड चैनलों का निर्माण।	चूंकि विश्व बैंक के संसाधन पहले से निर्धारित परियोजनाओं के लिए बचनबद्ध है, अतः विश्व बैंक ने आगे मूल्यांकन के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की है। तथापि, उन्होंने जल संसाधन समेकन परियोजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने का सुझाव किया है ताकि कि उस पर विचार किया जा सके।
5.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	4888.7 करोड़ की अनुमानित लागत पर सभी सहभागी राज्यों के जल वैज्ञानिक और जलवायु संबंधी आंकड़े संग्रहण, प्रोसेसिंग और प्रसार के सभी पहलुओं को सुदृढ करना,	विश्व बैंक के पूर्व मूल्यांकन मिशन ने फरवरी/मार्च 1994 में भारत का दौरा किया था और मूल्यांकन से पहले अनुपालना हेतु विभिन्न मुख्य कार्रवाइयों का सुझाव दिया था।
6.	नर्मदा बेसिन विकास परियोजना	3000 करोड़ रूपये (लगभग की अनुमानित लागत पर जल ग्रहण क्षेत्र का उपचार, निम्नीकृत वन भूमि पर पुनः वनरोपण, मत्स्य विकास, वन्यजीवन का विकास और पर्यावरणीय अध्ययन तथा पुनर्वास व पुनर्स्थापन सहायता	यह सरदार सरोवर परियोजना की विश्व बैंक सहायता से जुड़ी है।
7.	दूसरी सरकार सरोवर जल वितरक और जल निकास परियोजना	1918 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर उ त्तरी गुजरात और सौराष्ट्र में सूखा प्रवण कमान क्षेत्र के 75% क्षेत्र में पेय जल प्रदान करने के लिए फेज	भारत सरकार ने 29.3.93 को सरदार सरोवर परियोजना हेतु विश्व बैंक वित्त पोषण से हट जाने का निर्णय लिया है।

1	2	3	4
		I स्पिलओवर कार्यो। नर्मदा मुख्य नहर को 144.5 किमी से 264 किमी तक पूरा करना, शाखा नहरों वितरण प्रणाली, विद्युत, उत्पादन, सौराष्ट्र ब्रांच नहर पर लिफ्ट केन्द्रों नियंत्रण एवं संचार प्रणालियों को पूरा करना।	
8.	सुर्बन रेखा बहु प्रयोजनी परियोजना (बिहार) फेज–II	लगभग 80,000 परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए चांडिल बांध और बायी नहर, इछा नहर, गालूदीह बायीं नहर, खरकई बराज एवं नहरों आदि को 1429 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर पूरा करना।	विश्व बैंक द्वारा उठाए गए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मुद्दों पर बिहार सरकार को कार्रवाई करनी है।
9.	सुर्बनरेखा सिंचाई परियोजना (उड़ीसा)	एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करने के लिए 715 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर 44.3 किमी लम्बी मुख्य कंटूर नहर, जामभीरा, हल्दिया एवं बौरा तथा वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन।	उड़ीसा सरकार ने विश्व बैंक द्वारा उठाए गए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मुद्दों पर उपयुक्त कार्रवाई की है। तथापि बैंक ने इस परियोजना के मूल्यांकन को बिहार सरकार द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मुद्दों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ सम्बद्ध किया है।
10.	जल संसाधन समेकन परियोजना (उड़ीसा)	970 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का विस्तार करने के लिए पांच निर्माणाधीन मध्यम परियोजनाओं को पूरा	विश्व बैंक मिशन ने मार्च, 1994 में उड़ीसा का दौरा किया तथा परियोजना के मूल्यांकन से पूर्व

1	2	3	4
		करना, नाराज बराज को बदलना, अपर किलाब वितरण प्रणाली को पूरा करना, रेंगाली परियोजना पर निवेश आदि।	अनुपालना के लिए विभिन्न कार्रवाईयों का सुझाव दिया।
11.	जल संसाधन समेकन परियोजना (तमिलनाडु)	1102.846 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर विद्यमान योजनाओं को आधुनिकीकरण, बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं (संख्या 10) और जल निकास को पूरा करना, कृष्णा जल आपूर्ति परियोजना को पूरा करना तथा भूमि व जल की उत्पादकता अधिक करने एवं पर्यावरण को बनाये रखने के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण, आयोजना में सुधार एवं जल का आवंटन करना, विद्यमान सिंचाई, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण में सुधार करना।	इस परियोजना का मार्च, 1994 में मूल्यांकन किया गया था तथा विश्व बैंक ने बातचीत करने से पूर्व अनुपालना के लिए विभिन्न मुख्य कार्रवाइयों का सुझाव दिया है।
12.	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना फेज -II	राज्य में निम्न लागत से परियोजनाओं के निष्पादन में सुधार लाकर लगभग 6 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना फेज I के आगे लाये गए कार्यों को शामिल करना तथा 9 भागीदार राज्यों की नयी परियोजनाओं को भी शामिल करना। परियोजना की अनुमानित लागत 1380 करोड़ रूपये हैं।	विश्व बैंक ने इस परियोजना पर विचार करने के लिए अपनी रजामंदी का संकेत दिया है बशर्ते कि राज्य सरकारें विशेष परियोजनाओं को अभिज्ञात करें।

1	2	3	4
13.	सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना (बिहार)	1354 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर नहर की जल क्षमता में बढ़ोतरी करना, नहरों को पक्का करना, संरचनाओं की मरम्मत, संवर्धन नलकूपों की स्थापना, जल निकास चैनलों, कमान क्षेत्र विकास एवं संचार प्रणाली 30,000 हेक्टेयर कृषि योग्य कम्मान क्षेत्र को शामिल करने वाली प्रयोगिक परियोजना, जल निकास चैनल उपलब्ध करना।	विश्व बैंक ने सूचित किया है कि सुर्बनरेखा फेज II परियोजना के बारे निर्णय लेने के बाद विश्व बैंक सहायता के लिए सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना को प्रस्तुत किया जाये।
नीदर लैंड को प्रस्तुत की गयी परियोजनाएं			
14.	तुंगभद्रा सिंचाई प्रयोगिक परियोजना फेज II	तुंगभद्रा सिंचाई योजनाओं में जल जमाव और लवणता का समाधान करना, जल वितरण की कोटि एवं कार्यकुशलता में सुधार करना तथा नीति परिवर्तनों एवं परवर्ती प्रणाली विकल्पों के लिए ठोस सिफारिशों तैयार करना। परियोजना की अनुमानित लागत 37.4 करोड़ रूपये हैं।	नीदरलैंड सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
15.	जल संसाधन विकास तथा लवणता के प्रवेश को रोकने संबंधी योजना (गुजरात)	भूमि और जल संसाधनों के प्रबंध में गुजरात के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने तथा उसमें कृषकों की भागीदारी करने का उद्देश्य हैं। सिंचाई और घरेलू उद्देश्य के लिए जल का इष्टतम उपयोग	नीदरलैंड सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
		करके जल का संरक्षण करने तथा जल की लवणता को कम करने पर बल दिया गया है। इस परियोजना में गुजरात के तटीय क्षेत्रों जैसे (क) सौराष्ट्र अर्थात् अमरेली एवं भावनगर जिलों और (ख) कच्छ जिले की चुनिन्दा पहुंचों पर ध्यान दिया गया है।	
16.	सतही जल लिफ्ट सिंचाई योजना, आंध्र प्रदेश	सतही जल लिफ्ट सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके कृषि उपज बढ़ाना तथा स्थायी और पर्यावरणिक दृष्टि से ठोस मध्यस्थता के जरिए कृषकों के जीवन स्तरों में सुधार इस तरीके से करना कि महिला कृषक भी कृषि एवं अन्य कार्यकलापों में पुरूष कृषकों के समान भागीदार बन सके। इस परियोजना की अनुमानित लागत 55.5 करोड़ रूपये है।	नीदरलैंड सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
17.	भूजल बेधन कुआं सिंचाई योजना आंध्र प्रदेश	भूजल सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान करके कृषि उपज में बढ़ोतरी, स्थायी एवं पर्यावर्णिक ठोस हस्तक्षेप करके जीवन स्तर में सुधार इस तरीक से करना कि महिला कृषक कृषि एवं अन्य कार्यकलापों में पुरूष कृषकों के समान भागीदार बन सकें। परियोजना की अनुमानित लागत 69.3 करोड़ रूपये हैं।	नीदरलैंड सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
18.	समेकित जल संसाधन विकास परियोजना, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के गरीबों के जीवन स्तर का सुधार, गांव संगठन बनाना, जल प्रबंध में महिलाओं को शामिल करना, आय के स्रोत बढ़ाने वाली परियोजनाओं का सृजन करना। परियोजना में जल पुनर्भरण एवं सिंचाई मृदा संरक्षण, वनरोपण, उन्नत कृषि और पशुपालन तकनीकों का विकास करना तथा उन्हें लागू करना, परियोजना कार्मिकों और गांव स्तरीय वर्करों को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है। परियोजना की अनुमानित लागत 25 करोड़ रूपये हैं।	इस परियोजना को इस समय भारत नीदरलैंड मूल्यांकन मिशन की सिफारिशों के अनुसार पुनः तैयार किया जा रहा है।
जापान को प्रस्तुत की गई परियोजनाएं			
19.	भूजल का दोहन	भूजल के दोहन के लिए जल गुणवत्ता प्रबोधन एवं पर्यावरणीय सुरक्षा प्रदान करने की सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा ड्रिलिंग उपस्करों को खरीदना परियोजना की अनुमानित लागत 480 करोड रूपये हैं।	जापान पक्ष के उत्तर की प्रतिक्षा है।
20.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए सिंचाई नहर प्रबोधन एवं प्रबंध प्रणाली (राजस्थान)	परियोजना में बीकानेर में पर्यवेक्षण एवं प्रबंध के साथ सिंचाई नहर प्रबोधन एवं प्रबंध प्रणाली तथा नहर के साथ–साथ 13 द्वार नियंत्रण केन्द्रों का प्रस्ताव	जापान पक्ष के उत्तर की प्रतिक्षा है।

1	2	3	4
		किया गया है। परियोजना की अनुमानित लागत 33.17 करोड़ रूपये हैं।	
जर्मनी की सहायता के लिए प्रस्तुत की गई परियोजनाएं			
21.	लघु सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र	परियोजना में 140 करोड़ रूपये की लागत पर तालाबों, के टी बीयरों, दिक्‌परिवर्तन वीयरों, भंडारण बीयरों का निर्माण तथा लिफ्ट सिंचाई योजनाएं शामिल है।	जर्मनी द्वारा इस परियोजना को लिया गया है। कार्रवाई के सुझावों पर राज्य सरकार की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
22.	लघु सिंचाई परियोजना, हिमाचल प्रदेश	विद्यमान सिंचाई प्रणालियों को क्रियाशील बनाने के लिए पुनर्स्थापित करके कृषि एवं बागवानी उपज और कृषक आय बढ़ाना ताकि 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जा सके। परियोजना की अनुमानित लागत 140 करोड़ रूपये हैं।	जर्मनी द्वारा इस परियोजना को लिया गया है। परियोजना तैयार करने के कार्यकलापों पर राज्य सरकार की सहमति की प्रतीक्षा है।
यूरोपीयन आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत			
23.	लवणीय भूमि, पुनरूद्धार परियोजना फेज II महाराष्ट्र	पुरानी योजनाओं को पुनर्स्थापित करके तथा नई योजनाओं का निर्माण करके 11,700 हेक्टेयर पुनरूद्धार कृषि भूमि पर उपज और आय बढ़ाना जिससे 117,000 लोग लाभान्वित होंगे। कृषि	यूरोपीय आर्थिक समुदाय के उत्तर की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
		प्रबंध को उन्नत करने के लिए और 21,300 हेक्टेयर क्षेत्र पर उपज एवं आय बढ़ाना जिससे 213,000 लोग लाभान्वित होंगे। परियोजना की अनुमानित लागत 35 करोड़ रूपये हैं।	
24.	आंध्र प्रदेश लघु सिंचाई विकास परियोजना फेज II	आंध्र प्रदेश के भिन्न–भिन्न भागों में विशेष रूप से सूखा प्रवण एवं वर्षापोषित क्षेत्रों में उपलब्ध लघु सिंचाई स्रोतों का विकास करके वर्षापोषित कृषि क्षेत्र में उपज/उत्पादकता में सुधार करना। 73,000 हेक्टेयर क्षेत्र तक सिंचाई क्षमता बढ़ाना। परियोजना की अनुमानित लागत 281 करोड़ रूपये है।	यूरोपीय आर्थिक समुदाय के उत्तर की प्रतीक्षा है।
25.	लघु सिंचाई परियोजना, उड़ीसा	परियोजना में 3 वर्षों के पहले फेज में 6 बड़ी योजनाओं और एक छोटी योजना के पुनर्स्थापन की परिकल्पना की गई है। दूसरे फेज में 10 बड़ी योजनाओं और 14 छोटी योजनाओं को पुनर्स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना की अनुमानित लागत 32.87 करोड़ रूपये हैं।	उड़ीसा सरकार को यूरोपीयन आर्थिक समुदाय द्वारा पूछे गये विभिन्न स्पष्टीकरणों के उत्तर देने हैं और तदनुसार परियोजना को संशोधित करना है।
26.	तालाब सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण, पांडिचेरी	44 तालाबों का आधुनिकीकरण तथा तालाब बांध सिंचाई जल द्वारों का सुधार करके 5829 हेक्टेयर क्षेत्रर में कमान क्षेत्र विकास, सिंचाई चैनलों को पक्का करना तथा सिंचाई निकास द्वार जैसी आवश्यक नियंत्रण संरचनाएं प्रदान करना। परियोजना की अनुमानित लागत 12.80 करोड़ रूपये हैं।	यूरोपीयन आर्थिक समुदाय ने इस प्रस्ताव को तब तक स्थगित रखा है जब तक राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक संगठनों को शामिल नहीं कर लिया जाता तथा कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर ली जाती।

[हिन्दी]

कोयले पर आयात शुल्क

695. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री राजवीर सिंह :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले पर आयात शुल्क को 85 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) क्या इस रियायत से स्वदेशी कोयला उत्पादक कंपनियों को प्रोत्साहन मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्ष 1994-95 के बजट में अकोककर कोयले पर आयात शुल्क को 85 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ख) और (ग) आयात शुल्क को उपर्युक्त रूप से घटाए जाने के परिणामस्वरूप आयातित कोयले से देश की कोयला कंपनियों को बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

(घ) इस्पात संयंत्र 5% के रियायती आयात शुल्क पर निम्न राख कोककर कोयले का पहले ही आयात कर रहें है। अतः भारत कोकिंग कोल लि० से इस्पात संयंत्रों को धातुकर्मी कोयले की आपूर्ति में हाल में की गई कमी के कारण प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है। किन्तु, भा. को. को. लि. को भी अ–कोककर कोयले की आपूर्ति के संबंध में आयातित कोयले से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

लोअर वर्धा सिंचाई परियोजना

696. **श्री रामचन्द्र घंगारे** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में स्थित लोवर वर्धा सिंचाई परियोजना का काम धन की कमी के कारण धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये है/उठाने का विचार किया है; और

(ग) 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि रखी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) लोअर वर्धा सिंचाई परियोजना तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए 4/84 मे केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना न किए जाने के कारण यह परियोजना 11/87 में राज्य सरकार को

लौटा दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा संशोधित परियोजना प्रस्ताव मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया जाना है।

(ग) आठवीं योजना में इस परियोजना के लिए 8 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, किन्तु योजना आयोग के कार्य दल ने वार्षिक योजना 1994-95 के लिए इस परियोजना हेतु किसी परिव्यय की सिफारिश नहीं की है।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के संरक्षणाधीन मामले

697. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1992, 1 जनवरी, 1993, 1 जनवरी, 1994 और 1 जुलाई, 1994 को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के संरक्षणाधीन मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी–कितनी थी;

(ख) 1992, 1993 और जनवरी–जून, 1994 के दौरान अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किये गए अतिरिक्त मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी–कितनी थी;

(ग) इस अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने मामलों को निपटाया गया;

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने मामलों में अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया; और

(ड.) 30 जून, 1994 को राज्य/संघ राज्यवार कितने मामले लम्बित थे, कुल कितने व्यक्तियों पर मुकद्दमा चल रहा था और मुकद्दमा दर्ज करने के वर्ष का विवरण क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) से (ड.) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

कोयला उत्पादन लागत

698. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार ने खुले मुहाने वाली खानों में कोयले की बढ़ी हुई उत्पादन लागत के बारे में कोई आकलन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लि० (को. इं. लि.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षो के दौरान को. इं. लि. की ओपेनकास्ट खानों में उत्पादन की लागत की प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि उत्पादन की लागत में वास्तविक रूप में वृद्धि नहीं हुई है। ओपेनकास्ट खानों में वास्तविक उत्पादन लागत केवल 43.7 प्रतिशत तक बढ़ी है जबकि पिछले पांच वर्षो में अर्थात् 1989-90 से 1993-94 की अवधि के दौरान 49.4 प्रतिशत की सामान्य मुद्रास्फीति देखने में आयी है।

व्यक्तियों की गिरफ्तारी

699. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत बारह महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और धारा 151, दोनों धाराओं अथवा अलग–अलग धाराओं का उल्लघंन करने वाले कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा वे किस प्रकार का विशेष अपराध कर रहे थे जिसे अन्यथा सफलतापूर्वक रोका नहीं जा सका;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय/सुरक्षोपय किय गये हैं कि पुलिस अधिकारी इस शक्ति का दुरूप्रयोग न करें; और

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 151 के दुरूप्रयोग के लिए कितने पुलिस अधिकारी दोषी पाये गये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) 1 जुलाई, 1993 से 30 जून, 1994 तक, पिछले 12 महीनों में प्रत्येक महीने में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :–

माह	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
जुलाई, 1993	1603
अगस्त, 1993	1879
सितम्बर, 1993	1457
अक्तूबर, 1993	1813
नवम्बर, 1993	1336
दिसम्बर, 1993	1514
जनवरी, 1994	1223
फरवरी, 1994	1229
मार्च, 1994	1844
अप्रैल, 1994	1582
मई, 1994	1820
जून, 1994	1872

सभी व्यक्तियों को द. प्र. संहिता की धारा 107/151 के तहत, शांति भंग होने के कारण गिरफ्तार किया गया था, जिसे अन्यथा रोका नहीं जा सकता था।

(ख) जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को दं. प्र. सं. की धारा 107/151 के तहत गिरफ्तार किया जाता है, उसका सत्यापन संबंधित पुलिस उप–डिवीजनल सहायक आयुक्त द्वारा किया जाता है। पीड़ित व्यक्ति सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील भी दायर कर सकता है।

(ग) तेरह।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

700. **श्री काशीराम राणा :,**

श्री महेश कनोड़िया :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात की कतिपय सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई सहायता प्रदान की है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के.थुंगन) : (क) से (ग) मच्छु I सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण 8.12 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 8/93 में सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। मित्ती सिंचाई परियोजना की मरम्मत करने के संबंध में राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी–आर्थिक मुद्दों की अनुपालना करनी है। इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार से 235 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर एक परियोजना प्रस्ताव नामशः स्वीकृत सिंचाई विकास परियोजना 10/62 में प्राप्त हुआ था जिसमें विदेशी सहायता के वास्ते निवेदन किया गया था। इस परियोजना में 5 वृहद और 19 मझौली सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित करके सिंचित कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात कही गयी है। राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।

(घ) और (ड.) योजना आयोग ने गुजरात में विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए 98.83 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन

701. **श्री ललित उरांव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजनाओं के अंतर्गत 1991-92 और 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य में स्वैच्छिक संगठनों को कितनी सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार ने इन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा पेश की गई उपयोग प्रमाण–पत्र वैधता की जांच करा ली है;

(ग) यदि हां तो इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी. सिल्वेरा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) जी हां। पंजीकृत सनदी लेखाकार द्वारा जारी समुपयोजन प्रमाण–पत्र की मंत्रालय में विधिवत् जांच की जाती है और सही पाए जाने पर उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दी जाने वाली वित्तीय सहायता			
		1991-92		1992-93	
		सीधे स्वैच्छिक संगठन को	राज्य सरकार के माध्यम से	सीधे स्वैच्छिक संगठन को	राज्य सरकार के माध्यम से
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	44,45,000	3,00,000	24,78,000	2,40,000
2.	असम	6,12,000	1,56,000	3,00,000	1,75,000
3.	गुजरात	38,98,211	—	1,20,08,960	1,74,000
4.	महाराष्ट्र	99,39,205	4,25,000	1,53,97,069	2,90,000
5.	कर्नाटक	5,17,000	1,00,000	29,40,130	2,59,000
6.	पंजाब	2,68,000	30,000	3,00,000	2,40,000
7.	राजस्थान	62,66,000	—	30,72,000	2,68,000
8.	उत्तर प्रदेश	46,08,475	—	91,41,828	2,95,000
9.	पश्चिम बंगाल	77,45,790	—	70,06,791	3,13,000
10.	तमिलनाडु	81,51,283	—	94,63,394	3,40,000
11.	केरल	16,46,926	—	10,79,379	2,59,000
12.	दिल्ली	41,54,000	—	48,01,000	—
13.	बिहार	53,84,301	1,00,000	25,49,781	2,81,000
14.	मध्य प्रदेश	60,16,000	—	22,89,000	2,68,000
15.	हरियाणा	15,02,000	—	5,93,000	1,60,000
16.	हिमाचल प्रदेश	37,000	—	—	1,60,000
17.	मणिपुर	1,92,000	—	7,09,000	83,000

1	2	3	4	5	6
18.	उड़ीसा	38,43,000	—	10,06,000	2,78,000
19.	त्रिपुरा	2,12,000	—	3,00,000	1,33,000
20.	चण्डीगढ़	—	—	16,55,000	—
21.	गोवा	—	1,00,000	—	1,35,000
22.	मिजोरम	—	—	—	1,33,000

गुजरात पुलिस का आधुनिकीकरण

702. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के लिए गुजरात पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या आवंटित धनराशि में से धनराशि की कोई किस्त जारी की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत वर्ष, 1994-95 के लिए गुजरात राज्य सरकार को 1,50,18,000 रूपए की राशि आबंटित की गई है। गुजरात राज्य सरकार द्वारा कुछ औपचारिकताएं पूरी कर लिए जाने पर उन्हें इस योजना के अधीन निधियां रिलीज की जाएंगी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

703. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने संबंधी अधिसूचना 14 अगस्त, 1993 को जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग को सभी सुविधाएं प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ड.) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयोग को काम करने के लिए सभी अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(घ) और (ड.) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याएं

704. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** :

श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या के अध्ययन हेतु तीन मंत्रियों सहित एक पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त पैनल ने अब तक अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इस पैनल द्वारा किए गए अनुमोदन/सुझाव क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा इन अनुमोदनों पर क्या कार्रवाई की जा रही हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी समुदायों की समस्याओं की जांच पड़ताल करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने विचार–विमर्श के बाद सभी पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा, तीन अलग–अलग समूहों में, क्रमशः केन्द्रीय गृह मंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री और केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री के नेतृत्व में करने का निश्चय किया। तद्नुसार तीनों समूहों ने पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया तथा अन्य लोगों के साथ–साथ राजनैतिक दलों संगठनों, प्रमुख नागरिकों और समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों सहित समाज के विभिन्न तबकों के लोगों के साथ विचारों का आदान–प्रदान किया। दौरों के दौरान प्राप्त विचारों पर पूर्ण समिति में विचार–विमर्श किए जाने की संभावना है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) और (ड.) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन

705. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के उल्लंघन के राज्यवार कितने मामलों का पता चला है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार इस अधिनियम के उल्लंघन करने के कितने मामलों पर मुकदमा चल रहा हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सूचना संकलित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को कोयला खानें सौंपना

706. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को कुछ कोयला खानें सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० की किसी खान को सेल को हस्तान्तरित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

राजस्थानी और सिन्धी फिल्में

707. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षो के दौरान राजस्थानी और सिन्धी में कितनी–कितनी फिल्मों का निर्माण किया गया है;

(ख) इन फिल्मों को दूरदर्शन से प्रसारित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) क्या इन फिल्मों को मनोंरजन कर से छूट दी गयी है; और

(घ) सरकार का राजस्थानी और सिन्धी फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु क्या प्रयास करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) भारत में फीचर फिल्मों का निर्माण क्योंकि अधिकांशतः निजी क्षेत्र में होता है इसलिए राजस्थानी तथा सिंधी में कितनी फिल्मों का निर्माण किया गया, इससे संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा कैलेण्डर वर्ष 1992 और 1993 में सिंधी में कोई भी फिल्म प्राप्त नहीं की गई। इन वर्षो में बोर्ड द्वारा राजस्थानी भाषा में प्रमाणित की गई फीचर फिल्मों की संख्या नीचे दर्शाई गई है :–

वर्ष	फिल्मों की संख्या
1992	3
1993	5

(ख) दूरदर्शन विभिन्न बोलियों और राजस्थानी, सिंधी सहित क्षेत्री भाषाओं की फीचर फिल्मों को इन फिल्मों की उपयुक्तता और अपनी कार्यक्रम अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए प्रसारित करता है।

(ग) सिनेमा का प्रदर्शन राज्यों की सूची में होने के कारण फिल्मों के मनोरंजन कर से छूट का मामला राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की परिधि के अंतर्गत आता है।

(घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम पटकथा/प्रस्ताव के गुण–दोषों पर निर्भर करते हुए राजस्थानी व सिंधी सहित विभिन्न भाषाओं में फिल्मों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

सिंचाई संबंधी सुविधाएं

708. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी सुविधाएं अन्य राज्यों की तुलना में अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है या प्राप्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी नहीं। 32 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में से 'निवल सिंचित क्षेत्र की तुलना में निवल बोया गया क्षेत्र' की प्रतिशतता के अनुसार मापी गई सिंचाई सुविधाओं में उत्तर प्रदेश का छठा स्थान है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की है जिसका ब्यौरा निम्नवत है :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	पूरा करने की तिथि	सहायता राशि (मिलियन डालर)
	(क) पूर्ण परियोजनाएं		
(i)	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नलकूप परियोजना फेज I	1983	18
(ii)	उत्तर प्रदेश दूसरी नलकूप परियोजना	1993	147.3
	(ख) निर्माणाधीन परियोजनाएं		
(i)	ऊपरी गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना	सितम्बर, 1994	122.6
(ii)	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना	1995	101.8*

*यह संख्या बहु राज्य परियोजना से सम्बद्ध है जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक भागीदार राज्य है।

उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना फेज III के लिए 195.3 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है तथापि उसे स्वीकृत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

नई विज्ञापन नीति

709. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी/दूरदर्शन के लिए एक नई विज्ञापन नीति बनाई है, जिसके अंतर्गत आकाशवाणी/दूरदर्शन नेटवर्क के विकास के लिए इस स्रोत की अपार क्षमता के माध्यम से उपलब्ध संसाधन पर्याप्त रूप से जुटाये जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गयी/विचाराधीन नई नीति का ब्यौरा क्या है तथा इससे आठवीं योजना अवधि के दौरान कितना राजस्व जुटाने का अनुमान है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विज्ञापन एकत्र करने के लिए किन–किन एजेंसियों को मंजूरी दी गयी है और उनके द्वारा बुक किये गये विज्ञापनों पर उन्हें एजेंसी–वार कितना कमीशन दिया गया है; और

(घ) किन–किन नई एजेंसियों को मंजूरी देने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. के. सिंह देव) : (क) और (ख) इलैक्ट्रानिक मीडिया पर विज्ञापन प्रसारण संबंधी नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है।

आठवीं योजना अवधि के दौरान, आकाशवाणी और दूरदर्शन का अनुमानित राजस्व अर्जन क्रमशः 359 करोड़ रूपये और 1960 करोड़ रूपये के लगभग होगा।

(ग) ऐसी सूचना को केन्द्रीय तौर पर संकलित रूप में नहीं रखा जाता।

(घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन में विज्ञापन फर्मों/एजेंसियों का पंजीकरण और प्रत्यापन एक सतत् प्रक्रिया है।

अनिवासी भारतीयों को स्थाई रिहायशी कार्ड

710. **श्री राजेश कुमार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों को स्थाई रिहायशी कार्ड जारी करने का है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) 8.4.93 को सरकार द्वारा गठित किए गए एक अंतर मंत्रालयीय दल ने, भारतीय मूल के व्यक्तियों को पी. आई. ओ. कार्ड जारी करने का प्रस्ताव किया था जिससे वे विशेष छूटों/सुविधाओं के पात्र हो सकते हैं। सरकार द्वारा इस पर, कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

भूमि-गत जल स्तर

711. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में भूमि–गत जल–स्तर में बहुत तेजी से कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है;

(घ) क्या भूमि–गत जल को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए वृहद पैमाने पर निकालने को रोकने हेतु कोई कानून है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं तो केन्द्रीय सरकार ने जरूरत से ज्यादा भूमि–गत जल निकालने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाये जाने का विचार है;

(छ) क्या केन्द्रीय भूमि–गत जल बोर्ड ने राज्य में भूमि–गत जल की उपलब्धता का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, आंध्र प्रदेश के महबूब नगर, करनूल, प्रकाशम और चित्तूर जिलों के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर में धीरे–धीरे कमी पायी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) भूजल के विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए माडल विधेयक सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षणों और अन्वेषण के आधार पर आंध्र प्रदेश में उपलब्ध भूजल संसाधन 43365.87 मिलियन घन मीटर प्रति वर्ष आंके गये हैं।

(झ) भूजल संसाधनों का विकास राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

डोडा में आतंकवादी गतिविधियां

712. **श्री चेतन पी. एस. चौहान :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

डा. परशुराम गंगवार :

श्री पंकज चौधरी :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री बलराज पासी :

श्री बी. एल. शर्मा प्रेम :

प्रो. प्रेम धूमल :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री देवी बक्स सिंह :

श्री गुरूदास कामत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में अब तक डोडा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के कारण कितने गैर–सैनिक और रक्षा बलों के कार्मिक मारे गये और घायल हुए और कितनी संपत्ति नष्ट हुई :

(ख) कितने आतंकवादी मारे गये और गिरफ्तार हुए और उनसे बरामद हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार डोडा को "अशांति क्षेत्र' घोषित करने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त क्षेत्र में आतंकवाद पर काबू पाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) इस संबंध में सूचना निम्न प्रकार है :

डोडा जिले में हत्याएं (वर्ष 1991 से)

	1991	1992	1993	1994 (जून तक)
उग्रवादी	1	12	60	21
सिविलियन	—	8	74	49
सुरक्षा बलों के कार्मिक	—	17	18	11

डोडा जिले में नष्ट हुई संपत्तियां (वर्ष 1991 में)

	1991	1992	1993	1994 (जून तक)
स्कूल	—	1	28	36
सरकारी इमारतें	1	14	97	60
एस.एफ.सी.डिपो	—	—	6	4
पुल	—	—	1	2

(ग) से (च) उग्रवादी–विरोधी अभियानों को तेज किया गया है जिनमें संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात करना, ऐसे क्षेत्रों में गश्त तेज करना, उग्रवादियों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात करना तथा छानबीन और घेराबन्दी अभियानों को तेज करना शामिल है। प्रशासन द्वारा विश्वास उत्पन्न करने के उपाय भी किए गए है जिसके परिणामस्वरूप पलायन कर गए लगभग सभी प्रवासी डोडा जिले में अपने–अपने घरों को लौट रहे हैं। जिले में स्थिति अब नियंत्रण में है। अतः डोडा को एक विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करना आवश्यक नहीं समझा गया।

डोडा से पलायन

713. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री राजेश कुमार :

श्री परशुराम गंगवार :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती सरोज दुबे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डोडा जम्मू और कश्मीर में हाल ही में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में डोडा में हुई ऐसी घटनाओं की माहवार संख्या क्या है;

(ग) क्या हाल ही में डोडा से हिमाचल प्रदेश की ओर बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) पिछले तीन महीनों में डोडा से कितने लोगों ने पलायन किया है; और

(च) इस पलायन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्। जम्मू एवं कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1993 के दौरान डोडा जिले में उग्रवाद संबंधी लगभग 360 घटनाएं हुई थी और इसी क्षेत्र में जनवरी, 94 से जून, 94 तक हुई इस प्रकार की घटनाओं की संख्या इस प्रकार है :–

जनवरी	—	68
फरवरी	—	25
मार्च	—	60
अप्रैल	—	66
मई	—	61
जून	—	67

(ग) से (च) गंदोह तहसील (डोडा) के गोहा के ग्रामवासियों द्वारा 13.5.94 को एक बदमाश तथा एक उग्रवादी को मार डालने के परिणाम–स्वरूप उग्रवादियों द्वारा बदला लिए जाने के भय के कारण मई, 1994 के महीने के दौरान लगभग 800 लोग, डोडा जिले के कुछ गांवों से हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले को पलायन कर गए। जनवरी से जून, 1994 तक कुल मिलाकर 1777 व्यक्तियों वाले लगभग 233 परिवार डोडा जिले से उधमपुर, जम्मू, कठुआ और चम्बा जिले को पलायन कर गए। ये परिवार अब अपने गांवों में वापस आ गए हैं।

उग्रवादियों को पकड़ने के लिए नाजुक स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, ऐसे क्षेत्रों में गश्त में वृद्धि, अतिरिक्त पिकेटें स्थापित किए जाने और तलाशी एवं घेराबंदी अभियानों को सघन बनाए जाने सहित उग्रवाद–विरोधी अभियानों में वृद्धि की गई है। प्रशासन द्वारा किए गए विश्वास पैरा करने के उपायों सहित इन उपायों से स्थिति नियंत्रण में आई है और लगभग सभी प्रवासी डोडा जिले में अपने मूल निवास स्थानों को वापस हो गए हैं।

[अनुवाद]

भाड़े के सैनिकों की घुसपैठ

714. **श्री परसराम भारद्वाज :**

श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों के दौरान पीर पंजाल पहाड़ियों के सुरक्षाकर्मी रहित मार्गों से होकर अनंतनाग से डोडा और किश्तवार तथा भद्रवाह के तहसील शहरों में पाकिस्तान प्रशिक्षित भाड़े के सैनिकों ने बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घुसपैठियों को बाहर निकालने तथा डोडा में आतंकवादियों का प्रवेश रोकने के लिए

क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) अनेक पाकिस्तान प्रशिक्षित भाड़े के सैनिक, पीर पंजाल पर्वत–श्रेणी में स्थित दर्रों से डोडा जिले में घुस आए हैं। ऐसे भाड़े के सैनिकों की सही–सही संख्या बताना संभव नहीं है, लेकिन मोटें–तौर पर लगभग भाड़े के ऐसे 200 सैनिक जिले में हो सकते है। तथापि इनकी संख्या बदलती रहती है, जो उग्रवादियों की रणनीति और सुरक्षा बलों द्वारा डाले गए दबाव पर निर्भर करता है।

(ग) अतिरिक्त सेना और अर्ध–सैनिक बलों को तैनात किया गया है, संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गयी है और उग्रवाद–विरोधी अभियान तेज किए गए हैं।

अन्धेपन की रोकथाम

715. **प्रो० उम्मारेड्डिडी वेंकटेस्वरलु :**

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक अन्धेपन की रोकथाम के लिए 117.8 मिलियन अमरीकी डालर का रियायती ऋण देने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण के अंतर्गत क्या रियायतें दी जाएगी ;

(ग) क्या विश्व बैंक गैर सरकारी संगठनों को भी ऋण देने के लिए सहमत है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है और देश के किन–किन राज्यों में ये संगठन अभी कार्यरत हैं;

(ड.) क्या सरकार ने इस ऋण के उपयोग के लिए कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी हां। इस ऋण की अदायगी 35 वर्षों में की जाएगी और यह ऋण 0.75 प्रतिशत ब्याज की दर से प्रदान किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) और (च) जी हां। 1994-2000 की अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली 554.00 करोड़ रूपये की लागत की एक परियोजना के, विश्व बैंक की सहायता से, कार्यान्वयन के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में चलाई जायेगी।

त्रिपुरा 151

गोलाबारी

716. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :**

श्री जर्नादन मिश्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो माह के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण त्रिपुरा के मुहुरिचार नामक स्थान पर सीमा सुरक्षा बल तथा बांग्लादेश रायफल्स के बीच भारी गोलाबारी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या किसी के हताहत होने की खबर है;

(घ) क्या सरकार ने इस अकारण गोलाबारी के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एस. सईद) : (क) से (च) 26 जून, 1994 को भारतीय बाढ़ नियंत्रण के श्रमिक, जब दक्षिण त्रिपुरा के सब डिवीजन बेलोनिया के अन्तर्गत मुहरी नदी पर बाढ़ से बचाव के उपाय करने में लगे हुए थे तो उन पर, बंगला देश राइफल्स द्वारा अकारण गोलियां चलाई गई। इसके जवाब में, सीमा सुरक्षा बल ने भी गोलियां चलाई। भारतीय पक्ष की तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीमा सुरक्षा बल ने बंगला देश राइफल्स के पास अपना विरोध दर्ज करा दिया है। 151-152

पंजाब पुलिस की गतिविधियां

717. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :**

श्री अमल दत्त :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार से इसके सीमा क्षेत्र में पंजाब पुलिस कर्मियों द्वारा की गई कथित घुसपैठ को लेकर कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन अभ्यावेदनों के प्राप्त होने के बाद क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या पंजाब पुलिस को देश के किसी भाग में कार्य करने के विशेष अधिकार दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या सरकार अन्तर्निहित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद् की कोई बैठक बुलाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो यह बैठक कब तक बुलाई जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) इस संबंध में एक अर्ध–शासकीय पत्र पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से तथा दूसरा पत्र गृह सचिव, पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुआ। समुचित कार्रवाई के लिए, इन्हें पंजाब राज्य सरकार के साथ उठाया गया। तथापि पंजाब राज्य सरकार ने इस बात से इंकार किया है कि पंजाब पुलिस द्वारा कोई पुलिस दल पश्चिम बंगाल भेजा गया। इस संबंध में गृह मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को जवाब भी भेजा गया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद में दूरदर्शन स्टूडियो

718. **श्री सत्यदेव सिंह :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में दूरदर्शन स्टूडियों स्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अत्यधिक विलंब के क्या कारण है; और

(घ) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) इलाहाबाद में 150 वर्ग मी. आकार के एक टी. वी. स्टूडियों को स्थापित करने की स्कीम सक्षम अधिकारी द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दी गई है। तकनीकी पैरामीटरों की स्थापना और संसाधनों की कमी के कारण परियोजना के निर्माण में देरी हुई है। इस आकार की परियोजना के पूरा होने में सामान्यतया 3 से 4 वर्ष तक का समय लग जाता है।

[अनुवाद]

महिलाओं पर अत्याचार

719. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री रतिलाल वर्मा :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक प्रतिमाह राज्य वार/संघ राज्य क्षेत्रवार दहेज, मृत्यु बलात्कार, अपहरण और छेड़छाड़ सहित महिलाओं पर अत्याचार के कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) ऐसी वारदातों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दहेज मौतो, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ उत्पीडन, आदि सहित महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अत्याचारों को श्रेणीवार रूप से दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण I से II मे दिया गया है।

(ख) महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों सहित अपराधों को दर्ज करने, उनकी जांच करने, पता लगाने और इनकी रोकथाम करने की जिम्मेदारी मुख्यतया: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए भारत सरकार ने कई उपाय शुरू किए हैं इनमें शामिल है :

i) विधायन को सुदृढ़ बनाना।

ii) महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित विधायनों को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करना।

iii) महिलाओं के प्रति अपराधों का मुकाबला करने के लिए गठित किए गए विशेष प्रकोष्टों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना ऐसे अपराधों की शिकार महिलाओं के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में किताबें और पर्चे भी तैयार कराए गए हैं और महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने हेतु शिविर भी लगाए गए हैं।

विवरण-I

जनवरी 1994 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों की घटनाएं।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण एवं व्यपहरण	दहेज मौतें	पति एवं उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता	उत्पीड़न	छेड़छाड़	21 वर्ष तक की लड़कियों को इम्पोर्ट करना	सती निषेध अधिनियम	आई. टी. पी. एक्ट	महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण (निषेध) एक्ट	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	राज्य											
1.	आंध्र प्रदेश	84	51	29	154	194	336	0	0	28	154	1030
2.	अरूणाचल प्रदेश	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	8
3.	असम	25	37	1	17	23	2	0	0	0	17	122
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
5.	गोवा	0	0	0	0	2	1	0	0	3	0	6
6.	गुजरात	25	65	13	101	82	8	10	0	0	101	405
7.	हरियाणा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
8.	हिमाचल प्रदेश	5	13	0	11	17	2	0	0	0	11	59
9.	जम्मू एवं कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	कर्नाटक	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
11.	केरल	11	4	0	39	42	0	0	0	4	39	139
12.	मध्य प्रदेश	245	80	22	153	494	96	3	0	1	153	1247
13.	महाराष्ट्र	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
14.	मणिपुर	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
15.	मेघालय	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16.	मिजोरम	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
17.	नागालैंड	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
18.	उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
19.	पंजाब	4	2	9	11	5	0	0	0	0	11	42
20.	राजस्थान	64	181	20	166	108	0	5	0	0	166	710
21.	सिक्किम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
22.	तमिलनाडु	12	32	3	22	69	108	0	0	489	22	757
23.	त्रिपुरा	5	0	0	4	5	0	0	0	0	4	18
24.	उत्तर प्रदेश	138	205	109	254	184	195	0	0	0	254	1339
25.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	योग (राज्य)	629	681	208	932	1227	748	18	0	525	932	5900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	संघ राज्य											
26.	अं. निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	4
27.	चंडीगढ़	1	7	0	1	1	1	0	0	0	1	12
28.	दादरा नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन व द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	16	46	7	12	23	4	0	0	4	12	124
31.	लक्षद्वीप	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
32.	पांडिचेरी	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	योग (संघ राज्य)	17	53	7	14	26	5	0	0	4	14	140
	योग (अखिल भारत)	646	734	215	946	1253	753	18	0	529	946	6010

टिप्पणी : ये आंकड़े मासिक अपराध सांख्यिकी पर आधारित है और इन्हें अनंतिम समझा जाए।

उ. न. का अर्थ है – उपलब्ध नहीं।

विवरण-II

फरवरी 1994 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों की घटनाएं।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण एवं व्यपहरण	दहेज मौतें	पति एवं उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता	उत्पीड़न	छेड़छाड़	21 वर्ष तक की लड़कियों को इम्पोर्ट करना	सती निषेध अधिनियम	आई. टी. पी. एक्ट	महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण (निषेध) एक्ट	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	राज्य											
1.	आंध्र प्रदेश	97	42	40	172	173	300	0	0	32	172	1028
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	4	0	0	3	0	0	0	0	0	10
3.	असम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
5.	गोवा	2	0	0	1	0	1	0	0	3	1	8
6.	गुजरात	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
7.	हरियाणा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
8.	हिमाचल प्रदेश	4	16	2	7	28	4	0	0	0	7	68
9.	जम्मू एवं कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	कर्नाटक	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
11.	केरल	13	12	1	27	49	0	0	0	1	27	130
12.	मध्य प्रदेश	245	88	20	140	529	86	4	0	01	140	1252
13.	महाराष्ट्र	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
14.	मणिपुर	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
15.	मेघालय	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16.	मिजोरम	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
19.	पंजाब	5	2	9	3	3	1	5	0	0	3	31
20.	राजस्थान	71	131	16	177	112	2	2	0	0	177	690
21.	सिक्किम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
22.	तमिलनाडु	16	26	3	29	49	62	0	0	372	29	586
23.	त्रिपुरा	5	6	1	2	6	0	1	0	0	2	23
24.	उत्तर प्रदेश	154	246	94	244	221	176	0	0	0	244	1379
25.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	योग (राज्य)	619	575	186	802	1175	632	12	0	410	802	5213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	संघ राज्य											
26.	अं. निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
27.	चंडीगढ़	1	2	1	1	2	4	0	0	0	1	12
28.	दादरा नगर हवेली	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	6
29.	दमन व द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	16	46	6	9	18	4	0	0	3	9	111
31.	लक्षद्वीप	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
32.	पांडिचेरी	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4
	योग (संघ राज्य)	19	50	8	13	21	8	0	0	3	13	135
	योग (अखिल भारत)	638	625	194	815	1196	640	12	0	413	815	5348

टिप्पणी : ये आंकड़े मासिक अपराध सांख्यिकी पर आधारित है और इन्हें अनंतिम समझा जाए।

उ. न. का अर्थ है – उपलब्ध नहीं।

विवरण-III

मार्च 1994 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों की घटनाएं।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण एवं व्यपहरण	दहेज मौतें	पति एवं उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता	उत्पीड़न	छेड़छाड़	21 वर्ष तक की लड़कियों को इम्पोर्ट करना	सती निषेध अधिनियम	आई. टी. पी. एक्ट	महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण (निषेध) एक्ट	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	राज्य											
1.	आंध्र प्रदेश	86	57	30	197	265	468	0	0	22	197	1322
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	5
3.	असम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
5.	गोवा	1	1	0	2	5	1	0	0	1	2	13
6.	गुजरात	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
7.	हरियाणा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
8.	हिमाचल प्रदेश	8	10	1	15	34	0	0	0	0	15	83
9.	जम्मू एवं कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	कर्नाटक	20	45	21	110	115	5	0	0	211	110	637
11.	केरल	12	12	0	36	59	1	0	0	2	36	158
12.	मध्य प्रदेश	267	109	33	164	630	110	0	0	0	164	1477
13.	महाराष्ट्र	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
14.	मणिपुर	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	8
15.	मेघालय	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	6
16.	मिजोरम	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5
17.	नागालैंड	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18.	उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
19.	पंजाब	10	13	7	7	8	0	4	0	0	7	56
20.	राजस्थान	81	182	27	133	169	3	2	0	0	133	730
21.	सिक्किम	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22.	तमिलनाडु	19	58	3	23	72	151	0	0	391	23	740
23.	त्रिपुरा	6	3	2	2	7	0	0	0	0	2	22
24.	उत्तर प्रदेश	236	264	160	237	328	237	0	0	0	237	1699
25.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	योग (राज्य)	753	766	284	927	1698	976	6	0	627	927	6964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	संघ राज्य											
26.	अं. निकोबार द्वीपसमूह	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27.	चंडीगढ़	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	5
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
29.	दमन व द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	21	63	8	8	22	5	1	0	8	8	144
31.	लक्षद्वीप	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
32.	पांडिचेरी	0	0	1	1	2	19	0	0	0	1	24
	योग (संघ राज्य)	21	67	10	10	25	24	1	0	8	10	176
	योग (अखिल भारत)	774	833	294	937	1723	1000	7	0	635	937	7140

टिप्पणी : ये आंकड़े मासिक अपराध सांख्यिकी पर आधारित है और इन्हें अनंतिम समझा जाए।

उ. न. का अर्थ है – उपलब्ध नहीं।

विवरण-IV

अप्रैल 1994 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों की घटनाएं।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण एवं व्यपहरण	दहेज मौतें	पति एवं उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता	उत्पीड़न	छेड़छाड़	21 वर्ष तक की लड़कियों को इम्पोर्ट करना	सती निषेध अधिनियम	आई. टी. पी. एक्ट	महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण (निषेध) एक्ट	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	राज्य											
1.	आंध्र प्रदेश	74	63	39	183	206	427	0	0	29	183	1204
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
3.	असम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
5.	गोवा	2	0	0	1	1	1	0	0	3	1	9
6.	गुजरात	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
7.	हरियाणा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
8.	हिमाचल प्रदेश	10	13	0	11	30	0	0	0	0	11	75
9.	जम्मू एवं कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	कर्नाटक	31	25	15	98	108	3	0	0	130	98	508
11.	केरल	11	0	1	27	55	0	0	0	0	27	121
12.	मध्य प्रदेश	281	112	42	168	566	146	1	0	0	168	1484
13.	महाराष्ट्र	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
14.	मणिपुर	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	12
15.	मेघालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
16.	मिजोरम	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	9
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
19.	पंजाब	12	17	12	5	7	0	2	0	1	5	61
20.	राजस्थान	82	223	29	194	105	40	5	0	3	194	875
21.	सिक्किम	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	7
22.	तमिलनाडु	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
23.	त्रिपुरा	5	1	0	7	8	0	0	0	0	7	28
24.	उत्तर प्रदेश	162	280	156	278	316	199	0	0	0	278	1669
25.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	योग (राज्य)	677	746	294	972	1414	816	8	0	166	972	6065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	संघ राज्य											
26.	अं. निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
27.	चंडीगढ़	0	8	1	2	3	0	0	0	0	2	16
28.	दादरा व नगर हवेली	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
29.	दमन व द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	23	71	10	9	18	13	0	0	18	9	171
31.	लक्षद्वीप	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
32.	पांडिचेरी	1	0	0	0	2	34	0	0	9	0	46
	योग (संघ राज्य)	25	80	11	11	24	47	0	0	27	11	236
	योग (अखिल भारत)	702	826	305	983	1438	863	8	0	193	983	6301

टिप्पणी : ये आंकड़े मासिक अपराध सांख्यिकी पर आधारित है और इन्हें अनंतिम समझा जाए।

उ. न. का अर्थ है – उपलब्ध नहीं।

विवरण-V

मई 1994 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों की घटनाएं।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण एवं व्यपहरण	दहेज मौतें	पति एवं उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता	उत्पीड़न	छेड़छाड़	21 वर्ष तक की लड़कियों को इम्पोर्ट करना	सती निषेध अधिनियम	आई. टी. पी. एक्ट	महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण (निषेध) एक्ट	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	राज्य											
1.	आंध्र प्रदेश	75	64	45	211	198	215	3	0	31	211	1053
2.	अरूणाचल प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
3.	असम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
5.	गोवा	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	5
6.	गुजरात	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
7.	हरियाणा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
8.	हिमाचल प्रदेश	13	18	0	14	19	0	0	0	0	14	78
9.	जम्मू एवं कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	कर्नाटक	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
11.	केरल	18	13	1	44	50	0	0	0	1	44	171
12.	मध्य प्रदेश	266	100	29	169	550	58	6	0	0	169	1347
13.	महाराष्ट्र	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
14.	मणिपुर	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
15.	मेघालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
16.	मिजोरम	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	7
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
19.	पंजाब	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
20.	राजस्थान	91	205	40	185	114	1	3	0	1	185	825
21.	सिक्किम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
22.	तमिलनाडु	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
23.	त्रिपुरा	09	5	0	2	12	0	0	0	0	02	30
24.	उत्तर प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
25.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	योग (राज्य)	475	414	115	625	949	276	12	0	33	625	3524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	संघ राज्य											
26.	अं. निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
27.	चंडीगढ़	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
28.	दादरा नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन व द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	40	66	48	17	26	8	0	0	9	17	201
31.	लक्षद्वीप	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
32.	पांडिचेरी	1	1	0	1	4	74	0	0	0	1	82
	योग (संघ राज्य)	43	67	18	18	33	82	0	0	9	18	288
	योग (अखिल भारत)	518	481	133	643	982	358	12	0	42	643	3812

टिप्पणी : ये आंकड़े मासिक अपराध सांख्यिकी पर आधारित है और इन्हें अनंतिम समझा जाए।

उ. न. का अर्थ है – उपलब्ध नहीं।

बाढ़ नियंत्रण

720. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असम सरकार को बाढ़ नियंत्रण के लिए आबंटित धनराशि का उचित ढंग से उपयोग किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ प्रबन्ध के लिए असम सरकार को केन्द्रीय ऋण सहायता के अंतर्गत निधियां निर्मुक्त करती हैं। राज्य सरकार लेखा परीक्षित लेखाओं के माध्यम से इन निधियों के उपयोग की सूचना देती है। राज्य सरकार ने वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान पूर्ण उपयोग किए जाने की सूचना दी है। राज्य से वर्ष 1993-94 की इसी प्रकार की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जल प्रबंधन और मानव संसाधन विकास

721. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जल प्रबंधन और मानव संसाधन विकास के संबंध में दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने संगठनों ने भाग लिया; और

(ग) इस बैठक में किन–किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिए गए?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) जल प्रबंध और मानव विकास संसाधन विकास की आवश्यकताओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन 19 से 21 अप्रैल, 1994 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसमें 48 संगठनों ने भाग लिया।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

जल प्रबंध और मानव संसाधन विकास की आवश्यकताओं पर 19 से 21 अप्रैल, 1994 को दिल्ली में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जिन मुख्य मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया है वे ये हैं :

जल प्रबंध को उन्नत करना तथा कुल मिलाकर जल क्षेत्र के लिए मानव संसाधन आवश्यकताओं का पता लगाना। इसमें बाढ़ प्रबंध, ग्रामीण जल आपूर्ति, जल विद्युत विकास, भूजल विकास, सिंचाई प्रबंध विकास, प्रदूषण नियंत्रण आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

निम्नलिखित निष्कर्ष निकले :

1. जल संसाधन विकास से संबंधित विभिन्न उप क्षेत्रों में अल्पकालीन और दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्यों दोनों के लिए मानव संसाधन विकास की आवश्यकताओं को प्रणालीबद्ध रूप से अभिज्ञात करने की अत्यंत आवश्यकता है।

2. यह समझा गया कि जल संसाधन प्रबंध से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यबल गठित किया जाना चाहिये जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ शामिल हों जिन्हें मानव संसाधन विकास के विशिष्ट संदर्भ में क्षेत्रवार आवश्यकताओं का सही पता लगाना है और भविष्य के लिए अपेक्षित मानव संसाधन पैदा करने के लिए स्थानीय रूप से विभिन्न स्तरों और केन्द्रीय स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार भी रेखांकित करने हैं।

3. उपर्युक्त कार्यबल को हाईवेयर और साफ्टवेयर जैसी अवसंरचना की आवश्यकताओं का भी पता लगाना होगा और इस प्रकार योजना बनाई गयी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

4. उपयुक्त और प्रभावी प्रवर्तन के लिए उच्चतम नीति स्तर से सबसे निचले स्तर के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देने के महत्व पर बल दिया गया।

5. यह भी स्पष्ट हुआ है कि मानव संसाधन विकास के जरिए दिया गया किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण सैद्धांतिक होने की बजाय प्रयोगमूलक होना चाहिये।

6. बेहतर जल संसाधन प्रबंध के लिए विकसित पद्धतियों की बेहतर जानकारी देने तथा उनकी सुग्राह्यता के महत्व पर भी बल दिया गया।

नर्मदा बांध

722. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

श्री रवि राय :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा बांध परियोजना की पुनरीक्षा करने के लिए डा० जंयती पाटिल की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (घ) जी हां। अहमदाबाद में गुजरात के उच्च न्यायालय के दिनांक 26.10.93 के मौखिक आदेश जो भारत सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय दल के गंठन के विरूद्ध नर्मदा अभियान तथा दूसरों द्वारा फाइल किए गए विशेष सिविल आवेदन पर पारित किया गया, के अनुसार, पांच सदस्यीय दल ने 21.7.94 को जल संसाधन मंत्रालय में सचिव को अपनी रिपोर्ट सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि जल संसाधन मंत्रालय में सचिव

अगले आदेशों तक उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में गुप्तता और गोपनीयता बनाये रखेंगे।

171 **दूरदर्शन कार्यक्रम**

723. **कुमारी सुशीला तिरिया :**

श्री गुरूदास कामत :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने अपने कार्यक्रमों का प्रभावी विपणन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन के विज्ञापन राजस्व में वृद्धि करने के विचार से विपणन दूरदर्शन कार्यक्रम दूरदर्शन का एक सतत् कार्य कलाप है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

171. **दूरदर्शन-3 चैनल शुरू करना**

724. **श्री तारा सिंह :**

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1994 के "स्टेट्समैन" में "डी.डी. क्रिएट्स ए निच फॉर दि एलीट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन ने डी.डी. –3 चैनल शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या डी.डी–3 में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जैसा कि दूरदर्शन के अन्य चैनलों के लिए किया जाता है, डी डी–III के कार्यक्रम घरेलू निर्माण, बाहरी निर्माताओं को कमीशन करके, सह निर्माणों और विदेश अवाप्त कार्यक्रमों आदि से प्राप्त किए जाएंगे।

171-172 **केन्द्रीय वक्फ परिषद्**

725. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने 1992-93 की अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि केन्द्रीय वक्फ परिषद् ने अनुदान सहायता की खर्च न की गयी शेष धनराशि

सरकार को वापस न लौटा कर अनियमितता बरती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय वक्फ बोर्ड द्वारा उपयोग में न लायी गयी अनुदान सहायता को वापस न लौटाये जाने की बात स्वीकार कर ली है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ङ.) यदि हां, तो क्या सरकार किसी भी सरकारी विभाग द्वारा दी गयी अनुदान सहायता के लिए इसी प्रकार की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करती है;

(च) यदि हां, तो क्या नियन्त्रण और महालेखा परीक्षक ने इस विषय पर सरकार का दृष्टिकोण स्वीकार किया है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस मतभेद के समाधान के लिए क्या कार्यवाही की है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) और (ख) नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की 1992-93 की रिपोर्ट अभी तक मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, यह देखा गया है कि महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1992-93 की अपनी रिपोर्ट में परिषद् द्वारा कुछ राशियां अपने पास रखने पर आपत्ति की है जोकि उनके अनुसार अप्रयुक्त रही थी और गलती से परिषद् की वक्फ निधि में जमा हो गई थी। इस संबंध में परिषद का कहना है कि सरकार द्वारा परिषद् को जब तक बार सहायतानुदान निर्मुक्त कर दिया जाता है और यह राशि वक्फ संस्थाओं/वक्फ बोर्डो को शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिए दे दी जाती है तो सहायतानुदान की राशि प्रयुक्त हो जाती है और वापसी/ऋणों की पुनः अदायगी के रूप में प्राप्त धन, वक्फ निधि का भाग बन जाता है।

सरकार ने पहले महालेखा परीक्षक का ध्यान इस संबंध में वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 8(ख)(2) और (3) की ओर दिलाया था, जो इस प्रकार हैं

"8(ख)(2) : उप धारा (i) के अंतर्गत प्राप्त हुए सभी धन और इसके द्वारा दान के रूप में प्राप्त हुए सभी धन, लाभों और अनुदानों से एक निधि बनाई जाएगी जिसे केन्द्रीय वक्फ निधि कहा जाएगा।

"8(ख)(3) : इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी नियम के बनाए जाने की शर्त पर, केन्द्रीय वक्फ निधि परिषद के नियंत्रणाधीन रहेगी और उन प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाएगी जिसे परिषद उचित समझे।

इसको देखते हुए, सरकार ने यह निर्णय किया है कि परिषद् से ऐसी राशियों की वापसी पर बल न दिया जाए।

(ग) से (छ) महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट इस मंत्रालय में प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग

726. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लम्बित सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सभी 8 रिपोर्टों का केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों, दोनों द्वारा व्यापक रूप दो अध्ययन किया है। चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों से संबंधित सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी/शक्तियां मुख्य रूप से उनके पास है। इन रिपोर्टों में केन्द्र सरकार से संबंधित कुछ एक सिफारिशों का भी पता लगाया गया है और ऐसी अधिकांश सिफारिशों पर कार्यवाई कर ली गई है/निर्णय ले लिए गये हैं।

बुलेट प्रुफ जैकेट

727. **श्री श्रीकान्त जेना** :

श्री रामविलास पासवान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे दिल्ली पुलिस कर्मियों के बुलेट प्रुफ जैकेट दोषपूर्ण पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किस कम्पनी से यह जैकेट लिए गए;

(ग) क्या संबंधित फर्म के साथ करार करने के पहले जैकेटों का परीक्षण किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने वाले हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ड.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि किए गए टेस्टों के आधार पर, दो प्रकार की बुलेट प्रुफ जैकेटें, मैसर्स प्रौग्रेसिव टैक्नोलोजीज ऑफ अमेरिका से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मंगाई गई थी। आपूर्ति हो जाने के बाद जैकेटों पर दोबारा से टेस्ट किए गए, जिसके दौरान उनमें से एक प्रकार की जैकेट को संतोषजनक नहीं पाया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा जैकटों की वापसी के मामले को राज्य व्यापार निगम के साथ पहले ही उठाया गया है।

एड्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश

728. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एड्स पर रोक लगाने के लिए दिशा–निर्देश जारी कर

दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन दिशा–निर्देशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा–निर्देशों के अनिवार्य संघटकों में एच आई वी संक्रमण और एड्स की निवारण और रोकथाम से संबंधित कार्य नीतियां हैं– यौन संचरण की रोकथाम, रक्त के माध्यम से संचरण की रोकथाम, प्रसवपूर्व संचरण की रोकथाम और अलग–अलग समूहों और सोसाइटी पर एच०आई०वी० संक्रमण के प्रभाव की कमी।

(ग) और (घ) जी हां। देश में एच आई वी/एड्स का फैलने से रोकने और इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई कार्यनीतियां विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा–निर्देशों के अनुरूप हैं।

[हिन्दी]

बकाया देय राशि

729. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कोयले की सप्लाई के संबंध में 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार अनेक बिजली घरों पर भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार विद्युत गृहों द्वारा भारत कोकिंग कोल लि० की देय बकाया राशि 651.51 करोड़ रू. की थी, जिसमें से 351.09 करोड़ रू. की राशि विवादास्पद तथा 300.42 करोड़ रू. की राशि अविवादास्पद थी। (सभी आंकड़े अनंतिम हैं)।

(ग) चालू देय राशि तथा बकाया की वसूली के लिए उठाए जा रहे कदमों में, निम्नलिखित कदम शामिल हैं :–

i) कोयला मंत्रालय ने कोयला कंपनियों को विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति अग्रिम भुगतान या ऋण पत्र के आधार पर ही करने की सलाह दी है।

ii) विद्युत तथा कोयला मंत्रालय अदायगी किए जाने संबंधी दोषी राज्य विद्युत बोर्डों के साथ कोयला कंपनियों के बकाया देय राशि के भुगतान का निपटारा किए जाने के लिए आवधिक रूप में विचार–विमर्श करते हैं।

iii) कोयला कंपनियां राज्य विद्युत बोर्डों के साथ ही बकाया देय राशि का निपटारा करने के लिए विचार–विमर्श करती हैं तथा उन्हें भुगतान करने के लिए राजी करती है।

[अनुवाद]

175-179

सब के लिए स्वास्थ्य

730. **श्री जगमीत सिंह बराड़** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों ने 2000 ईस्वी तक "सब के लिए स्वास्थ्य" के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार सब के लिए स्वास्थ्य योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए "ग्राम समिति" अथवा "स्वास्थ्य स्काउट अभियान" की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम का प्रबोधन केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उपलब्धियों के स्तर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लक्ष्य

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में बनाये गए स्तर की तुलना में उसकी उपलब्धियां

क्रम सं०	सूचक	उदधृत किया गया स्तर	लक्ष्य			उपलब्धियां	नवीनतम उपलब्ध आंकड़े
			1985	1990	2000		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	शिशु मृत्यु दर						
	ग्रामीण	136(1978)	122				85
	शहरी	70(1978)	60				53 (1992)
	संयुक्त	125 (1978)	106	87	60 से कम	80	79 (1992)
2.	प्रसवकालीन मृत्यु दर	67(1976)			30.35	49.6	46(1991)
3.	अशोधित मृ० दर	लगभग 14	12	10.4	9.0	9.6	10 (1992)
4.	स्कूल जाने से पूर्व शिशु मृत्यु दर						

1	2	3	4	5	6	7	8
	(1-5 वर्ष)	24 (1976-77)	20.24	15.20	10	26.5	26.5 (1991)
5.	मातृत्व मृत्यु दर	4.5 (1976)	3.4	2.3	2 से कम	4	4 (1991)
6.	जन्म में जीवन प्रत्यशा (वर्ष)						
	पुरूष	52.6 (1976-81)	55.1	57.6	64	58.1 (1986-91)	60.6 (1991-96)
	महिला	51.6 (1976-81)	54.3	57.1	64	59.1 (1986-91)	61.7 (1991-96)
7.	जन्म के समय 2500 ग्राम से कम वजन वाले बच्चे (प्रतिशतता)	30	25	18	10	—	30
8.	अशोधित जन्म दर	लगभग 35	31	27.0	21.0	29.9	29 (1992)
9.	प्रभावी दम्पती सुरक्षा (प्रतिशतता)	23.6 (मार्च, 82)	37.0	42.0	60.0	44.1 (मार्च, 91)	
10.	निबल प्रजनन दर	1.48 (1981)	1.34	1.17	1.0	1.6	
11.	वृद्धि दर (वार्षिक)	2.24 (1971-81)	1.90	1.66	1.20	1.9 (1992)	
12.	परिवार का आकार	4.4 (1975)	3.8	2.3	2.3	4.0 (1988)	
13.	प्रसव पूर्व परिचर्या प्राप्त करने वाली गर्भवती माताएं (प्रतिशत)	40.50	50.60	60.75	100	60 (1988)	
14.	प्रशिक्षित दाइयों द्वारा प्रसव (प्रति.)	30.35	50	80	100	40.50	40.50
15.	रोग प्रतिरक्षण का स्तर (प्रतिशत	20	60	100	78.16	79.41 (1992)	

1	2	3	4	5	6	7	8
	गर्भवती महिलाओं के लिए कवरेज–II)						
	टी.टी. (स्कूली बच्चों के लिए)						
	10 वर्ष		40	100	100	60.5	60.5
	16 वर्ष	20	60	100	100	86.45	86.45
	डी पी टी(बच्चे)						
	तीन वर्ष से कम	25	70	85	85	98.19	90.28 (1992-93)
	पोलियो शिशु	5	50	70	85	101.51	96.46 (1992-93)
	बी सी जी (शिशु	65	70	80	85	101.51	96.46
	डी टी(स्कूल में प्रवेश लेने वाले 5-6 वर्ष के नए बच्चे	20	80	85	85	82.0	82.0
	टायफायड (आंत्रज्वर) (स्कूल में प्रवेश लेने वाले 5-6 वर्ष के नए बच्चे)	2	70	85	85	62.6	62.6 (1987-88)
16.	कुष्ठ – पता लगाए गए रोगियों में से रोग पर काबू पाए गए रोगियों का						
	प्रतिशत	20	40	60	80	65.0	74.86
17.	क्षय रोग –पता लगाए गए रोगियों में से रोग पर काबू						

1	2	3	4	5	6	7	8
	पाए गए रोगियों का प्रतिशत	50	60	75	90	66	66
18.	दृष्टिहीनता की व्याप्तता प्रतिशत	1.4	1	0.7	1.49	1.49	—

* = 40 लाख अनुमानित कुष्ठ रोगियों में से 1983 के बाद उपचार किए गए रोगी

स्रोत्र : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983**

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

731. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए अपना कोई दल वहां भेजा है;

(ख) क्या उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/करने का विचार किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (घ) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन, क्रियान्वयन एवं वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा पारस्परिक प्राथमिकताओं के अनुसार अपने योजनागत संसाधनों से किया जाता है। तथापि केन्द्र उत्तर प्रदेश की चुनिंदा बृहद सिंचाई परियोजनाओं नामशः अपर गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर, सारदा सहायक और सरयु नहर परियोजना का आधुनिकीकरण का प्रबोधन करता है। वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग के एक प्रबोधन दल ने इन परियोजनाओं का दौरा किया। प्रत्येक परियोजना की स्थिति रिपोर्ट तैयार की गयी तथा जारी की गई थी। इन परियोजनाओं के प्रबोधन के समय ध्यान में आयी कमियों जैसे भूमि अधिग्रहण मामलों के हल न होने, परियोजना के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति उपलब्ध न होना, नहर नेटवर्क में दूर संचार सुविधाओं की कमी, निधियों की अपर्याप्तता, का उपचारात्मक उपाय करने के वास्ते राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

179

परिवार संबंधी सलाह

732. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान केरल में परिवार संबंधी सलाह देने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्वयंसेवी संगठनों को ऐसी सहायता देने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ) जी हां,। कम सेवित, असेवित तथा निम्न दम्पति सुरक्षा दर वाले क्षेत्रों के लिए विशिष्ट योजनाएं कार्यान्वित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

179-184

दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र

733. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री दत्ता मेघे :

श्री बलराज पासी :

श्री महेश कनोडिया :

डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार किन–किन स्थानों पर दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए गये हैं;

(ख) 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्यवार किन–किन स्थानों पर दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है; और

(ग) इन पर कितना व्यय होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उत्तर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू किए गए आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों की राज्यवार सूची

स्थान	ट्रा. शक्ति	स्थान	ट्रा. शक्ति
1	2	3	4
आकाशवाणी		**दूरदर्शन**	
आन्ध्र प्रदेश			
अनन्तपुर	2x3 कि. वा. एफ. एम.	अनन्तपुर	10 कि. वा.
मरकापुरम	3 कि. वा. एफ.एम	तिरूपति	10 कि. वा.
कुरूनूल	2x3 कि. वा. एफ. एम	यलान्डु	100 वा.
		जगतियाल	300 वा.
		गदवाल	300 वा.
		गिदालूर	300 वा.
		सिद्दीपेट	100 वा.
		हैदराबाद	100 वा.
		आत्माकुर	300 वा.
		तंदूर	100 वा.
		मन्दसा	300 वा.
असम			
जोरहाट	2x5 कि. वा. एफ. एम.	गोलाघाट	300 वा.
हाफ्लोंग	3 कि. वा. एफ. एम.		
नौगांव	32 कि. वा. एफ. एम,		
बिहार			
सासाराम	2x3 कि. वा. एफ. एम.	डाल्टनगंज	10 कि. वा.
पूर्णिया	2x3 कि. वा. एफ. एम		
हजारीबाग	3 कि. वा. एफ. एम		
चाईबासा	2x3 कि. वा. एफ. एम		
डाल्टनगंज	2x3 कि. वा. एफ. एम		

1	2	3	4
गुजरात			
सूरत	2x3 कि. वा. एफ. एम.	भुज	1 कि. वा.
अहवा	1 कि. वा. एफ. एम.	अहमदाबाद	100 वा.
		खम्बात	300 वा.
हरियाणा			
कुरूक्षेत्र	2x3 कि. वा. एफ. एम.	—	—
हिमाचल प्रदेश			
कसौली	2x5 कि. वा. एफ. एम.		
हमीरपुर	2x3 कि. वा. एफ. एम.		
धर्मशाला	2x5 कि. वा. एफ. एम.		
जम्मू और कश्मीर			
कथुवा	2x3 कि. वा. एफ. एम.	किल्होतरण	10 वा.
		टिमसोगम	10 वा.
		दरास	10 वा.
		शंकू	10 वा.
		सुरनकोट	10 वा.
कर्नाटक			
चित्रदुर्ग	2x3 कि. वा. एफ. एम.	सिमोगा	10 कि वा.
हासन	2x3 कि. वा. एफ. एम.	धारवाड़	10 कि. वा.
हॉसपेट	2x3 कि. वा. एफ. एम.	भागलकोट	100 वा.
रायचुर	2x3 कि. वा. एफ. एम.	मन्दया	300 वा.
मरकारा	2x3 कि. वा. एफ. एम.	सकलेशपुर	10 वा.
कारवार	2x3 कि. वा. एफ. एम.		
केरल			
कन्नानूर	2x3 कि. वा. एफ. एम.		
इदुक्की	2x3 कि. वा. एफ. एम.		

1	2	3	4
मध्य प्रदेश			
बेतुल	2x3 कि. वा. एफ. एम.	जगदलपुर	1 कि. वा.
बिलासपुर	2x3 कि. वा. एफ. एम.	जबलपुर	10 कि. वा.
शिवपुरी	2x3 कि. वा. एफ. एम.	जावरा	100 वा.
छिन्दवाड़ा	2x3 कि. वा. एफ. एम.		
रायगढ़	2x3 कि. वा. एफ. एम.		
शहडोल	2x3 कि. वा. एफ. एम.		
बालाघाट	2x3 कि. वा. एफ. एम.		
गुना	3 कि. वा. एफ. एम.		
सागर	2x3 कि. वा. एफ. एम.		
महाराष्ट्र			
नान्देड़	2x3 कि. वा. एफ. एम.	अम्माजोगई	10 कि. वा.
अमेदनगर	2x3 कि. वा. एफ. एम.	औरंगाबाद	10 वा.
यवतमाल	2x3 कि. वा. एफ. एम.	खामगांव	300 वा.
सतारा	2x3 कि. वा. एफ. एम.	वासिम	100 वा.
चन्द्रपुर	2x3 कि. वा. एफ. एम.	अकोट	100 वा.
अकोला	2x3 कि. वा. एफ. एम.		
कोल्हापुर	2x3 कि. वा. एफ. एम.		
धुले	2x3 कि. वा. एफ. एम.		
मेघालय		विल्यिमनगर	100 वा.
उड़ीसा			
बोलनगिर	3 कि. वा. एफ. एम.	भवानीपटना	10 कि. वा.
भवानीपटना	2x100 कि. वा. एफ. एम.	पुरी	300 वा.
बेरामपुर	2x3 कि. वा. एफ. एम.	काम्याख्यानरग	100 वा.
		जोरंदा	100 वा.
		देवगढ़	100 वा.
		नवरंगपुर	100 वा.

1	2	3	4
		पद्मापुरम	100 वा.
		पदमपुर	100 वा.
		कटक (डी. डी–2)	1 कि. वा.
		मल्कानगिरी	100 वा.
		भुवन	100 वा.
पंजाब			
भटिण्डा	2x3 कि. वा. एफ. एम.	जालन्धर (मेट्रो)	300 वा.
पटियाला	2x3 कि. वा. एफ. एम.		
राजस्थान			
नागौर	2x3 कि. वा. एफ. एम.	नाथद्वारा	100 वा.
बासंवाड़ा	2x3 कि. वा. एफ. एम.	बल्लभनगर	300 वा.
चितौड़गढ़	3 कि. वा. एफ. एम.	करनपुर	300 वा.
बाड़मेर	2x10 कि. वा. एफ. डब्ल्यू	रायसिंहनगर	100 वा.
सवाईमाधोपुर	3 कि. वा. एफ. एम.	कोटपुतली	100 वा.
चुरू	2x3 कि. वा. एफ. एम.	बूंदी	1 कि. वा.
झालावाड़	2x3 कि. वा. एफ. एम.	वसवा	100 वा.
जैसेलमेर	2x5 कि. वा. एफ. एम.		
उत्तर प्रदेश			
बरेली	2x3 कि. वा. एफ. एम.	बरेली	10 कि. वा
फैजाबाद	2x3 कि. वा. एफ. एम.	रासरा	100 वा.
झांसी	2x3 कि. वा. एफ. एम.	रामपुर	300 वा.
ओबरा	2x3 कि. वा. एफ. एम.	लखनऊ	100 वा.
		चुर्क	10 वा.
		मंसूरी	10 वा.
तमिलनाडु			
ऊटकमंड	1 कि. वा. एम. डब्ल्यू	मद्रास (डी. डी.–2)	10 कि. वा.
तूतीकोरिन	2x100 कि. वा. एफ. डब्ल्यू		

1	2	3	4
त्रिपुरा			
बेलोनिया	3 कि. वा. एफ. एम.		
केलाशहर	3 कि. वा. एफ. एम.		
पश्चिम बंगाल			
		कोटंई	300 वा.
		झारग्राम	300 वा.
		पुरलिया	10 वा.
		ईगरा	10 वा.
संघ शासित			
दिल्ली		दिल्ली (डी.डी.–3)	1 कि. वा.
		दिल्ली (डी.डी.–4)	300 वा.
		दिल्ली (डी.डी.–5)	300 वा.
		दिल्ली (डी.डी.–6)	300 वा.
कावारती	1 कि. वा. एफ. एम.	कावारती	100 वा.

[अनुवाद]

मस्तिष्क ज्वर

734. **श्री फूलचंद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान मस्तिष्क ज्वर से वर्षवार कितनी मौतें हुई;

(ख) क्या इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मस्तिष्क ज्वर (जापानी एन्सेफलाइटिस) के कारण हुई किसी मौत की सूचना नहीं दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार

735. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारण क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं;

(ख) इस संबंध में राज्यवार, अब तक क्या उपलब्धि रही है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कर्नाटक और उड़ीसा के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क के परिकल्पित विस्तार का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश के दूरदर्शन और आकाशवाणी कवरेज के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्न प्रकार से हैं :–

	जनसंख्या द्वारा	क्षेत्र द्वारा
दूरदर्शन	91.8%	81.4%
आकाशवाणी	97.5%	91.%

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण-I

राज्यवार मौजूदा दूरदर्शन रेडियो कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दूरदर्शन कवरेज		रेडियो कवरेज	
		क्षेत्र	जनसंख्या	क्षेत्र	जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	70.8	80.3	98	99
2.	अरूणाचल प्रदेश	11.0	44.4	98	98
3.	असम	74.0	82.0	86	85
4.	बिहार	92.3	91.7	99	99
5.	गोवा	100.0	100.0	99	99
6.	गुजरात	65.5	77.0	99	99
7.	हरियाणा	96.6	98.5	99	99
8.	हिमाचल प्रदेश	37.2	58.7	50	88
9.	जम्मू और कश्मीर	26.7	90.4	30	85

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	59.6	68.8	94	95
11.	केरल	84.0	86.3	92	94
12.	मध्य प्रदेश	64.4	69.7	95	97
13.	महाराष्ट्र	70.8	82.7	98	98.5
14.	मणिपुर	31.3	66.4	99	99
15.	मेघालय	94.6	97.2	96	96
16.	मिजोरम	42.1	53.1	82	82
17.	नागालैण्ड	43.4	47.2	95	95
18.	उड़ीसा	73.7	78.7	98	99
19.	पंजाब	100.0	100.0	99	99
20.	राजस्थान	38.8	61.6	92.5	98.5
21.	सिक्किम	36.6	63.1	44	74
22.	तमिलनाडु	91.2	91.3	98	98
23.	त्रिपुरा	93.3	93.3	99	99
24.	उत्तर प्रदेश	79.0	92.4	88	97
25.	पश्चिम बंगाल	95.4	96.0	99	99
	संघ शासित क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23.0	99.0	80	80
2.	चंडीगढ़	100.0	100.0	99	99
3.	दादरा और नगर हवेली	40.0	43.6	99	99
4.	दमन और द्वीप	100.0	100.0	99	99
5.	दिल्ली	100.0	100.0	99	99
6.	लक्षद्वीप और मिनीकॉय द्वीपसमूह	99.0	99.0	99	99
7.	पांडिचेरी	100.0	10.00	99	99
	राष्ट्रीय कवरेज	66.8	84.6	89.6	97

विवरण-II

कर्नाटक और उड़ीसा राज्य में आठवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन/आकाशवाणी स्कीमें

स्थान	आकाशवाणी स्कीम	दूरदर्शन स्कीम
1	2	3
कर्नाटक		
बीजापुर	2x3 कि. वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर, बहु–उद्देशीय स्टुडियो और स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	
बंगलौर	बंगलौर में विदेश सेवा हेतु प्रत्येक 500 कि. वा. के 4 शार्टवेव ट्रांसमीटर	
भद्रावती	मौजूदा 20 किलोवाट मी. वेव ट्रांसमीटर को एक नये 20 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर से बदलना)	
गुलबर्गा	10 कि. वाट. मी. वेव ट्रांसमीटर का 20 कि. वा. तक उन्नयन	का. नि. के. उ. श. ट्रां.
मंगलौर	–	उ. श. ट्रां.
मैसूर	–	उ. श. ट्रां.
रायचूर	–	उ. श. ट्रां.
हासन	–	उ. श. ट्रां.
गंगावती	–	अ. श. ट्रां.
गोकाक	–	अ. श. ट्रां.
जामखण्डी	–	अ. श. ट्रां.
मूडीगेरे	–	अ. श. ट्रां.
पावगाड़ा	–	अ. श. ट्रां.
रामदुर्ग	–	अ. श. ट्रां.
कुमता	–	अ. श. ट्रां.
भतकल	–	अ. श. ट्रां.
हरपनली	–	अ. श. ट्रां.
बासवा कल्याण	–	अ. श. ट्रां.

1	2	3
सागर	–	अ. श. ट्रां.
हुगोण्ड	–	अ. श. ट्रां.
*अरसिकेरे	–	अ. श. ट्रां.
हाथीहल	–	अ. श. ट्रां.
बंगलौर (डी.डी.–2)	–	अ. श. ट्रां.
उड़ीसा		
राउरकेला	2x3 कि. वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियों और स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	
भुवनेश्वर	स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी)	
सम्बलपुर	20 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर का	का. नि. के.
	100 कि. वा. शक्ति में उन्नयन	उ. श. ट्रां.
जेपोर	50 कि. वा. शा. वे ट्रांसमीटर की स्थापना	–
पुरी	3 कि. वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	–
झोरण्डा	बहुउद्देशीय स्टुडियो और स्टाफ क्वार्टर	–
धेनकनाल	सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र,	
	3 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर	
*भवानीपटना	–	का. नि. के.
बालेश्वर	–	उ. श. ट्रां.
*बेहरामपुर	–	उ. श. ट्रां.
बौद्ध	–	अ. श. ट्रां.
लुथेरपंक	–	अ. श. ट्रां.
नयागढ़	–	अ. श. ट्रां.
नूवापाड़ा	–	अ. श. ट्रां.
पालाहारा	–	अ. श. ट्रां.
रायरंगपुर	–	अ. श. ट्रां.
रेधाखोल	–	अ. श. ट्रां

1	2	3
सोनपुर	–	अ. श. ट्रां.
तल्चा	–	अ. श. ट्रां.
पाराद्वीप	–	अ. श. ट्रां.
हिंडोल	–	अ. श. ट्रां.
अथ मल्लिक	–	अ. श. ट्रां.
मोहाना	–	अ. श. ट्रां.
कुचिन्दा	–	अ. श. ट्रां.
बानापुर	–	अ. श. ट्रां.
राज रंगपुर	–	अ. श. ट्रां.
बालीगुराह	–	अ. श. ट्रां.
तुसारा	–	अ. श. ट्रां.
नरसिंहपुर	–	अ. श. ट्रां.
खंडपारा	–	अ. श. ट्रां.
दसरथपुर	–	अ. श. ट्रां.
कबिसूर्यानगर	–	अ. श. ट्रां.
दुर्गापुर	–	अ. श. ट्रां.
*तंगी/सोहेला	–	अ. श. ट्रां.
*पटनागढ़	–	अ. श. ट्रां.
*पदुवा	–	अ. श. ट्रां.
*बोनाई	–	अ. श. ट्रां.
जी. उदयगिरि	–	अ. अ. श. ट्रां.
औल	–	अ. अ. श. ट्रां.
*थुवामल रामपुर	–	अ. अ. श. ट्रां.
*केन्द्रपाड़ा	–	अ. अ. श. ट्रां.

शीर्षक : स. रे. के.– स्थानीय रेडियो केन्द्र

बहु–स्टू. – बहुउद्देशीय स्टुडियो

स. क्वा. – स्टाफ क्वार्टर

ट्रां. – ट्रांसमीटर

का. नि. के. – कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

उ. श. ट्रां. – उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

अ. श. ट्रां. – अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अ. अ. श. ट्रां. – अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

*स्कीम औपचारिक रूप से अनुमोदित की जानी है

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन की जम्मू और कश्मीर की यात्रा

736. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन ने हाल ही में मानवाधिकारों के उल्लघंन और दुरूप्रयोग का आंकलन करने हेतु जम्मू और कश्मीर की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्होंने क्या टिप्पणियां की हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) राज्य में मानव अधिकारों की स्थिति के बारे में आम जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने 4 से 8 जून, 1994 तक श्रीनगर और जम्मू का दौरा किया। इस दौरे की रिपोर्ट आयोग द्वारा तैयार की जा रही है।

कैंसर अस्पतालों के लिए हालैंड से सहायता

737. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हालैंड सरकार ने कर्नाटक में कैंसर अस्पतालों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता राशि उपलब्ध करायी जाएगी;

(ग) क्या इस सहायता से राज्य के अस्पतालों में लघु–कैंसर एकक खोलने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन–किन स्थानों का चयन किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार द्वारा इस सहायता से लगभग 170 करोड़ रूपये की लागत के क्षयरोग, कैंसर का पता लगाने और उपचार करने तथा अभिघात परिचर्या के लिए एक राज्यव्यापी परियोजना का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) अन्य बातों के साथ–साथ चित्रदुर्ग, कोलार, तुमकुर, मंगलौर, मैसूर, बैलगाम, गडग, बीजापुर, करवाड़ बेल्लरी, रायचुर, बीदर आदि स्थानों पर डिटेक्शन और उपचार केन्द्र खोलने का प्रस्ताव हैं।

जल बंटवारा समझौता

738. **श्री थाइलजॉन अंजलोज** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समय समाप्ति के बाद भी अब तक केरल और तमिलनाडु के बीच परम्बिकुलम अलीयार बांध के संबंध में जल बंटवारा समझौते की समीक्षा नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के.थुंगन) : (क) और (ख) केरल और तमिलनाडु के बीच हुए 1970 के समझौते के खण्ड 5(ग) के अनुसार इस समझौते में, प्राप्त अनुभव को देखते हुए 9.11.1988 से पुनरीक्षा के लिए तथा ऐसी पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप ऐसे संशोधनों जिनके बारे में आपस में सहमति हो, के लिए व्यवस्था है। यह समझौता 9.11.1958 से प्रभावी हुआ था। केरल और तमिलनाडु राज्य सरकारों को इस मामले की जानकारी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों को धनराशि

739. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर परिषद् ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) प्रत्येक राज्य को धनराशि आबंटित करने के आधार क्या–क्या है;

(ग) क्या आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर परिषद् (एन. ई. सी.) का दायित्व है कि वह उस क्षेत्र के सामूहिक महत्व के मामलों के संबंध में एक एकीकृत एवं समन्वित क्षेत्रीय योजना तैयार करे। परिषद् मुख्यतः उन परियोजनाओं को हाथ में लेती है जो क्षेत्रीय अथवा अन्तर्राज्यीय स्वरूप की है। अधिकांशतया धन का आबंटन राज्य–वार न होकर योजना–वार आधार पर होता है। तथापि पिछले तीन वर्षों के लिए विभिन्न राज्यों की उन योजनाओं के आंकड़े विवरण में दिए गए हैं जिनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप

में, राज्य की है। तथापि, इनमें वे योजनाएं शामिल नहीं है जिनमें कार्यान्वयन एजेंसी राज्य न होकर कोई और नहीं है।

(ग) और (घ) एन. ई. सी के लिए योजनागत आबंटन पिछले तीन वर्षों के लिए इस प्रकार रहा है– 1992-93 के लिए 232 करोड रू०, 1993-94 के लिए 265 करोड़ रू० और 1994-95 के लिए 277 करोड़ रू०। इस प्रकार पूर्वोत्तर परिषद के लिए धन के आबंटन में पिछले वर्षों में प्रगामी बढ़ोत्तरी हुई है।

विवरण

1991-92 से 1993-94 तक के लिए पूर्वोत्तर परिषद की योजनागत स्कीमों के अंतर्गत धन का राज्यवार आवंटन/रिलीज।

(लाख रू० में)

आवंटन/रिलीज

राज्य का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
अरूणाचल प्रदेश	1081.40	734.16	770.56
असम	1705.75	1683.23	2180.57
मणिपुर	890.79	774.30	1197.62
मेघालय	1001.00	1053.41	959.65
मिजोरम	736.99	896.53	1274.09
नागालैंड	1046.00	603.42	1132.05
त्रिपुरा	685.50	462.66	761.76

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियां

740. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री भगवान शंकर रावत :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों में कुछ जातियों/समुदायों को सम्मिलित करने/बाहर निकालने हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो इन पर निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) से (ड) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों में शामिल किये जाने तथा सूचियों से निष्कासित किये जाने की बाबत 1254 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऐसे सभी प्रस्तावों की जांच और तत्संबंधी सिफारिश के वास्ते इन्हें दिनांक 13 अक्तूबर, 1993 को जारी किये गये संकल्प के तहत गठित सलाहकार समिति के पास भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने पर संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में वर्णित उपबंधों के अनुसार की जाएगी। इस अवस्था में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की हैं अन्य जो पिछड़े वर्गों की सूचियों में शामिल किये जाने संबंधी अनुरोधों तथा अधिक शामिल किये जाने और कम शामिल किये जाने संबंधी शिकायतों की सुनवाई करेगी, उनकी जांच करेंगी तथा तत्संबंधी सिफारिश करेगी। जातियों/समुदायों को शामिल किये जाने व निष्कासित किये जाने संबंधी सभी मामले सलाह के लिए इस आयोग को भेजे जाते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को इस संबंध में अब तक कोई सिफारिश नहीं भेजी है। अतः किसी प्रकार के निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल की रिपोर्ट

741. **श्री शरद दिघे :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एमनेस्टी इन्टरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के संबंध में 7 जुलाई, 1994 के जनसत्ता में प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या सरकार ने रिपोर्ट में प्रकाशित मुद्दों की छानबीन की है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है;

(घ) क्या सरकार ने इसकी निन्दा की है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ड.) सरकार को उक्त रिपोर्ट की जानकारी है जो कि एक प्रकार की वार्षिक रिपोर्ट है जिसका संबंध विश्व के सब देशों से हैं।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल कथित मानवाधिकारों के उल्लघंन के संबंध में भारत सहित विभिन्न देशों के बारे में भी वैयक्तिक रिपोर्ट निकालता आ रहा है। इन रिपोर्टों में भी सम्पूर्ण और आम स्वरूप वाले आरोप लगाए गए हैं जिनका सरकार द्वारा सदैव दृढ़ता से खण्डन किया गया है, तथा सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब कभी भी पुलिस/सुरक्षा बलों के सदस्यों के द्वारा

ज्यादातियां करने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जब कभी इस प्रकार की रिपोर्ट आई है तो सरकार के प्रचार माध्यमों और बड़ी मात्रा में विस्तृत टिप्पणियों परिचालित करवा के नियमित रूप से स्पष्टीकरण भी जारी किए हैं। जब एमनेस्टी इन्टरनेशनल द्वारा कोई विशिष्ट आरोप ध्यान में लाए जाते हैं तो हम उन्हें वास्तविक सूचना नियमित रूप से उपलब्ध कराते हैं।

एड्स नियंत्रण

742. **श्री मोहन रावले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) किन–किन राज्य सरकारों ने एड्स कार्यक्रम को प्रभावित ढंग से लागू करने हेतु राज्य एड्स निवारक समिति की स्थापना की है; और

(ग) उनके मंत्रालय और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम लागू करने और इस प्रयोजनार्थ धन के उपयोग के संबंध में राज्यों को जारी किए गए दिशा–निर्देश क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र।

(ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों को समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए अनुमोदित पैटर्न के अनुसार खर्च किया जाए और धन किसी अन्य कार्यकलाप में न लगाया जाए।

विवरण

सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92 के दौरान दिया गया अनुदान	1992-93 के दौरान दिया गया अनुदान	1993-94 के दौरान दिया गया अनुदान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश		7049000	2509400
2.	अरूणाचल प्रदेश		2063000	824400
3.	असम		3182500	1243200
4.	बिहार		4375000	1669400
5.	गोवा		2466000	786900

1	2	3	4	5
6.	गुजरात		5641000	6583200
7.	हरियाणा		2923000	3335700
8.	हिमाचल प्रदेश		7475000	2293200
9.	जम्मू व कश्मीर		0	3732000
10.	कर्नाटक		6449060	5308200
11.	केरल		3777500	1618900
12.	मध्य प्रदेश		5055000	6222800
13.	महाराष्ट्र		9067000	16668600
14.	मणिपुर	35,00,000	2353000	3172200
15.	मेघालय		0	2197500
16.	मिजोरम	20,00,000	1938000	3172500
17.	नागालैंड	11,00,000	2870500	3000300
18.	उड़ीसा		4677500	1981900
19.	पंजाब		3100000	1199400
20.	राजस्थान		4136500	4764300
21.	सिक्किम		1640500	486900
22.	तमिलनाडु		8491500	8325300
23.	त्रिपुरा		2146000	3272500
24.	उत्तर प्रदेश		7299000	2758800
25.	पश्चिम बंगाल		6054000	2285600
26.	पांडिचेरी		1915500	873700
27.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह		1708000	2222500
28.	चंडीगढ़		1425000	2270000
29.	दादरा व नागर हवेली		1100000	1795000
30.	दमण व दीव		500000	1795000
31.	दिल्ली		2743500	4870000
32.	लक्षद्वीप		700000	1847500
	योग	66,00,000	114321500	105092800

एनलजिन से उत्पन्न घातक विकार

743. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मई, 1994 के "पायनियर" में "एनलजिन कैन कॉज फैटल डिसआर्डर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन औषधियों के दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार करने के लिए सरकार क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं/उठाये जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) बोस्टन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययनों में अन्य वेदना हारक औषधों के मुकाबले एनलजिन का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से इन्कार किया गया है। औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड, जो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन एक सांविधिक निकाय है, ने इन अध्ययनों की विस्तार से जांच की है और एनलजिन पर प्रतिबंध न लगाने की राय दी है।

एनलजिन एक ऐसी औषध है जो पंजीकृत चिकित्सक द्वारा लिखी गई पर्ची पर दी जाती है। इस औषध के संभावित प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख इसके पैकेट में रखी पर्ची में होता है।

कोयला भण्डार

744. **श्री हाराधन राय** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले का कितना ज्ञात भंडार है; और

(ख) उर्जा के स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग बढ़ाने और इसमें सुधार करने हेतु अनुसंधान और विकास कार्य पर आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रति वर्ष कितना परिव्यय निर्धारित करने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) दिनांक 1.1.1994 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू–सर्वेक्षण (जी. एस. आई.) के मूल्यांकन के आधार पर देश में कोयले का अनुमानित भंडार (1200 मी. की गहराई तक) 1968 91.87 मि. टन है, जिसमें से 68047.39 मि. टन प्रमाणित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

(ख) आठवीं योजना अवधि के (1992-97) दौरान, विभिन्न अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों के क्षेत्रों में जैसे उत्पादन, उत्पादकता तथा सुरक्षा कोयला परिष्करण, कोयला उपयोग, पर्यावरण तथा परिस्थितिकी, आदि पर कुल 87 करोड़ रू. के पूंजीगत परिव्यय होने का अनुमान लगाया गया है।

8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-1995) के प्रथम 3 वर्षों के दौरान 23.35 करोड़ रू. के परिव्यय की राशि अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गई है। योजना अवधि के शेष 2 वर्षों की अवधि के लिए आवंटन वार्षिक योजना के अभ्यासों पर निर्भर करता है जोकि

प्रस्तावित/शुरू की जाने वाली विभिन्न अनुसंधान एवं विकास योजनाओं की स्थिति पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन स्टूडियो, इन्दौर

745. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन्दौर में एक दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, हां। इन्दौर में स्टूडियो स्थापित करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं।

(ख) वर्तमान में इन्दौर में स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

धारावाहिकों और वृतचित्रों का चयन

746. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री गुमान मल लोढा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों और वृत्तचित्रों के चयन के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने धारावाहिकों एवं अन्य प्रसारण सामग्री के चयन हेतु उक्त समिति के लिए कोई दिशा-निर्देश या आधार तय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार को अब तक धारावाहिकों के चयन में हुई अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें मिलती रही हैं; और

(च) यदि हां, तो अब तक पाई गई इन शिकायतों के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ड.) जी, हां।

(च) हालांकि ऐसी शिकायतों के लिए कोई विशिष्ट कारण नहीं दिए जा सकते तथापि जहां

कहीं आवश्यक पाया जाता है, शिकायतों की शीघ्रता से जांच की जाती है और उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

कैट स्केन सुविधा

747. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सरकारी अस्पतालों में कैट स्केन सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक जिले के सरकारी अस्पतालों में कैट–स्केन सुविधा उपलब्ध करायी है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने देश के प्रत्येक सरकारी अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) कैट स्केन सुविधा तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने वाले प्रमुख सरकारी अस्पतालों में प्रायः उपलब्ध है। प्रत्येक सरकारी अस्पतालों में कैट स्केन सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

आयुर्वेदिक महाविद्यालय

748. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान देश में कुछ नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये महाविद्यालय कब तक खोले जायेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) जी, नहीं। आयुर्वेद की मौजूदा शैक्षिक संस्थाओं का उन्नयन और विकास करने पर जोर दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

भूमि से वंचित लोगों को रोजगार

749. **श्री ए. अशोकराज** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में स्थित नैयेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन और कल्पक्कम उर्जा संयंत्र ने भूमि से वंचित हुए लोगों को, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार दिये आश्वासन के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) ऐसे व्यक्ति जिनकी भूमि

अधिग्रहीत की गई है, उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का न तो नेयेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (ने. लि. का.) और न ही कल्पक्कम विद्युत संयंत्र प्राधिकरण द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है। इसलिए आश्वासन के कार्यान्वयन में किसी प्रकार के विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता है।

ने. लि. का. के मानदण्डों के अनुसार भूमि वंचितों के पुर्नवास की योजना के अंतर्गत चार वर्गो के लोग निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार रोजगार दिए जाने के पात्र हैं :–

(1) जिनके मकान, आवास स्थल सहित अधिग्रहीत किए गए हैं

(प्राथमिकता–I)

(2) जिनकी समग्र कृषि भूमि आवास तथा आवास स्थल सहित अधिग्रहीत की गई है (प्राथमिकता–II)

(3) जिनकी समस्त कृषि भूमि अधिग्रहीत की गई है (प्राथमिकता–III)

(4) जिनकी कृषि भूमि आंशिक रूप में अधिग्रहीत की गई है (प्राथमिकता–IV)

उपर्युक्त प्राथमिकताओं के अधीन ही आवेदकों की परस्पर प्राथमिकता मुआवजा दिए जाने की तारीख द्वारा निर्धारित की जाती है।

जल संसाधन क्षमता

750. **श्री एम. कृष्णस्वामी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षो के दौरान केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु में जल संसाधन क्षमता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के थुंगन) : (क) और (ख) सिंचाई राज्यों का विषय है अतः जल संसाधनों के विकास के लिए सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। तथापि, अन्तर्राज्यीय नदियों के बारे में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए जाते हैं। इन नदियों में तमिलनाडु में बहने वाली नदियां भी शामिल हैं। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने तमिलनाडु में भूजल उपलब्धता के सर्वेक्षण किए है। सर्वेक्षण और अन्वेषण के आधार पर, तमिलनाडु राज्य के पुनर्भरणीय भूजल संसाधन 26391.25 मिलियन घन मीटर आंके गए हैं।

अस्पतालों का दर्जा बढ़ाना

751. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक आंध्र प्रदेश को मध्यम दर्जे के सरकारी अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने और उनके आधुनिकीकरण हेतु ऋण मंजूर करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इनका दर्जा बढ़ाने सम्बन्धी कार्य कब तक पूरा हो जाएग?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में द्वितीयक स्तर के अस्पतालों को दर्जा बढ़ाने के लिए 608 करोड़ रूपये की संशोधित अनुमानित रकम की एक स्वास्थ्य पद्धति परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई है। विश्व बैंक के एक आंकलन मिश ने मई, 1994 में आंध्र प्रदेश का दौरा किया। बातचीत अस्थायी तौर पर सितम्बर, 1994 में करने की योजना है।

परिवार कल्याण परियोजनाएं

752. **श्री भेरू लाल मीणा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, राजस्थान और कर्नाटक के लिए परिवार कल्याण परियोजनाओं के संबंध में विश्व बैंक के साथ बातचीत को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों को विश्व बैंक से मिलने वाले ऋण पर निगरानी रखने हेतु केन्द्रीय सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 16 जून, 1994 को मंजूरी दी गई है। योजना की कुल लागत 335 करोड़ रूपये और अवधि 7 वर्ष है। विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए 62.7 मिलियन एस. डी. आर. (88.6 मिलियन अमरीकी डालर) के ऋण की स्वीकृति दी है।

(ग) इन राज्यों को दी गई विश्व बैंक सहायता का अनुवीक्षण राज्य स्तर पर उच्चाधिकार समितियों द्वारा तथा केन्द्र और राज्य के अधिकारियों को आवधिक समीक्षा बैठकों तथा राज्यों से प्राप्त मासिक और तिमाही रिपोर्टों में किया जाएगा। समय-समय पर धन रिलीज करने के लिए भी परियोजना की प्रगति का जायजा लिया जाएगा।

[हिन्दी]

कश्मीरी विस्थापित

753. **डा. अमृत लाल कालिदास पटेल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कश्मीरी विस्थापितों के रहन-सहन की दशा और असुविधाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जम्मू में कश्मीरी विस्थापितों के शिविर अच्छी हालत में नहीं हैं; और

(ड.) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में शिविरों में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों की रहन–सहन की दशा के बारे में स्थिति की, संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों और प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श करके, मंत्रालय में, गृह मंत्री के स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर, सावधिक समीक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ) जब कभी इन शिविरों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती है, उनकी तत्काल जांच की जाती है और उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। स्थिति का जायजा लेने और इन शिविरों में रह रहे प्रवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए अधिकारियों द्वारा इन शिविरों का नियमित रूप से दौरा/निरीक्षण किया जाता है।

[अनुवाद]

कैंसर अस्पताल

754. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कितने–कितने कैंसर अस्पताल हैं;

(ख) क्या इन सभी अस्पतालों में कैंसर रोगियों के इलाज हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) 1993-94 के दौरान इन अस्पतालों को कितनी धनराशि दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) कैंसर के रोगियों के उपचार के लिए विकिरण चिकित्सा की सुविधाओं वाली संस्थाओं की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को 8.90 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

विवरण

कैंसर रोगियों के उपचार के लिए विकिरण चिकित्सा की सुविधाओं वाली संस्थाओं की राज्यवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चिकित्सा संस्थाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	असम	2
3.	बिहार	3
4.	चंडीगढ़	1
5.	दिल्ली	5
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	5
8.	हरियाणा	1
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू व कश्मीर	3
11.	कर्नाटक	11
12.	केरल	6
13.	मध्य प्रदेश	6
14.	महाराष्ट्र	16
15.	मणिपुर	1
16.	मेघालय	1
17.	उड़ीसा	3
18.	पांडिचेरी	1
19.	पंजाब	4
20.	राजस्थान	4
21.	तमिलनाडु	17
22.	त्रिपुरा	1
23.	उत्तर प्रदेश	11
24.	पश्चिम बंगाल	7
	कुल	124

[हिन्दी]

सातवीं योजना के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम

755. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) क्या सातवीं योजना का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ.) क्या आठवीं योजना अवधि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) 3105.21 करोड़ रूपये।

(ख) से (घ) लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण–I से विवरण चार में दी गई है। सामाजिक रीति रिवाजों तथा विश्वासों, जिनमें लड़के को प्राथमिकता दिया जाना, महिलाओं की साक्षरता दर कम होना, विवाह के समय लड़की की आयु, उच्च शिशु मृत्यु दर, सामुदायिक सहभागिता न होना, सेवाओं का दूरी पर स्थित होना तथा बेहतर न होने जैसे पहलुओं के कारण प्रत्येक राज्य का कार्य निष्पादन भिन्न–भिन्न है।

(ङ.) और (च) लक्ष्य संलग्न विवरण पांच और विवरण छः में दिए गए हैं।

विवरण-I

नसबंदी के संबंध मे राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां - 7वीं योजना अवधि 1985-86 से 1989-90

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**बड़े राज्य (एक करोड़ और उससे अधिक जनसंख्या वाले)**										
1.	आंध्र प्रदेश	530000	434714	600000	466138	600000	457489	600000	477106	637000	442804
2.	असम	180000	122690	205000	93471	205000	78274	149000	58119	200000	60173
3.	बिहार	571000	361706	600000	362715	600000	510085	513000	514498	513000	332455
4.	गुजरात	300000	333423	300000	260101	300000	277062	293000	241079	293000	237255
5.	हरियाणा	100000	115222	105000	76364	105000	77603	100000	81426	100000	88686
6.	कर्नाटक	336000	342234	350000	334060	350000	319763	325000	301147	311000	289372
7.	केरल	215000	204572	215000	204615	215000	195298	200000	207457	180000	208537
8.	मध्य प्रदेश	425000	359246	450000	452723	450000	318311	400000	2735884	350000	237386
9.	महाराष्ट्र	565000	556090	570000	555353	570000	460612	500000	510191	525000	526457
10.	उड़ीसा	210000	166481	225000	149805	225000	146982	200000	161547	209000	152614
11.	पंजाब	120000	120552	125000	144106	125000	149030	120000	96594	120000	138962
12.	राजस्थान	285000	267865	300000	224880	300000	194479	225000	107372	225000	122635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	तमिलनाडु	475000	513990	560000	498890	560000	511744	450000	407552	425000	383132
14.	उत्तर प्रदेश	600000	540191	650000	743226	650000	751670	650000	729075	700000	483354
15	प० बंगाल	450000	288840	500000	301171	500000	324575	437000	335873	450000	320212
II	**छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र**										
1.	हिमाचल प्रदेश	38000	32291	35000	33038	35000	31576	30000	35164	30000	32591
2.	जम्मू व कश्मीर	40000	31813	60000	35130	60000	25669	36600	26146	36600	13973
3.	मणिपुर	6400	7774	7000	5328	7000	4711	7000	5740	7800	4631
4.	मेघालय	600	534	700	457	700	558	1000	470	700	538
5.	नागालैंड	400	615	1000	679	1000	548	1000	715	1500	1065
6.	सिक्किम	700	838	1000	1057	1000	861	1100	973	1100	983
7.	त्रिपुरा	10000	8917	10000	10786	10000	6764	10000	6915	9000	7331
8.	अं निकोबार	1400	1496	1500	1553	1500	1522	2000	2061	2100	2138
9.	अरूणाचल प्रदेश	400	832	500	1039	500	944	1800	1560	1400	1486
10.	चंडीगढ़	3300	3577	3500	3653	3500	3708	3500	2926	3500	2268
11.	दा. न. हवेली	1000	1363	1000	1722	1000	1905	1100	1163	800	963
12.	दिल्ली	30000	27846	40000	26901	40000	28971	36000	31456	36000	31917
13.	गोवा	5000	4784	4740	4571	4270	4457	4500	4368	4500	4569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	दमन व द्वीव	$	$	$	$	470	417	450	367	350	395
15.	लक्षद्वीप	100	39	60	34	60	25	60	40	60	22
16.	मिजोरम	3000	2899	3000	2709	3000	3565	3000	3154	3000	3581
17.	पांडिचेरी	7000	5973	6000	5747	6000	5727	5300	6074	5100	7437
III	**अन्य एजेंसियां**										
1.	रक्षा मंत्रालय	23000	19337	30000	20913	30000	22192	28800	19746	28900	20150
2.	रेल मंत्रालय	28000	22865	40000	20250	40000	22659	38400	26519	38600	28191
	समस्त भारत	5560300	4901609	6000000	5043185	6000000	4939756	5373610	4678177	5449010	4188163

$ - गोवा में शामिल

आई. यू. डी. निवेशन के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां - 7वीं योजनावधि 1985-86 से 1989-90

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**बड़े राज्य (एक करोड़ और उससे अधिक जनसंख्या वाले)**										
1.	आंध्र प्रदेश	140000	125602	160000	99551	250000	173974	321000	213648	421000	245996
2.	असम	24000	21861	30000	31031	35000	21079	68400	23512	30000	27703
3.	बिहार	174000	133279	272000	200923	272000	206360	355000	337869	400000	253737
4.	गुजरात	250000	291227	300000	287819	313000	318661	317000	358918	317000	356547
5.	हारयाणा	145000	175259	150000	161769	167000	182573	187000	194783	164000	170409
6.	कर्नाटक	160000	169007	180000	187542	198000	189765	210000	204693	223000	199555
7.	केरल	55000	59589	70000	76164	121000	85530	115000	115535	115000	125321
8.	मध्य प्रदेश	200000	193735	220000	216147	265000	233544	251000	306712	300000	334117
9.	महाराष्ट्र	600000	417182	650000	420841	525000	393732	475000	396949	500000	435091
10.	उड़ीसा	100000	85702	100000	105635	122000	114086	148000	146188	168000	157497
11.	पंजाब	207000	245974	250000	313633	250000	348826	270000	314310	275000	356729
12.	राजस्थान	85000	95632	120000	126094	120000	140055	210000	173026	250000	191723
13.	तमिलनाडु	168000	192120	200000	395468	288000	493770	453000	458664	415000	431817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	उत्तर प्रदेश	665300	863172	750000	1082246	982000	1197824	1151000	1310552	1250000	1340976
15.	प० बंगाल	108000	61754	115000	75473	115000	94994	168000	116864	175000	131126
II	**छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र**										
1.	हिमाचल प्रदेश	21000	26225	30000	30761	32000	31355	43200	35287	43000	37420
2.	जम्मू व कश्मीर	17000	14915	17000	13113	17000	12709	25700	15953	25700	14792
3.	मणिपुर	6200	4787	6000	4958	7000	6158	7000	8026	8200	7151
4.	मेघालय	500	1260	1400	1487	1500	1208	5300	1454	2000	1610
5.	नागालैंड	200	905	1400	1002	1500	493	4100	646	2500	831
6.	सिक्किम	1000	1029	1400	1146	1700	1017	1700	1384	1700	1471
7.	त्रिपुरा	4000	1032	4000	2139	4400	1748	4000	1867	1500	2560
8.	अं निकोबार	800	843	1000	962	1500	1227	1700	1889	1500	1695
9.	अरूणाचल प्रदेश	1400	1371	1500	1954	2000	1902	1200	2169	2000	2116
10.	चंडीगढ़	10000	5701	6000	5783	10000	6186	10000	6020	10000	5844
11.	दा. न. हवेली	150	194	150	213	200	160	180	200	210	160
12.	दिल्ली	64000	57714	72000	61699	100000	64246	110000	69402	90000	70641
13.	गोवा	1500	1565	1500	2499	2840	3162	3050	3056	3500	3695
14	दमन व द्वीव	$	$	$	$	160	99	250	124	330	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	लक्षद्वीप	200	49	100	105	100	86	100	44	100	65
16.	मिजोरम	2000	1409	1950	1651	2500	3192	2700	2100	2700	2580
17.	पांडिचेरी	3600	3318	3600	3584	3600	3491	3300	3924	3200	3121
III	**अन्य एजेंसियां**										
1.	रक्षा मंत्रालय	12000	10860	14000	12009	16000	12156	18200	12645	20000	13115
2.	रेल मंत्रालय	16800	9588	20000	9284	23000	10804	26100	13070	28700	13851
	समस्त भारत	3243650	3273860	3750000	3934685	4250000	475612	1970180	1851483	5252840	4942042

* गोवा में शामिल

विवरण-II

प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोगकर्त्ताओं के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां - 7वीं योजनावधि 1985-86 से 1989-90

क्र.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
सं.		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**बड़े राज्य (एक करोड़ और उससे अधिक जनसंख्या वाले)**										
1.	आंध्र प्रदेश	300000	248575	350000	206648	540000	423695	773000	601396	1014000	725245
2.	असम	40000	35878	37000	42508	46300	39620	119000	33343	60000	37414
3.	बिहार	150000	89787	110000	86443	150000	107350	202000	205670	202000	185749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	गुजरात	472000	472487	450000	547204	508000	573844	650000	671876	650000	769208
5.	हरियाणा	350000	488804	470000	481555	470000	581639	628000	660530	550000	598272
6.	कर्नाटक	200000	160225	140000	178690	220000	209316	222000	223745	246000	223703
7.	केरल	75000	99715	150000	173585	150000	169992	271000	238830	271000	292139
8.	मध्य प्रदेश	500000	573237	580000	761480	747000	692741	961000	1002491	1150000	1230744
9.	महाराष्ट्र	600000	562119	700000	733719	850000	728891	849000	805822	850000	915241
10.	उड़ीसा	157000	134896	150000	165618	192000	196210	268000	268476	306000	306666
11.	पंजाब	260000	345912	380000	475327	380000	504758	462000	521597	429000	580799
12.	राजस्थान	160000	177990	140000	240247	220000	298022	527990	428755	400000	445700
13.	तमिलनाडु	200000	177214	130000	175763	293000	303521	320000	342840	280000	324752
14.	उत्तर प्रदेश	690000	818229	880000	894629	1000000	960398	1183000	1138746	1300000	1265976
15.	प० बंगाल	260000	139705	200000	154096	250000	197732	412000	252470	425000	319160
II	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**										
1.	हिमाचल प्रदेश	23000	37680	35000	40563	42000	42211	69300	57935	69000	69087
2.	जम्मू व कश्मीर	15000	10513	15000	12402	15000	10418	21200	14016	21200	14731
3.	मणिपुर	6600	2309	6600	2348	6600	2150	3900	2783	4600	3732
4.	मेघालय	2200	3221	6000	2770	6000	2494	13600	1407	3000	2264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	नागालैंड	1000	176	500	74	600	25	640	17	700	30
6.	सिक्किम	400	194	500	211	400	137	600	246	600	463
7.	त्रिपुरा	3000	2287	3000	3923	4000	2999	8109	3074	4000	4420
8.	अं निकोबार	500	394	500	763	900	995	1300	1402	1400	1702
9.	अरूणाचल प्रदेश	500	545	600	650	700	516	1700	628	600	882
10.	चंडीगढ़	10000	6547	8000	7846	9000	7758	14200	9975	10000	8482
11.	दा. न. हवेली	550	577	500	586	700	506	600	497	700	503
12.	दिल्ली	174000	133420	190000	204692	248000	237050	345000	319313	360000	319973
13.	गोवा	8300	7990	8000	12203	9500	11033	17700	16253	12000	14762
14.	दमन व द्वीव	$	$	$	$	500	240	1400	281	750	578
15.	लक्षद्वीप	200	634	500	357	500	166	790	291	1000	261
16.	मिजोरम	3500	1101	2300	1082	2300	1272	2200	1091	2200	1849
17.	पांडिचेरी	4900	6344	6000	8875	6000	8279	8400	10194	8300	11241
III	**अन्य एर्जेसियां**										
1.	रक्षा मंत्रालय	59000	46973	60000	50292	65000	49963	82700	50058	90800	68661
2.	रेल मंत्रालय	288000	269779	290000	273768	316000	282518	402000	315895	442000	378552
3.	वाणिज्यिक विवरण	4500000	4331111	5000000	3883889	4000000	4693472	4200000	4220000	4850000	5035417
	अखिल भारत	9514650	9386568	10500000	9824806	10750000	11341931	13043320	12421943	14015850	14158858

विवरण-III

खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्त्ता के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां - 7वीं योजनावधि 1985-86 से 1989-90

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**बड़े राज्य (एक करोड़ और उससे अधिक जनसंख्या वाले)**										
1.	आंध्र प्रदेश	80000	64532	80000	62980	70000	108587	151000	139221	194000	174058
2.	असम	10000	4505	10000	7429	10000	6333	12900	7804	15000	2091
3.	बिहार	50000	11346	20000	13564	20000	16781	20700	20164	20700	37210
4.	गुजरात	74000	74900	100000	96277	100000	111476	78000	114808	78000	118368
5.	हरियाणा	25000	23508	27000	30637	25000	32871	25000	40994	40000	38430
6.	कर्नाटक	63000	42815	63000	54765	63000	71950	65000	75608	49800	74249
7.	केरल	35000	20996	40000	27858	40000	28000	34500	37557	34500	43427
8.	मध्य प्रदेश	100000	84114	100000	175781	110000	131225	132000	191491	200000	222042
9.	महाराष्ट्र	148000	172586	203000	212334	217000	247562	181000	249594	350000	303363
10.	उड़ीसा	36000	22687	36000	36852	36000	44948	37700	55433	42100	57675
11.	पंजाब	28000	24773	28000	52484	28000	54598	31000	53837	50000	61523
12.	राजस्थान	31000	13564	20000	35582	20000	44182	45990	46234	50000	66647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	तमिलनाडु	76000	47545	76000	79997	76000	158666	82100	164212	150000	189094
14.	उत्तर प्रदेश	90000	102906	120000	125076	117000	155572	112000	169112	180000	186252
15.	प० बंगाल	82000	17246	46500	85002	37600	81084	44700	83572	100000	99701
II	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**										
1.	हिमाचल प्रदेश	9000	6196	5400	8936	6000	7472	9500	9000	9500	9806
2.	जम्मू व कश्मीर	4000	1860	4000	2313	4000	2290	2600	3020	3200	2946
3.	मणिपुर	900	127	900	188	900	256	190	556	220	565
4	मेघालय	500	651	900	924	1000	1342	2500	1282	2000	1200
5.	नागालैंड	600	397	1000	890	500	105	980	100	1000	137
6.	सिक्किम	1400	1310	2000	1191	2000	1150	2100	1467	2200	1768
7.	त्रिपुरा	2000	1304	2500	1911	2500	2291	2900	2581	2900	2651
8.	अं निकोबार	200	87	200	282	200	290	280	407	320	419
9.	अरूणाचल प्रदेश	600	732	700	763	700	812	1600	965	1000	1047
10.	चंडीगढ़	800	264	1000	345	500	336	420	363	500	240
11.	दा. न. हवेली	100	40	100	82	100	79	40	80	100	142
12.	दिल्ली	2200	1023	1450	1768	1500	2509	2000	3891	4500	3484
13.	गोवा	1600	1225	1100	1883	1120	1382	1950	1686	2000	2054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	दमन व द्वीव	$	$	$	$	80	73	150	78	120	118
15.	लक्षद्वीप	50	48	50	41	100	41	50	50	250	69
16.	मिजोरम	700	607	700	598	700	1069	920	1328	920	978
17.	पांडिचेरी	1600	1119	1200	1399	1200	1083	990	1000	960	1080
II	**अन्य एजेंसियां**										
1.	रक्षा मंत्रालय	3600	2877	3700	3028	3700	2869	3800	3221	4200	4331
2.	रेल मंत्रालय	2400	3415	3600	3349	3600	3467	3700	4012	4100	4454
3.	वाणिज्यिक वितरण	&	606307	&	702333	1000000	741646	1050000	931462	500000	1081077
	समस्त भारत	960250	1357612	1000000	1828842	2000000	2064397	2140260	2416190	2094090	2792606

& कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं

$ गोवा में शामिल है

विवरण - IV

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-86 से 1989-90) के दौरान व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य (लाखों में)		उपलब्धियां (लाखों में)					कवरेज स्तर (प्रतिशत)				
	शिशु	गर्भवती महिलाएं	डी.पी.टी.	ओ.पी.बी.	बी.सी.जी.	एम.एस.एल.	टी.टी. पी डब्ल्यू	डी.पी.टी.	ओ.पी.बी.	बी.सी.जी.	एम.एस.एल.	टी.टी. पी डब्ल्यू
1985-86	128.55	128.55	94.43	81.89	66.23	3.08	103.56	41.12	35.66	28.84	1.34	39.85
1986-87	152.00	152.00	129.88	111.38	118.11	37.15	117.33	56.55	48.41	52.19	16.17	45.29
1987-88	169.32	169.32	166.91	142.67	163.54	100.54	149.55	72.23	60.46	70.70	44.06	56.48
1988-89	180.44	226.84	168.10	159.03	174.38	124.30	161.85	79.61	74.83	79.29	55.17	65.15
1989-90	191.41	251.24	192.73	191.36	204.61	160.08	178.32	82.93	82.30	89.04	69.32	58.83

नोट : एम एस एल के संबंध में 1986-87, 1987-88, 1988-89 के लक्ष्य क्रमशः 57.27, 112.18 और 157.60 थे।

विवरण-V

आठवीं योजना अवधि के दौरान परिवार कल्याण के प्रस्तावित लक्ष्य

(आंकड़े दस लाख)

वर्ष	नसबंदी	आई.यू.डी.	प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता	खाई जाने वाली गोलियां के उपयोगकर्ता
1992-93	5.54	6.98	17.79	3.36
1993-94	6.02	7.48	19.34	3.65
1994-95	6.44	8.00	20.67	3.90
1995-96	6.84	8.51	21.98	4.15
1996-97	7.25	9.00	23.27	4.39
कुल	32.09	39.87	103.05	19.45

विवरण-VI

शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम रोग प्रतिरक्षण कार्य क्रम के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य

वर्ष	शिशुओं के टीका लगाने के लक्ष्य	गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लक्ष्य
1992-93	242.90	270.08
1993-94	247.90	275.55
1994-95	247.65	275.25
1995-96**	251.00	280.00
1996-97**	254.50	285.00

** आंकड़े अनन्तिम हैं।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक विकास बोर्ड

756. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक विकास बोर्ड का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बोर्ड को कितनी धनराशि आवंटित की जायेगी; और

(घ) इस बोर्ड के कार्यकलापों और कार्यकरण का समन्वय करने वाली एजेंसियों के नाम क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

योगाश्रम को अपने अधिकार में लेना

757. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान ने नई दिल्ली में अशोक रोड़ स्थित योगाश्रम को अपने अधिकार में ले लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योगाश्रम में योग और योग अनुसंधान का विकास करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का विचार इसके बेहतर प्रबंधन के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) से (च) सरकार विश्वायतन योगाश्रम के प्रबंध को अपने नियंत्रण में लेने पर विचार कर रही है। विभिन्न ब्यौरे बाद में ही तैयार किए जा सकते हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की समीक्षा

758. **श्री एस. एम. लालजान बाशा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुसंधानोन्मुख बनाने के लिए इसके कार्यकरण की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औषधों की कमी

759. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विभिन्न औषधालयों में जीवन रक्षक/आधारभूत औषधों की कमी का आकलन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है; और

(ग) सरकार ने कमी को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में मूलभूत/जीवन रक्षक औषधों की कुल मिलाकर कोई कमी नहीं है। औषधालयों में औषधों की कभी–कभार होने वाली कमी को उन्हें अनुमोदित स्थानीय कैमिस्टों से खरीद करके पूरा किया जाता है।

[हिन्दी]

समाचार-पत्र और पत्रिकाएं

760. **श्री ललित उरांव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार–पत्र रजिस्ट्रार की सूची में दर्ज सूचना के अनुसार बिहार से प्रकाशित होने वाले दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार–पत्रों/पत्रिकाओं के नाम, उनके प्रकाशन–स्थानों के नाम और रजिस्ट्रेशन वर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से किन–किन समाचार–पत्रों/पत्रिकाओं को अखबारी कागज के कोटे की आपूर्ति की जाती है और प्रत्येक को कितना–कितना अखबारी कागज दिया जाता है; और

(ग) वर्ष 1991, 1992, 1993 और 1994 (जून, 1994 तक) के दौरान ऐसे समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को प्रति वर्ष अखबारी कागज के कितने–कितने कोटे की आपूर्ति की गई जो सरकार से अखबारी कागज का कोटा प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) भारत के समाचार –पत्रों के पंजीयक (आर. एन. आई) द्वारा इनके "प्रेस इन इंडिया" नामक प्रकाशन के खंड–II में प्रत्येक पांच वर्ष बाद अलग–अलग समाचार–पत्रों के ब्यौरे उनके नाम, प्रकाशन स्थान और प्रसार आंकड़ो को दर्शाते हुए संकलित किए जाते हैं। खण्ड–II का अन्तिम प्रकाशन 1991 में प्रकाशित किया गया था। इसकी प्रति संसद भवन ग्रन्थागार में पहले ही उपलब्ध करवा दी गई है।

(ख) और (ग) वर्ष 1991 से 1994 के दौरान बिहार के लगभग 1000 समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को अखबारी कागज कोटा दिया गया। यह सूचना बहुत विस्तृत है। अतः ब्यौरे संसद भवन ग्रन्थागार में उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

कैंसर के मरीज

761. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में कैंसर के मरीजों की संख्या क्या है;

(ख) गुजरात में कैंसर की रोकथाम करने हेतु क्या कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं;

(ग) क्या राज्य में कैंसर की दवाइयों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा राज्य को पर्याप्त मात्रा में दवाई की आपूर्ति प्रदान करने की दिशा में क्या कदम उठाए गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :(क) कोई विश्वस्त सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कैंसर के निवारण और उसका शुरू में पता लगाने पर बल दिया जा रहा है। वर्ष 1990-91 से अनेक स्कीमें शुरू की गई हैं।

(ग) से (ड.) गुजरात सरकार ने किसी कमी की सूचना नहीं दी है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय कैंसर संस्थान

762. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान किसी क्षेत्रीय कैंसर संस्थान को विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, संस्थानवार कितनी–कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने कैंसर संस्थान खोले जाने का विचार है और ये कहां–कहां खोले जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कमला नेहरू मैमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद को एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय किया है।

[हिन्दी]

220

जिला विकास परिषदें

763. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कल्याण योजनाओं पर बेहतर निगरानी रखने के लिए जिला विकास परिषदें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किये हैं और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ग) इन परिषदों की स्थापना कब तक कर दी जायेगी?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) से (ग) कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदान मांगो की जांच करते समय श्रम और कल्याण पर स्थायी समिति (10वी. लोक सभा) ने अन्य बातों के साथ–साथ अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना की जिला स्तर पर नियमित मॉनीटरिंग करने के लिए जिला विकास परिषदों की स्थापना करने की सिफारिश की है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से विशेष सघटक योजना के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन तथा विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता जिला विकास परिषदों ऐसे निकायो के माध्यम से नियमित मॉनीटरिंग करने का प्रबन्ध करने का अनुरोध किया जा रहा है।

हजरतबल दरगाह

764. **श्री चेतन पी. एस. चौहान :**

श्री महेश कनोडिया :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हजरतबल दरगाह के नजदीक सुरक्षा बलों तथा आतंकवादियों के बीच भारी गोली–बारी का आदान–प्रदान हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस गोलीबारी में मारे गए/घायल हुए आतंकवादियों तथा सुरक्षाकर्मियों की संख्या क्या है;

(ग) आतंकवादियों के पास से बरामद किए गए हथियार तथा बारूद का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और सभा के पटल पर रख दिए जाएंगे।

सिंचाई परियोजनाएं

765. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री राजेश कुमार :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार विदेशी सहायता से इस समय चलाई जा रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) बाह्य सहायता प्राप्त निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं तथा उनकी विद्यमान स्थिति का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) ये संबंधित राज्य सरकारों और भारत सरकार दोनों के लिए प्राथमिकता वाली परियोजनाएं हैं। इसका कारण यह है कि इन परियोजनाओं को भारत सरकार की सिफारिशों पर दाता अभिकरणों द्वारा लिया गया है तथा इस समय उनको शीघ्र पूरा करने के लिए संबधित राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

विवरण

(मिलियन दाता मुद्रा में राशि)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	दाता अभिकरण	31.5.1994 को उपलब्ध सहायता की राशि	करार की तिथि	ऋण समाप्ति की तिथि	31.5.1994 को उपयोग (संचयी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना चरण II	कर्नाटक	विश्व बैंक	203.000 अमेरिकी डालर	16.6.1989	31.12.1996	98.747 अमेरिकी डालर
2.	महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई परियोजना III	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	128.819 अमेरिकी डालर	5.12.1996	31.6.1996	87.629 अमेरिकी डालर
3.	पंजाब सिंचाई एवं जल निकास परियोजना	पंजाब	विश्व बैंक	145.285 अमेरिकी डालर	9.2.1990	3.3.1998	47.165 अमेरिकी डालर
4.	अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना	उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	135.330 अमेरिकी डालर	29.6.1984	30.9.1994	122.624 अमेरिकी डालर
5.	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना	बहुराज्यीय	विश्व बैंक	114.000 अमेरिकी डालर	15.5.1987	31.3.1995	101.805 अमेरिकी डालर

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	बांध सुरक्षा आश्वासन पुनर्वास परियोजना	बहुराज्यीय	विश्व बैंक	153.000 अमेरिकी डालर	10.6.1991	30.9.1997	14.850 अमेरिकी डालर
7.	जल संसाधन समेकन परियोजना	हरियाणा	विश्व बैंक	262.979 अमेरिकी डालर	6.4.1994	31.12.2000	00.000 अमेरिकी डालर
8.	उत्तर प्रदेश टयूबवैल परियोजना (अनुदान)	उत्तर प्रदेश	नीदरलैंड	90.00 डी एफ एल	27.8.1987	31.12.1994	60.683 डी एफ एल
9.	उत्तर प्रदेश टयूबवैल परियोजना (उप–परि.)	उत्तर प्रदेश	नीदरलैंड	25.00 डी एफ एल	16.10.1990	31.12.1995	15.458 डी एफ एल
10.	अपर कोलाब सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	जापान	3769 येन	15.12.1988	20.1.1994	1681.203 येन
11.	अपर इंद्रावती सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	जापान	3744 येन	15.12.1988	20.1.1994	1156.803 येन
12.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना इंजीनियरी सेवाएं	राजस्थान	जापान	84 येन	27.3.1990	25.9.1993	47.788 येन
13.	लघु सिंचाई परियोजना (ऋण)	राजस्थान	जर्मनी	12.3 डी. एम.	29.4.1988	31.12.1995	6.133 डी. एम.

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	लघु सिंचाई परियोजना (अनुदान)	राजस्थान	जर्मनी	2.7 डी. एम.	29.4.1987	31.12.1995	0.814 डी. एम
15.	लिफ्ट सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	जर्मनी	55.00 डी. एम.	19.12.1993	30.12.2020	5.900 डी. एम
16.	महाराष्ट्र में फसलों के विविधीकरण के लिए जल नियंत्रण प्रणाली	महाराष्ट्र	ईईसी	15.00 ईसीयू	25.10.1988	31.12.1994	3.80 ईसीयू
17.	टैंक सिंचाई प्रणाली चरण II	तमिलनाडु	ईईसी	24.5 ईसीयू	27.4.1989	31.10.1995	10.982 ईसीयू
18.	लघु सिंचाई परियोजना	केरल	ईईसी	11.8 ईसीयू	21.5.1992	31.12.1998	00.000 ईसीयू
19.	सिद्धमुख एवं नोहर परियोजना	राजस्थान	ईईसी	43.0 ईसीयू	7.6.1993	31.12.2000	00.000 ईसीयू

[अनुवाद]

ट्रांसपोजर

766. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने तीन उपग्रहों पर ट्रांसपोजरों को पट्टे पर देने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई लागत–लाभ विश्लेषण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नकली मुद्रा

767. **श्री सत्यदेव सिंह :**

डा० रमेश चंद तोमर :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पाकिस्तान, कश्मीर में प्रति सप्ताह लाखों रूपये के नकली करेंसी नोट भेजकर हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनसे कितनी राशि के नकली करेंसी नोट जब्त किये गये हैं; और

(घ) सरकार ने पाकिस्तान के इस प्रयास को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) इस आशय की कुछ रिपोर्टें मिली है कि पाकिस्तान उग्रवादियों के माध्यम से कश्मीर में जाली करेंसी नोट चलाने की कोशिश कर रहा है।

जून, 1994 में कुछ जाली करेंसी पकड़ी गई तथा मामले में उचित कार्रवाई की गई।

[अनुवाद]

तीस्ता बांध परियोजना

768. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल में तीस्ता बांध परियोजना के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाने हेतु राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में तीस्ता बराज परियोजना की लागत के बंटवारे के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अनुरोध पर, योजना आयोग परियोजना को 150 करोड़ रूपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के वास्ते इस शर्त पर सहमत हो गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे योजनाबद्ध रूप से पूरा करने के लिए 173 करोड़ रूपए की शेष राशि उपलब्ध कराये।

[हिन्दी]

समाचार-पत्रों का प्रकाशन

769. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार राजस्थान से भाषावार कितने–कितने समाचारपत्र (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक) प्रकाशित होते हैं;

(ख) इन दैनिक समाचार–पत्रों की बिक्री प्रसार संख्या कितनी है तथा ये किन–किन स्थानों से प्रकाशित होते हैं;

(ग) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने गत एक वर्ष के दौरान राजस्थान से प्रकाशित विभिन्न समाचार–पत्रों में विज्ञापनों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की है;

(घ) क्या सरकार को राज्य में प्रैस सूचना कार्यालय खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक (आर. एन. आई.) द्वारा "प्रेस इन इंडिया" नामक

प्रसारण के खण्ड–II में प्रत्येक पांच वर्ष बाद इनके ब्यौरे उनके प्रसार आंकड़ों और प्रकाशन स्थानों को दर्शाते हुए समाचारपत्रों के आंकड़े संकलित किए जाते हैं। खण्ड–II का अंतिम प्रकाशन 1991 में प्रकाशित किया गया था। इसकी प्रति संसद भवन ग्रन्थागार में पहले ही उपलब्ध करवा दी गई है।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान, राजस्थान से प्रकाशित प्रकाशनों की विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा 1,54,20,567.00 रू० मूल्य के विज्ञापन जारी किए गए थे।

(घ) से (च) राजस्थान में पत्र सूचना कार्यालयों को खोलने के लिए विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उदयपुर में एक पत्र सूचना कार्यालय खोलने का प्रावधान आठवीं योजना में किया गया है।

विवरण

31.12.1992 की स्थिति के अनुसार, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत राजस्थान से प्रकाशित दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिकों की भाषावार संख्या

भाषा	दैनिक	त्रै-द्वि साप्ताहिक	साप्ताहिक	मासिक
अंग्रेजी	5	—	6	13
हिन्दी	285	10	781	199
पंजाबी	—	—	1	1
संस्कृत	—	—	—	1
सिन्धी	4	—	8	1
उर्दू	9	—	4	3
द्विभाषी	3	1	16	37
बहुभाषी	—	—	2	11
अन्य	—	—	2	4

[अनुवाद]

पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का सम्मेलन

770. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 जून, 1994 को पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में लिए गए मुख्य निर्णयों और इसमें निकले निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) 6 से 8 जुलाई, 1994 तक नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों सहित पुलिस महानिदेशकों एवं पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में कानून एवं व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, अपराध संबंधी मामलों, अपराध अभिलेखों तथा अन्वेषण तकनीकों के आधुनिकीकरण, पुलिस के मनोबल और प्रशिक्षण जिलों में पुलिस की प्रभावकारी व्यवस्था और केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों की तैनाती तथा सशस्त्र पुलिस को सुदृढ़ करने पर विचार–विमर्श हुआ। मानवाधिकारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति किए जाने वाले अपराधों पर पैनल चर्चाएं भी हुई। लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई को मानीटरिंग राज्य सरकारों तथा अन्य मंत्रालयों के साथ नियमित रूप से की जाती है।

महिला-परक कार्यक्रमों का दिखाया जाना

771. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर अधिक संख्या में महिला–परक कार्यक्रमों को दिखाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुणात्मक प्रदर्शन के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) सभी दूरदर्शन केन्द्र पहले से ही ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहे हैं। 1992-94 के दौरान दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रकाशित ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दूरदर्शन पर महिलाओं के वास्तविक प्रस्तुतीकरण से संबंधित दिशानिर्देश पहले से ही विद्यमान हैं।

(घ) और (ड.) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

1992-94 के दौरान दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क पर महिलाओं की वास्तविक छवि प्रस्तुतीकरण के कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं

क्र०सं०	शीर्षक	प्रारूप
1.	तीसरी बेटी	टेलीफिल्म
2.	अनुभूति	टेलीफिल्म
3.	विडम्बना	टेलीफिल्म
4.	वारिस	टेलीफिल्म
5.	दो गुलाब	टेलीफिल्म
6.	गंगू ताई	वृत्तचित्र
7.	दि गर्ल चाइल्ड ऑफ राजस्थान	वृत्तचित्र
8.	मंजिलों का सफर	टेलीफिल्म
9.	आखिरी पड़ाव	टेलीफिल्म
10.	नारी यात्रा	वृत्तचित्र
11.	उन गृह स्वामियों के नाम	वृत्तचित्र
12.	चारदिवारी	वृत्तचित्र
13.	सहयोग	वृत्तचित्र
14.	चकोरी	टेलीफिल्म
15.	अभिलाषा	टेलीफिल्म
16.	छत्तीसगढ़ की बेटी	वृत्तचित्र

राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान

772. **श्री तारा सिंह :**

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का भूजल हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे संस्थानों की स्थापना किन–किन स्थानों में की जाएगी और उनमें कितनी लागत आने का अनुमान है;

(घ) क्या इन संस्थानों को स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों का सहयोग मांगा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने रायपुर, मध्य प्रदश में राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। संस्थान की स्थापना की अनुमानित लागत 458.58 लाख रू० है।

(ग) से (ङ) किसी अन्य स्थान पर ऐसा संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

दिल्ली में विस्फोट

773. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जून, 1994 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार "एक्सप्लोजन इन कांग्रेस लीडर्स कार" शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विस्फोट साउथ एवेन्यू क्षेत्र में हुआ था;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू स्थित संसद सदस्यों के आवासीय परिसरों में अत्यधिक संख्या में लोग रहते हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन परिसरों में बिना किसी जांच के रहने वाले लोगों द्वारा सुरक्षा संबंधी खतरा पैदा किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने नार्थ और साउथ एवेन्यू में संसद सदस्यों के आवासीय परिसरों में स्थित सर्वेंट क्वार्टरों तथा गैराजों में रहने वाले लोगों के पूर्ववृत्तों की जांच, उन पर नियंत्रण अथवा उनकी निगरानी हेतु कोई उपाय किए है;

(च) सरकार को किसी प्रकार के सुरक्षा संबंधी खतरों की जानकारी मिली है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) जी हां, श्रीमान्। संसद सदस्यों के इन फलैटों में कुछ राजनीतिक कार्यकर्त्ता, रिश्तेदार तथा नौकर रह रहे हैं।

(घ) से (छ) "साउथ एवेन्यू" संसद सदस्यों का आवासीय परिसर है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उनसे हर समय बड़ी संख्या में लोग मिलने के लिए आते हैं और संसद सदस्यों को उनसे मुलाकात करनी पड़ती है। यद्यपि इससे कुछ हद तक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। किन्तु सभी आगन्तुकों और साउथ एवेन्यू के निवासियों का सदैव प्रबोधन करना संभव नहीं है।

तथापि, किसी भी संभावित शरारत को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए वहां भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है।

विदेशी कैदी

774. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिहाड़ जेल में ऐसे कितने विदेशी विचाराधीन कैदी है जिन पर अभी न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना है;

(ख) ये विदेशी नागरिक कब से जेल में मुकदमा चलाए जाने की प्रतीक्षा में है;

(ग) इन पर मुकदमा चलाये जाने पर होने वाले विलंब के क्या कारण है; और

(घ) उन पर चलाये जाने वाले मुकदमों को शीघ्रता से पूरा करने हेतू सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि 2.7.94 को केन्द्रीय जेल तिहाड़ में 131 विदेशी राष्ट्रिक थे और वे अलग–अलग समयावधि, लगभग 1 माह से लेकर 7 साल से अधिक तक की अवधि से, विचारण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ग) उनके विचारण को पूरा करने में विलम्ब होने का कारण मुख्यतः न्यायालय में बड़ी संख्या में लम्बित पड़े मामले हैं।

(घ) 131 विदेशी राष्ट्रिकों में से अधिकांश पर एन. डी. पी. एस. अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत मुकदमें चल रहे हैं। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के मामलों के त्वरित विचारण हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 10 विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में नशे की लत छुड़ाने वाले केन्द्र

775. **श्री काशीराम राणा :**

श्री महेश कनोडिया :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में नशे के आदी व्यक्तियों को परामर्श देने के लिए लत छुड़ाने वाले कितने केन्द्र कार्यरत है; और ये कहां–कहां कार्यरत हैं;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान ऐसे और भी केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंग्कावालू) : (क) वर्तमान में गुजरात में 5 निव्यर्सन केंद्र कार्य कर रहे हैं। उनकी अवस्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) 1994-95 के दौरान इस प्रकार के और केंद्रों की स्थापना राज्य के विभिन्न

भागों में आवश्यकता तथा समस्या की गम्भीरता पर निर्भर करेगी।

विवरण

गुजरात में निव्यर्सन केन्द्र की अवस्थिति

1. नशाबंदी मण्डल,
   परिवर्तन व्यसन मुक्ति हास्पीटल
   ओल्ड सिविल हास्पीटल कम्पाउन्ड,
   सूरत
2. नशाबंदी मण्डल,
   राही व्यसन मुक्ति हास्पीटल,
   मार्फ्त गुलाबबाई जनरल हास्पीटल,
   तीसरा तल, रीलीफ रोड़,
   अहमदाबाद–1
3. गुजरात केलवानी ट्रस्ट
   "नया जीवन" निव्यर्सन केन्द्र
   प्रेरणा
   मंगल प्रभात ट्रस्ट भवन
   मिर्जापुर,
   अहमदाबाद–380001
4. नशाबंदी मण्डल
   वीरनगर निव्यर्सन सह पुनर्वास केन्द्र,
   शिवानन्द मिशन काम्पलैक्स
   वीरनगर
   राजकोट जिला
5. एस. सी. पटेल ट्रस्ट
   ए–1 मुद्रा काम्पलैक्स
   एलोरा फार्म, बार
   बडौदा–390007

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा दिये गये बिक्रीकर का भुगतान

776. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने बिक्रीकर भुगतान के लिए ग्राहकों से कितनी राशि एकत्र की है; और

(ख) इन वर्षो के दौरान बिक्रीकर अधिकारियों को बिक्रीकर की कितनी राशि वास्तव में अदा की गयी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० (को. इ. लि.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि० (भा. को. को. लि.) के संबंध में वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान देय बकाया बिक्रीकर की राशि और उनके द्वारा की गई अदायगी को नीचे दर्शाया गया है :–

(करोड़ रूपए में)

	1991-92	1992-93	1993-94
अथशेष	2.20	2.22	3.74
जोड़िए : वर्ष के दौरान अधिप्राप्ति	41.87	57.04	70.24
घटाएं : वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	41.85	55.52	69.91
वर्ष के अन्त में देय बकाया राशि	2.22	3.74	4.07

[अनुवाद]

कोयले के भण्डार

777. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत खानों में कई मिलियन टन कोयला उपलब्ध है;

(ख) क्या आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं में इन खानों का विकास करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) 1.1.1993 की स्थिति के अनुसार 193777.13 मिलियन टन कोयले के कुल भंडारों में से गोंडवाना कोयले का प्रमाणित भंडार 64595 मिलियन टन के हैं, जिनमें से 17212 मिलियन टन को भूमिगत खनन द्वारा दोहन करने योग्य अनुमानित किया गया था।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 303 मिलियन टन प्रक्षिप्त कोयले के उत्पादन में से 90.91 मिलियन टन कोल इंडिया लि० (को. इं. लि.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० (सिं. को. कं. लि.) के कोयले की भूमिगत खानों से निकाले जाने का कार्यक्रम है। नौवीं पंचवर्षीय

योजना के अंतिम वर्ष के लिए को. इं. लि. एवं सिं. को. कं. लि. की भूमिगत खानों से 105 मिलियन टन कोयले के भंडार विकसित करने के संकेत हैं, जोकि बाद में सुनिश्चित किए जाने हैं।

एड्स पर टेलीविजन धारावाहिक

778. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का निकट भविष्य में एड्स पर एक टेलीविजन धारावाहिक प्रसारित करने का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त धारावाहिक की अवधि क्या है; और

(ग) इसे कब तक प्रसारित किया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) से (ग) जी, हां। दूरदर्शन ने एड्स पर प्रत्येक 30 मिनट की अवधि के 26 प्रकरणों वाले धारावाहिक को कमीशन किया है। इस धारावाहिक को 1994 के अन्त तक प्रसारित किए जाने की आशा है।

आकाशवाणी केन्द्र का प्रसारण समय

779. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के कुल साप्ताहिक प्रसारण समय का केन्द्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कितने क्षेत्र में प्रसारण किया जाता है;

(ग) प्रत्येक राज्य के प्रसारण क्षेत्र में कौन सी प्रमुख भाषा बोली जाती है तथा उस क्षेत्र में क्षेत्र की। प्रतिशत से अधिक जनसंख्या द्वारा कौन–कौन सी अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं; और

(घ) 1993 या 1993-94 के दौरान, जैसा भी मामला हो इनमें से प्रत्येक भाषा को कितना समय आवंटित किया गया तथा प्रत्येक केन्द्र का प्रति सप्ताह कुल कितना प्रसारण समय रहा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। कवरेज क्षेत्रों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा राज्य/केन्द्र–वार संलग्न विवरण में दर्शायी गयी हैं। आकाशवाणी केन्द्रों के प्रत्येक कवरेज क्षेत्रों में एक प्रतिशत से अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली सभी अल्पसंख्यक भाषाओं से संबंधित सूचना आकाशवाणी में उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) इस प्रकार की सूचना केन्द्रीय तौर पर संकलित रूप में नहीं रखी जाती है।

विवरण

क्र.सं.	केन्द्र	प्रसारण की अवधि		मुख्य भाषा
		घंटे	मिनट	
1	2	3		4
राज्य का नाम :- आंध्र प्रदेश		***रेडियो कवरेज 98%**		
1.	हैदराबाद	162.00		तेलुगु
2.	आदिलाबाद	43.10		तेलुगु
3.	अनन्तपुर	42.10		तेलुगु
4.	कुड्डापा	94.00		तेलुगु
5.	कुरनूल	42.00		तेलुगु
6.	कोट्टागुडम	51.10		तेलुगु
7.	मरकापुरम	42.00		तेलुगु
8.	निजामाबाद	42.00		तेलुगु
9.	तिरूपति	42.00		तेलुगु
10.	विजयवाड़ा	88.10		तेलुगु
11.	विशाखापत्तनम	87.25		तेलुगु
12.	वारंगल	42.00		तेलुगु
राज्य का नाम : अरूणाचल प्रदेश		*** रेडियो कवरेज 98%**		
13.	ईटानगर	42.00		हिन्दी
14.	पासीघाट	35.00		आदि
15.	तवांग	39.40		हिन्दी
16.	तेजू	35.00		असमिया
राज्य का नाम : असम		*** रेडियो कवरेज 98%**		
17.	गुवाहाटी	108.20		असमिया
18.	डिबूगढ़	99.55		असमिया
19.	हाफ्लोंग	42.00		हिन्दी
20.	जोरहाट	42.10		असमिया
21.	नौगांव	42.00		असमिया

1	2	3	4
22.	सिलचर	86.10	बंगला
राज्य का नाम :- बिहार		*** रेडियो कवरेज 99%**	
23.	पटना	95.30	हिन्दी
24.	भागलपुर	115.05	हिन्दी
25.	चाईबासा	42.00	हिन्दी
26.	डाल्टनगंज	42.00	हिन्दी
27.	दरभंगा	87.15	हिन्दी
28.	हजारीबाग	42.00	हिन्दी
29.	जमदेशपुर	87.30	हिन्दी
30.	पुर्णिया	42.00	हिन्दी
31.	रांची	83.33	हिन्दी
32.	सासाराम	42.00	हिन्दी
राज्य का नाम :- दिल्ली		*** रेडियो कवरेज 99%**	
33.	दिल्ली	288.15	हिन्दी
राज्य का नाम :- गोवा		*** रेडियो कवरेज 99%**	
34.	पणजी	78.40	कोंकणी
राज्य का नाम :- गुजरात		*** रेडियो कवरेज 99%**	
35.	अहमदाबाद	111.00	गुजराती
36.	आहवा	31.30	गुजराती
37.	भुज	80.25	गुजराती
38.	गोधरा	42.00	गुजराती
39.	राजकोट	94.35	गुजराती
40.	सूरत	42.00	गुजराती
41.	बडोदरा	विविध भारती केन्द्र को छोड़कर	
राज्य का नाम :- हरियाणा		*** रेडियो कवरेज 99%**	
42.	रोहतक	82.10	हिन्दी
43.	कुरूक्षेत्र	42.00	हिन्दी

1	2	3	4
राज्य का नाम :- हिमाचल प्रदेश		*** रेडियो कवरेज 50%**	
44.	शिमला	90.30	हिन्दी
45.	धर्मशाला	43.45	हिन्दी
46.	हमीरपुर	43.10	हिन्दी
47.	कसौली	रिले केन्द्र (राष्ट्रीय चैनल को रिले करने वाला)	
राज्य का नाम :- जम्मू और कश्मीर		*** रेडियो कवरेज 30%**	
48.	श्रीनगर	105.00	हिन्दी
49.	जम्मू	170.35	हिन्दी
50.	लेह	68.15	लद्दाकी
51.	कथुआ	42.00	हिन्दी
राज्य का नाम :- कर्नाटक		*** रेडियो कवरेज 94%**	
52.	बंगलौर	204.38	कन्नड़
53	भद्रावती	84.00	कन्नड़
54.	धारवाड़	84.15	कन्नड़
55.	गुलबर्गा	77.35	कन्नड़
56.	मंगलोर	72.10	कन्नड़
57.	मैसूर	64.55	कन्नड़
58.	चित्रदुर्ग	28.00	कन्नड़
59.	हसन	42.35	कन्नड़
60.	हासपेट	42.00	कन्नड़
61.	कारवार	42.00	कन्नड़
62.	मरकारा	39.05	कन्नड़
63.	रायचूर	42.00	कन्नड़
64.	त्रिवेन्द्रम	85.17	मलयालम
राज्य का नाम :- केरल		*** रेडियो कवरेज 92%**	
65.	त्रिचूर	84.35	मलयालम
66.	कालीकट	80.35	मलयालम

1	2	3	4
67.	कोचीन	42.00	मलयालम
68.	एलेप्पी	रिले केन्द्र	
69.	कन्नौर	75.50	मलयालम
70.	इदुक्की	24.40	मलयालम
राज्य का नाम :- मध्य प्रदेश		*** रेडियो कवरेज 95%**	
71.	भोपाल	86.50	हिन्दी
72.	अम्बिकापुर	73.35	हिन्दी
73.	बालाघाट	42.00	हिन्दी
74.	बैतूल	45.30	हिन्दी
75.	बिलासपुर	38.30	हिन्दी
76.	छत्तरपुर	78.55	हिन्दी
77.	छिंदवाड़ा	43.10	हिन्दी
78.	गुना	31.50	हिन्दी
79.	ग्वालियर	85.10	हिन्दी
80.	इंदौर	85.05	हिन्दी
81.	जबलपुर	79.15	हिन्दी
82.	जगदलपुर	76.55	हिन्दी
83.	खण्डवा	42.00	हिन्दी
84.	रायगढ़	45.30	हिन्दी
85.	रायपुर	81.25	हिन्दी
86.	रीवा	84.15	हिन्दी
87.	सागर	38.30	हिन्दी
88.	शहडोल	73.30	हिन्दी
89.	शिवपुरी	39.30	हिन्दी
राज्य का नाम :- महाराष्ट्र		*** रेडियो कवरेज 98%**	
90.	बम्बई	307.20	मराठी, हिन्दी
91.	अहमदनगर	42.00	मराठी

1	2	3	4
92.	अकोला	42.00	मराठी
93.	औरंगाबाद	68.15	मराठी
94.	बीड़	42.00	मराठी
95.	चंद्रपुर	42.00	मराठी
96.	धूले	43.10	मराठी
97.	जलगांव	86.40	मराठी
98.	कोल्हापुर	43.10	मराठी
99.	नांदेड़	43.45	मराठी
100.	नागपुर	95.20	मराठी
101.	परभणी	69.00	मराठी
102.	पुणे	94.30	मराठी
103.	रत्नागिरि	77.40	मराठी
104.	सांगली	87.10	मराठी
105.	सतारा	42.00	मराठी
106.	शोलापुर	42.00	मराठी
107.	यवतमाल	42.00	मराठी
राज्य का नाम :- मणिपुर		*** रेडियो कवरेज 99%**	
108.	इम्फाल	96.50	मणिपुरी
राज्य का नाम :- मेघालय		*** रेडियो कवरेज 96%**	
109.	शिलांग	82.00	खासी
110.	तुरा	28.00	गारी
राज्य का नाम :- मिजोरम		*** रेडियो कवरेज 82%**	
111.	ऐजवाल	70.00	मिजो
राज्य का नाम :- नागालैण्ड		*** रेडियो कवरेज 95%**	
112.	कोहिमा	94.05	नगमियां
राज्य का नाम :- उड़ीसा		*** रेडियो कवरेज 98%**	
113.	कटक	91.45	उड़िया

1	2	3	4
114.	बारीपाड़ा	42.35	उड़िया
115.	बहरामपुर	42.00	उड़िया
116.	जैपोर	81.00	उड़िया
117.	क्योंझर	38.30	उड़िया
118.	सम्बलपुर	83.20	उड़िया
119.	बोलंगिर	42.00	उड़िया
120.	भवानीपटना	39.05	उड़िया
राज्य का नाम :- पंजाब		**• रेडियो कवरेज 99%**	
121.	जालंधर	109.25	पंजाबी
122.	भटिण्डा	43.45	पंजाबी
123.	पटियाला	95.20	पंजाबी
राज्य का नाम :- राजस्थान		**• रेडियो कवरेज 92.5%**	
124.	जयपुर	90.55	हिन्दी
125.	अजमेर	रिले केन्द्र (जयपुर कार्यक्रम रिले हो रहे हैं)	
126.	अलवर	43.10	हिन्दी
127.	बांसवाड़ा	42.00	हिन्दी
128.	बाड़मेर	53.55	हिन्दी
129.	बीकानेर	82.05	हिन्दी
130.	चुरू	42.00	हिन्दी
131.	चित्तौड़गढ़	42.00	हिन्दी
132.	जैसलमेर	32.45	हिन्दी
133.	झालावाड़	42.00	हिन्दी
134.	जोधपुर	84.50	हिन्दी
135.	कोटा	29.24	हिन्दी
136.	नागौर	43.10	हिन्दी
137.	सवाई माधोपुर	42.00	हिन्दी
138.	उदयपुर	93.00	हिन्दी

1	2	3	4
139.	सूरतगढ़	77.30	हिन्दी
राज्य का नाम :- सिक्किम		**• रेडियो कवरेज 44%**	
140.	गंगटोक	28.00	नेपाली
राज्य का नाम :- त्रिपुरा		**• रेडियो कवरेज 99%**	
141.	अगरतला	81.05	बंगला
142.	बेलोनिया	42.00	बंगला और कोकबोरक
143.	कैलाशहर	42.00	बंगला और कोकबोरक
राज्य का नाम :- तमिलनाडु		**• रेडियो कवरेज 98%**	
144.	मद्रास	203.35	तमिल
145.	कोयम्बतूर	84.55	तमिल
146.	मदुराई	58.20	तमिल
147.	नागरकोईल	23.55	तमिल
148.	तिरूचिरापल्ली	93.55	तमिल
149.	तिरूनेलवेली	84.37	तमिल
150.	तूतिकोरिन	57.10	तमिल
151.	ऊटकमण्ड	42.00	तमिल
राज्य का नाम :- उत्तर प्रदेश		**• रेडियो कवरेज 88%**	
152.	लखनऊ	157.30	हिन्दी
153.	आगरा	82.50	हिन्दी
154.	इलाहाबाद	92.33	हिन्दी
155.	अल्मोडा	57.15	हिन्दी
156.	बरेली	42.00	हिन्दी
157.	फैजाबाद	42.00	हिन्दी
158.	गोरखपुर	91.00	हिन्दी
159.	झांसी	42.00	हिन्दी
160.	कानपुर	वाणिज्यिक केन्द्र को छोड़कर	

1	2	3	4
161.	मथुरा	74.45	हिन्दी
162.	नजीबाबाद	77.55	हिन्दी
163.	ओबरा	38.30	हिन्दी
164.	रामपुर	74.55	हिन्दी
165.	वाराणासी	93.10	हिन्दी
राज्य का नाम :- पश्चिम बंगाल		*** रेडियो कवरेज 99%**	
166.	कलकत्ता	245.05	बंगला
167.	कुर्सियांग	88.40	नेपाली
168.	मुर्शिदाबाद	42.00	बंगला
169.	सिलीगुड़ी	87.20	बंगला
राज्य का नाम :- चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)		*** रेडियो कवरेज 99%**	
170.	चंडीगढ़	वाणिज्यिक केन्द्र को छोड़कर	
राज्य का नाम :- पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)		*** रेडियो कवरेज 99%**	
171.	पांडिचेरी	79.48	तमिल
राज्य का नाम :- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र)		*** रेडियो कवरेज 80%**	
172.	पोर्ट ब्लेयर	85.05	हिन्दी
राज्य का नाम :- लक्षद्वीप द्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र)		*** रेडियो कवरेज 99%**	
173.	कावारती	32.40	मलयालम, माहल

*क्षेत्र के रूप में प्रतिशतता रेडियो (दिनकालिक–समय) कवरेज 28.7.1994 की स्थिति के अनुसार।

सिंचाई परियोजनाएं

780. **श्री फूल चंद वर्मा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) सरदार सरोवर, नर्मदा सागर और इंदिरा सागर परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जायेगा;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को नर्मदा सागर और इंदिरा सागर परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं घोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

*** शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी हां। यद्यपि नर्मदा (इंदिरा) सागर परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, सिंचाई क्षेत्र में किसी परियोजना को 'राष्ट्रीय परियोजना' घोषित नहीं किया गया है।

विवरण

इंदिरा सागर परियोजना (मध्य प्रदेश) की प्रमुख विशेषताएं

बांध	–	सबसे गहरी नींव स्तर से 92 मीटर ऊंचा तथा 653 मीटर लम्बा।
सकल भंडारण	–	12.22 मिलियन घन मीटर (7.9 मिलियन एकड़ फुट)
विद्युत घर	–	125-125 मेगावाट की 8 यूनिटों वाला उप–सतही विद्युत घर
मुख्य नहर	–	160 घन मीटर प्रति सेकंड के हेड डिस्चार्ज के साथ 248.65 कि.मी. लम्बी वायी तट नहर।
सिंचाई	–	मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोंन जिलों में 1.23 लाख हेक्टेयर।
स्थापित विद्युत	–	1000 मेगावाट।
स्थायी (फर्म) विद्युत	–	प्रारंभिक फ़ेज 223.5 मेगावाट। अंतिम फेज 118.3 मेगावाट।
अनुमानित लागत	–	1993.67 करोड़ रूपये 1987 के मूल्य स्तर पर।
लाभ लागत अनुपात	–	1.85

सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कार्यक्रम

			पूर्ण होने का वर्ष
1.	बांध	–	1988
2.	नहर कमान क्षेत्र विकास कार्य	–	2000 (संशोधित)
3.	जल विद्युत	–	1999 (संशोधित)

नर्मदा (इंदिरा) सागर परियोजना का निर्माण कार्यक्रम

1.	बांध एवं संबद्ध कार्य	–	जून, 2000
2.	विद्युत घर		
	(i) सिविल कार्य	–	मार्च, 1998
	(ii) इलैक्ट्रिकल कार्य	–	अक्तूबर, 2002 (पहली दो यूनिटों को अक्तूबर 2000 तक स्थापित करने का कार्यक्रम है।

दिल्ली में दूरदर्शन का मैट्रो चैनल

781. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन के मैट्रो चैनल का प्रसारण संतोषजनक ढंग से देखा जा सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में इस चैनल के प्रसारण में सुधार करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विविध भारती के कार्यक्रम

782. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर आकाशवाणी ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसूर आकाशवाणी से विविध भारती (वाणिज्यिक कार्यक्रमों) का प्रसारण नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या मैसूर के लोग बंगलौर आकाशवाणी से विविध भारती के कार्यक्रम नहीं सुन सकते हैं; और

(च) यदि हां, तो मैसूर आकाशवाणी से विविध भारती (वाणिज्यिक कार्यक्रम) आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) आकाशवाणी मैसूर 14 नवम्बर, 1974 को शुरू किया गया था।

(ग) और (घ) केन्द्र के पास विविध भारती चैनल नहीं है।

(ड.) मैसूर विविध भारती विज्ञापन सेवा को प्रसारित करने वाले बंगलौर स्थित 1 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र से बाहर है।

(च) आठवीं योजना अवधि के दौरान मैसूर से विविध भारती सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फिल्मों का आयात और निर्यात

783. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष फिल्मों के आयात और निर्यात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित अथवा खर्च की गई ;

(ख) आठंवी योजना के दौरान भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार की क्या नीति है और इस संबंध में अनुमानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यात को बढ़ावा देने हेतु और प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस संबंध में सरकार को प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान फिल्मों के निर्यात और आयात पर कुल अर्जित और व्यय की गई विदेशी मुद्रा नीचे दर्शायी गई है :–

वर्ष	विदेशी मुद्रा	
	निर्यात पर अर्जित की गई धनराशि	आयात पर व्यय की गई धनराशि
	लाख रूपये में	
1991-92	1,722.98	129.43
1992-93	2,160.15	203.48
1993-94	*2,197.79	*287.58

* अंनन्तिम्

(ख) से (ड.) भारत सरकार का प्रयास रहता है कि भारत की समुद्ध संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को भी अर्जित करने के लिए विदेश में भारतीय फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगस्त, 1991 से फिल्मों के निर्यात का विसरणीकरण किया गया था। अब किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना लाइसेंस के फिल्मों के निर्यात का कार्य शुरू किया जा सकता है। सरकार को फिल्मों के निर्यात के लिए और प्रोत्साहन देने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

नर्सिंग स्कूल

784. **श्री थाइल जॉन अंजलोज :**

श्री पी. सी. थामस :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूलों के नाम क्या हैं;

(ख) इन स्कूलों को मान्यता प्रदान करने हेतु क्या दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या देश में कुछ गैर मान्यता प्राप्त फर्जी नर्सिंग स्कूल चलाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्य सरकार तथा राज्य उपचर्या परिषद की सिफारिशों पर भारतीय उपचर्या परिषद, मान्यता देने से पहले स्टाफ, पुस्कालय, छात्रावास, प्रयोगशालाओं और क्लीनिकल आदि जैसी आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं का सत्यापन करने के लिए संस्थाओं/स्कूलों का निरीक्षण करती है।

(ग) और (घ) भारतीय उपचर्या परिषद् राज्य सरकारों तथा राज्य उपचर्या परिषदों का ध्यान 22 अप्रैल, 1986 को पारित अपने संकल्प की ओर दिलाती रही है कि घटिया किस्म के उपचर्या स्कूलों के खुलने पर रोक लगाने के उद्देश्य से, परिषद् की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया उपचर्या प्रशिक्षण स्कूल खोलने की अनुमति न दी जाए।

विवरण (आंध्र प्रदेश)

क्रम संख्या	प्रशिक्षण का नाम	जिला	प्रशिक्षण अस्पताल का नाम
1	2	3	4
1.	जी एन एम	चित्तूर	मैरी लोट लायल्स अस्पताल, मदनापाले
2.	जी एन एम	चुड्डापाह	सी. एस. आई कैम्पबेल अस्पताल, जमालमाडुग
3.	जी एम	ईस्ट गोदावरी	सरकारी जनरल अस्पताल, काकीनाड़ा
4.	जी एन एम		क्रिंशिचिन मेडिकल सेन्टर, केनेडियम बापटिष्ट मिशन, पीतमपुरम
5.	जी एन एम	गुन्टूर	सरकारी जनरल अस्पताल, गुन्टूर
6.	जी एन		कुगलेर अस्पताल, गुन्टूर
7.	जी एन एम/ ए. एन. एम (आर)		सेंट जोसफ अस्पताल, जे. एम. जे. प्रोविनसिएलेट स्नेहालया, गुन्टूर
8.	जी एन एम	हैदराबाद	उसमानिया जनरल अस्पताल, हैदराबाद
9.	जी एन एम		के.ई.एम. अस्पताल,(गांधी अस्पताल) सिकन्दराबाद
10.	जी एन एम		विजय मैरी अस्पताल, सैफा–बाद, हैदराबाद

1	2	3	4
11.	जी एन एम		सेंट थेरेता अस्पताल, हैदराबाद
12.	जी एन एम	खम्माम	सिगरेनी कोयलरी कम्पनी, एस. सी. मेन अस्पताल कोथागुडम
13.	जी एन एम	कृष्णा	सेंट एननस अस्पताल, प्रीसेंट भवन करमेल नगर, विजयवाडा
14.	जी एन एम		गिर्फड मेमोरियल अस्पताल आफ सेवन्थ डे एडवेन्ट नुजविड
15.	जी एन एम/ ए एन एम (आर)	कुरनल	सरकारी जनरल अस्पताल, कुरनोल
16.	जी एन एम	नल्लोर	बेपटिस्ट क्रिशिचियन अस्पताल, नल्लोर
17.	जी एन एम/ ए एन एम (आर)	विशाखा	किंग जोर्ज अस्पताल, विशाखापत्तनम
18.	जी एन एम/ ए एन एम (आर)	वारगंल	महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल, वारंगल
19.	जी एन एम	वेस्ट गोदावरी	नरसापुर क्रिश्चियन मेमोरियल अस्पताल, नरसापुर
20.	जी एन एम	गुन्टूर	एवनगेलाइन बूथ अस्पताल, निडुब्रेलू
21.	जी एन एम/ ए एन एम (आर)	चित्तूर	एस. वी. आर. आर. अस्पताल, म्युनिसिपल स्वास्थ्य सेंटर, चंद्रागिरी, तिरूपति
22.	जी एन एम/ ए एन एम (आर)	चित्तूर	जिला मुख्यालय अस्पताल, चित्तूर
23.	जी एन एम/ ए एन एम (आर)	अनन्तपुर	निर्मला स्कूल ऑफ नर्सिग, रूदरेमपेट, अनंतपुर
24.	जी एन एम	अनन्तपुर	यूथ स्कूल ऑफ नर्सिग, अनन्तपुर
25.	जी एन एम/ ए एन एम (आर)	हैदराबाद	सीता स्कूल ऑफ नर्सिग, सरूरनगर, हैदराबाद
26.	जी एन एम	वारंगल	विक्टोरिया मेमारियल अस्पताल, हनामकोंडा
27.	जी एन एम (आर)	नेल्लोर	ए. बी. एम. अस्पताल, नेल्लोर (वापटिस्ट सी. एच. अस्पताल)

1	2	3	4
28.	जी एन एम (आर)	कृष्णा	सीबीएम, बेथल अस्पताल, वूयूरू
29.	जी एन एम	कुरनूलु	विश्ववेनी स्कूल ऑफ़ नर्सिंग, नान्दयाल
30.	जी एन एम/ ए एन एम (आर)	चित्तूर	पदमावती स्कूल ऑफ नर्सिंग, तिरूपति
31.	जी एन एम/ ए एन एम (आर)		नवचेतन्य एमपीएचडब्लयू (एफ) प्रशिक्षण संस्थान, एस. के. डी. कालोनी, अदोनी
32.	जी एन एम/ ए एन एम (आर)	वारंगल	जया स्कूल ऑफ नर्सिंग, हनाकोंडा, वारंगल
33.	जी एन एम/ ए एन एम (आर)	चित्तूर	रायलसीमा सेवा समिति एमपीएचडब्लयू (एफ) प्रशिक्षण संस्थान, ओल्ड हुजूर आफिस बिल्डिंग तिरूपति
34.	जी एन एम	विशाखापत्त्नम	विशाखा स्कूल ऑफ नर्सिंग, विशाखापत्तनम
35.	जी एन एम/ ए एन एम		सेंट ल्यूकं स्कूल ऑफ नर्सिंग, विशाखापत्तनम
36.	जी एन एम/ ए एन एम (आर)		प्रियदर्शिनी स्कूल ऑफ नर्सिंग, 8/12, विद्यानगर, राजामुन्दरी–105
37.	जी एन एम	वेस्ट गोदावरी	हेलापुरी स्कूल ऑफ नर्सिंग, एलूरू
38.	जी एन एम		कस्तूरबा स्कूल ऑफ नर्सिंग, तनुकू
39.	जी.एन.एम/ए.एन.एम	कृष्णा	विजय स्कूल ऑफ नर्सिंग, विजयवाड़ा
40.	जी.एन.एम/ए.एन.एम	नेल्लोर	डीलीफ. स्कूल ऑफ नर्सिंग, नेल्लोर
41.	जी.एन.एम	ऑन्गोले	चेतन्य स्कूल ऑफ नर्सिंग, आन्गोले
42.	जी.एन.एम	चित्तूर	श्रीविनायक स्कूल ऑफ नर्सिंग, तिरूपति
43.	जी.एन.एम	अनन्तपुर	अमेरिकन स्कूल ऑफ नर्सिंग, अनन्तपुर
44.	जी.एन.एम/ए.एन.एम	कुड्डपाह	वानी स्कूल ऑफ नर्सिंग, कुडडपाह।

1	2	3	4
45.	जी.एन.एम/ए.एन.एम	अंगोले	कालेज ऑफ मेडिकल टैक्नोलॉजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, ओपलावारेपेट, अंगोले–२
46.	जी.एन.एम/ए.एन.एम	गुंटूर	स्वामी स्कूल ऑफ नर्सिंग, गुंटूर।
47.	जी.एन.एम/ए.एन.एम	हैदराबाद	कस्तूरी स्कूल आफ नर्सिंग. जुबली हाल, चैतन्यपुरी हैदराबाद
48.	जी.एन.एम	हैदराबाद	जसबंत स्कूल ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद
49.	जी.एन.एम	कुरनूल	क्रिश्चियन स्कूल ऑफ नर्सिंग, कुरनूल
50.	जी.एन.एम	हैदराबाद	प्रिसिंस एसिन हास्पिटल, पुरानी हवेली, हैदराबाद
51.	जी.एन.एम	नेल्लोर	बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, कावेली. नेल्लोर, डिस्ट्रिक
52.	जी.एन.एम	नेल्लोर	नेल्लोर स्कूल ऑफ नर्सिंग, चन्दमौली नगर, नेल्लोर
53.	जी एन एम	चित्तूर	सप्तगिरि स्कूल ऑफ नर्सिंग, वैस्ट चर्च कम्पाउंड, तिरूपति
54.	जी एन एम	कुरनूल	श्री उमा महेश्वरी स्कूल ऑफ नर्सिंग, डाक्टर कलोनी, कुरनूल
55.	जी एन एम/ ए एन एम (आर)	चित्तूर	स्वाती स्कूल ऑफ नर्सिंग, तिरूपति
56.	जी एन एम	चित्तूर	एनलाइट स्कूल ऑफ नर्सिंग, के. बी. लेआउट, तिरूपति
57.	जी एन एम	चित्तूर	श्री वेंकटेश्वर स्कूल ऑफ नर्सिंग, मुराकम्बत्तु, चित्तूर
58.	जी एन एम/ ए एन एम (आर)	नेल्लोर	मुरली कृष्ण स्कूल ऑफ नर्सिंग, नेल्लोर
59.	जी एन एम	हैदराबाद	राजेश्वरी स्कूल ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद
60.	जी एन एम/ए एम	हैदराबाद	जे.एस.एम.स्कूल ऑफ नर्सिंग, नलगोंडा
61.	जी एन एम	नलगोंडा	नेताजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, नलगोंड़ा

1	2	3	4
62. जी एन एम/			
ए एन एम		नलगोंडा	बापुजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, नालगोंडा
63. जी एन एम		हैदराबाद	मदर कृष्णाबाई स्कूल ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद

टिप्पणी : जी. एन. एम. – सामान्य उपचर्या और मिडवाइफरी

ए. एन. एम. (आर) – सहायक नर्स मिडवाइफरी (संशोधित)

ए. एन. एम. – सहायक नर्स मिडवाइफरी

पुनर्वास के उपाय

785. **श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाटर एंड पावर कन्सलटेंसी सविसेज (इंडिया) लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा और गोदावरी बैराजों तथा अन्य बांधों से संबंधित ढांचागत और पुनर्वास संबंधी उपायों के अध्ययन के लिए कोई कार्यक्रम आरंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मातृ दुग्ध बैंक

786. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मातृ दुग्ध बैंक स्थापित करने की अच्छी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों में इस प्रकार के बैंक अस्तित्व में हैं;

(घ) क्या देश में इस प्रकार के बैंकों की स्थापना करने और इन्हें बढ़ावा देने की कोई योजना है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) से (च) मातृ दुग्ध बैंक का विश्व के कुछ देशों में अस्तित्व है। देश में मातृ दुग्ध बैंक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि स्तनपान कराना देश में माताओं के बीच एक मान्य परिपाटी है।

कश्मीर घाटी की यात्रा

787. **श्री शरद दिघे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दो सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारियों को कश्मीर घाटी में स्थिति का आंकलन करने हेतु भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्होंने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) सरकार की नीति, कश्मीर समस्या के हल और वहां सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सुझाव देने हेतु, आगे आने वाले विभिन्न ग्रुपों के साथ बातचीत करने की रही है। इस दिशा में, सेवा निवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित कुछ प्रमुख व्यक्ति समय–समय पर विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर सुझाव देते हैं और इस उद्देश्य के लिए वे कभी–कभी जम्मू एवं कश्मीर का दौरा भी करते हैं ताकि वहां की स्थिति का अध्ययन कर सकें। उनके सुझावों पर भी विचार किया जाता है और यदि व्यवहारिक पाया जाए, तो उन पर कार्रवाई भी की जाती है।

घटिया दवाएं

788. **श्री मोहन रावले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्पतालों, नर्सिंग होमों और बाजारों से घटिया दवाओं को तत्काल हटाने हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की घटिया औषधियों का निर्माण करने वाले दोषी एककों के विरूद्ध क्या कार्रवाही की गई है/की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जब कभी औषध नमूना मानक गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है तो राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारी दोषी कंपनियां को आदेश जारी करते हैं और अस्पतालों/नर्सिंग होमों/ बाजारों में बेचे गए औषध बैचों को वापस करा लेते हैं। कुछेक राज्य उपभोक्ताओं और कैमिस्टों को सचेत करने के लिए इस मामले को प्रचारित भी कर देते हैं ताकि ऐसे औषधों की और बिक्री रोकी जा सके।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लगभग 7900 नमूने घटिया स्तर के घोषित किए गए और चेतावनी देने, लाइसेंस को निलम्बित अथवा रद्द करने अथवा मुकदमा चलाने सहित नियमों में था समादिष्ट कार्रवाई शुरू की गई।

कोयले की कमी

789. **श्री डी. आर. धनुषकोडी आदित्यन** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में कोयले की कमी की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ड.) यदि नहीं, तो विलम्ब करने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ड.) भारत कोकिंग कोल लि० (भा. को. को. लि.) में कोयले के स्टाक की कमी होने के बारे में गहन अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह महसूस किया गया कि इस स्थिति में रिपोर्ट का विस्तृत विवरण देना कार्रवाई की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और यह जनहित में भी नहीं होगा।

सिंचाई सुविधाएं

790. **श्री वेंकटेश्वर राव :**

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार ने 1994-95 के दौरान सिंचाई सुविधाओं के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को कुल कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) केंद्रीय सरकार की सहायता प्राप्त सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली सिंचाई योजनाओं को ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) आंध्र प्रदेश की वार्षिक योजना 1994-95 के दौरान सिंचाई क्षेत्र के लिए योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित परिव्यय आबंटित किये गये है :

(परिव्यय – करोड़ रूपए)

i)	वृहद व मझौली सिंचाई	325.55
ii)	लघु सिंचाई	82.99
iii)	कमान क्षेत्र विकास	12.75
	योग	421.29

(ख) और (ग) संशोधित गाडगिल फार्मुला के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता एकमुस्त अनुदान व ऋण के रूप में प्रदान की जाती है जो किसी परियोजना अथवा क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं होती है। सिंचाई राज्यों का विषय है, अतः सिंचाई परियोजनाओं और योजनाओं की आयोजना वित्तपोषण व क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने बजट संबंधी संसाधनों से किया जाता है। इस समय केन्द्रीय सरकार का किसी सिंचाई परियोजना को हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोयले का खनन

791. **श्री ए. अशोकराज** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में त्रिची जिलें में, जयनकोडम के निकट कोयले के खनन के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। किंतु नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (ने. लि. का) ने तमिलनाडु के जयन्कोन्डम क्षेत्र में लिग्नाइट का अन्वेषण किया है, जहां कि लिग्नाइट के भंडार 1150 मि. टन होने का अनुमान लगाया गया है।

[हिन्दी]

पुलिस शिकायत आयोग

792. **श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :**

श्री मंजय लाल :

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दिल्ली सरकार से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करवाने हेतु एक पुलिस शिकायत आयोग गठित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) दिल्ली में उप–राज्यपाल से गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें दिल्ली पुलिस की कार्य कुशलता और सार्वजनिक छवि को सुधारने के लिए सुझाव दिए गए हैं। इनमें से एक सुझाव, पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई/ उसी निष्क्रियता, शक्तियों के दुरूपयोग इत्यादि के बारे में जनता की शिकायतों को निपटाने के लिए एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण/आयोग गठित करने के बारे में हैं।

(ग) दिल्ली के उप–राज्यपाल के प्रस्ताव पर गौर किया जा रहा है।

[अनुवाद]

नौवां "पैसिफिक रिम" कोयला सम्मेलन

793. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और अमरीकी ए.इ.आर. एंटरप्राइजेज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित नौवां "पैसिफिक रिम कोल" सम्मेलन जून, 1994 के दौरान भारत में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से मामलों पर चर्चा हुई और क्या सिफारिशें की गई;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने निर्यात को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है और इस हेतु यह विदेशी सहयोग आमंत्रित कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो सी. आई. एल. कौन-कौन से विदेशी करार कर रहा है; और

(ड) भूमिगत खनन में चीनी उद्योग के साथ सहयोग करने और खुले मुहानों वाली खानों में खनन संबंधी कौशल उपलब्ध कराने में अभी तक क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) पेसिफिक रिम कोल कांग्रेस विश्व के विभिन्न भागों में नियमित अंतराल पर आयोजित होती है। इस कांफ्रेस का उद्देश्य कोयला उत्पादकों, कोयले के आयातकों तथा निर्यातकों के लिए एक परस्पर विचार-विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें विश्व के विभिन्न भागों में कोयला उद्योग के स्तर में हुए नवीनतम विकास के संबंध में जानकारी मिल सके। जून, 1994 में नई दिल्ली में हुए नौंवे पेसिफिक रिम कोल काफ्रेंस में विश्व के विभिन्न भागों से आए हुए प्रतिनिधियों के समक्ष कोयला उद्योग की स्थिति प्रस्तुत की गई थी।

(ग) और (घ) कोयले का निर्यात एक आवश्यक बल दिए जाने वाला क्षेत्र है तथा कोयले के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए को. इं. लि. कदम उठा रही है। वर्तमान में को. इं. लि. कोयले के निर्यात किए जाने के लिए कोई विदेशी सहायता अथवा सहयोग प्राप्त नहीं कर रही है।

(ड) वर्तमान में भूमिगत अथवा ओपेनकास्ट कोयला खानों के लिए चीन के कोयला उद्योग के मामले में, कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। अभी तक सरकार ने सिंगरेनी कोलियरीज, कंपनी लि. की पदमावती खानी भूमिगत परियोजना के लिए चीन से लांगवाल उपकरणों के 2 पैकेजों का निर्यात किए जाने को अनुमोदन दे दिया है।

स्वास्थ्य संबंधी प्रचार अभियान

794. **श्री एस. एम. लालजान बाशा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के संबंध में प्रचार अभियान चलाने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा किन-किन प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान बजट में कितने प्रतिशत धनराशि प्रचार के लिए आवंटित की जाती है;

(ग) क्या प्रचार हेतु यह वित्तीय प्रावधान अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधान बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गए है/किए जायेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों संबंधी प्रचार अभियानों के लिए प्रिंट और दृश्य श्रव्य प्रचार माध्यम का उपयोग किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रचार के लिए आवंटित बजट की प्रतिशतता को ठीक–ठीक बताना संभव नहीं है क्योंकि विभागीय योजना और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषक एजेंसियों से सहायता प्राप्त अनेक कार्यक्रमों के प्रचार के लिए प्रावधान होता है। स्वास्थ्य के लिए धन का समग्र आवश्यकता पर विचार करते हुए यह महसूस किया जाता है कि स्वास्थ्य प्रचार के लिए आवंटित बजट पर्याप्त है।

जल वितरण और भंडारण का विकास

795. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को जल वितरण और भंडारण के विकास के लिए कितनी–कितनी सहायता राशि प्रदान की;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ अधिक सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) केन्द्रीय योजनागत सहायता एकमुश्त ऋण व अनुदान के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष क्षेत्र या योजना से संबद्ध नहीं होती है। राज्य सरकारें अपनी–अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार क्षेत्र/योजनावार आबंटन भी करती है। इसके अलावा, केन्द्रीय सहायता विशेष अनुरोध पर एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत चुनिंदा आधार पर दी जाती है। पिछले तीन वर्षों (वर्षवार) के दौरान आवंटित परिव्ययों के अलावा राज्यवार अतिरिक्त केन्द्रीय योजनागत सहायता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) और अधिक सहायता के लिए प्राप्त हुए अतिरिक्त विशिष्ट अनुरोध और उनकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

करोड़ रूपये

क्र. सं.	राज्य	परियोजना/योजना का नाम	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सिंचाई-II	250
2.	नागालैंड	लघु सिंचाई परियोजनाओं का नवीकरण और स्तर बढ़ाना	(i) वर्ष 1993-94 के दौरान स्वीकृत किए गए 2.00 करोड़ रूपये में से निर्मुक्त किए जाने वाले शेष 1.0 करोड़ रूपये (ii) 3.10 करोड़ रूपये की अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध।
3.	पंजाब	सतलुज यमुना लिंक नहर	37.70
4.	राजस्थान	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित की जाने वाली राशि को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा सागर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के वास्ते भी अनुरोध किया है। उक्त अनुरोध की जांच की जा रही है।

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्य योजना परिव्ययों के अलावा निर्मुक्त की गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता

(लाख रूपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	155.02	134.84	119.84
2.	अरूणाचल प्रदेश	20.00	—	—
3.	असम	265.46	207.99	202.61
4.	बिहार	792.36	399.68	1351.96
5.	गोवा	64.96	79.04	90.37
6.	गुजरात	434.96	200.19	209.65

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	670.345	549.57	934.38
8.	हिमाचल प्रदेश	53.32	35.00	75.95
9.	जम्मू और कश्मीर	246.77	147.65	178.69
10.	कर्नाटक	533.05	662.78	538.91
11.	केरल	274.56	1023.95	629.73
12.	मध्य प्रदेश	416.20	405.87	319.16
13.	महाराष्ट्र	1588.443	1315.13	704.54
14.	मणिपुर	116.085	3.05	41.75
15.	नागालैंड	15.50	—	100.00
16.	उड़ीसा	776.76	824.96	933.81
17.	पंजाब	2048.35	2000.00	295.00
18.	राजस्थान	5252.205	7532.82	8158.69
19.	तमिलनाडु	734.74	893.06	730.65
20.	त्रिपुरा	—	0.35	1.54
21.	उत्तर प्रदेश	1575.61	1671.14	1968.73
22.	पश्चिम बंगाल	101.50	1911.12	3121.50
	कुल	16153.158	19998.17	20707.46

257-260

जलाशयों की जलधारण क्षमता

796. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में फैले 61 महत्वपूर्ण प्रमुख जलाशयों के क्या नाम हैं, वे कहां–कहां स्थित है और उनकी जलधारण क्षमता कितनी–कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इन जलाशयों में कम जल भंडारण के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत के 61 महत्वपूर्ण जलाशय

क्र.सं.	जलाशय का नाम	राज्य	पूर्ण जलाशय स्तर पर सक्रिय क्षमता (मिलियन घन मीटर)
1	2	3	4
1.	श्रीसैलम	आन्ध्र प्रदेश	8.288
2.	नागार्जुनसागर	आन्ध्र प्रदेश	6.841
3.	श्रीराम सागर	आन्ध्र प्रदेश	2.300
4.	सोमासिला	आन्ध्र प्रदेश	1.994
5.	तेनूघाट	बिहार	0.821
6.	मैथन	बिहार	0.571
7.	पंचेत हिल	बिहार	0.223
8.	कोनार	बिहार	0.275
9.	तिलैया	बिहार	0.319
10.	उकाई	गुजरात	7.100
11.	साबरमती	गुजरात	0.778
12.	कदना	गुजरात	1.472
13.	शिरूंजी	गुजरात	0.343
14.	भादर	गुजरात	0.199
15.	गोविंद सागर	हिमाचल प्रदेश	6.655
16.	पोंग बांध	हिमाचल प्रदेश	7.119
17.	के. आर. सागर	कर्नाटक	1.163
18.	तुंगभद्रा	कर्नाटक	3.276
19.	घाटप्रभा	कर्नाटक	1.391
20.	भद्रा	कर्नाटक	1.785
21.	लिंगनामक्की	कर्नाटक	4.294
22.	नारायणपुर	कर्नाटक	0.863
23.	मालप्रभा	कर्नाटक	0.972

1	2	3	4
24.	काबीनी	कर्नाटक	0.275
25.	हेमावती	कर्नाटक	1.013
26.	हरांगी	कर्नाटक	0.220
27.	कल्लादा	केरल	0.507
28.	इदमलायर	केरल	1.018
29.	इदुक्की	केरल	1.460
30.	गांधी सागर	मध्य प्रदेश	6.827
31.	तवा	मध्य प्रदेश	1.944
32.	महानदी	मध्य प्रदेश	0.767
33.	जयाकवाड़ी	महाराष्ट्र	2.171
34.	कोयना	महाराष्ट्र	2.677
35.	भीमा	महाराष्ट्र	1.517
36.	ईसापुर	महाराष्ट्र	0.965
37.	मुला	महाराष्ट्र	0.608
38.	बेलदारी	महाराष्ट्र	0.809
39.	गिरना	महाराष्ट्र	0.524
40.	खड़गवासला	महाराष्ट्र	0.056
41.	हीराकुड	उड़ीसा	5.378
42.	बालीमिला	उड़ीसा	2.676
43.	सालंदी	उड़ीसा	0.558
44.	रेंगाली	उड़ीसा	3.432
45.	मच्छकुंड	उड़ीसा	0.893
46.	अपर कोलाब	उड़ीसा	0.935
47.	एम. बी. सागर	राजस्थान	1.833
48.	जाखम	राजस्थान	0.132
49.	आर. पी. सागर	राजस्थान	1.573
50.	लोअर भवानी	तमिलनाडु	0.929

1	2	3	4
51.	मैतूर	तमिलनाडु	2.647
52.	वैगई	तमिलनाडु	0.194
53.	परामबिकुलम	तमिलनाडु	0.380
54.	एलीयार	तमिलनाडु	0.095
55.	शोलापुर	तमिलनाडु	0.143
56.	गोमती	त्रिपुरा	0.312
57.	माताटिला	उत्तर प्रदेश	0.707
58.	रामगंगा	उत्तर प्रदेश	2.196
59.	रिहंद	उत्तर प्रदेश	8.967
60.	मयूराक्षी	पश्चिम बंगाल	0.547
61.	कंगसावती	पश्चिम बंगाल	0.914

कोयला खान क्षेत्रों में सड़कों का विकास

797. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के कोयला–खान क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्मित सड़कों की कुल लम्बाई कितनी है; और

(ग) कर्नाटक के कोयला–खान क्षेत्रों में सड़के बनाने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है, चूंकि कर्नाटक में कोई कोयला कोलियरी क्षेत्र विद्यमान नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में आदिम जातियां

798. **श्री ललित उरांव** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में *आदिम जातियों की समस्याओं को सुलझाने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) *आदिम जातियों के लिए कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को 1991-92, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान अब तक दिये गये अनुदानों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) बिहार में आदिम जनजातियों के समाजार्थिक विकास के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत के संविधान की धारा 275(1) के

अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अनुदान प्रदान किए जाते हैं। उनके लिए कृषि, उपकरण, पेयजल, सिंचाई के कुंए, डेयरी, बकरीपालन, सुअर पालन, मुर्गीपालन, बागवानी, भूमि व्यवस्था तथा विकास आदि सहित अनेक योजना भी प्रारम्भ की गई हैं। इसके अतिरिक्त उनके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी कुछ विशेष योजनाएं भी प्रारम्भ की गई हैं।

(ख) कोई गैर–सरकारी संगठन अनन्य रूप से आदिम जनजाति के लिए कार्य नहीं कर रहा है, फिर भी कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए बिहार में स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान प्रदान किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

	(रू. लाख में)
1991-92	10.80
1992-93	23.29
1993-94	31.64
1994-95 (आज की तारीख तक)	शून्य

रक्त बैंक

799. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषकर जनजातिय क्षेत्रों में इस समय कितने रक्त बैंक हैं और वे कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) ऐसे कितने रक्त बैंकों में एड्स का पता लगाने के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के सभी रक्त बैंकों को एड्स का पता लगाने वाले उपकरणों से सुसज्जित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) 54 सरकारी है और जिन–जिन स्थानों पर ये स्थित है। उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसके अलावा गुजरात में 38 प्राइवेट तथा 29 स्वैच्छिक रक्त बैंक कार्य कर रहे हैं।

(ख) छः रक्त बैंक, जोनल रक्त परीक्षण केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं जहां एड्स का पता लगाने वाले उपकरण उपलब्ध किए गए हैं। जिन शहरों में जोनल परीक्षण केन्द्र स्थित हैं वहां सरकारी, प्राईवेट तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के सभी रक्त बैंकों को इन केन्द्रों के साथ जोड़ा गया है। जोनल रक्त परीक्षण केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :–

1. रक्त बैंक, सूरत मेडिकल कालेज, सूरत
2. रक्त बैंक, गवर्नमेंट कालेज, बड़ोदरा

3. रक्त बैंक, बी० जे० मेडिकल कालेज, अहमदाबाद

4. रक्त बैंक, एम० पी० शाह अस्पताल, जामनगर

5. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, जूनागढ़

6. रक्त बैंक, सिविल अस्पताल, अमरेली

बी० जे० मेडिकल कालेज, अहमदाबाद के सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग में स्थित निगरानी केन्द्र में भी एड्स की जांच करने के उपकरण उपलब्ध किए गए हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी जिला स्तर के रक्त बैंकों को त्वरित एच० आई० वी० परीक्षण किट सप्लाई करके एच आई वी परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है।

विवरण

गुजरात में कार्यरत सरकारी रक्त बैंकों की सूची

क्रम सं.	रक्त बैंक का नाम	कहां स्थित है
1	2	3
1.	जनरल अस्पताल, हिमतनगर	हिमतनगर
2.	जनरल अस्पताल, राजकोट	राजकोट
3.	सरकारी अस्पताल, जैतपुर	जैतपुर
4.	आर. जैड. अस्पताल, राजकोट	राजकोट
5.	जनरल अस्पताल, जूनागढ़	जूनागढ़
6.	ए. टी. बाल अस्पताल, राजकोट	राजकोट
7.	जनरल अस्पताल, मोरंबी	मोरंबी
8.	जनरल अस्पताल, पतन	पतन
9.	जनरल अस्पताल, महसाना	महसाना
10.	जनरल अस्पताल, पालनपुर	पालनपुर
11.	जनरल अस्पताल, अमरेली	अमरेली
12.	सरकारी अस्पताल, लाठी	लाठी
13.	मानसिंह अस्पताल, पालीताना	पालीताना
14.	जनरल अस्पताल, पतलाद	पतलाद
15.	के. के. अस्पताल, स्वारकुण्डला	स्वारकुण्डला
16.	काटेज अस्पताल, दाहोद	दाहोद

1	2	3
17.	राज्य अस्पताल, संतरामपुर	संतरामपुर
18.	जनरल अस्पताल, गौधरा	गौधरा
19.	जनरल अस्पताल, देवगढ़बारिया	देवगढबारिया
20.	काटेज अस्पताल, भीलोदा	भीलोदा
21.	जनरल अस्पताल, नवसारी	नवसारी
22.	जनरल अस्पताल, गांधीनगर	गांधीनगर
23.	एस. एस. अस्पताल, पतलाद	पतलाद
24.	काटेज अस्पताल, खेड़रामा	खेड़रामा
25.	न्यू सिविल अस्पताल, सूरत	सूरत
26.	जनरल अस्पताल, सुरेन्द्रनगर	सुरेन्द्रनगर
27.	जनरल अस्पताल, पोरबन्दर	पोरबन्दर
28.	इरविन ग्रुप अस्पताल, जामनगर	जामनगर
29.	जनरल अस्पताल, गोन्दल	गोन्दल
30.	एस. एस. जी. अस्पताल, बड़ौदा	बड़ौदा
31.	काटेज अस्पताल, उपलेटा	उपलेटा
32.	आर. आर. अस्पताल, लिम्बादी	लिम्बादी
33.	माण्डवी ग्रुप ऑफ अस्पताल, कच्छ	कच्छ
34.	काटेज अस्पताल, खाम्बा	खाम्बा
35.	जे. के. अस्पताल, भुज	भुज
36.	सरकारी अस्पताल, गांधीधाम	गांधीधाम
37.	सरकारी अस्पताल, दीसा	दीसा
38.	सरकारी अस्पताल, धरांगदरा	धरांगदरा
39.	काटेज अस्पताल, उन्झा	उन्झा
40.	जनरल अस्पताल (ई.एस.आई.एस), बड़ौदा	बड़ौदा
41.	जनरल अस्पताल, सोला	सोला
42.	सरकारी अस्पताल, भावनगर	भावनगर
43.	गुजरात कैंसर अस्पताल, अहमदाबाद	अहमदाबाद
44.	काटेज अस्पताल, वासादा	वासादा

1	2	3
45.	सिविल अस्पताल, अहमदाबाद	अहमदाबाद
46.	सरकारी अस्पताल, धोराजी	धोराजी
47.	राज्य अस्पताल, धर्मपुर	धर्मपुर
48.	जनरल अस्पताल, राजपीपला	राजपीपला
49.	पी. के. अस्पताल, राजकोट	राजकोट
50.	सिविल अस्पताल, भड़ूच	भड़ूच
51.	जनरल अस्पताल, डांग	डांग
52.	ई. एस. आई. एस. अस्पताल, बापूनगर अहमदाबाद	बापूनगर अहमदाबाद
53.	जनरल अस्पताल, विसनगर	विसनगर
54.	जनरल अस्पताल, वालसार	वालसार

[अनुवाद]

हिंसा और अश्लीलता

800. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा अपने कार्यक्रमों में हिंसा और अश्लीलता को कम करने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) क्या इस समय दूरदर्शन की अपनी सेंसर व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो दूरदर्शन द्वारा स्वच्छ मनोंरजन उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) दूरदर्शन प्रसारण से पूर्व अपने सभी कार्यक्रमों का पूर्वदर्शन करता है। ताकि उनमें सरकार द्वारा बनाई गई प्रसारण सहिता के उपबंधों के अनुसार किसी प्रकार की आपत्तिजनक हिंसा अथवा अश्लीलता शामिल न हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य रक्षा

801. **श्री एस० बी० सिदनलाल :**

श्री एस० एम० लालजान बाशा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और अन्य एशियाई देशों में स्वास्थ्य रक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय कितना–कितना है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (केन्द्रीय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सहित) के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित की गई रकमें इस प्रकार हैं :–

(करोड़ रूपये में)

1.	स्वास्थ्य	7582.19
2.	परिवार कल्याण	6500.00

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक संवर्धक, निवारक, उपचारी और पुनर्वास स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं देश भर में स्थापित किए गए उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा शहरी क्षेत्रों में उपमंडलीय/जिला/मेडिकल कालेजों/तृतीयक स्तर के अस्पतालों के एक नेटवर्क के जरिए प्रदान की जा रही है। केन्द्रीय सरकार ने अनेक संचारी और गैर-संचारी रोग नियंत्रण/उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए हैं जिन्हें देश भर में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। उत्तरोतर पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी पद्धति के लिए अपेक्षित चिकित्सीय और परा–चिकित्सीय कार्मिकों को प्रशिक्षित करने हेतु विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए गए हैं। मुख्य बल रोग प्रतिरक्षण सहित शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमों पर दिया गया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान करने हेतु जैव चिकित्सीय अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि की गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने में अन्य सम्बद्ध विभागों के साथ अंतरक्षेत्रीय तालमेल रखने और स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों तथा प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने के लिए प्रयास किए गए हैं।

विवरण

भारत तथा एशिया के अन्य देशों में प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च को दर्शाने वाला विवरण 1990

	देश	प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च (अमरीकी डालर)
1.	बंगलादेश	7
2.	भारत	21
3.	इण्डोनेशिया	12
4.	नेपाल	7
5.	श्रीलंका	18

6.	थाइलैण्ड	73
7.	चीन	11
8.	मलेशिया	67
9.	जापान	1538
10.	फिलिपिन्स	14

स्रोत : विश्व बैंक, विश्व विकास रिपोर्ट, 1993

नर्सिंग होम

802. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न महानगरों और शहरों में बड़ी संख्या में नर्सिंग होमों का निर्माण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या नर्सिंग होमों को नियंत्रण करने वाले कानूनों/नियमों में संशोधन लाने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारें अपने–अपने राज्यों में चलने वाले नर्सिंग होमों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

आगरा मानसिक अस्पताल

803. **कुमारी सुशीला तिरिया :**

श्री एम० कृष्ण स्वामी :

श्री गुरूदास कामत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा मानसिक अस्पताल की स्थिति शोचनीय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस अस्पताल के कार्यकरण को सामान्य बनाने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राज्य सरकार को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार कदम उठाने हैं।

घटिया कोयला

804. **श्री कांशीराम राणा** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा राज्य के तापीय विद्युत केन्द्रों को घटिया कोयले की आपूर्ति के संबंध में शिकायत की गई है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान प्राप्त की गई इस प्रकार की शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड को अच्छी किस्म के कोयले की आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोयला नियंत्रण, कोल इण्डिया लिमिटेड (को.इ.लि.) सहित विभिन्न प्राधिकरणों को कोयले की गुणवत्ता के संबंध में गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा शिकायतें प्रेषित की जा रही हैं। ये शिकायतें मुख्यतः असंयोजित स्रोतों से कोयले की आपूर्ति तथा कोयले में फालतू सामग्री की विद्यमानता तथा आकार से बड़े एवं चिपचिपा और मिट्टीयुक्त कोयले की आपूर्ति से संबंधित है।

(ग) और (घ) प्रत्येक मामले में शिकायतों की उनके गुणावगुण आधार पर जांच की जाती है। ऐसे मामलों में जहां कहीं ग्रेड की कमी पाई जाती है तो राज्य विद्युत बोर्ड से केवल निम्न ग्रेड की ही वसूली की जाती है।

कोयला खनन की प्रक्रिया में, विशेषकर ओपनकास्ट खानों में, कुछ पत्थर/स्लेट/बाहरी सामग्री कोयले के साथ मिश्रित हो सकती है। गुजरात विद्युत बोर्ड सहित उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोयला कम्पनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं।

i) कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फीडर ब्रेकर्स तथा कोयला रखरखाव संयंत्र स्थापित करने की कार्ययोजना कार्यान्वित की जा रही है।

ii) कोयला लदान के समय पत्थरों को पृथक किया जा रहा है।

iii) श्रमिकों द्वारा स्लेट तथा पत्थरों के टुकड़े चुनने के लिए कोयला रखरखाव संयंत्रों में धीरे चलने वाली पिकिंग बैल्ट उपलब्ध कराई जा रही है।

iv) कोयले की गुणवत्ता बनाये रखने तथा कामगारों, रेलवे स्थल पर मौजूद पर्यवेक्षकों तथा अधिकारियों में गुणवत्ता संबंधी जागरूकता विकसित करने के लिये लदान स्थल पर उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

v) बाद में किसी प्रकार की शिकायत के परिणामस्वरूप खरीददारों तथा बिक्रीकर्ताओं के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद से बचने के लिए पिटहैड या रेल/रोल साइडिंग सदान स्थल पर)

गुणवत्ता तथा मात्रा सुनिश्चित करने के लिए यथोचित कदम उठाये गये हैं तथा उठाये जा रहे हैं।

vi) कोयले की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता, जिसमें गुजरात विद्युत बोर्ड भी शामिल है, अपने प्रतिनिधि लदान स्थल पर तैनात कर सकते हैं।

[हिन्दी]

रायॅल्टी

805. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को बिहार की रायॅल्टी के रूप में कितनी राशि देनी है;

(ख) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा 1993-94 के दौरान बिहार सरकार को रायॅल्टी की कितनी राशि देनी है; और

(ग) यह धनराशि कोयले की कितनी मात्रा के बदले देय है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० (को.इं.लि.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार दिनांक 22.7.1994 की स्थिति के अनुसार जून, 1994 के अंत तक कोयले का प्रेषण किए जाने के मामले में भारत कोकिंग कोल लि० (भा.को.को.लि.) द्वारा बिहार सरकार को रायॅल्टी की देय बकाया राशि 9.77 करोड़ रू. थी। किन्तु 30.6.1994 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की ओर आपूर्ति किए गए कोयले के संबंध में को.इ.लि. की 39.05 करोड़ रूपए की देय राशि बकाया थी, जिसमें से 22.92 करोड़ रूपए की राशि अविवादित थी।

(ख) वर्ष 1993-94 में भा.को.को.लि. द्वारा बिहार सरकार को कोयले की रायॅल्टी की देय बकाया राशि 258.51 करोड़ रूपये (अनंतिम) की थी।

(ग) कोयले की मात्रा, जिस पर कि यह बकाया राशि देय थी, 27.965 मि.टन (अनंतिम) थी।

[अनुवाद]

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (टाडा) के मामले

806. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 'टाडा' के मामलों की समीक्षा हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी संरचना और अन्य बातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को इस प्रकार की समितियां गठित करने के लिए सुझाव दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो किन राज्यों ने सुझाव के अनुपालन की जानकारी दी है;

(ङ) किन राज्यों ने 'टाडा' के मामलों की समीक्षा कराई है;

(च) उच्चतम न्यायालय के आदेश की तिथि को 'टाडा' के अंतर्गत नजरबंदियों की संख्या कितनी थी और केन्द्रीय और/अथवा राज्य स्तर की समीक्षा के परिणामस्वरूप कितने नजरबन्दियों को छोड़ा गया अथवा जमानत पर छोड़ा गया; और

(छ) 1 जनवरी, 1994 और 1 जुलाई, 1994 को 'टाडा' के अंतर्गत नजरबन्दियों की संख्या कितनी थी और उनको कितने-कितने वर्षों तक नजरबंद रखा गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय सरकार द्वारा एक पुनरीक्षा समिति गठित की गई है जिसमें गृह सचिव (अध्यक्ष), विधि सचिव, निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा सदस्य सचिव के रूप में संयुक्त सचिव (आई एस II), गृह मंत्रालय शामिल है। उपर्युक्त समिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए गए टाडा मामलों को पुनरीक्षा करने के साथ-साथ राज्यों द्वारा अपने-अपने राज्य में टाडा उपबंधों को लागू करने की कार्रवाई करने तथा इस संबंध में उठने वाले प्रासंगिक प्रश्नों की पुनरीक्षा करने के लिए है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। अब तक, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान तथा सिक्किम की राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने पुनरीक्षा समितियां गठित कर ली है।

(ङ) बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पंजाब, गुजरात, मिजोरम तथा महाराष्ट्र राज्यों द्वारा टाडा मामलों की पुनरीक्षा की गई है।

(च) टाडा के तहत नजरबंद किए गए व्यक्तियों की तिथि-वार संख्या की सूचना, इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

(छ) इसकी सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

संवाददाताओं पर हमला

807. **श्री फूल चंद वर्मा :**

श्रीमती सरोज दुबे :

श्री रवि राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में पंजाब के कुछ पुलिस कर्मियों ने 'स्टेट्समैन' के दो संवाददाताओं को पीटा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) कितने लोग दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(च) ऐसी वारदातों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (च) इस मामले में 'स्टेट्समैन' के उप–सम्पादक (खेल) और उनके सहयोग द्वारा की गई एक शिकायत के परिणामस्वरूप थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली, में भारतीय दंड संहिता की धारा 506/325/323/34 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। जांच की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

घटिया आयोडीन युक्त नमक

808. **श्री मोहन रावले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घटिया आयोडीनयुक्त नमक बनाने वाले एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस तरह के अपराधों के लिए वर्तमान कानूनों में क्या दंड निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार घटिया आयोडीन युक्त नमक बनाने वाले व्यक्तियों को कड़ा दंड देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) यदि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन आयोडीकृत नमक के किसी नमूने को मिलावटी पाया जाता है तो कानून के अधीन निर्धारित किए गए अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ख) से (घ) मौजूदा दंड में, कम से कम 6 महीने के कारावास की व्यवस्था है जिसे बढ़ाकर 3 वर्ष तथा कम से कम 1000 रूपये का जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन यदि मिलावट से मृत्यु अथवा गंभीर क्षति होने की संभावना हो तो इसे बढ़ाकर (आजीवन कारावास तथा कम से कम 5000 रूपये का जुर्माना किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश में अस्पृश्यता

809. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्याप्त अस्पृश्यता के आंकलन हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन राज्यों में अस्पृश्यता अब भी विद्यमान है;

(ग) इसके क्या कारण है;

(घ) सरकार द्वारा अस्पृश्यता समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए है और इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई है;

(ड) क्या आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर अस्पृश्यता प्रचलित होने के समाचार मिले हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने विभिन्न राज नामतः बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में छुआछूत की समस्या की व्यापकता का निर्धारण करने हेतु एक नमूना सर्वेक्षण संचालित किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1989 में प्रस्तुत कर दी।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15ए (2) (5) के अंतर्गत राज्य सरकारों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यकरण के संबंध में आवधिक सर्वेक्षण करें ताकि इस अधिनियम के प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाए जा सके। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए गए रिपोर्टों के अनुसार 1991 के दौरान किस राज्य सरकार ने ऐसे किसी सर्वेक्षण का संचालन नहीं किया है।

(ख) अध्ययन रिपोर्टों में बताया गया है कि मंदिर तथा सार्वजनिक पूजा स्थलों, पेयजल, स्रोतों, चाय–दुकान तथा भोजनालयों के मामले में, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों नाई तथा धोबी की सेवाओं, जनसाधारण के लिए प्रयुक्त बर्तनों में भेदभाव, मृत पशुओं की लाश हटाने जैसे व्यवसायों को लागू करने, सार्वजनिक शवदाह स्थलों/कब्रों तथा ग्राम चौपालों और ग्राम सभाओं की बैठकों में भाग लेने/आवासीय परिसरों पर अधिकार प्राप्त करने में असमर्थता की दृष्टि से छुआछूत की प्रथा की व्यापकता और प्रसार में एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतर है।

अध्ययन रिपोर्ट में पुनः यह बताया गया है कि छुआछूत की प्रथा अपने कठोरतम रूप में मुख्य रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है जिनमें लोगों विशेषकर अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति दयनीय है तथा उनकी साक्षरता का स्तर निम्न है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर छुआछूत की प्रथा अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और तीन संघ राज्य क्षेत्रों नामतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव तथा लक्षदीप में प्रचलित नहीं है।

(ग) अद्यतन रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित छुआछूत की प्रथा के जारी रहने के कारणों में निम्नलिखित हैं :

(1) जाति प्रथा की मजबूत दीवारें

(2) अनुसूचित जातियों द्वारा अस्वच्छ व्यवसायों का जारी रखा जाना

(3) अनुसूचित जातियों के बीच सामाजिक जागरूकता का अभाव और निरक्षरता, तथा

(4) धार्मिक कठोरता और धार्मिक साहित्य के प्रति सृजित भेदभाव

(घ) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे इस प्रकार है :

(रू. करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	बजट अनुमान	निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता
1.	1991-92	5.50	6.09
2.	1992-93	5.50	5.50
3.	1993-94	6.50	7.06

जहां तक उपलब्धियों का प्रश्न है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन हेतु केन्द्रीय सहायता का पूरा उपयोग किया है।

(ङ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 1991 में पुलिस द्वारा अस्पृश्यता के 365 मामले दर्ज किए गए।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में अस्पृश्यता की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय आरंभ किए हैं :

(1) **विशेष कक्ष**

राज्य स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव को सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सभी विशेष प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए पदेन कल्याण आयुक्त के रूप में पदनामित किया गया है।

(2) **आवधिक समीक्षा**

आंध्र प्रदेश सरकार ने अस्पृश्यता अपराधों पर जिला कलेक्टरों व पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु आवधिक रिपोर्ट निर्धारित की है।

(3) **विशेष सचल न्यायालय**

अभी तक राज्य में वाईस संचल न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

(4) **प्रचार और प्रसार**

अस्पृश्यता हटाने के लिए प्रचार प्रसार करने हेतु समाज कल्याण के कलैक्टोरेट में एक प्रचार कक्ष है।

(5) **अंतर्जातीय विवाह**

आंध्र प्रदेश सरकार सामाजिक एकता के लिए अंतर्जातीय विवाहो को भी प्रोत्साहन दे रही है।

(च) केन्द्र सरकार इस स्थिति के प्रति सचेत है और राज्य सरकार को मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु तथा पी. सी. आर. अधिनियम 1955 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 61.82 लाख रू. की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई है।

नेत्र बैंक

810. **श्री धर्मण्णा मोडयया सादुल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल फेडरेशन आफ आई बैंक एंड टिस्यू बैंक इंटरनेशनल ने देश में नेत्र बैंकों की स्थापना के लिए प्रसंस्करण एकक एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए किन–किन स्थानों का चयन किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) जी, हां।

संयुक्त राज्य अमेरिका के इंटरनेशनल फैडरेशन आफ आई बैंक और टिस्यू बैंक इंटरनेशनल ने कार्निया के परिरक्षण के लिए अपेक्षित एम. के. (एम. सी. कैरी कौफमेन) मीडियम के विनिर्माण के लिए एल. वी. प्रसाद नेत्र संस्थान, हैदराबाद में एक प्रयोगशाला स्थापित करने के अलावा एल. वी. प्रसाद संस्थान, हैदराबाद में नेत्र बैंक, वेणु नेत्र संस्थान, नई दिल्ली, वैस्ट लायंस नेत्र अस्पताल, बैंगलूर और ढोलका नेत्र बैंक, अहमदाबाद में सुविधाओं का उन्नयन करने में सहायता करने का प्रस्ताव किया है।

दूरदर्शन कार्यक्रम

811. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना ने स्टार और जी.टी.वी. के कार्यक्रमों को रोकने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दूरदर्शन में ऐसे परिवर्तन करने का विचार है ताकि दूरदर्शन विदेशी संगठनों

के साथ समझौता कर सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूमिगत जल

812. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :**

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमिगत जल की खपत उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जायेंगे;

(ख) भूमिगत जल के संबंध में अभावग्रस्त और आंशिक रूप से अभावग्रस्त क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़कर देश के बाकी सभी खंडों को काले और भूरे श्रेणियों में रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड) भूमिगत जल की खोज के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निकट भविष्य में क्या नीति अपनाई गई है/अपनाई जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) भूजल संसाधनों का पुनर्भरण प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक वृष्टिपात रिसाव आदि से हो जाता है। तथापि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष स्थानों के लिए जहां भारी मात्रा में जल निकालने के कारण भूजल स्तर में गिरावट आई है, केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने राज्यों द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करके परिचालित किए हैं। बोर्ड भूजल विकास के नए योग्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए आधुनिक अन्वेषण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक आधार पर सर्वेक्षण व ड्रिलिंग भी कर रहा है।

विवरण

जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं०	राज्य	ब्लाकों/तालुकाओं/ जल विभाजकों की संख्या	ब्लाकों की संख्या	
			डार्क	ग्रे
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	309	28	25
2.	अरूणाचल प्रदेश	48	—	—
3.	असम	134	—	—
4.	बिहार	588	—	55
5.	गोवा	12	—	—
6.	गुजरात	183 (ताल्लुक)	18	14
7.	हरियाणा	98	24	20
8.	हिमाचल प्रदेश	69	—	—
9.	जम्मू व कश्मीर	123	—	—
10.	कर्नाटक	175	9	9
11.	केरल	151	—	—
12.	मध्य प्रदेश	459	3	14
13.	महाराष्ट्र	1481 (जल विभाजक)	34	57
14.	मणिपुर	26	—	—
15.	मेघालय	29	—	—
16.	मिजोरम	20	—	—
17.	नागालैंड	21	—	—
18.	उड़ीसा	314	—	—
19.	पंजाब	118	69	21
20.	राजस्थान	236	63	29
21.	सिक्किम	4	—	—
22.	तमिलनाडु	370	43	76

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	17	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	895	17	77
25.	पश्चिम बंगाल	341	1	35
	संघ राज्य क्षेत्र	सभी व्हाइट		

[हिन्दी]

पटना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

813. **श्री ललित उरांव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पटना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) औषधालय में उपलब्ध दवाएं तत्काल ही दे दी जाती है। फिर भी अनुपलब्ध दवाएं अक्सर स्थानीय स्वीकृत केमिस्टों से क्रम करके 48 घंटों के अंदर लाभार्थियों को सुलभ करायी जाती है। पैथोलाजिकल परीक्षणों के लिए सेन रोग विज्ञान संस्थान और सेन प्रयोगशाला, बुद्ध मार्ग, पटना को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। औषधालयों के सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि सभी कर्मचारी समय की पाबंदी बनाए रखें। समुचित स्थान न मिलने के कारण पोलिक्लिनिक का स्थानांतरण नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

दूरदर्शन द्वारा सर्वेक्षण

814. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टार टी.वी. ने कार्यक्रमों की लोकप्रियता संबंधी सर्वेक्षण के बारे में दूरदर्शन को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तरह की भागीदारी से दर्शकों की संख्या का पता लगाने में स्टार टी.वी. को अत्यधिक फायदा होगा, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

277

आकाशवाणी रिले सेवा

815. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में कितने पूर्ण सुविधायुक्त आकाशवाणी केन्द्र, रिले केन्द्र और सहायक केन्द्र है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या आठवीं योजना के दौरान गुजरात विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में आकाशवाणी रिले सेवा का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) गुजरात राज्य में 7 पूर्ण रूप से सुसज्जित आकाशवाणी केन्द्र हैं जो अहमदाबाद, राजकोट, भुज, बडोदरा, गोधरा, सूरत और आहवा में स्थित हैं। इनमे सें अंतिम 4 केन्द्र राज्य के ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जो मुख्य रूप से जनजातिय क्षेत्र हैं।

(ख) जी, नहीं। ये पहले से ही पूर्ण तथा पूरी तरह से सुसज्जित आकाशवाणी केन्द्र हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जूनागढ़ में राष्ट्रीय चैनल कार्यक्रमों के लिए 2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर वाले रिले केन्द्र को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त बडोदरा में, जो मुख्यतः एक जनजातिय जिला है 2x3 कि. वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर वाले एक स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमोदित स्कीम है। छोटा उदयपुर, अहमदाबाद में 200 कि. वा. मी. वे. केन्द्र द्वारा पूरी तरह कवर किया जाता है तथा राजकोट में 300 कि. वा. ट्रांसमीटर द्वारा भी आंशिक रूप से कवर किया जाता है।

[अनुवाद]

276-276

अपराध दर

816. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, दिल्ली के अनुसार टेलीविजन चैनलों पर दिखाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ती हुई हिंसा तथा अश्लीलता के कारण अपराध दर में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) इस आशय की प्रेस रिपोर्ट सरकार के नोटिस में आई है।

(ख) हालांकि विदेशी टी.वी. नेटवर्क के कार्यक्रमों की विषय–वस्तु भारत सरकार के विनियमों की परिधि के अंतर्गत नहीं आती, फिर भी, दूरदर्शन प्रसारण से पूर्व सभी कार्यक्रमों का अपनी तरफ से पूर्व दर्शन करता है ताकि सरकार द्वारा रचित प्रसारण संहिता के अनुसार उसमें किसी प्रकार की आपत्तिजनक हिंसा अथवा अश्लीलता शामिल न हों।

जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति की बहाली

817. **कुमारी सुशीला तिरिया :**

श्री शरद दिघे :

श्री आ. जीवनरत्नम :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री शिवशरण वर्मा :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू–कश्मीर में लोगों को आर्थिक तथा नागरिक संबंधी समस्याओं को हल करने तथा सामान्य स्थिति बहाल करने में उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करने के लिये कोई योजना आरंभ की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने तथा चुनाव करवाने के लिये गत तीन महीनों के दौरान किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जनता के विभिन्न जनमतों का पता लगाया है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जम्मू एवं कश्मीर में सामान्य स्थिति की बहाली की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, विशेषतया राज्य की आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उग्रवाद के कारण बड़े पैमाने पर हुए विनाश की पृष्ठभूमि में, आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए पिछले वर्ष के मध्य से सघन प्रयास किए गए हैं। केन्द्र और राज्य दोनों की स्तरों पर कई बार विचार–विमर्श हुआ और केन्द्र तथा राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के बीच बातचीत हुई जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के सचिवों और विभागाध्यक्षों के एक दल ने, समस्याओं का मौके पर मूल्यांकन करने के लिए दौरा किया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप नए क्षेत्रों में नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार; जवाहर रोजगार योजना, आई. आर. डी. पी. ट्राइसेम आदि जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत परिव्यय में बढ़ोतरी; आई. सी. डी. एस. के अधीन अतिरिक्त परियोजनाएं; औद्योगिक ढांचे, खाद्य प्रसंस्करण और खादी ग्रामोद्योग क्षेत्रों में परियोजनाएं; नष्ट कर दिए गए स्कूलों के पुनर्निर्माण में सहायता

और चिकित्सा एवं एम्बुलेटरी सेवाओं में वृद्धि, आदि जैसे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों के अनुपालन का गहराई से अनुसरण और प्रबोधन राज्य सरकार के साथ सघन समन्वय बनाकर किया जा रहा है। सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए किए गए अन्य उपायों में शामिल है : राज्य के फील्ड प्रशासन, विशेषकर शिकायत निवारण तंत्र को पुनः सक्रिय करना, बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए केन्द्रीय संगठनों द्वारा राज्य में विशेष भर्ती अभियान चलाना, दूरसंचार सुविधाएं बहाल करने और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रयास, आदि।

(घ) और (ङ) सरकार समय-समय पर इस बारे में आम जनता के भिन्न-भिन्न प्रकार के विचारों की जानकारी लेती रही है और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए योजनाएं बनाते समय इन विचारों को ध्यान में रखा जाता है। वस्तुतः विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत एवं विभिन्न प्रकार का अनुभव रखने वाले गणमान्य व्यक्तियों का एक स्थाई अनौपचारिक ग्रुप है जो सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में उठाए जाने वाले जरूरी कदमों के बारे में सरकार को मशविरा देता है।

[हिन्दी]

कोयले का स्टाक

818. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 31 मार्च, 1994 को अंतिम स्थिति के अनुसार विभिन्न ग्रेडों के कोयले की मात्रा कितनी थी;

(ख) 1993-94 के दौरान विभिन्न ग्रेडों के कोयले का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया; और

(ग) रेल तथा भूतल परिवहन से विभिन्न ग्रेडों के कोयले की कितनी मात्रा में, नकद तथा उधार, ढुलाई की गयी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) 31.3.94 की स्थिति के अनुसार कोयले का ग्रेडवार बन्द स्टाक तथा 1993-94 के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. में उत्पादित कोयला नीचे दिया गया है :

ग्रेड	31.3.94 की स्थिति के अनुसार स्टाक	(आंकडे लाख टनों में) 1993-94 के दौरान उत्पादन
एस-I	1.25	4.25
एस-II	1.14	8.33
डब्लू -I	3.03	17.49
डब्लू -II	5.63	21.90
डब्लू -III	3.88	20.29

डब्लू -IV	5.12	29.32
कुल धातुकर्मी कोककर कोयला	20.05	101.50
डब्लू -I	4.37	4.22
डब्लू -II	0.15	0.42
डब्लू -III	31.41	32.53
डब्लू -I	4.37	4.22
डब्लू -II	0.15	0.42
डब्लू -III	31.41	32.53
डब्लू -IV	44.37	94.47
जोड़ अन्य कोककर कोयला	80.70	131.64
ए	0.05	0.32
बी	0.05	0.57
सी	7.85	18.75
डी	24.02	35.01
ई	0.34	2.49
कुल अकोककर कोयला	32.31	57.14
जोड़ भा. को. को. लि.	133.06	290.36

(ग) 1993-94 के दौरान भा को को लि द्वारा यातायात वार कोयले का किया गया प्रेषण नीचे दिया गया है :

(आंकड़े लाख टन में अनन्तिम)

क्षेत्र	रेल	सड़क	एम जी आर	अन्य	जोड़
विद्युत	108.63	8.51	—	—	117.14
इस्पात	53.66	1.97	—	29.40	85.03
लोको	—	—	—	—	—
अन्य	23.13	53.83	—	5.68	82.64
जोड़	125.42	64.31	—	35.00	284.81

भा. को. को. लि. ने सूचित किया है कि विद्युत एवं इस्पात क्षेत्रों को कोयला उधार रूप में प्रेषित किया जा रहा है। जबकि अन्य उपभोक्ताओं को कोयला नकद आधार पर प्रेषित किया जा रहा है। यथोचित वित्तीय व्यवस्था अर्थात् बैंक गारंटी आदि के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कोयले के प्रेषण को नकद आधार पर माना जाता है।

भा. को.को. लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने 1993-94 के दौरान उधार रूप में 19.197 मि. टन तथा नकद आधार पर 7.592 मि. टन कोयले की बिक्री की है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक हेतु वित्त और विकास निगम

819. **श्री फूलचंद वर्मा :**

श्री एस. एम. लालजान वाशा :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों की कल्याण गतिविधियों में धन लगाने हेतु वित्त और विकास निगम की स्थापना कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निगम को कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) से (ग) 21 फरवरी, 1994 को राष्ट्रपति ने संसद में अपने अभिभाषण में बताया था कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 500 करोड़ रूपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम 1994-95 के दौरान प्रचालन में आ जाएगा। रूप रेखा तैयार की जा रही है।

दूध में डी. डी. टी.

820. **श्री मोहन रावले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की रिपोटों के अनुसार बच्चों के दूध में सीसा, कैडमियम जैसी धातुएं और डी. डी. टी. तथा एच सी एच आइसोमर निर्धारित मात्रा से अधिक पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बच्चों के दूध में प्रदूषित करने वाले तत्वों की वैधानिक मात्रा निर्धारित करने तथा एच सी एच के स्थान पर सुरक्षित कीटनाशक पदार्थ का उपयोग करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने एक सीमित अध्ययन किया जिससे दूध और शिशु फार्मूलों में पेस्टीसाइड अवशिष्टों की विद्यमानता और शिशु फार्मूलों में धातुओं की विद्यमानता का पता चला। तथापि, ऐसे अधिकतर मामले खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अधीन निर्धारित अनुमत्य सीमाओं की भीतर थे।

(ग) और (घ) सरकार ने शिशु दुग्ध फार्मूलों में धातुओं की सह्य सीमाएं निर्धारित करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। सरकार का लगातार यह प्रयास रहता है कि कीटनाशकों के स्थान पर नवीनतम और अधिक सुरक्षित प्रतिस्थापकों का इस्तेमाल किया जाए।

हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र से कार्यक्रम

821. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद ने 15 मई, 1994 से अपने कार्यक्रमों के समय में परिवर्तन किया है ताकि कार्यक्रमों को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या–क्या मुख्य परिवर्तन किए गए है;

(ग) अब तक कौन–कौन से नए लोकप्रिय कार्यक्रम शुरू किये गये हैं;

(घ) क्या किसानों के लिए तथा मौसम से संबंधित कार्यक्रम तैयार करने की दिशा में पहल की गई; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) जी, हां। 15 मई, 1994 से दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद ने कृषि कार्यक्रमों की अवधि की 20 मिनट प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 मिनट प्रतिदिन कर दिया है। प्रायिकता को भी सप्ताह में चार दिन से बढ़ाकर सप्ताह में पांच दिन कर दिया गया है। कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा है कि यह कृषकों, ग्रामीणों, युवाओं, बच्चों और महिलाओं में लोकप्रिय है।

(घ) और (ड) जी, हां। कृषकों के कृषि कार्यक्रमों में मौसम संबंधी सूचना शामिल होती है।

नेशनल कैंसर रजिस्ट्री

822. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "नेशनल कैंसर रजिस्ट्री" कार्यक्रम के समन्वयक एकक को बंगलौर से उत्तर प्रदेश में नौएडा में स्थानान्तरित करने का निर्णय स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या नेशनल कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के समन्वयक एकक को बंगलौर में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के स्थायी केन्द्र के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ) उक्त केन्द्र को स्थानांतरित करने संबंधी पहले निर्णय और इसे स्थायी बनाने संबंधी प्रस्ताव दोनो प्राप्त हो चुके हैं और केन्द्र का ऐसा स्थानांतरण रोक दिया गया है।

पुस्तकों/प्रकाशनों पर प्रतिबंध

823. **श्री हरीश प्रभु नारायण झांट्ये** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन–किन पुस्तकों/प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाया गया है और किन–किन पुस्तकों/प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) वर्तमान कानूनों के अंतर्गत पुस्तकों/प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में क्या मार्ग–निर्देश है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कानूनों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 में वह प्रक्रिया नियत की गई है जिसके अधीन पुस्तकों/प्रकाशनों के अभिनिष्टि किया जाता है। इस बारे में दाण्डिक प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए, 153बी, 292ए, 293 और 295-ए में निहित हैं। पुस्तकों/प्रकाशनों के आयात एवं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश केन्द्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा II के अधीन जारी किए जाते हैं। तथापि, प्रतिबंधित पुस्तकों/प्रकाशनों के बारे में और इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाने के लिए विचाराधीन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरा देना जनहित में नहीं होगा।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलादेशियों द्वारा घुसपैठ

824. **श्री राम नाईक** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेशी घुसपैठियों की शीघ्र पहचान करके उन्हें विस्थापितों के शिविर में रखने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी पहचान करने और उन्हें ऐसे शिविरों में रखने के लिए क्या कदम उठाए गए है/ उठाये जाने का विचार है;

(ग) क्या इन घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए 1971 के इन्दिरा–मुजीब समझौते में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है; और

(घ) इन घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (घ) भारत में बंगलादेशी राष्ट्रिकों के अवैध अप्रवासन/घुसपैठ की समस्या के बारे में अनेक चिंताएं व्यक्त की गयी है। उनकी पहचान करने और उपयुक्त कार्रवाई करने की मांग है। सरकार ने घुसपैठ को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करना, मोबाईल टास्क फोर्स (एम टी एफ)/ विदेशियों की घुसपैठ को रोकने संबंधी (पी आई एफ) योजना को लागू करना, सीमा सड़कों का निर्माण और बाड लगाना, पहचान पत्र जारी करना, न्यायाधिकरणों की स्थानपा करना इत्यादि शामिल है। यह मामला बंगला देश सरकार के साथ उठाया गया है और अवैध प्रवासियों/घुसपैठियों के कुछ एक वर्गो को बंगलादेश राईफल को सौंपने के लिए सीमा सुरक्षा बल के लिए कुछ तौर–तरीकों पर सहमति हुई है। तथापि जिन घुसपैठियों की शिनाख्त हो गयी है उन्हें शरणार्थी शिविरों में रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। भारत और बंगलादेश के बीच 19 मई, 1972 को हुई, मैत्री, सहयोग और शांति संधि में बंगलादेश से आए घुसपैठियों का कोई उल्लेख नहीं है। तथापि भारत और बंगलादेश के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बारे में 8 फरवरी, 1972 को जारी किए गए संयुक्त बयान में उन बंगलादेशी शरणार्थियों की वापसी का जिक्र है, जिन्होंने 25 मार्च, 1972 से भारत में शरण ली है।

[हिन्दी]

मानवाधिकारों का उल्लंघन

825. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अर्ध–सैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किए जाने के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ड) क्या सरकार का विचार स्कूल पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों को एक विषय के रूप में शामिल करने का है; और

(च) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) जब कभी, ज्यादतियां किए जाने के बारे में अर्ध–सैनिक बलों के सदस्यों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती है, तो उनकी जांच की जाती है और यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

(ड) और (च) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

वोहरा समिति की रिपोर्ट

826. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को माफिया संगठनों के संपर्क पर एन एन वोहरा समिति की रिपोर्ट मिल गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखने का है?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (घ) सरकार ने, माफिया संगठनों/आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों और संपर्कों के बारे में उपलब्ध सूचना का जायजा लेने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि क्या नियमित रूप से सूचना एकत्र करने और पहचाने गए तत्वों के खिलाफ मामले चलाने के लिए, एक विशेष संगठन/एजेंसी स्थापित करने की आवश्यकता है सरकार समिति की रिपोर्ट पर, आगे ऐसी कार्रवाई, जो भी आवश्यक समझी जाये, करने के लिए विचार कर रही है।

विदेशी नागरिक

827. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्री विलास मुत्तेमार :

श्री जगमीत सिंह बरार :

श्री भगवान शंकर रावत :

श्री काशी राम राणा :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की राज्य–वार तथा राष्ट्रीयता–वार संख्या कितनी–कितनी है;

(ख) ये भारत में कब से रह रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य–वार तथा राष्ट्रीयता–वार, कितने विदेशी नागरिकों की पहचान की गई है तथा कितने नागरिकों को स्वदेश भेजा गया है; और

(घ) ऐसे शेष व्यक्तियों की पहचान करने तथा उन्हें स्वदेश भेजने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) सरकार को भारत में अवैध रूप से रह रहे पड़ौसी देशों के विदेशी राष्ट्रिकों की गंभीर समस्या की जानकारी है। इस प्रकार के अवैध विदेशी राष्ट्रिकों की वास्तविक संख्या बताना संभव नहीं है क्योंकि वे भारत में चोरी–छिपे घुसते हैं और स्थानीय जनता के साथ आसानी से घुल–मिल जाते हैं। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्थायी निर्देश दिए गए हैं।

(घ) इस प्रकार के विदेशियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए है/कर रही है। इन उपायों में, इस प्रकार के विदेशियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को तेज करने के लिए उन्हें दिए गए विशिष्ट निर्देश और समस्या की गंभीरता और परिमाण के बारे में स्थानीय जनता को सुग्राही बनाना सम्मिलित है।

1984 के दंगा पीड़ितों को सहायता

828. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों का पुनर्वास करने के लिए उन्हें दिल्ली में मालिकाना अधिकार सहित छोटे–छोटे खाली पड़े सरकारी भूखंड आवंटित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर भाग में 'इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस के एजेंटों का प्रवेश

829. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये :**

श्री अरविंद त्रिवेदी :

श्री द्वारका नाथ दास :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में 'इंटर–सर्विसेज–इंटेलिजेंस' के एजेंट बड़ी संख्या में आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आई एस आई एजेंटों की घुसपैठ को रोकने के लिए किए गए/किए जाने वाले अल्पकालीन/दीर्घकालीन उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 24 जून, 1994 के 'बिजनेस स्टेडर्ड' (नई दिल्ली) में "आई एस आई फडिंग आर्मस, परचेज इन एन ई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ङ) सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों में आई एस आई की गतिविधियों की जानकारी है। बंगलादेश प्राधिकारियों से अनुरोध किया है कि हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में बंगलादेश के क्षेत्र से भारत के खिलाफ़ चलायी जा रही सभी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोके। बंगलादेश के माध्यम से आई एस आई की गतिविधियों सहित लम्बित पड़े मुद्दों को हल करने के लिए, विचार करने और व्यवहारिक उपायों की सिफारिशें करने हेतु एक संयुक्त भारत –बंगलादेश कार्य दल का गठन किया गया है। सरकार को इस समाचार की भी जानकारी है कि आई एस आई उत्तर पूर्व में उग्रवादियों को शस्त्रों की खरीद के लिए धन दे रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्रोही ग्रुपों द्वारा आई.एस.आई की सहायता से प्राप्त शस्त्रों की तस्करी रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

दिल्ली में गिरफ्तार आतंकवादी

830. **श्री हरिन पाठक** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों का एक नया संगठन बनाने की पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के किसी षड़यंत्र का दिल्ली में हाल ही में भंडाफोड़ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान दिल्ली में कितने आतंकवादी गिरफ्तार किये गये और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) उनसे जब्त किये गये हथियारों, गोला बारूद्ध और अन्य सामग्री का ब्यौरा क्या है;

(ङ.) गिरफ्तार किये गये आतंकवादियों का मुख्य इरादा क्या था; और

(च) दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रायलय में राज्य मंत्री (श्री पी० एस० सईद) : (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तानी आई. एस. आई. के नियंत्रण एवं देखरेख में सक्रिय, पाकिस्तान आधारित सिख उग्रवादी नेता भारत में आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ाने के षड्यंत्र रचते एवं योजना बनाते रहे हैं। गिरफ्तार किए गए कुछ सिख आतंकवादियों, जिनके संबंध पाकिस्तान आधारित उग्रवादी सिख नेताओं से हैं, से यह पता चलता है कि आतंकवाद पैदा करने के इरादे से आतंकवादी रैंकों में नई भर्ती की जा रही है और हथियारों की प्राप्ति के लिए "हवाला" व्यापार माध्यम से धन प्राप्त किया जा रहा है।

(ग) 1.4.94 से 15.7.94 तक पिछले तीन महीनों के दौरान चौदह आतंकवादी गिरफ्तार किये गये हैं। उनके खिलाफ भा. द. सं./टाडा अधिनिगम की विभिन्न धाराओं के अधीन आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं।

(घ) उनसे एक चीन निर्मित पिस्तौल, आठ कारतूस, चार स्टिक ग्रेनेड्स, दस कारतूसों सहित, 7.65 एम. एम. बोर की एक पिस्तौल, एक हथगोला 10,000/–रू० दो तारों वाला "अनिक"

घी का दो किलो का डिब्बा, अन्य सामग्री सहित दो डिटोनेटर चीन निर्मित स्टिक बम पकड़े गए।

(ड.) सरकार के पास उपलब्ध सूचना से संकेत मिलता है कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों का मुख्य इरादा, प्रमुख हिन्दू नेताओं और मुख्य धारा के कश्मीरी राजनैतिक नेताओं को मार कर/उनकी हत्या करके आतंकवाद फैलाना था।

(च) दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं– प्रत्येक पुलिस जिले में एक आतंवादी विरोधी प्रकोष्ठ बनाना, नाजुक/सामरिक महत्व के स्थलों पर सशस्त्र टुकड़ियां तैनात करना, सघन सचल गश्त लगाना, मैदियों को तैनात करना, सार्वजनिक स्थलों पर ज्ञात उग्रवादियों के फोटों प्रदर्शित करना, महत्वपूर्ण स्थलों पर पी. सी. आर. वाहन तैनात करना और, पड़ौसी राज्यों के साथ समन्वय बैठकें करना।

पाकिस्तान के कश्मीर की स्थिति अस्थिर करने के प्रयास

831. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

श्री शिव शरण वर्मा :

श्री जर्नादन मिश्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने विदेशी आतंकवादियों की एक अलग संयुक्त यूनिट बनाकर कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन देने की अपनी नीति में कोई व्यापक परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नए ग्रुप में पूरी तरह विदेशी नागरिक हैं और उन्हें आतंकवादी संगठन से संभार तंत्र और सुविधा समर्थन प्राप्त है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने मई और जून 1994 के दौरान कश्मीर में विदेशी नागरिकों को भेजकर और आतंकवादियों को विस्फोटों तथा अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई करके कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए हर तरह के प्रयास किए गए हैं; और

(घ) सरकार ने पाकिस्तान की चालों को रोकने और विफल करने हेतु क्या प्रयास किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) पाकिस्तान, अन्य देशों से सशस्त्र और प्रशिक्षित भाड़े के सैनिकों को चोरी छुपे जम्मू और कश्मीर में भेजकर आतंकवाद ओर विघटन को समर्थन देने की अपनी नीति को जारी रखे हुए हैं। यह रिपोर्ट भी हैं कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाक आई. एस. आई. द्वारा अन्य देशों में आधारित कुछ विदेशी राष्ट्रिकों/आतंकवादी संगठनों को भी उकसाया जा रहा है।

सरकार ने अनेक अवसरों और विभिन्न स्तरों पर पाकिस्तान से ठोस आग्रह किया है कि वह विघटनकारी कार्यो और आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद करें। सरकार ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन से उत्पन्न होने वाले खतरों से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अवगत करा दिया है। ओर्पेशनल स्तर पर भी, गश्त में बढ़ोत्तरी करके, अतिरिक्त टुकड़ियां और

निगरानी चौकियां स्थापित करके तथा आतंकवादियों के खिलाफ छानबीन और घेराबन्दी अभियानों को तेज करके, सरकार ने आतंकवाद–विरोधी अभियानों को तेज किया है।

अवैध ढंग से आने वाले घुसपैठिए

832. **श्री आनंद रत्न मौर्य :**

श्री द्वारिका नाथ दास :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध ढंग से आने वाले घुसपैठिए इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (आई. एस. आई.) के एजेन्टों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं और अन्य विध्वंसक गतिविधियों में संलग्न है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन घुसपैठियों का पता लगाने में कोई सफलता मिली है ;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में अब तक ऐसे कितने व्यक्तियों का पता लगाया गया और कितनो को देश से निष्कासित किया गया;

(ड.) क्या ऐसे कई लोग भारत में पुनः प्रवेश करने में सफल हो गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसी घटनाओं को रोकने और उन व्यक्तियों को निष्कासित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (छ) इस आशय की कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है कि उत्तर–पूर्वी राज्यों में अवैध घुसपैठिये पाकिस्तान आई एस. आई. की सहायता कर रहे हैं। आई. एस. आई. द्वारा बंगलादेश के क्षेत्र से भारत के खिलाफ चलायी जा रही गतिविधियों से संबंधित मामले पर बंगलादेश प्राधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया गया और उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, अपने क्षेत्र से भारत के विरूद्ध चलाई जा रही गतिविधियों को तत्काल और प्रभावी ढंग से रोकें।

1984 के दंगे

833. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984 के दंगों से संबंधित कुछ जांच रिपोटों को प्रस्तुत करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये रिपोर्ट सभा में कब तक प्रस्तुत कर दी जायेंगी ;

(घ) देश में दंगों के लिए उत्तेजित/नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार ठहराए गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ड.) 1984 के दंगो में कितने व्यक्ति मारे गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) दो जांच–रिपोर्ट, नामतः कपूर मित्तल कमेटी रिपोर्ट और जैन अग्रवाल कमेटी रिपोर्ट 1984 के दंगों पर हैं। पहली कमेटी ने अपने आपको जिम्मेदारी निर्धारित करने और 1984 के दंगों से निपटने में पुलिस अधिकारियों की सदोषता का पता लगाने तक सीमित रखा और दूसरी कमेटी ने दंगे और अन्य दंडनीय अपराध करने के लिए प्राईवेट व्यक्तियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ जनता की शिकायतों की जांच की।

कपूर मित्तल कमेटी की रिपोर्ट में 72 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गयी। इनमें से 16 अधिकारी अब तक या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या मर चुके हैं, और शेष 56 अधिकारियों में से 3 को पहले ही दंडित कर दिया गया और 3 को आरोपों से बरी कर दिया गया क्योंकि उनके विरूद्ध कोई भी अभिशंसी सबूत नहीं मिला। 43 अधिकारियों को आरोप पत्र दिए गए हैं, और अनुशासनिक कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर हैं।

जैन अग्रवाल समिति ने, 1984 के दंगों के दौरान हुए आपराधिक मामलों के संबंध में दायर 1084 शपथपत्रों की जांच की। जबकि 190 शपथ पत्रों में बतायी गयी शिकायतों की अभी पुष्टि नहीं हो पायी हैं, समिति ने 894 शपथपत्रों पर आगे कार्रवाई किए जाने की सिफारिश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 121 शपथपत्रों को अलग छांट लिया है, जिससे अब 773 शपथपत्र बाकी रह गए हैं। इनमें से 745 शपथपत्रों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जानी है और 28 शपथपत्रों पर कार्रवाई अन्य जांच एजेंसियों द्वारा की जानी है। दिल्ली पुलिस ने 471 मामलों में प्राथमिक पूछताछ के लिए मामले दर्ज करने/उनकी जांच करने के आदेश पहले ही दे दिए हैं और 21 मामलों में, जिनमें विभागीय कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। इन 94 चूककर्ता अधिकारियों में से 28 अधिकारियों का या तो देहान्त हो गया है या वे सेवानिवृत्त हो गए हैं और 27 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया गया। शेष 39 कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रगति पर है।

(ग) इन रिपोटों को सदन के पटल पर रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) 367 मामले दिल्ली स्थित न्यायालयों में दायर किए गए हैं, जिनमें से 200 मामलों में न्यायालयों ने निर्णय दे दिया है और 167 मामले विचारण के लिए लम्बित पड़े हैं।

(ड.) दिल्ली प्रशासन द्वारा 1986 में गठित आर. के. आहुजा समिति के अनुसार 1984 के दंगों में कुल 2733 लोगों की जानें गयी।

[हिन्दी]

वैष्णो देवी की यात्रा

834. **श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 1994 को नवभारत टाइम्स में "वैष्णों देवी" तीर्थ यात्रा रोकने की धमकी शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान्। वैष्णों देवी यात्रा रोकने की इस प्रकार की धमकी हरकत-उल-अंसार द्वारा दी गई है और अन्य उग्रवादी संगठनों ने इसका समर्थन किया है तथा उन्होंने इसे हजरतबल मामले से जोड़ा है। इस प्रकार की धमकियां साम्प्रदायिक, तनाव पैदा करने तथा उग्रवाद को अधिक कट्टरवादी दिशा देने के ऐसे संगठनों के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। सरकार पहले से ही इस मामले से अवगत है और यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

बंगलादेशियों की घुसपैठ

835. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मई, 1994 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार "यू. पी. गवर्नमेंट आस्क्ड टूं प्रोब रिपोर्टस आफ इनफिलट्रेशन" शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आतंरिक सुरक्षा राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर बंगलादेशियों के घुसपैठ की जांच करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बंगलादेशियों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ की रिपोर्ट सच नहीं थी।

[हिन्दी]

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण

836 **श्री राम विलास पासवान** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की सोच रही है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब शुरू की जायेगी?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) उच्चतम न्यायालय ने मण्डल मामले (इन्दिरा साहनी तथा अन्य इत्यादि बनाम भारत संघ तथा अन्य इत्यादि) में निर्णय दिया है कि अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए पदों में आरक्षण संवैधानिक रूप से अवैध है। सरकार निर्णय के सम्पूर्ण निहितार्थ की जांच करेगी तथा इस प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करेगी।

(ख) वर्तमान में संविधान का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्य सुरक्षा आयोग

837. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में राज्य सुरक्षा आयोग के गठन के संबंध में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश कार्यान्वित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अत्याधिक विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) "पुलिस" राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों द्वारा राज्य सुरक्षा आयोगों की स्थापना किए जाने के बारे में राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गयी सिफारिश पर निर्णय लेना उन्हीं का काम हैं।

[हिन्दी]

आई. एस. आई. की गतिविधियां

838. **श्री फूलचंद वर्मा** :

श्री एम.बी.बी.एस. मूर्ति :

श्री शिवचरण वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जुलाई, 1994 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आई. एस. आई) देश में अशांति और अफवाहें फैलाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में संगठनों की स्थापना में सहायता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या गत तीन महीनों के दौरान दक्षिणी और पूर्वी–राज्यों में आई. एस. आई के एजेंटों की घुसपैठ में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (च) इस आशय की कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि देश में अव्यवस्था इत्यादि फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान की आई. एस. आई. देश में संगठन स्थापित करने में मदद कर रही है। तथापि भारत में गुप्त रूप से जासूसी, विद्रोह और तोड़–फोड़ कराने के पाकिस्तान की आई एस. आई. के इरादों से सरकार अवगत है और आसूचना तंत्र को सुचारू बनाकर, केन्द्र और राज्य की संबंधित एजेंसियों द्वारा आसूचना का आदान–प्रदान तथा समन्वित कार्रवाई करके, महत्वपूर्ण स्थानों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती में वृद्धि करके, तटवर्ती एवं अन्तर्देशीगश्त को बढ़ाकर सीमा पर बाड़ लगाकर और भारत पाक सीमा के नाजुक हिस्सों में फ्ल्ड लाईट लगाकर इन मनसूबों का मुकाबला करने और इन्हें विफल करने के लिए सभी जरूरी उपाय कर रही है। नौसेना, तटरक्षक बल और सीमा शुल्क विभाग को समुद्र के भीतर तक और साथ ही तटरेखा पर सघन गश्त लगाने के लिए समुचित निर्देश भी जारी कर दिए गए है। इन प्रयासों के परिणाम का प्रबोधन नियमित रूप से किया जाता है। तथापि, पिछले तीन महीनों के दौरान दक्षिणी और पूर्वी राज्यों से आई. एस. आई के एजेन्टों की घुसपैठ बढ़ने के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

अमरनाथ यात्रा

839. **डा. रमेश चन्द तोमर :**
श्री बी. एल. शर्मा प्रेम :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाक अधिकृत कश्मीर के कुछ आतंकवादी संगठनों ने प्रतिवर्ष की जाने वाली अमरनाथ यात्रा को रोकने की धमकी दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) हरकत–उल अंसार ने अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों के लिए धमकी दी है तथा अन्य उग्रवादी संगठनों ने उसका समर्थन किया

है। साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने और उग्रवाद को कट्टरवाद की ओर बढ़ाने के लिए ऐसी धमकियां देना ऐसे संगठनों के नापाक इरादों का एक हिस्सा है।

सरकार को इस मामले की पहले से ही जानकारी है और यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

बिजली का करंट लगे व्यक्ति की जान बचाना

840. **श्री धर्मण्णा मोन्डय्या सादुल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सकों और शोधकर्ताओं ने बिजली का करंट लगे व्यक्तियों की जान बचाने की तकनीक विकसित करने में सफलता पायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

11.17 म०पू०

तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.00 म०प०

लोक सभा 2.00 म०प० पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

..........व्यवधान..........

प्रतिभूतियों और बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई सिफारिशों की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के संबंध में चर्चा.......जारी

उपाध्यक्ष महोदय : हमें न्यूनतम कार्य पूरा करना चाहिए।

......(व्यवधान)......

उपाध्यक्ष महोदय : शुक्ल जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

..........(व्यवधान)..........

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार की गई कार्रवाई रिपोर्ट को वापस ले रही है। ....(व्यवधान)......

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म०पू० पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

2.01 बजे म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 29 जुलाई, 1994/7 श्रावण, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।